(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] दसवीं विधान सभा के छठे सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 3

सोमवार,

11 मार्च, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री विष्णुजी मोदी।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इसमें क्या है कि 2-3 प्रश्न भी नहीं आते, मेहनत करके 20-20, 30-30 प्रश्न दिये हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं तो आप....

श्री अध्यक्ष : मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप भी ज्यादा समय लगाते हैं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : उसको पूरक प्रश्न पूछना हो तो कोई एकाध आवश्यक हो तो पूछने दें। अब किसी का सवाल और कोई दूसरा लेकर....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : एक ही प्रश्न पर आधा घंटा, अध्यक्ष महोदय, लग जाता है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : ...बोलने लग जाता है जिसका उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : आपके दल के लोगों को समझायें, समय खराब न करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा की तरह आज राजस्थान विधान सभा आ रहा था। रास्ते में मुझे पुलिस ने रोका। मुझे यह बताया गया कि यहां माननीय मुख्य मंत्री जी के भतीजे मीटिंग कर रहे हैं टैम्पो और विक्रम ले करके। मुझे उस रास्ते से नहीं आने दिया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। यह क्या मतलब हुआ। आप बिराज जाइये।

श्री रामनारायण मीणा : मुख्य मंत्री जी का भतीजा हो या कोई भी हो.... (व्यवधान) इस तरह से रोकना और सत्ता पक्ष के आदमियों को मीटिंग करने देना और परिवार के लोगों को राजनीति में बढ़ावा देना....

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह किस प्रक्रिया के तहत बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मोदी जी।

व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन

31. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री विष्णु मोदी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापार मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो इसका विधिवत् गठन कब तक कर दिया जायगा ?

(2) क्या सरकार व्यापार मेला प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा): (1) राज्य स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक में उद्यमियों द्वारा राज्य में ट्रेड फेयर अथारिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार राज्य मे ट्रेड फेयर अथारिटी स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आई.टी.पी.ओ.) से सम्पर्क कर इस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। तदुपरान्त ही प्राधिकरण के गठन बाबत निर्णय लिया जायगा।

(2) ट्रेड फेयर अथारिटी के बनाये जाने पर इसके संचालक मण्डल में यथासम्भव गैर सरकारी सदस्य/उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया के अन्दर जो ट्रेड है वह फेयर्स के माध्यम से होता है। अभी राजस्थान विधान सभा में जो अभिभाषण आया उसमें भी एक फेयर का जिक्र है कि उसमें राजस्थान की 14 पेवेलियनों को पुरस्कार मिले। मैं समझता हूं कि इसके बारे में माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने भी और मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा कर रखी है। मेरा यह सवाल पूछने का तात्पर्य यह था कि ये सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं रहने वाली हैं या इसका सक्रिय रूप में परिणत होना है ? जैसा इस सरकार ने इस सदन को जितना कैजुअल ले रखा है, चाहे कोई सवाल हो, चाहे कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन हो....

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्न पर आयें, माननीय विश्नोई जी की भावना का आदर करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। मुझे मालूम है। मैं उसी पर बात कर रहा हूं। मैं यह उम्मीद करता था कि सरकार कोई स्पेसिफिक जवाब देगी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या आपके इस कार्यकाल के अन्दर पूरी हो जायेगी ? आप कोई कट आफ डैट रखता चाहते हैं, जिस चीज को आप करना चाहते हैं, जो आवश्यक है ? उसके अन्दर ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स के अन्दर एक साल से पहले मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम इस तरह का करेंगे। आप खुद, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, अभी बैंगलोर जाकर आये हैं। राजस्थान के मिनरल बैंगलोर में जाकर डिस्प्ले हो रहे हैं इंटरनेशनल के लिए और उसी के कारण राजस्थान का इतना बड़ा पार्टिसिपेशन था कि उसमें 32 में 14 पुरस्कार राजस्थान के क्राफ्ट्स को मिले, जो आपके अभिभाषण में लिखा है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार स्पेसिफिक

(श्री विष्णु मोदी)

घोषणा करे कि इस फाइनेंशियल ईयर में या अगले फाइनेंशियल ईयर में या कब तक इसका गठन कर देगी ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीर है, कैजुअल नहीं ले रही है। ट्रेड फेयर अथारिटी के सम्बन्ध में जानकारी की प्रक्रिया तो चालू है लेकिन हमने इसके पहले ही एक उद्योग संस्थान बना दिया है जिसमें गैर सरकारी सदस्य भी हैं और उस संस्थान ने मेले लगाने का काम चालू कर दिया है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आज खास तौर से राजस्थान में लघु उद्योग और जो घरेलू उद्योग हैं और जो शिल्प हैण्डी-क्राफ्ट्स हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि अगले वर्ष सभी जिलों में इस तरह के मेले आयोजित किये जायेंगे। इस बार हमने मेले लगाये हैं जिला स्तर पर, जिसमें नागौर में लगा है, जैसलमेर में लगा है, बाड़मेर में लगा है, सवाई माधोपुर में लगा है, भीलवाड़ा में लगा है, कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में लगा है। उन सबके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। आज हमारे गांवों में शिल्पकार बैठे हुए हैं। वहां पर अच्छी बिक्री भी हुई है और लोगों को नयी चीजों का ज्ञान हुआ है। जो हमारे शिल्पकार गांवों में बैठे हुए हैं, कॉटेज इण्डस्ट्रीज में जो चीजें बना रहे हैं उनकी बिक्री के सीधे उनके पास ऑर्डर भी आने लग गये हैं। इस बार हमारे जितने मेले लगे उसमें 7 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई है। इसलिए हमने काम तो चालू कर दिया है। ट्रेड फेयर अथारिटी का एक अलग सिस्टम है। उसमें अधिक पैसा लगेगा। इसलिए उसका एक्जामिन करना जरूरी है, उसमें हम किसी तरह से प्राइवेट आदमियों को इन्वाल्व करके परमानेन्ट रूप से इस तरह की व्यवस्था करें। बाकी अपने विभाग में चाहे नेशनल स्तर पर होते हैं तब भी हम उसमें भाग लेते हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल स्तर पर जो मेले होते हैं, अभी जर्मनी में एक मेला हुआ था हैंडलूम्स का, उसमें देश की कुल 3 हैंडलूम्स चुनी थीं भारत सरकार ने, उसमें राजस्थान की भी थीं, और हमारे यहां का बहुत-सा सामान वहां पर गया है और डिस्प्ले हुआ है और लोगों का उसके प्रति आकर्षण हुआ है। इसलिए राजस्थान सरकार इसे बहुत गम्भीरता से ले रही है। इस काम को, अथारिटी का निर्णय होगा तब हो जायगा लेकिन चालू कर दिया है। इस तरह के मेले लगाकर विपणन की व्यवस्था खास तौर से छोटे उद्योगपतियों के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। इसमें हम बहुत गम्भीर हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल पूछने का बिलकुल सही जवाब माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने दे दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है साहब, आगे चलें।

श्री विष्णु मोदी : मैं वो ही कहना चाह रहा था। एक मिनट सुन लें, वही तो मैं बता रहा हूं। आप जरा सुनेंगे। जब तक नहीं सुनेंगे...(व्यवधान).. मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि ट्रेड फेयर अथारिटी कब स्थापित की जा रही है। अब आपने लघु उद्योग संस्थान खोल

(श्री विष्णु मोदी)

दिया है और जिलों में हैंडलूम्स के मेले लगाने का कार्य शुरू कर दिया है, लघु उद्योग संस्थान जो मेले लगा रहा है वो, मान्यवर, एक दूसरी प्रक्रिया है और मैंने यह सवाल जो इटरनेशनल लेवल के ऊपर बिक्री होगी और जिसका आप फेयर लगायेंगे इस सम्बन्ध में पूछा है। आपका लघु उद्योग संस्थान और आप जिलों में मेले लगा रहे हैं उससे इस सवाल का कोई तात्पर्य नहीं है। मुझे मालूम था कि आप इसका यही जवाब देंगे। मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल के मेले राजस्थान सरकार लगाने का कहती है कि हम गम्भीर हैं, तो यह अथारिटी या और दूसरी संस्था या और किसी माध्यम से या सरकार अपने माध्यम से कब से लगाना शुरू कर रही है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अब तक जो हमारी आई.टी.पी.ओ. से बातचीत हुई उसके हिसाब से उनका प्रस्ताव यह है कि इसमें हम जयपुर में यदि लगाना चाहेंगे तो सौ एकड़ जमीन चाहिए और लगभग 75 से सौ करोड़ रुपये का उसमें इंवेस्टमेंट होगा केवल जयपुर के लिए। ट्रेड फेयर अथोरिटी के माध्यम से हम केवल जयपुर में ही नहीं अन्यत्र भी इस तरह के मेले आयोजित करने की स्थायी व्यवस्था करेंगे तो जो इंवेस्टमेंट होगा उसका पूरा आकलन पूरे राजस्थान का करने में थोड़ा समय लगेगा और जब भी हो जायेगा, क्योंकि पैसे का मामला है, ट्रेड फेयर अथारिटी बनने के बाद भी हम यह सोचेंगे कि इसमें हम प्राइवेट पार्टी को इन्वाइट करें, उनके प्रस्ताव भी लें। ऐसी एक पार्टी का प्रस्ताव हमारे पास आया है, वे सौ एकड़ जमीन चाहते हैं। लेकिन एक आदमी से नहीं हम तो इसमें टेंडर कॉल करेंगे। **it will take some time**, इसलिए इसका निश्चित समय तो नहीं बताया जा सकता लेकिन हम गम्भीर हैं और इसलिए हमने पूरी प्रक्रिया चालू कर दी है। मैं समझता हूं कि इस इन्फार्मेशन से आप संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। दिल्ली में भी ट्रेड फेयर अथारिटी बनी हुई है और वह अलग-अलग तरीकों से इंटरनेशनल लेवल पर फेयर आर्गेनाइज करती है उसमें राजस्थान भी हिस्सा लेता है। क्या मंत्री महोदय बताने की स्थिति में है, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर आपकी अथारिटी यदि बन भी जाती है इस राज्य की तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फेयर आर्गेनाइज करने की स्थिति में हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो हम हमारे नेशनल लेवल पर करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर तो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया आई.टी.पी.ओ. के ऊपर बात कर रही है। वह आलरेडी कर रही है लेकिन इंटरनेशनल में भी हम जा सकते हैं, यह हमारे उत्पादन पर निर्भर करता है। आज हम इस स्थिति में तो आ गये हैं कि हमारे यहां के बहुत से उद्योगों का उत्पादन इंटरनेशनल स्तर पर डिस्प्ले किया जा रहा है, जो स्वीकार भी किया जा रहा है और उसका फायदा भी हो

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रहा है । लेकिन स्कीमें. जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी तो यह भी संभव है कि इंटरनेशनल फेयर भी होगा।

श्री अध्यक्ष : भवानी जी जोशी ।

श्री रामनारायण चौधरी : दरांती का स्टेण्डर्ड तो आपने बदला नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बाद की बात है, आप बिराजें ।

श्री रामनारायण चौधरी : दरांती का स्टेण्डर्ड तो आपने अभी तक बदला नहीं, आप उसमें अब तक सुधार नहीं ला पाये हैं.... (व्यवधान) और जापान के अंदर फेयर आर्गेनाइज करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रोडक्शन का ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय, अब हो गयी बातें । (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि जो संस्थान बनाया है या बनाने जा रहे है उसमें उन्होंने महिला प्रतिनिधि भी लिये हैं या नहीं ? क्योंकि हमारी महिलाओं की बनायी गयी जो कलाकृतियां या चीजें हैं उनको भी मेलों में पूरा-पूरा स्थान मिल सके, उसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को उसमें शामिल किया जाय।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, बिराजें आप ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारी उद्योग नीति में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की विशेष व्यवस्था है और अभी राजस्थान स्तर पर तीन या चार महिलाएं आगे आयीं हैं जिनको हम हर स्तर पर आगे लाना चाहते हैं, यदि महिला उद्यमी उसमें ज्यादा आयेंगी तो निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : भवानी जी जोशी (व्यवधान) अब आप बिराज जाएं । आप दो सप्लीमेंट्री नहीं कर सकतीं । आप बिराज जायं, माननीय सदस्या ।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं । (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मेरा सवाल यह है कि जैसे शीशे का काम महिलाएं करती हैं उनको भी जगह मिले आपके मेले में ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, प्रश्न संख्या 32.

ग्रामदानी ग्रामों का ग्राम पंचायतों में विलीनीकरण

32. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रांत के कई ग्रामदानी ग्रामों को भंग कर ग्राम पंचायतों में विलीन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री भवानी जोशी)

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे ग्रामों को पुनः ग्रामदानी ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया ? यदि हां, तो कब व क्यों ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामदानी गांवों को सुविधा एवं अधिकार तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? क्या सरकार इस सहायता राशि के उपयोग की समीक्षा करती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(4) क्या सरकार ऐसे ग्रामदानी गांवों को पुनर्जीवित नहीं कर ग्राम पंचायतों में में ही बने रखने के प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक किस आधार से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पंचायतीराज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : (1) यह सही नहीं है कि प्रांत के ग्रामदानी गांवों को भंग कर ग्राम पंचायतों में विलीन कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सिर्फ ग्रामदानी ग्रामों को ग्राम पंचायतों में सम्मिलित किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में दोहरी व्यवस्था कार्यरत है। सिर्फ ग्रामदानी ग्राम सभा द्वारा पंचायत सम्बन्धी कार्यों को छोड़कर शेष कार्य राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम, 1971 के प्रावधानानुसार ग्रामदानी गांवों द्वारा पूर्वानुसार ही किये जाने की व्यवस्था है।

(3) राज्य सरकार द्वारा ग्रामदान बोर्ड को प्रतिवर्ष चार लाख रुपये का तीन किश्तों में अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर समीक्षा कर दिया जाता है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा भी विभागीय आदेश दिनांक 24–7–1995 जारी कर ग्रामदानी गांवों को पंचायत की आबादी के अनुपात में अंशदान दिये जाने के निर्देश हैं।

(4) चूंकि ग्रामदानी ग्रामों द्वारा राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 43 के विलोपित किये जाने के पश्चात् पंचायत सम्बन्धी कार्यों को छोड़कर शेष कार्य यथावत करते रहने की ही व्यवस्था है, अतः उनके पुनर्जीवित किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः नियमों में फिलहाल कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री भवानी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामदानी गांवों में पंचायत सम्बन्धी क्या-क्या कार्य सम्मिलित किये जायेंगे जिस पर ग्रामदानी सभा विचार नहीं करेगी ? मेरा प्रश्न यह है कि ग्रामदानी गांवों में पंचायत सम्बन्धी क्या-क्या कार्य सम्मिलित किये जायेंगे जिस पर ग्रामदानी सभा विचार नहीं करेगी। क्या वर्तमान व्यवस्था में ग्रामदान बोर्ड एवं पंचायत अधिनियम के तहत ग्रामदानी गांव को अनुदान व अंशदान दोनों दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पंचायतीराज अधिनियम के सम्बन्ध में निवेदन है कि 73 वें संशोधन के पश्चात् धारा 42–

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

43 बी में संशोधन हुआ और उसमें कह दिया गया कि हर गांव में पंचायत होगी। तो उसके पश्चात् हमें करीब हर गांव को पंचायत बनाना पड़ा और इस तरह से करीब 15 नयी पंचायतें हमको बनानी पड़ीं। अब इसमें दोहरी व्यवस्था है। इसके पश्चात् कुछ लोग, ग्रामदानी विलेज वाले जोधपुर हाई कोर्ट में भी गये और कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि चूंकि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट है और इसके पश्चात् जो खेती सम्बन्धी मामले हैं वे ग्रामदानी ग्राम सभा है वह करेगी और विकास से सम्बन्धी कार्य पंचायत ही कर पायेगी। यह स्पष्ट कोर्ट ने आदेश दिया है उस फैसले में। इसलिए सरकार ने तदनुसार कार्यवाही की है कि जो विकास सम्बन्धी कार्य हैं वह तो पंचायतें करेंगी और बाकी के जो पुराने कार्य हैं ग्रामदानी गांवों के वह ग्रामदानी गांव यथावत् करते रहेंगे।

श्री भवानी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ग्रामदानी गांवों में प्रशासक और सरपंच, दोनों ही कार्य करेंगे? पिछले समय में इन ग्रामदानी गांवों में क्या सफलता हमें मिली? यह मेरा प्रश्न था।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सवाल यह नहीं है। यह राजस्व विभाग के अन्तर्गत ग्रामदानी गांव कार्य करते हैं। उनका प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है। हमारी पंचायतों के तो जो विकास से सम्बन्धित कार्य हैं, वह ग्राम पंचायतें करेंगी और बाकी ग्रामदानी गांवों के कार्य हैं, उनकी ग्राम सभा है, जैसे जमीन के मामले हैं, वह ग्रामदानी विलेज हैं वह करेंगे इसलिए इसमें कंफ्लिक्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान) आप विराजें।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : जो अंशदान और अनुदान ग्रामदानी गांवों को दिया जाता है तो वह कृषि में क्या काम करेगी? वह विकास के काम भी करेगी यह गलत है। विकास के काम भी करेगी। यह उत्तर गलत है। (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि अनुदान और अंशदान दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर? आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें। आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री नाथूराम अहारी : मैं यही पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह गलत दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो एज ए मिनिस्टर कह रहे हैं। विराजें आप।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : प्रश्न यह है कि ग्रामदानी गांव जो घोषित किये हैं उसमें ग्रामदानी गांव अलग से है, ग्रामदानी गांव के नाम से रेवेन्यू, गांव की जमीनें उसके खाते में हैं। अब यह दोहरी नीति है कि ग्रामदानी गांव में अगर पंचायत से या डी.आर.डी.ए. से कोई सब्सिडी किसी व्यक्तिगत काश्तकार को मिलेगी तो वह नहीं मिलेगी। तो मैं यह चाहता हूं कि या तो एक तरफ ग्राम पंचायत नहीं रखी जायं या ग्रामदानी गांव को अलग से रखा जाय। यह दोहरी नीति है। मंत्रीजी का बताना

(श्री फतेहसिंह)

है कि ग्रामदानी गांव रेवेन्यू के अधिकार में हैं और ग्रामदानी गांव को जो बजट दिया जाता है वह बजट गांव के विकास लिए दिया जाता है। पर मेरा यह मानना है कि ग्रामदानी गांव की जो जमीन है वह ग्राम के अलग से उस खाते में पड़ी हुई है। अब अगर व्यक्तिगत योजना से, जैसे जीवन धारा योजना में कुआं है या कोई वाटर पम्प है, किसी योजना का लाभ उस गांव के किसी काश्तकार को दिया जाना है तो वह नहीं मिल पायेगा। इसलिए यह क्लियर होना चाहिए कि ग्रामदानी गांव को अगर अलग से बजट दिया जाता है तो उस ग्रामदानी गांव के अध्यक्ष को दिया जाता है और वह ग्रामदानी गांव की सारी जमीनें हैं वह अध्यक्ष के नाम पर हैं, व्यक्तिगत लाभ उसका होता नहीं है। यह क्लियर होना चाहिए।

मेरा यही पूछना है कि ग्रामदानी को पहले निरस्त करके ग्राम पंचायतों में उसका विलीनीकरण कर दिया तो फिर ग्रामदानी गांव और ग्राम पंचायत, दोहरी नीति क्यों? इससे गांव का विकास नहीं होना है। मेरे हिसाब से यह बांसवाड़ा जिले के अंदर, आनंदपुर इलाके के अंदर 15 ग्रामदानी गांव घोषित किये हुए हैं। वे ग्रामदानी गांव के नाम से थे। बाद में उनको ग्राम पंचायत घोषित कर दिया। अब आपका कहना है कि ग्रामदानी अलग से विकास करेंगे और ग्राम पंचायत अलग से विकास करेगी। तो इससे वहां के लोगों में काफी नाराजगी है। मैं तो यह चाहता हूं कि उस ग्रामदानी गांव को ग्राम पंचायत के रूप में माना जाय और ग्राम पंचायत के मार्फत उसका विकास हो।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल 198 ग्रामदानी गांव थे। इस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमने 15 नयी ग्राम पंचायतें गठित कीं। हमारी गवर्नमेंट का इसमें कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, अधूरे काम क्यों हैं, क्या है। यही लोग कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, in the light of this constitutional amendment, विकास के जो काम हैं वह ग्राम पंचायतें ही करेंगी और उनकी तत्-सम्बन्धी विकास रिपोर्ट है वह ग्राम पंचायत को सुपुर्द करेगी। यह फैसला है, 4 अगस्त, 1995 का जोधपुर हाई कोर्ट का। उसके बाद हमने तदनुसार डायरेक्शन जारी किये। फिर भी माननीय सदस्य कुछ आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि व्यक्तिगत अनुदान दिया जायगा वह ग्रामदानी गांव को दिया जायगा, पंचायत के हिसाब से दिया जायगा, वहां पर विकास के कौन-कौनसे एग्रीकल्चर सम्बन्धी मामले आते हैं तो वह कौन करेगा। इसके सम्बन्ध में हमने राजस्व विभाग के साथ एक बैठक रखी है और उस बैठक में हम हाई कोर्ट के डिसीजन की लाइट में, 73 वें अमेंडमेंट की लाइट में, एक्ट की लाइट में और विचार विमर्श करके प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज जो आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पर और निर्णय लेंगे कि इसमें क्या दिक्कतें हैं। लेकिन यह बात हमें सामने रखनी पड़ेगी–हाई कोर्ट का डिसीजन और 73वें अमेंडमेंट की मूल भावना। इन दोनों चीजों को देख कर हम बैठक में निर्णय कर लेंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 33

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, श्री अमराराम जी।

आपका प्रश्न स्थगित किया है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है विस्तृत नहीं था केवल सीकर जिले में किसानों की आज फसल 80 प्रतिशत बरबाद हो गयी है....

श्री अध्यक्ष : वह एग्रीकल्चर भी शामिल हो गया है इसलिए उनसे भी जानकारी प्राप्त करनी है।

श्री अमराराम (धोद) : न तो सहायता विभाग ने देखा। वैसे ही पानी की कमी है और डार्क जोन पूरा जिला घोषित है। फव्वारे से सरसों और चने को बोया जाता है। 80 प्रतिशत फसल बरबाद हो गयी हैं। यही मंशा है कि सरकार उन किसानों के प्रति अपनी कोई जवाबदेही लेना नहीं चाहती है? इसलिए प्रश्न को स्थगित किया गया है। वरना केवल मात्र मैंने सीकर जिले का प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं दे सकते? इसका मतलब सरकार किसानों के प्रति किसी तरह की जवाबदेही नहीं लेना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : उस दिन ओलावृष्टि पर बोल लेना आप। बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सैशन में ही जवाब आयेगा या नहीं?

राज्य मंत्री, सहायता (श्री सांवरलाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा है जवाब देने की। माननीय सदस्य चाहें तो अभी ही जवाब दे देता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : क्यों नहीं? मैं जवाब ही लेना चाहता हूं। स्थगित क्यों कर रहे हैं आप?

श्री सांवरलाल : जवाब सुन लीजिये।

जिला सीकर में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

34. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीकर जिले में सर्दी से सरसों, चना, मैथी एवं गेहूं में कितना नुकसान हुआ है?

(2) क्या सरकार किसानों को सहायता या मुआवजा देने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार फसल बीमा योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) सीकर जिले में इस वर्ष ओलावृष्टि से कितने ग्रामों में कितनी प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है?

राज्य मंत्री, सहायता (श्री सांवरलाल): (1) शीतलहर से नुकसान के आकलन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है और शीतलहर से हुए नुकसान को अन्य कारणों से हुए नुकसान से अलग कर सही आकलन सम्भव नहीं है। वैसे भी इस वर्ष राज्य में शीतलहर का प्रकोप नहीं था।

(10)

श्री अमराराम (धोद): कहां नहीं था ?

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : (व्यवधान) भयंकर प्रकोप था....

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : (व्यवधान) ओलावृष्टि हुई है.... (व्यवधान) ओलावृष्टि की मार हुई है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल असत्य कथन है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) पहले मंत्री जी का जवाब तो आने दीजिये (व्यवधान) आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं। अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान).... आप बिराजें। आप मंत्री जी का जवाब सुनें।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

आप बिराजें। आप मंत्री जी का जवाब सुनें।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। (व्यवधान) जवाब आने दें पहले। बैठ जाइये आप। मैं आपको बहुत नम्रता से कहता हूं, आप सुनते ही नहीं हैं। (व्यवधान) बैठ जाइये, मैं कह रहा हूं बैठ जाइये आप। मार्शल। यह क्या + + + है। ऐसा नहीं चलेगा। सीकर जिले की बात हो रही है। मंत्री जी का जवाब भी नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान) अंकित नहीं करें। बिराजें आप। पहले मंत्री जी का जवाब सुनें।

श्री सांवरलाल : (2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) राज्य सरकार के समक्ष फसल बीमा योजना सरकार के एक जिले में पायलट बेसिस पर प्रारम्भ करने के बाबत भारत सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसके तहत भारत सरकार से कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया गया है।

(4) सीकर जिले में इस वर्ष 5 गांवों में 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत नुकसान हुआ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो मंत्रीजी ने जवाब दिया वह बिलकुल ※असत्य※ है। असत्य से भी आगे बढ़ गये। जहां सीकर जिले की 80 प्रतिशत फसल इससे नष्ट हो गयी है और आप कह रहे हैं कि आपके विभाग और सरकार के पास यह साधन नहीं हैं कि उस का जजमेन्ट कर पाये। तो फिर सरकार किसानों के प्रति किस तरह की जवाबदेह है? इससे यह स्पष्ट है कि सरकार किसानों

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।
※ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री अमराराम)

के प्रति क्या करती है। किसान खुद असेस कर सकता है कि 80 प्रतिशत हो गया और सरकार और इनका विभाग नहीं कर सकता, इससे बड़ा दुःख का विषय हो नहीं सकता। जहां तक प्राकृतिक आपदाओं पर सहायता दी जा सकती है, सरसों की फसल सर्दी से अकेले सीकर में ही नहीं, मैंने विशेष तौर पर सीकर के लिए इसलिए पूरे जिले का पूछा था कि सरकार इसका उत्तर देगी कि यह लेन्दी है, राजस्थान के बहुत से जिलों में सर्दी से फसल नष्ट हुई है लेकिन सीकर जिले के बारे में इसलिए पूछा गया था कि कम से कम सरकार इसका उत्तर दे दे लेकिन आज भी ये यह कह रहे हैं। मुझे बड़ा दुःख और अफसोस है कि सरकार किसानों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखना चाहती है जबकि किसी भी व्यवसायी को, उद्योगपति को कोई भी नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति होती है। किसान पूरे एक साल परिश्रम करता है, बुवाई करता है और खाद आदि सब लगाने के बाद पूरी फसल चौपट हो गयी। राजस्थान में सीकर जिला एक नम्बर पर है, उसमें सबसे ज्यादा सरसों और चने की बुवाई होती है और सबसे ज्यादा फसल नष्ट हो गयी। यहां तक कि गेहूं की फसल भी 20 या 30 प्रतिशत सर्दी से बरबाद हुई है। इसलिए मंत्री महोदय इसका क्या आगे से आकलन करवाकर उनको मुआवजा या सहायता देने की व्यवस्था रखते हैं?

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के बारे में मैंने अभी स्पष्ट किया कि इस नुकसान का मुआवजा दिया जाना या कम्पेनसेट करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है। फसल बीमा योजना के बारे में विचार किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, राज्य सरकार किसानों के प्रति सजग नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि भैरोंसिंह जी की सरकार बनने के बाद इन बातों का प्रावधान किया गया। पहले के जमाने में आप कुछ नहीं करते थे....

श्री अमराराम (धोद) : इसी से पता लग रहा है कि भैरोंसिंह जी की सरकार कैसी है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि इस साल राजस्थान में शीतलहर नहीं आयी है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी असत्य बात कोई हो नहीं सकती है। राजस्थान के अन्दर शीतलहर आयी है, रिकार्ड है आपका और उससे फसलें नष्ट हुई हैं। यदि आपके कोड में ऐसी व्यवस्था हो कि इसको आप आपात स्थिति नहीं मानते हों ओलावृष्टि की वजह से तो इसको आप इसमें इन्क्लूड कीजिये। शीतलहर का भयंकर प्रकोप है। इससे पूरी फसल नष्ट हुई है। इसलिए इसको भी इसमें शामिल करने की चेष्टा की जानी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरसों और गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी। 50 प्रतिशत का नुकसान हो गया सरसों के अन्दर हमारे झुन्झुनूं जिले के अन्दर।

श्री खंगारसिंह (खारची) : आज पाली

(१२)

(श्री खंगारसिंह)

जिले के अन्दर जहां से मुख्य मंत्रीजी पधारे हैं 30 प्रतिशत नुकसान है रायड़े की फसल में और यह ❀असत्य❀ है कि ओले पड़े ही नहीं और पाला पड़ा ही नहीं। आप हीटर में थे या कूलर में थे ? यह रिपोर्ट आपके अधिकारियों ने दी है, यह बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। यह सीकर जिले के लिए कह रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सवाई माधोपुर जिले में नुकसान हुआ है। यह आया है अखबारों में। हमारे जिले में 50 प्रतिशत शीतलहर से नुकसान हुआ है। कहीं 100 प्रतिशत हुआ है और मंत्री जी कह रहे हैं नुकसान ही नहीं हुआ है। बड़े शर्म की बात है यह।

श्री अध्यक्ष : श्री शांति कुमार धारीवाल। (व्यवधान) आप बिराजें। ओलावृष्टि के समय चर्चा हो जायगी।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला कलक्टर नागौर, एस.डी.एम. मेड़ता और राहत मंत्री जी को पत्र लिख कर सूचित किया था कि हमारे यहां शीतलहर से फसलें बरबाद हो गयी हैं। इनका जवाब मेरे पास है कि जांच करवाई जा रही है। क्या जांच करवायेंगे? फसलों की यह हालत है कि हमारे किसान सारे बरबाद हो गये हैं। न हमारी बिजली का पैसा देने की हिम्मत रहेगी। हमारे किसान बरबाद हो गये हैं। पूरी राहत मिलनी चाहिए हमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें। अमराराम जी का प्रश्न है। (व्यवधान) आप विश्नोई साहब को सुन लें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का उत्तर स्पष्ट करावें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विश्नोई साहब बोल रहे हैं। आप विश्नोई साहब को सुन लें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मंत्रीजी को प्रताड़ित करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विश्नोई साहब को सुन लें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : दौसा जिले में 50 प्रतिशत फसलें नष्ट हुई हैं और बाकी रहीं जो अनावृष्टि से नष्ट हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी, आप बोल रहे हैं.. (व्यवधान) विश्नोई साहब कुछ कह रहे हैं।

श्रीमती कमला (बैराठ) :....(व्यवधान) मंत्री महोदय यह कह रहे हैं... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा ज़िले के अन्दर 75 प्रतिशत फसलें शीतलहर के प्रकोप से बरबाद हुई हैं। इसके बाद ओलावृष्टि से दोहरी मार हुई है और कई जगह 100

❀ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पर्सेण्ट फसल नष्ट हुई है जिसकी सूची सदन में प्रेषित की गयी है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : 100 प्रतिशत से ज्यादा फसलें बरबाद हुई हैं । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, सूची पेश होने के बावजूद भी शीतलहर का प्रकोप नहीं माना जाना माननीय मंत्री महोदय का पूर्णतः वास्तविकता से अपरिचित होना है । इस प्रकार का जवाब सदन में दिया जाता है, सदन में गलत तथ्य पेश किये जाते हैं । एक तो किसानों की फसलें शीतलहर से, ठण्डी हवा से पड़ी हैं....

श्री अध्यक्ष : विश्नोई साहब बोल रहे हैं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उनकी फसल नष्ट हो गयीं और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि शीतलहर का प्रकोप नहीं रहा है ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : मेरा नम्र निवेदन है कि किसी प्रश्न का उत्तर टैक्निकल तरीके से नहीं दिया जाय कि इस लहर से खराब हुई या इससे हुई । इस तरीके से नहीं दिया जाय । मूल प्रश्न यह है कि चाहे जीवाणुओं से नष्ट हुई हो, चाहे ओलावृष्टि से नष्ट हुई हो, चाहे शीतलहर से नष्ट हुई हो, फसल यदि नष्ट हुई है तो उनको मुआवजा, कम्पेनसेशन किस तरीके से दिया जाना चाहिए । शीतलहर आयी या नहीं आयी, फलां लहर आयी या नहीं आयी यह कोई प्रश्न नहीं होता । मूल प्रश्न यह है कि फसल नष्ट हुई है या नहीं इसकी जानकारी करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : शीतलहर से रायड़ा नष्ट हुआ है (व्यवधान) शीतलहर से नुकसान हुआ है ।

श्रीमती कमला : न जौ और चने में बीज पड़ने दिया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, ए.सी. के अन्दर बैठने वालों को क्या पता कि शीतलहर कहां से आयी और कहां से नहीं आयी । (व्यवाधान) इनको तो गर्म हवा के फफेड़े आते हैं ।

श्री रामनारायण डूडी : कम से कम 50 क्विंटल जहां रायड़ा पैदा होना था आज 80 किलो रायड़ा पैदा नहीं होगा । आप काश्तकार के खेत खलिहान में जाकर देख लें कि क्या मैं यह बात गलत कह रहा हूं । चने की बिलकुल ही फसल नष्ट हो गयी और आप कह रहे हैं कि शीतलहर चली नहीं है । यह कितना असत्य है.... (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोई जी ने प्रश्न पूछा है कि चाहे नुकसान किसी प्रकार से हो, किसानों को नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, नुकसान है उसकी किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति होनी चाहिए यदि वह आपके लिए सम्भव हो तो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको टोका नहीं । आपने मांगा मुआवजा....

(१५)

श्री अमराराम (धोद) : मुआवजा ही कहां, हम तो राहत के लिए कह रहे हैं वह ही नहीं दे रहे हो आप। मंत्रीजी प्रश्न को ही स्थगित करवा रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सामने की बैंचेज पर बहुत पुराने और राज्य सरकार में वर्षों तक मंत्री रहे हुए माननीय सदस्य बैठे हैं। कमला जी भी बैठी हैं जो जोर-जोर से बोल रही थीं। एक उदाहरण बता दें पिछले 50 वर्ष का कि राज्य सरकार ने किसानों को इस प्रकार की क्षति के लिए कोई मुआवजा दिया है क्या ?

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : आप कोई नया रास्ता निकालो न।

श्रीमती कमला : यह तो पहले ही कह दिया कि आपने क्या किया, कम किया। आप हमारे वाली जगह ही खड़े रहना चाहते हो तो फिर क्या बड़े-बड़े वचन करके आते हो ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप 1952 की बात मत करिये, मुख्य मंत्रीजी। यह 1996 है। आप वापस ले जाना चाहते हैं 1947 में ? देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस प्रदेश को वापस ले जाना चाहते हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : इन्होंने मुआवजा नहीं दिया तो आप दे दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं तो आपको उत्तर दे दूंगा सुन लीजिये। प्रश्न यह है कि मुआवजे का प्रश्न केवल राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में, चाहे बंगाल की सरकार हो वहां भी किसानों को इस प्रकार की क्षति के लिए मुआवजा नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आदत अच्छी नहीं है। आप जवाब भी नहीं सुनना चाहते हैं और बार-बार खड़े हो जाते हैं। पहले पूरी बात सुनें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दूसरा प्रश्न यह आता है कि राहत किस प्रकार से दी जा सकती है। (व्यवधान) आप बात तो सुन लीजिये। बीच में यह क्या +++ है।

श्रीमती कमला : मैं माफी चाहूंगी, आपको शायद खुद को भी मालूम नहीं है कि मुआवजे का प्रावधान आपकी सरकार में भी है और हमारी सरकार में भी था। सवाल यह है कि एक हजार रुपया मैक्सिमम प्रति बीघा के बजाय आप उसको बढ़ा कर ज्यादा करें। मुआवजे का प्रावधान आलरेडी है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं। मंत्रीजी कह रहे हैं कि नहीं दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी शायद जानकारी नहीं हो, आपकी जानकारी ज्यादा हो, मैं आपकी जानकारी को चुनौती नहीं देता लेकिन मेरे सामने जिस प्रकार के तथ्य हैं, जिस प्रकार की जानकारी है इस विधान सभा में और सरकार के रूप में, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की क्षति के लिए किसानों को किसी प्रकार का

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुआवजा नहीं मिला। यह कह रही हैं कि कानून में प्रावधान है। तो यह मान लीजिये कि कानून के प्रावधानों को न तो आपने लागू किया और न कभी लागू हुआ.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप तो सुनने का कष्ट करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीसरा प्रश्न आता है कि किसानों का अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, ओलावृष्टि से, शीतलहर से या फसलों की बीमारियों के कारण से कई बार नुकसान हुआ है। नुकसान होते रहे हैं। अब तक की व्यवस्था के अनुसार ओलावृष्टि से नुकसान होता है उसकी राहत कैश के अन्दर राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। अभी जो ओलावृष्टि हुई उसमें दी गयी। अब आप यह कहें कि कम है या ज्यादा है, यह विवादास्पद प्रश्न है और इस पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है कि इस मात्रा को बढ़ाया जाय, किस सीमा तक बढ़ाया जाय।

चौथा प्रश्न आता है, अनावृष्टि का। आज राजस्थान के 25 जिलों में अनावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। आज तक विधान सभा में कभी यह मांग नहीं की गयी कि इन किसानों को मुआवजा दिया जाय या इन किसानों को रकम, कैश के रूप में किसी प्रकार की सहायता दी जाय। उसकी व्यवस्था यह होती है कि अकाल राहत काम खोल दें ताकि उसके कारण से लोगों को मजदूरी मिल सके। वह अकाल राहत काम खुल रहे हैं। आपकी शिकायत हो सकती है कि काम कम खुले या काम ज्यादा खुले हैं, काम में जो मजदूरी मिलनी चाहिए वह पूरी नहीं मिलती या मजदूरी के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितताएं होती हैं। यह बात नहीं की। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि तीन लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अकाल राहत में ?

एक माननीय सदस्य : आश्वासित रोजगार योजना में... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी मैं बता देता हूं। अकाल राहत में मजदूरी और डिपार्टमेंट के एक्शन में। प्रश्न केवल यह आता है कि अकाल राहत से पीड़ित किसानों को मजदूरी मिलनी चाहिए। यह कहीं सीमा रेखा नहीं है, मजदूरी मिलनी चाहिए चाहे कहीं से भी मिले। यह कोई नयी बात नहीं है। आज तक किसी प्रकार से, डिपार्टमेंटल एक्शन से भी, एक्टीविटीज से भी मजदूरी मिलती है और अकाल राहत कार्यों से भी मजदूरी मिलती है लेकिन आप में से कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर मुझे बता दे कि 25 हजार गांवों के अन्दर अकाल पड़ा है और पहले 25–30 हजार गांवों में अकाल पड़ा है, किसी भी माननीय सदस्य ने मुआवजे की मांग की है ? किसी ने भी कोई मांग नहीं की।

पांचवां प्रश्न आया, शीतलहर का। शीतलहर से नुकसान हुआ है इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं इससे मना नहीं करता हूं कि शीतलहर से नुकसान नहीं होता है। नुकसान हुआ है, किस मात्रा में हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है....

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्रीजी ने शीतलहर मान ली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितना हुआ कितना नहीं हुआ इसके असेसमेंट की प्रक्रिया अभी तक नहीं है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पुरानी परम्परा में भी कई बार शीतलहर भी हुई है, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं लेकिन इस शीतलहर के मामले में असेसमेंट किया जाय, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। यह प्रक्रिया किस प्रकार से बने इस पर राज्य सरकार विचार करेगी और इसमें कितना नुकसान हुआ है यह कहना और भी कठिन हैं। शीतलहर चल गयी, शीतलहर से कई जगह फसल बरबाद हो गयी और फसल बरबाद होने में इतनी मुझे जानकारी है, पक्का अनुभव तो नहीं है लेकिन सरसों के अन्दर और चने के अन्दर थोड़ी क्षति हुई है। उसका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाय....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मिर्ची में बहुत हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिर्ची में बहुत नुकसान होता तो आप में इतना तीखापन नहीं आता। लेकिन हुई है. मैं मना नहीं करता। अब उसका किस प्रकार से असेसमेंट हो, उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जाय, किस प्रकार से राहत दी जाय ? आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन मैं आपको इतना विश्वास देता हूं कि इस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शान्ति कुमार जी धारीवाल। (अनुपस्थित)। श्री भरत सिंह जी।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सार वाला दोहा कहा था, हो-हुल्लड़ में वह निकल गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री पूनम चन्द विश्नोई : "लीक-लीक इतरा बहे, कायर, क्रूर, कपूत, बिना लीक इतरा बहे, शायर, सूर, सपूत।" कोई रास्ता निकालो ना, आप तो पुराना हमने नहीं किया, हमने नहीं किया तो इधर आकर बैठ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मान ली बात। मैं कह रहा हूं आपको। आपने अपने आपको कपूत माना और मुझे सपूत मानने के लिए जो व्यवस्था की है उसके लिए धन्यवाद। मैं कुछ न कुछ विचार करूंगा।

श्रीमती कमला : हमने नहीं माना, हमने उसके बाद नयी लीक बनायी है इसलिए आप भी नयी लीक बनाओ, यह कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, आप कहां बोल रही हैं। आपको तो सबको कपूत बता दिया उस पर तो आपको चिढ़ ही नहीं है और मुझे सपूत बता दिया इस पर आपको चिढ़ है।....

श्री अमराराम (धोद) : किसानों के लिए सपूत बन जाओ तो भी ठीक है।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आपने कहा है, आप चाहें तो मैं बैठ कर बातचीत करूंगा कि इसका असेसमेंट किस प्रकार से कराया जा सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : कपूत-कपूत हम नहीं हैं। न तो आप सपूत हैं और न हम कपूत हैं। मेम्बर हैं असेम्बली के सभी।

श्री अध्यक्ष : सभी भारत मां के सपूत हैं। बिराजें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फर्क सिर्फ इतना है कि आप उधर बिराजे हैं और हम इधर आ गये। इस बात को छोड़िये। यह तो एक दोहा सुनाया है इन्होंने कि ऐसा दोहा है। इससे यह मतलब नहीं है। इससे यह मतलब नहीं था कि हम कपूत रह गये और आप सपूत हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, पूनमचन्दजी ने आपको भी बहुत दोहे सुनाये हैं, कोई असर ही नहीं हुआ। मेरे ऊपर असर तो हुआ है।

श्री भरत सिंह : प्रश्न संख्या 35.

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खरीफ की फसल के बारे में बराबर राहत मांगी जाती रही है इस हाउस के अन्दर। लगान सस्पेंण्ड हुआ है और लगान माफ भी हुआ है, तमाम रिकवरीज सस्पेंण्ड हुई हैं और किसानों को राहत दी गयी हैं। पहले सन् 1952 से लेकर आज तक देते आये हैं। यह कैसे फरमा दिया, अध्यक्ष महोदय, कि यहां ऐसी राहत की मांग उठी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, यह राहत दे रहे हैं, मैंने इसको मना नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : राहत के लिए नहीं कह रहे हैं, मुआवजे की बात हो रही है। बिराजें आप।

श्री रामनारायण चौधरी : मुआवजा तो अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह राहत दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो लगान माफ करते थे, आज राजस्थान में मैंने तो पूरा ही लगान माफ कर दिया। आप भी कर सकते थे लगान माफ। आपने तो कुछ किया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गलत कर दिया है, आपने गलत कर दिया है।

कोटा संभाग की क्षतिग्रस्त नहरें

35. **श्री भरत सिंह** (खानपुर), (**श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) के स्थान पर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा संभाग में नहरों के क्षतिग्रस्त होने, उनमें ऐरा एवं झाड़-झंखाड़ उगने, लम्बे समय से नहरों एवं ड्रेनों की सफाई नहीं होने से अन्तिम छोर पर बसे खेतों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें सरकार को प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1994 एवं 1995 में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या सरकार उक्त समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ पुराने बांधों एवं

(श्री भरत सिंह)

नहरों की मरम्मत समय पर करने एवं उपलब्ध पानी का भली प्रकार से सदुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) (क) चम्बल सिंचित क्षेत्र के कोटा संभाग की नहरों बाबत :–

जी, हां । यह सही है कि कोटा संभाग में नहरों के क्षतिग्रस्त होने से अन्तिम छोर पर स्थित खेतों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं । वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु बजट की उपलब्धता के अनुसार झाड़-झंखाड़ निकाल, नहरों की सफाई कर शिकायतों का निस्तारण किया गया । ड्रेनों की सफाई हेतु वर्ष 1995 में 200 कि.मी. लम्बाई में सफाई करायी जा रही है । चम्बल सिंचित क्षेत्रों में कुल ड्रेनों की लम्बाई 3,228 कि.मी. है जिसकी सफाई उपलब्ध बजट की सीमा में मौके की आवश्यकता के अनुसार कराया जाना ही सम्भव हो पाता है । माह जनवरी, 1996 तक लगभग 142 कि.मी. लम्बाई में यह कार्य पूर्ण करा लिया गया है ।

(ख) सिंचाई संभाग, कोटा की नहरों बाबत :–

जी, हां । यह सही है कि सिंचाई संभाग, कोटा की नहरों के क्षतिग्रस्त होने से टेल पर स्थित खेतों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं । वर्ष 1994 एवं 1995 में वरीयता एवं बजट उपलब्धि के आधार पर रख-रखाव कार्य कराकर शिकायतों का निस्तारण किया गया है । कुछ खण्डों में बजट के अभाव में मरम्मत का कार्य समय पर पूरा न होने से टेल पर पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं विशेष प्रयास कर टेल पर पानी पहुंचाने के यत्न किये गये ।

(2) जी, हां ।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि शिकायतें इनको प्राप्त होती रही हैं और पैसे के अभाव में, बजट के अभाव में पूरी नहरों की सफाई करना संभव नहीं हो पाता है । मैं एक जानकारी आपसे चाहूंगा कि क्या आपके विभाग में एक निश्चित तारीख तय की है कि इस तारीख तक हम नहर का पानी छोड़ेंगे, उस समय के पहले जहां पर पानी में रुकावट आती है, पूरी नहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन स्थानों पर, जहां पर रुकावट आती है सफाई करा देंगे ? जिस प्रकार से पी.डब्ल्यू.डी. के मंत्रीजी ने एक तारीख तय की कि हम 31 तारीख तक पेचवर्क करा लेंगे, उसी प्रकार से क्या सिंचाई विभाग ने भी एक निश्चित तारीख तय कर रखी है कि हमारी नहर अमुक तारीख से चालू होती है, उसके पहले सब इंजीनियर्स इस बात का ध्यान दें कि उनके क्षेत्र में जो नहरें आती हैं उसकी सफाई उस निश्चित तारीख तक कर लेंगे ? इस प्रकार की अगर आपने व्यवस्था नहीं की है तो किस प्रकार से आपके पास यह जानकारी रहेगी कि हमारी नहरों में सफाई हो गयी और किस प्रकार आपकी अकाउण्टेबिलिटी तय होगी ? एक चीज तो यह ।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपकी

(श्री भरत सिंह)

नहरों की सफाई नहीं होती है और सिल्टिंग उसमें रहती है, ऐसा उसमें खड़ा है और पानी आप छोड़ते हैं, पानी क्योंकि टेल पर नहीं होता और फुल डिस्चार्ज आप करते हैं, नहर जो टूट जाती है जगह-जगह से, दो सालों से अनेक स्थानों के ऊपर नहर टूटी है, उसके टूटने से काश्तकारों की फसल को जो क्षति होती है उस क्षति की पूर्ति करने के लिए विभाग क्या करता है ? (व्यवधान) पहले उत्तर आने दें।

श्री अध्यक्ष : मांगीलाल जी (व्यवधान) आपकी भी आ जायेगी, पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया है, सबसे पहले मैंने उनका नाम पुकारा है।

श्री भरत सिंह : अध्यक्षजी पहले तो मैं बोला हूं। मेरे प्रश्न का जवाब आने दीजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : आ जायगा, जवाब आ रहा है, आ रहा है।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, पहले तो मूल प्रश्न का जवाब आने दीजिये। अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का तो जवाब आने दीजिये पहले। (व्यवधान) आपकी ही तो बात कर रहा हूं। एक जवाब तो बोलने दीजिये आप उनको।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता बिलकुल वाजिब है और यह बात भी सही है कि कोटा संभाग में विभिन्न वृहद सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजना में जो बांधों से नहरें निकाली गयी हैं, करीबन 35 से 40 वर्ष पूर्व इन बांधों से नहरों का निर्माण किया गया लेकिन पिछले वर्षों में जितना रख-रखाव के ऊपर बजट का प्रावधान होकर इनकी मरम्मत और रख-रखाव होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पायी। यह बात भी सही है कि काफी जगह पर टेल के ऊपर समय पर पानी काश्तकारों को बिजाई के समय जो पूरा पानी मिले, वह नहीं मिल पाता। जैसे ही हमें बजट जितना उपलब्ध होता है, हम निश्चित तौर पर यह प्रायोरिटी फिक्स करते हैं कि पहले कहां हमें मरम्मत की आवश्यकता है जिससे नहरों का संचालन सही हो और टेल के ऊपर पानी पहुंच जाय।

माननीय सदस्य की चिन्ता है, जब हम नहरों का संचालन करते हैं उसमें आप की कोई निश्चित तारीख होती है और उसमें क्या इन नहरों का पूर्ण रख-रखाव होकर वे तैयार होती हैं। मैंने जैसा कि पूर्व में आपको निवेदन किया, हमें उन नहरों के रखरखाव के लिये बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता रहती है और उतने पैसे हमें नहीं मिल पाते। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि ऐसे जहां झाड़-झंखाड़ हो या कहीं नहर में बीच हो या जहां कोई आवश्यक मरम्मत की आवश्यकता हो, वहां पर वह काम हम पहले लेते हैं और उसके बाद में हम यह संचालन शुरू करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी . इनके मामले में कुछ करोगे क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : हमने निश्चित तौर पर यह प्रयास किया, पूरे कोटा संभाग के माननीय प्रतिनिधि यहां विराज रहे हैं

(श्री देवीसिंह भाटी)

और पूरे प्रदेश के सिंचाई विभाग से सम्बन्धित हमारे यहां माननीय सदस्य हैं, उनको भी यह सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके ऊपर अभी विचार कर शीघ्र ही निर्णय लेने जा रही है। ऐसी नहरें जो काफी वर्षों से बनी हुई हैं, समय पर उनकी सही मरम्मत, रखरखाव नहीं होने से टेल के ऊपर जो काफी एरिया डी-कमांड तक हो गया है, उनका हम निश्चित तौर पर सही संधारण करें। हमें बीच-बीच में शिकायतें मिलती रही हैं कि जो भी हमें इसके लिये पैसा आबंटित किया जाता है वह भी पूरा नहरों के ऊपर नहीं लगता। राज्य सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि जो भी हमने इस प्रकार से सिंचाई दरों की वसूली की है वह हम सीधे काश्तकार को सुपुर्द कर दें। उन पैसों से नहरों का संधारण और नहरों का संचालन भी हम काश्तकारों को देने के लिये विचार कर रहे हैं। इसके लिये हम शीघ्र ही निर्णय ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब किसानों के हाथ में संचालन आ जायगा और संचालन का पैसा भी उन्हें मिलेगा तो निश्चित तौर पर टेल के ऊपर प्रयास होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि सरकार रखरखाव करने की स्थिति में नहीं है और किसानों से ले रहे हो वह उनको दे दो और लड़ो, झगड़ो, सिर फोड़ों वहां पर। वह उसका सिर फोड़ेगा और वह उसका सिर फोड़ेगा, आप आराम से देखते रहना। यह आपका उत्तर जिम्मेदारी पूर्ण नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा नहीं है, माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। हमने भी हर सरकार के मंत्री के ऊपर विश्वास किया है, व्यवस्था के ऊपर विश्वास किया है। हम इसके अन्दर सोसायटीज का निर्माण करेंगे। उसके अन्दर जो टेल के काश्तकार होंगे उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, बीच का काश्तकार भी होगा। उनका एक चुनाव होगा। चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित तौर पर आप विश्वास कीजिये, इस प्रकार से.... (व्यवधान) मैं आपको उदाहरण दूं – अभी कोटा सम्भाग में ही सी.ए.डी. का संचालन जहां हो रहा है उसमें मैं खुद जाकर आया हूं, क्वारती माइनर है, वह हमने हाल ही में काश्तकारों के सुपुर्द की है। काश्तकारों के हाथ में हैड की चाबी दे दी। जहां टेल के ऊपर पिछले दस साल में पानी नहीं जा रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद जाकर उन काश्तकारों से, उनके अध्यक्ष से, सोसायटी वालों से मिल कर आया हूं, वह इतने संतुष्ट हैं, उन्होंने नहर का रखरखाव स्वयं किया, अलग-अलग माध्यम से उन्होंने पैसे लिये, उनका संधारण किया और टेल के ऊपर पानी पहुंचा। जहां पहले एक पिलाई नहीं होती थी वहां आज तीन पिलाई हो गयी है। देखिये, यह हमारा प्रयास है, आप विश्वास रखिये। मैं यह नहीं कहता कि पिछले चालीस साल में आपने कुछ भी प्रयास नहीं किये लेकिन जो भी आपने प्रयास किये उसके बाद भी आज आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मैं एक साल से ज्यादा समय नहीं लूंगा, हर टेल के ऊपर पानी पहुंचाया जायगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये अब।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, राइट मैन कैनाल जब छह दफा टूट गयी और बार-बार शिकायत करते रहे उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई और लाखों-करोड़ों का वास्तव में काश्तकारों को नुकसान हुआ, तो वह भरपाई तो अपने होती नहीं। जब हम शिकायत करें तो कम से कम इन लोगों को तत्काल उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे, आप लोगों ने जो सफाई का पैसा दिया, मेरी जानकारी यह कहती है, कुल मिलाकर अपने ही लोगों को ठेका दे दिया और सफाई नहीं हुई। इस वजह से टेल पर पानी नहीं पहुंचता। यह लाडपुरा क्षेत्र की भी बात कहता हूं, यह आगे की बात भी मैं आपसे कहता हूं। तो माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था में आप थोड़ा-सा सुधार करें ताकि निश्चित रूप से टेल तक पानी पहुंच सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भाग में जो नहरों की स्थिति है रखरखाव की, उसमें अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंच पाता है। माननीय मंत्रीजी ने इस बात को महसूस किया है कि वह अन्तिम छोर पर पानी पहुंचाने में असमर्थ रहे। अध्यक्ष महोदय, जो कोटा बैराज से नहरें निकाली गयी हैं, चाहे नहर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरी हो, जो बजट प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है वह इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की लम्बाई को देखते हुए, प्रति वर्ष की सफाई को देखते हुए एक तरह से नगण्य है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसी कारण से प्रति वर्ष वहां पर सफाई का कार्य नहीं हो पाता है। जिससे पानी की समस्या रहती है। मैं माननीय मंत्रीजी से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रति वर्ष जो बजट मिलता है उस बजट को बढ़ा कर क्या दुगुना किया जायगा? जिससे वहां के किसानों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। माननीय मंत्रीजी आप पधारे थे 15 तारीख को। आपने मीटिंग की। हमने आपसे निवेदन किया था कि आप जाकर देखिये, हणूतिया जैसे गांव में, छापड़दा जैसे गांव में साल भर में अब पानी जा रहा है जब कि इतने से गेहूं हैं। क्या ऐसे लोगों को आप कम्पेनसेट करेंगे? जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यह आपदा है। मैं पांच साल से इस सदन के माध्यम से निवेदन करता आ रहा हूं कि बूंदी ब्रांच कैनाल हर साल टूटती है, चार दफा टूटती है, यहां से बजट नहीं दिया जा रहा है। क्या यह सरकार काश्तकारों के पक्ष में नहीं है....

श्री अध्यक्ष : वह टेल एण्ड के एक साल की बात कही है। आप बिराजिये।

श्री रामनारायण (नैनवां) : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, यह बहुत गम्भीर मामला है, मंत्रीजी देख कर आये हैं और मंत्रीजी ने हमें एश्योर किया है कि हम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय हरिसिंहजी। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या यह सही है कि तीन करोड़ रुपया बारांबंदी में लगाने के बाद भी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अब आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब यह इतनी सप्लीमेंट्री नहीं होगी। बिराजिये आप। हरिसिंहजी साहब।

श्री रामनारायण (नैनवां) : बहुत गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय। बारांबंदी में लगाने के बाद भी एक बिस्वा जमीन में बारांबंदी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय मंत्री जी, किसानों के हित की बात है। सरकार किसानों के हित की बात करती है, किसानों के लिए क्या करना चाहती है, आप मंत्री जी से, मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह इन्होंने कह दिया है, टेल एण्ड तक पानी पहुंचायेंगे साल भर में। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : मैं इसी प्रकार कहना चाहूंगा, क्वारती माइनर का सवाल है, क्वारती माइनर हैड की माइनर है। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : यह किसानों के हितों का सवाल है, आप माननीय मंत्री जी से कहें कि वह किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं। जो बजट मिलता है वह नहीं के बराबर है, क्या बजट को बढ़ाया जायगा ?

श्री रामनारायण (नैनवां) : आप हमारे साथ चलिये, आप देखिये। आप करना चाहते हैं लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, बात तो कर लो, बजट ही नहीं दे रहे। जो बजट दे रहे हैं वह तो वर्कचार्ज में चला जाता है।

श्री अध्यक्ष : आपकी सारी बातें उन्होंने ध्यान में रख ली हैं और उन्होंने कह दिया कि टेल एण्ड पर पानी पहुंचायेंगे एक साल में। बिराजिये आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : यह मामला इतना गम्भीर है, इस सदन में हर बार उठता है, हर विधान सभा सत्र में क्वेश्चन उठता है लेकिन इसका कोई निराकरण आज दिन तक यह सरकार नहीं कर पायी है।

श्री रामनारायण (नैनवां) : एक तरफ तो आप काश्तकार की कुर्की कर रहे हैं। दूसरी तरफ काश्तकार के खेत में पानी नहीं है। आप तो इतना आश्वासन दे दीजियेगा कि जिसके खेत में एक ही पानी गया है और गेहूं की फसल बरबाद हो गयी .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य का प्रश्न होता है और दस-बारह सप्लीमेंट्री हो रहे हैं।....(व्यवधान) आप बिराजिये अब। दूसरा प्रश्न आने दें आप। आपकी सारी बात हो गयी। हरिसिंहजी।

श्री रामगोपाल बैरवा : आप मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये कि क्या इस बजट को बढ़ाया जायगा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मामला लाइट नहीं है। हम आपसे आशा करते हैं कि मंत्रीजी से स्पष्ट आश्वासन दिलवायें हमको। बूंदी ब्रांच कैनाल बिलकुल बरबाद हो गयी। रूइण्ड हो गयी। उसके बारे में कुछ कार्यवाही नहीं की जा रही।

श्री रामगोपाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाया जाय।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : प्रश्न-संख्या 36. (व्यवधान)... मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सुनने तो दें। मंत्रीजी का जवाब सुनने दीजिये।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण (नैनवां) : अलावा इसके कि शासकीय दल के ठेकेदार काम कर रहे हैं, पांच पैसे का काम करते हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। It is too much.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं।

एक माननीय सदस्य : हो गया जवाब इसका तो। आप अगला आने दें।(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपको अधिकार है, साहब, फरमायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप कह रहे हैं न कि अगला प्रश्न।

श्री रामनारायण चौधरी : आप फरमायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या आज की नहीं है बहुत पुरानी समस्या है। इस समस्या के दो कारण हैं। पहला कारण तो है ड्रेनेज का। काश्तकारों में कई बार यह प्रवृत्ति देखी है कि सुबह नहर का पानी उनके खेत में छोड़ कर वह उसकी निगरानी नहीं रखते हैं कि पानी खेत में पर्याप्त पहुंच गया है और नहर में पानी नहीं आये, इसको बंद करना है। कोटा डिवीजन में पूरे में ड्रेनेज की समस्या खड़ी हो गयी। वह पानी बहता-बहता चलता रहता है और जो नहर का पानी है वह निश्चित रूप से ड्रेनेज में आता है और ड्रेनेज से कई जगह नदियों में, नालों में पानी शामिल हो जाता है। एक तो काश्तकारों में जागरूकता इस सम्बन्ध में किस प्रकार पैदा हो, अभी सिंचाई मंत्रीजी ने कहा, हमने इस पर गम्भीरता से विचार किया। यह दो प्रश्न आते हैं। एक मरम्मत कराने के लिये जो पैसे देते हैं उसके सम्बन्ध में कई बार शिकायतें आती हैं कि पैसे का उपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हो गया। एक तो यह और दूसरा, काश्तकारों की यह आदत बने कि जितना उनको खेत में पानी लेना है उतना पानी लें और बाद में वह मोगा या कोई भी है उसको बन्द करें ताकि नहर में पानी बचे और नहर टेल एण्ड तक चली जाय और किसानों को पानी पूरा मिल जाय। इन दोनों दृष्टियों से यह विचार किया कि इस प्रकार की समितियां बनाई जायं। रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि उस समिति में आप ही आपके सदस्य हो गये। अब आप जानते हैं कि कोटा के काश्तकारों में बहुमत हमारा है और बहुमत होने के नाते उन काश्तकारों में से ही चयन किया जाता है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और वह व्यवस्था करते हैं। उसमें मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी का कोई दृष्टि-कोण नहीं है लेकिन अगर काश्तकारों के हाथ में रखरखाव की व्यवस्था दी और हमने जितना पैसा दिया उसका सही सदुपयोग हो जाय और एक आदत बन जाय, एक प्रयोग है। मैं समझता हूं कि इस के अन्दर एक एक्सपेरीमेंट किया है, उस एक्सपेरीमेंट के अन्दर हम सफल होंगे।

दूसरा प्रश्न आता है, जो हाउस विचार कर ले, कहा कि पैसा कम दिया जाता है। जितना भी राजस्थान का कैनाल सिस्टम है उसकी कैपीटल कास्ट तो इनडायरेक्टली वसूल हो जाय, वह बात दूसरी है लेकिन डायरेक्टली उसकी वसूली की कोई व्यवस्था नही है। कैपीटल कास्ट की भी नहीं है और मेंटीनेंस कास्ट की भी नहीं है। आज मेंटीनेंस कास्ट जितनी देते हैं उतनी वसूली भी नहीं होती और इसके कारण से मेंटीनेंस के लिये कई बार पैसे का प्रावधान कम रहता है। इसके ऊपर माननीय सदस्य विचार कर लें कि काश्तकारों से मेंटीनेंस कास्ट वसूल करनी है या नहीं करनी। इस मामले में जो आप सलाह देंगे उस सलाह के अनुसार मैं निश्चित रूप से काम करूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : प्रश्न संख्या 36. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।.... (व्यवधान)....बिराजिये, 36.

श्री रामनारायण चौधरी : काश्तकारों का प्रोडक्शन है अनाज और अनाज के.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण (नैनवां) : किसानों की स्थिति बहुत गम्भीर है और आप पैसा ही नहीं दे रहे। इतने झाड़ खड़े हो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप एक दफा दूर कर लीजिये, किसानों को देख लीजिये, किसान आप से कह देंगे कि उनकी हालत क्या है, कितनी गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। 36.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप को कहते हैं, उतना मुझे भी कहते हैं और मैं उस गम्भीरता को महसूस भी करता हूं। इसीलिए दो-तीन बार मैंने मिनिस्टर्स की, इंजीनियर्स की टीम वहां भेजी है कि इसकी कोई न कोई तत्काल व्यवस्था की जाय। मुझे खुशी है कि कुछ व्यवस्था हुई है और पूरे एक वर्ष का जो समय मांगा है, उस एक वर्ष में निश्चित रूप से चाहे समितियां बनाकर, चाहे कुछ मशीनें लगाकर कोशिश इस बात की की जायगी कि टेल एण्ड तक निश्चित रूप से पानी पहुंचे।

श्री रामनारायण (नैनवां): हम निवेदन करते हैं, आप एक दफा....

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने ठेके की बात कही थी....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठेका, आप बता दो कोई अच्छा ठेकेदार हो तो, उसको भी दे देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 36 पुकार

(श्री हरिसिंह)

लिया । अध्यक्षजी, आपने पुकार लिया है, मंत्रीजी खड़े हो गये । यह तो परिपाटी रही है इस सदन की कि जब प्रश्न पुकार लिया जाता है उसका उत्तर आ जाता है ।

(12.00)

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों को रेस्ट्रेंट करें कि बात-बात में खड़े नहीं हों । अब मेरी मजबूरी है 12 बज गये हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं-नहीं, आपने प्रश्न पुकार लिया आपकी मजबूरी नहीं, आपकी परिपाटी है । आपकी पुरानी परम्परा है यह कि अगर प्रश्न पुकार लिया जाता है तो उसका उत्तर दिलवाया जाता है, यह परम्परा है, आपकी परम्परा है । मेरी व्यवस्था नहीं, आपकी व्यवस्था है यह ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय; प्रश्न पुकार लेने के बाद में आपको जवाब दिलाना चाहिए। ऐसी परम्परा रही है यहां ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिखित रूप से जवाब भेज दिया जायेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं, लिखित में तो आप भेजते ही हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : साहब, लिखित रूप से तो पहले ही आ चुका है ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अब ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : ऐसा है कि जब आपने प्रश्न पुकार लिया था, सदन के नेता खड़े हो गये इसलिए हम सब ने यह चाहा कि उनका अनादर नहीं होना चाहिए, उनको सबसे हाई-प्रायोरिटी है । (व्यवधान) नहीं-नहीं, हमने दिल से इसलिए यह बात कही थी कि सदन के नेता खड़े हुए हैं तो ठीक है । नहीं तो उनका पांच मिनट का समय था ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ।

नवीन पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें

36. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की नवीन पंचायतों में सरकार उचित मूल्य की सरकारी दुकानें खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) उचित मूल्य की सरकारी दुकानों के डीलरों को चयन करने के लिये क्या सरकार ने कोई प्रक्रिया निर्धारित की है ? यदि हां, तो निर्धारित दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या कुम्हेर तहसील की ग्राम पंचायत रीठोटी, उसरानी, कुमां वांदू एवं झारोली में उचित मूल्य की सरकारी दुकानें कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो कब से और उनके डीलर कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो सरकार वहां दुकान कब से प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

(श्री हरिसिंह)

(4) उक्त पंचायतों में उचित मूल्य की सरकारी दुकानों के डीलरों का चयन सरकार द्वारा बनायी गयी तहसील स्तर की कमेटी की सिफारिश पर हुआ अथवा किसी अन्य प्रणाली द्वारा ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्रति 2000 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान खोलने का प्रावधान है, न कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के आधार पर।

(2) उचित मूल्य की दुकानें खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। कुम्हेर एवं भरतपुर तहसील में ग्राम पंचायत रीठोटी उसरानी, कूमां एवं झारोली में उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

रीठोटी	श्री जब्बरसिंह	3 7.81
उसरानी	श्री हेमराज	26.3.80
	श्री गोरधनसिंह	26.2.96
कूमां	श्री दिनेशसिंह	23.9.83
	श्री महेन्द्रसिंह	26.5.94
झारोली	श्री शेरसिंह	18.9.89

ग्राम पंचायत दांदू में उचित मूल्य की सरकारी दुकान के लिये जनहितकारी कूमां थोक मकन सहकारी समिति का चयन कर लिया गया है जिसका प्राधिकार पत्र जारी होना शेष है।

(4) तहसील स्तर पर सरकार द्वारा कोई कमेटी नहीं बनायी गयी है, अतः तहसील स्तर की कमेटी की सिफारिश का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। डीलरों को जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के क्लाज 3(1) के तहत प्राधिकृत किया गया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। आपने जो यह कहा कि तहसील स्तर पर कोई कमेटी नहीं बनायी गयी है, आपकी आबंटन की कमेटी तो है ? आबंटन की सलाहकार समिति तो आपकी बनी हुई है जिसमें आप की जो प्रक्रिया है उसके "ज" पर देखें उप खण्ड अधिकारी उसका संयोजक है, जिला कलक्टर द्वारा दो मनोनीत सदस्य हैं, सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच है, सम्बन्धित पंचायत समिति का सदस्य है। आपने सरपंचों और पंचायत समिति के सदस्यों को और तो कोई अधिकार दिये नहीं कि इस सम्बन्ध में उनकी राय ली जाती हो कि किस आदमी के लिए किस डीलर को उस पंचायत के अन्दर देना मुनासिब होगा। इस केस में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, दांदू और कूमां पंचायत के अन्दर जैसा कि आपने अभी उत्तर में लिखा है, हमने कूमां थोक सहकारी समिति का चयन कर लिया है, मैं यह जानना चाहता हूं आप से, इस सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट क्या है इसके सम्बन्ध में ? क्या यह सही नहीं है कि इस समिति ने दरख्वास्त मांगी थी, एक डेट फिक्स हुई थी ? जैसा कि आपकी

(श्री हरिसिंह)

प्रक्रिया का यह नियम "क" कहता है आवंटन के पूर्व प्रार्थना पत्र समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से लिया जायगा, दांदू के सम्बन्ध में जो दरख्वास्तें आयीं उनमें क्या इस कूमां पंचायत समिति की दरख्वास्त थी ? उसके बाद में इसकी सर्वसम्मत राय क्या थी ? उस सर्वसम्मत राय को क्यों इग्नौर किया गया ? अनेक पंचायत जनप्रतिनिधियों की राय को टालकर क्यों इस समिति को दिया जा रहा है ? जो समिति डिफेक्ट पड़ी हुई है, जो समिति कूमां की समिति है, जो कूमां में पांच साल से काम नहीं कर रही है उसको दांदू में देने का क्या कारण है ? आप बतायें, मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत दांदू में जो समिति ने राय दी थी और जो जिला कलक्टर के पास गयी, उस वक्त इसकी शिकायत मिली।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या है ?

डा. रामप्रताप : शिकायत मिली।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, राय क्या थी, यह जानना चाहता हूं।

डा. रामप्रताप : राय व्यक्ति विशेष की दो एप्लीकेशन थीं जिनमें से एक के लिए जिसका तय किया था उसकी शिकायत मिली तो जिला कलक्टर ने पुनर्विचार के लिए लिखा और पुनर्विचार के लिए लिखा उस दौरान इस समिति की जो....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस समिति की दरख्वास्त ही नहीं थी कमेटी के सामने।

डा. रामप्रताप : मकन ग्राम सेवा सहकारी समिति....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस समिति की दरख्वास्त ही नहीं थी कमेटी के सामने, मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप : हां, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उस दौरान उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगायी और उस आधार पर एस.डी.एम. ने जिला कलक्टर को लिखा इस समिति के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस समिति की राय दुबारा क्यों नहीं ली गयी ? मैं यह जानना चाहता हूं।

डा. रामप्रताप : मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि इसको अभी तक प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है और कमेटी की राय एस.डी.ओ. ने नहीं ली है इसलिए इसको मैं मेरे स्तर पर देखकर उचित निर्णय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें क्या रह गया बाकी ? वह हरिसिंह जी सन्तुष्ट हो गये और ये हरिसिंह जी असन्तुष्ट हैं क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : उनकी राय ली जाती। आप यह बता दो कि इनको क्यों हटा दिया ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

रायपुर (भीलवाड़ा) की पुनर्गठित पेयजल योजना

33. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या रायपुर (भीलवाड़ा) कस्बे की पुनर्गठित पेयजल योजना 25 लाख रुपये की बनाई जाकर उसका तत्कालीन मुख्य मंत्री एवं जलदाय मंत्री से वर्ष 1989 में उद्घाटन करवाया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(2) क्या इतनी धनराशि खर्च किये जाने के पश्चात् भी उक्त पुनर्गठित योजना से अभी तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त योजना की लक्ष्यपूर्ति के लिये सरकार और धनराशि स्वीकृत कर लड़की बांध को स्थायी स्रोत बनाकर पेयजल समस्या के निराकरण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस पुनर्गठित योजना में रायपुर के समीपस्थ सगरेव ग्राम को भी सम्मिलित करके लाभान्वित किया जायेगा?

उत्तर

(1) रायपुर-बोराणा गांव की पुनर्गठित योजना जिसकी स्वीकृत लागत 20.62 लाख रुपये थी, का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री व जलदाय मंत्री द्वारा दिनांक 13.1.89 को किया गया था ।

(2) यह सही है कि पुनर्गठित योजना से अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये 2 खुले कुएं असफल हो गये, लेकिन इस योजना पर किये गये अन्य कार्यों का उपयोग वर्तमान में विद्यमान जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध करवाने में किया जा रहा है। कुएं असफल हो जाने के कारणों की जांच करवाई जा रही है । जांच के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।

(3) ग्राम रायपुर व बोराणा को विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लड़की बांध के स्रोत लेकर संशोधित पुनर्गठित योजना बनाई गई है, जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है । शीघ्र ही इस योजना की स्वीकृति के प्रयास जारी है ।

(4) जी, नहीं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विदेशी उद्यमियों के सहयोग से संचालित परियोजनाएं

35. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में किन-किन विदेशी उद्यमियों के साझे एवं सहयोग से किस उत्पाद की कौन-कौनसी परियोजनाएं चलाई जा

(श्री रामनारायण मीणा)

रही हैं ? उक्त योजनाओं के कौन से उत्पाद एवं वस्तुएं बाजार में आ चुकी हैं तथा कौन से उत्पाद एवं वस्तुएं कब तक उपभोक्ताओं के लिए बाजार में आयेगी ?

(2) आगे के लिये कौन-कौनसी परियोजनाओं का समझौता हो चुका है तथा कौन-कौन सी का समझौता होना बाकी है?

(3) सरकार द्वारा इस प्रकार के उद्योगों के लिये किस प्रकार की क्या मदद दी जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर जिन-जिन विदेशी उद्यमियों के साझे एवं सहयोग से राज्य में उद्योग स्थापित किये गये हैं उनकी उत्पादवार सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "क" में उल्लिखित कम्पनियों के उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं एवं परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित इकाइयों के उत्पादन अगले वर्ष सम्भावित हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा विदेशी सहयोग एवं साझे में निजी क्षेत्र में परियोजना लगाने हेतु कोई समझौता नहीं किया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता/सुविधाओं के विवरण की सूची परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भिवाड़ी (अलवर) औद्योगिक क्षेत्र में अवाप्त भूमि

36. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या रीको द्वारा अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हेतु सहजपुर, भिवाड़ी, मिलकपुर, आदमपुर, नगलिया एवं साथलका गांवों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी किस-किस खातेदार की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अवाप्त की गई भूमि में से किन-किन खातेदारों को कितने-कितने मुआवजे का भुगतान किस मानदण्ड के आधार पर किया गया एवं किन-किन को भुगतान नहीं किया गया व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हेतु सैदपुर, भिवाड़ी, नांगलिया एवं साथलका की कुछ भूमि अवाप्त की गई है। ग्राम मिलकपुर व आदमपुर की भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त नहीं की गई है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट–"अ, ब, स एवं द" सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(2) भूमि के मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी विवरण भी प्रश्न के भाग–1 में उल्लिखित विवरण में शामिल है। भूमि के मुआवजे का भुगतान स्थल के समीपवर्ती क्षेत्रों की भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्रों को आधार मानकर किया गया है। जिन

(उद्योग मंत्री)

व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया गया उसका कारण सहित विवरण परिशिष्ट "इ" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

37. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

दौसा जिले में इस वर्ष एवं गत वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण सुलभ कराया गया है ? लाभान्वित बेरोजगार युवाओं की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

दौसा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में 94 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को तथा इस वर्ष (1995-96) में माह फरवरी, 1996 तक 26 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया है । लाभान्वित अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

वैशाली नगर योजना, अजमेर में आबंटित भू-खण्ड

38. **श्री उगम राज मेहता** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वैशाली नगर योजना, अजमेर में भूमि के बदले राज्य सरकार के निर्णित आदेश संख्या एफ. 6 (3) नविभा/3/82 दिनांक 30.12.82 के तहत 375 वर्ग गज भूमि की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो निर्णय/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अजमेर न्यास के पत्रांक न्यास/एफ. आर/एफ-2 (4) 2/86-12673 दिनांक 10-12-86 द्वारा भू-खण्ड संख्या जी-134 एस.आर. क्षेत्रफल 375 वर्ग गज दिया गया ?

(3) क्या उक्त भू-खण्ड वास्तव में 375 वर्ग गज का ही था तथा उस पर किसी अन्य का कब्जा था ? यदि हां, तो उक्त भू-खण्ड श्री राजाराम को क्यों प्रस्तावित किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि श्री राजाराम को नगर सुधार न्यास, अजमेर के आदेश क्र. भू/अवि/एफ. (2) (4) 4/86/4359 दिनांक 18.6.87 के द्वारा सूचित किया गया कि आप 375 वर्ग गज अन्य भू खण्ड के लिए प्रतीक्षा करें ? यदि हां, तो उन्हें अब कब तक भू-खण्ड आबंटित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) न्यास की अधिसूचित योजना वैशाली नगर के खसरा नं. 21/92 व 21/93 की 10 बिस्वा 17 बिस्वांसी अर्थात् 1053 वर्ग गज भूमि हेतु क्रेता श्री राजा-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

राम तिवारी से न्यास की नेगोसियेशन सब कमेटी निर्णय दिनांक 27.7.71 द्वारा 1500/- रुपये में क्रय करते हुए 375 वर्ग गज का भूखण्ड 10 रुपये प्रति वर्ग गज से विकास शुल्क राशि 3750/- रुपये लेते हुये भूमि मूल्य की राशि 1500/- रुपये समायोजित करते हुए शेष राशि 2250/-रु. लेते हुए भूखण्ड देने का निर्णय लिया गया है तथा इस नेगोशियेशन की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक एफ 15(3)/नविश्रा/3/82 दिनांक 30.12.82 द्वारा दी गई है। राज्य सरकार की स्वीकृति दि. 30.12.82 की 15 प्रतियां संलग्न है।

(2) जी नहीं। न्यास द्वारा श्री राजाराम तिवारी का पत्र दिनांक 10.12.86 जारी किया गया है जिसमें भूखण्ड संख्या जी-134 प्रस्तावित किया जाकर प्रार्थी से उसकी भूमि से स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज चाहे गये व अन्य सूचनायें मांगी गई।

(3) जी नहीं। न्यास की आनासागर सरक्यूलर रोड योजना के भूखण्ड संख्या जी-134 का वास्तविक क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज ही है तथा उक्त भूखण्ड पर किसी अन्य का कब्जा नहीं होकर न्यास का कब्जा है। अतः इसी कारण श्री राजाराम तिवारी को उक्त रिक्त भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(4) न्यास द्वारा श्री राजाराम तिवारी को पत्र दिनांक 18.6.87 जारी किया गया है क्योंकि प्रस्तावित भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल 375 वर्गगज न होकर सही क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज ही है। यह उल्लेखनीय है कि न्यास द्वारा भू-खण्ड श्री तिवाड़ी को देने हेतु कन्वेन्सडीड तैयारी हेतु स्टाम्स 50+50 = 100/- रुपये दि. 9.12.88 को क्रय कर लिये थे लेकिन श्री तिवाड़ी द्वारा न्यास पक्ष में अपनी क्रय भूमि का पंजीयन कराने से इन्कार करने से अपने पत्र दिनांक 29.3.89 द्वारा क्रय स्टाम्स कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर को लौटाये गये हैं तथा उक्त नेगोसियेशन दिनांक 27.7.71 की क्रियान्विति असफल होने के कारण न्यास को दृष्टिगत रखते हुए अनिवार्य अवाप्ति बाबत धारा 4(1) के प्रस्ताव राज्य सरकार को दिनांक 6.5.89 को प्रेषित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) की अधिसूचना क्रमांक प. 5(33)/नविश्रा/3/79 दिनांक 1.3.90 को जारी की गई तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5(ए) की रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 8.1.91 को प्रेषित की गई जिस पर निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार द्वारा धारा 6(1) की अधिसूचना दिनांक 10.4.91 को जारी की गई तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिसूचना में सम्मिलित भूमि का अवार्ड दि. 16 2.93 को अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन राज्य सरकार के पत्रांक एफ-5(33) नविश्रा/79 दिनांक 15.1.94 को किया गया है तथा अवार्ड दिनांक 15.4.94 को घोषित किया जा चुका है। जिसके अनुसार वैध खातेदार/दावेदार अवार्ड राशि अथवा 12 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि में से एक मुआवजा स्वरूप लेने का अधिकारी है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार दो दोहरे आदेश दिनांक 30.12.82 व 15.1.94 होने से

(स्वायत्त शासन मंत्री)

राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु पत्रांक न्यास/भू/अ/एफ 2(1)/86/3244 दिनांक 15.7.93 प्रेषित किया गया है। न्यास का पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 5(33)नविआ/79 दि. 24.8.95 द्वारा न्यास अध्यक्ष अजमेर से टिप्पणी मांगी गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

नौचोकिया पार्क, जहाजपुर

39. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर नगर में नौचोकिया नामक पार्क स्थित है ? यदि हां, तो पंचायत के समय यह पार्क कितना बना हुआ था और नगरपालिका ने किस प्रस्ताव तथा नगर नियोजक की सहमति से कितना कार्य नया प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से करवाया ? मैजरमेंट बुक के इन्द्राज सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 30 वर्षों पूर्व बने इस पार्क में पहले कितना काम किया हुआ था और उसमें कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पार्क के निर्माण कार्य को ठेके पर दिया गया अथवा नगरपालिका के किसी अधिकारी/कर्मचारी या जन प्रतिनिधियों के द्वारा करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस पार्क में जो कार्य हुआ उसकी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और कौन दोषी पाये गये ?

(5) क्या इस पार्क के निर्माण के बाद सौन्दर्यकरण के लिये कोई सामग्री या वृक्ष आदि लगाये गये है ? यदि हां, तो नगरपालिका के किस प्रस्ताव से किस-किस द्वारा सामान लाया गया अथवा वृक्ष आदि लाये गये ? राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समय में चारों ओर बाउण्ड्री एवं अन्दर चबूतरा बना था। नगरपालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 1.8.91 की स्वीकृति से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करा मरम्मत व निर्माण कार्य कराया गया था। इसमें नगर नियोजक की सहमति आवश्यक नहीं थी। मैजरमेंट बुक इन्द्राज विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) 30 वर्ष पूर्व इस पार्क में पंचायत काल में चारों ओर बाउण्ड्री एवं चबूतरा बना हुआ था, परन्तु इस पर कितना व्यय किस-किस मद में हुआ यह जानकारी पंचायत समय का रिकार्ड नगर पालिका में उपलब्ध नहीं होने के कारण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) कार्य ठेके पर टेण्डर आमन्त्रित कर कराया गया था।

(4) इस पार्क के कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आना नहीं पाया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(5) जी हां। नगरपालिका के प्रस्ताव एवं जो सामान एवं वृक्ष आदि लाये गये है, राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मानसरोवर, जयपुर में लाइट एवं सफाई व्यवस्था

40. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, जयपुर की आवासीय कॉलोनियों में लाइट एवं सफाई की व्यवस्था करने का कार्य नगर निगम जयपुर का है ? यदि हां, तो इस हेतु निगम द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किये गये ? सैक्टरवार की गई व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो नगर निगम उक्त कॉलोनियों में गृह कर किस आधार पर वसूल कर रही है ?

(2) सैक्टर 5 के ब्लॉक 51 एवं सैक्टर 11 के ब्लॉक 119 में निगम ने सफाई हेतु किस-किस कर्मचारी का तथा लाइट हेतु किस-किस को नियुक्त किया है ? नाम एवं पद वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निगम ने लाइट व्यवस्था ठेके पर दे रखी है ? यदि हां, तो सैक्टर 11 के ब्लॉक 119 में कौन ठेकेदार है तथा ठेका देने के क्या नियम एवं शर्तें तथा सार्वजनिक लाइट खराब होने पर उसको ठीक कर चालू कितने दिनों में करने का प्रावधान है ?

(4) क्या सैक्टर 11 के ब्लॉक 119 में मकान नम्बर 151–166 तथा 217–226 के मध्य स्थित सार्वजनिक पार्क के चारों ओर रोड लाइटें लगी हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस पोल पर ?

(5) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार एवं अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त क्षेत्र की सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था विगत एक वर्ष से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने तथा उक्त क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुचारू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सफाई कचरा ठेकेदार द्वारा कर्मचारी लगाकर उठाया जाता है तथा गृहकर अनिवार्य टैक्स होने के कारण वसूल किया जाता है।

(2) सैक्टर 5 के ब्लॉक 51 एवं सैक्टर 11 के ब्लॉक 119 में सफाई एवं लाइट हेतु की गई व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर लाइट ठीक करवा दी जाती है।

(4) सैक्टर 11 के ब्लॉक 119 में मकान नं. 151–166 तथा 217–226 के पास स्थित पार्क के चारों ओर पोल नं. 1657, 1659, 1660, 1685, 1687,

(34)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1691, 1692, 1693 व 1695 पर रोड लाइट लगी हुई है।

(5) जी, नहीं। विगत एक वर्ष से किसी भी क्षेत्र में लाइटें पूर्ण रूप से बन्द नहीं हैं। समय-समय पर रोड लाइटों के बन्द होने की शिकायतों पर लाइट ठीक करवा दी जाती हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 41

(स्थगित)

नगर परिषद् अलवर द्वारा निबंन्ध योजनान्तर्गत कार्य

42. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद् अलवर के आय के स्रोत क्या हैं? गत वर्ष में प्रत्येक स्रोतों द्वारा कितनी-कितनी आय हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर परिषद् अलवर को निर्बन्ध योजना और अन्य योजनाओं के तहत कितनी कितनी राशि स्वीकृत हुई और उसे कहां-कहां खर्च किया गया?

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अलवर द्वारा निर्बन्ध योजना में 1,75,000 (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) सुलभ शौचालय बनाने के लिये आबंटित किये गए थे जो अभी तक नहीं बने हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) अलवर नगर परिषद् की वर्ष 1994-95 में प्रत्येक स्रोतों की आय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अलवर नगर परिषद् की निर्बन्ध योजना व अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त स्वीकृत राशि मय किये गये व्यय का विवरण संलग्न है।

(3) नगर परिषद् ने दिनांक 8.3.95 को नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर दिनांक 6.4.95 को एक माह में कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये थे परन्तु मौके पर ठेले वाले एवं आस-पास के दुकानदारों के उग्र विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इस मामले की विस्तृत सूचना नगर परिषद् द्वारा जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अलवर को दिनांक 10.11.95 को सूचित किया गया था कि निर्माण कार्य का स्थान बदल कर तांगा स्टैण्ड, होप सर्कस या रोडवेज बस स्टैण्ड कर दिया जावे तो राशि का उपयोग सम्भव होगा। अभी तक जिला कलक्टर से इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। इस प्रकार इसमें किसी का दोषी होने का प्रश्न नहीं है। जैसे ही उचित निर्देश प्राप्त होगा कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की ज्योतिनगर योजना का नियमन प्रकरण

43. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने ज्योति नगर के पास स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 192/502 में आवासीय योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त भूमि में से कितने प्लाटों को सरकार द्वारा नियमित कर दिया गया व किन-किन को अभी नियमित नहीं किया गया ? नियमित न किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बर 192/502 में स्थित प्लाट नम्बर 5 जो श्रीमती राजेन्द्र शंकर भट्ट का है, को दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 को 190/- रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से शुल्क लिया जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित कर दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बर 192/502 में ही स्थित प्लाट नम्बर 6 जो कि श्रीमती कमला चाण्डक का है, को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित नहीं किया गया है, जबकि श्रीमती चाण्डक ने प्राधिकरण में कनवर्जन, पेराफेरी एवं विकास शुल्क की राशि दिनांक 24 मार्च, 1982 को ही जमा करवा दी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्रीमती चाण्डक ने अपने प्लाट नम्बर 6 के नियमित किये जाने हेतु दिनांक 10 जनवरी, 1993 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार श्रीमती कमला चाण्डक के प्लाट नम्बर 6 को भी उस क्षेत्र के अन्य प्लाटों की भांति नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। ख.नं. 192/502 ग्राम भोजपुरा में शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने आवासीय प्लाट काटे हैं। उक्त प्लाटों में से केवल भूखण्ड संख्या-5 (एस.पी.-1 प्राधिकरण) आवंटन किया गया है परन्तु अन्य किसी भूखण्ड को नियमित/आवंटन नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त ख.नं. की भूमि अवाप्तिशुदा भूमि है जिसका कब्जा दिनांक 21.7.83 को प्राधिकरण द्वारा लिया जा चुका है।

(2) जी, नहीं। भूखण्ड सं. 5 (एस.पी.-1 प्राधिकरण) का आवंटन श्रीमती सुशीला रानी भट्ट को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक F17 दि. 5.12.89 द्वारा 190/- प्रति वर्ग गज के हिसाब से राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं न्यायालय के निर्णय अनुसार एवं भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक अनुसार किया गया है।

(3) प्लाट नं. 6 श्रीमती कमला चाण्डक को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित नहीं किया गया है। उक्त भूखण्ड के पेटे इनके द्वारा दि. 24.3.82 को पेराफेरी, कनवर्जन की राशि जमा करवाई हुई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

विकास शुल्क वर्ष 1994 में जमा कराया है।

(4) दिनांक 10.1.93 को श्रीमती चाण्डक ने प्लाट नं. 7 के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया या नहीं इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं है।

(5) जी, नहीं। ख.नं. 192/502 जिसमें उक्त भूखण्ड आता है प्राधिकरण के अवाप्त किया जाकर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। नियमों में कब्जा प्राप्त करने के बाद आबंटन का प्रावधान नहीं है।

शास्त्री नगर जयपुर में संचालित दूध डेयरियां

44. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक दुधारू पशु नहीं रखेगा तथा निजी डेयरियां निगम क्षेत्र से बाहर की जावेंगी ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नाहरी का नाका (शास्त्रीनगर) के हाउसिंग बोर्ड के सैक्टर नम्बर 2 के उत्तर पूर्व भाग में कच्ची बस्ती वालों ने शिव मन्दिर के पास डेयरी चला रखी है जिससे गन्दगी व वातावरण दूषित रहता है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी डेयरियां इस क्षेत्र में हैं तथा इनको कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर में प्रचलित निरीक्षण नियमन एवं कैटल शैड लाइसेन्स उपविधि 1946 के अनुसार एक से अधिक दुधारू पशु बिना लाइसेन्स लिये नगर निगम सीमा में नहीं रखे जा सकते। उप विधि की प्रति संलग्न है। उक्त उप नियमों की अनुपालना में जन साधारण को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है। समस्त डेयरी मालिकों को नियमों की जानकरी देते हुए सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है कि वे स्वयं ही अपनी डेयरी नगर निगम सीमा से बाहर स्थानान्तरित कर लेवें।

(2) जी, हां। यह सही है कि नाहरी का नाका (शास्त्री नगर) सैक्टर 2 शिव मन्दिर के पास श्री हजारी लाल यादव पुत्र श्री सोहनलाल यादव ने मकान नम्बर 687 में डेयरी चला रखी है। डेयरी मालिक का चालान कर दिया गया है। इस क्षेत्र में करीबन 40 डेयरियां हैं। जहां तक इनको हटाने का प्रश्न है निजी डेयरियों को बाहर स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

राजकीय भूमि पर निर्मित भवनों का बेचान

45. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भवानी जोशी)

(1) क्या यह सही है कि कच्ची बस्तियों में पूर्व से बसे हुये लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर बने मकानों का बेचान नहीं किये जाने सम्बन्धी कोई नियम बना हुआ है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शास्त्री नगर नाहरी का नाका के हाउसिंग बोर्ड सैक्टर 2 के पास राजीव नगर कच्ची बस्ती में कुछ लोगों द्वारा सरकारी भूमि का बेचान गुर्जर समाज के लोगों को किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भूमि का बेचान करने व खरीदने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकारी जमीन बेचने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में नियम बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) राजीव नगर कच्ची बस्ती में सरकारी भूमि के बेचान किए जाने की कोई जानकारी नगर निगम को नहीं है।

आवासीय योजनाओं का नियमन

46. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1994 एवं 1995 में कितनी-कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों की तकनीकी रूप से अनुमोदित कौन-कौन सी आवासीय योजनाओं का नियमन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राधिकरण को विकास शुल्क, परिधि शुल्क आदि से उक्त वर्षों में कुल कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(3) क्या यह सही है कि प्राधिकरण की ओर से गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं के नियमन की कार्यवाही काफी लम्बे समय से बन्द है ? यदि हां, तो कितने समय से और क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 एवं 1995 में 32 गृह निर्माण सहकारी समितियों की 154 योजनाओं के भूखण्डों का नियमन किया गया है, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1994–95 विकास शुल्क– 376.50 लाख

वर्ष 1994–95 परिधि शुल्क– 69.80 लाख

वर्ष 1995–96 विकास शुल्क– 67.12 लाख

वर्ष 1995–96 परिधि शुल्क– 11.83 लाख

(3) विभिन्न कानूनी अड़चनों से प्रभावित योजनाओं को छोड़कर गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं के प्लाटों का नियमन कार्य राज्य सरकार के आदेश प. 2(8)राज., भू रू./90 दिनांक 18.2.94 के अनुसार किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आवासन मण्डल, कोटा के पंजीकृत आवेदक

47. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत की स्थापना से अब तक कौनसी योजनाओं में कितने-कितने लोगों ने कुल कितने आवास आबंटन के लिये पंजीकरण कराया और कौन-कौनसी योजना में कितने-कितने प्रतीक्षारत लोगों को वर्ष 1995 तक आवासों का आबंटन किया गया ?

(2) अब कौन-कौनसी योजना में कितने-कितने लोग प्रतीक्षारत हैं तथा इन्हें कब तक आवास आबंटन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि मण्डल के कोटा वृत के पास भूमि एवं वित्त का अभाव होने से कोटा में आवासन मण्डल की गतिविधियां काफी लम्बे समय से प्रायः ठप्प स्थिति में है ? यदि हां, तो मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रयास किये गये और क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत की स्थापना से लेकर अब तक आबंटन के लिये पंजीकरण कराये गये आवेदकों की संख्या 33479 है । वर्ष 1995 तक कुल 21796 आवासों का आबंटन किया जा चुका है । शहरवार आयवर्गवार विवरण परिशिष्ट–1 में दिया हुआ है ।

(2) कोटा वृत में 5342 पंजीकृत प्रतीक्षारत आवेदक हैं । जिसका विवरण परिशिष्ट–2 में दर्शाया गया है । विशेष तौर से कोटा एवं बारां में भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रतीक्षारत आवेदकों के लिए मकान नहीं बनाये जा सके लेकिन अब कोटा शहर में नगर विकास न्यास ने उनके पत्र संख्या 1137 दिनांक 30.11.95 के द्वारा 94.75 हैक्टेयर (लगभग 600 बीघा) भूमि मण्डल को आबंटित करने का प्रस्ताव किया है । अतः इस भूमि में अगले 2–3 माह में ही कार्य शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं और सभी प्रतीक्षारत आगामी 3–4 वर्षों में मकान उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जायगा । इसके अतिरिक्त कुछ भूमि कुन्हाडी योजना में उपलब्ध है जिसमें मध्यम आय वर्ग (अ) मध्यम आय वर्ग (ब) के 344 मकानों का कार्य आगामी 2–3 माह में शुरू कर दिया जायगा । बारां में 19 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 27 के अन्तर्गत योजना अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं धारा 27 की अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जायगी । इसके बाद अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू होगी एवं आवासीय योजना बनाई जायगी । अन्य शहरों में प्रतीक्षारत आवेदकों को आगामी लगभग 2 वर्ष में मकान दिये जा सकेंगे ।

(3) यह सही है कि कोटा में पिछले कुछ वर्षों में आवासीय योजना के लिये भूमि की कमी की वजह से नये भवन निर्माण के कार्य नहीं करवाये जा सके । वित्तीय साधन तो जुटाये जा सकते थे यदि आवास निर्माण योजनाओं की सम्भावना होती । कोटा

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

शहर में 4053 प्रतिधारित पंजीकृत आवेदकों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिए न्यास द्वारा आबंटन हेतु प्रस्तावित 94.75 हैक्टेयर (लगभग 600 बीघा) लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है इस भूमि पर आगामी 3-4 वर्षों में लगभग 5000 मकान बनाये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मण्डल के पास लगभग 86 बीघा भूमि कुन्हाडी में उपलब्ध है जिसमें मध्यम आय वर्ग (अ) मध्यम आय वर्ग (ब) के 344 मकानों का निर्माण आगामी 2-3 माह में शुरू करवाये जायेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 48

(स्थगित)

विद्याधर नगर रोडवेज डिपो जयपुर से सीकर रोड से बाईपास तक जाने वाली सड़क का निर्माण

49. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विद्याधर नगर रोडवेज डिपो से वाया सीकर रोड भवानी नगर, बंधुनगर, शिवमन्दिर, रेलवे दादी फाटक, बाईपास तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कितनी किलोमीटर सड़क एवं कितनी राशि की ? आदेश की प्रति विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जिन भूखण्डधारियों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर भवनों का निर्माण कर लिया गया है को हटाकर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व किस-किस भूखण्डधारी के मकान को हटाकर ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवैध निर्माण करने वाले भूखण्डधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर रोडवेज डिपो की बसें सीकर रोड पर खड़ी रहने के कारण यातायात में भारी असुविधा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक चौराहे का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भवानी नगर एवं बन्धु नगर में आन्तरिक सड़क का निर्माण करवाया गया है। इन सड़कों पर लगभग 3.50 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। दोनों कालोनियों में 400-400 मीटर सड़क निर्मित की गयी है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो सड़क निर्मित की गयी है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(3) विद्याधर नगर रोडवेज डिपो सीकर रोड के कारण यातायात की असुविधा की प्राधिकरण में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वहां एक चौराहे का वर्तमान में निर्माण करने का कोई इरादा नहीं है।

राजहंस गृहनिर्माण सहकारी समिति जयपुर की जनकपुरी-II योजना में सड़क एवं नालियों का निर्माण

50. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दि राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की जनकपुरी-II, इमली वाला फाटक, ज्योतिनगर, आवासीय योजना जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त सहकारी समिति ने जनकपुरी-II योजना में कुल कितने आवासीय भू-खण्ड की सूची जयपुर विकास प्राधिकरण को नियमन हेतु दी और कितने भू-खण्डधारियों ने विकास शुल्क जमा करवाया है ? सूची एवं योजना का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी को नगर निगम, जयपुर को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो इस कालोनी की सफाई व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का जिम्मा किसका है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण विभिन्न सहकारी समितियों में विकास कार्य, उन समितियों द्वारा जमा कराये गये विकास शुल्क के अनुपात में ही करवाता है ? यदि हां, तो जनकपुरी-II में सड़क एवं नालियां बनवाने की क्या योजना है और इस आवासीय कालोनी में ग्रेवल सड़क एवं नालियां कब तक बना दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जनकपुरी-II प्राधिकरण की स्वीकृत योजना है। समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची की छाया प्रति तथा स्वीकृत योजना मानचित्र की प्रति संलग्न है। जनकपुरी-II योजना में 45 भूखण्डधारियों ने विकास शुल्क की राशि 2.17 लाख रुपये जमा कराई है।

(2) राज्यादेश क्रमांक प. 1(19) नविश्रा / 3 / 92 दिनांक 22.2.96 के अन्तर्गत दिनांक 1.4.96 की प्रभावी तिथि से उक्त कालोनी जयपुर नगर निगम, जयपुर को स्थानान्तरित करदी गई है। सफाई व्यवस्था जयपुर नगर निगम, जयपुर द्वारा की जाती है।

(3) जी, हां। सामान्यतः विभिन्न योजनाओं में विकास शुल्क के अनुपात में ही विकास कार्य करवाये जाते हैं जो करा दिये गये हैं। जनकपुरी-II में वर्तमान में सड़क व नालियां बनवाने की प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है। क्योंकि यह क्षेत्र नगर निगम को स्थानान्तरित हो चुका है।

(विवरण एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

रामदेव मन्दिर, जयपुर की भूमि पर अतिक्रमण

51. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

परिषद के भूतपूर्व आयुक्त श्री रामशरण जोशी व उनके परिवारजन ने बाबा रामदेव मन्दिर मदरामपुरा अजमेर रोड, जयपुर की खसरा नम्बर 226 रकबा तीन बिस्वा गैर मुमकिन मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण कर अपनी भूमि में मिला लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त श्री रामशरण जोशी के परिवार की भूमि खसरा नम्बर 225, 227 एवं 225/425 से जुड़ी भूमि खसरा नम्बर 213 एवं 214 जो कि पूर्व में पुराने कच्चे रास्ते खातीपुरा था, को अपनी भूमि में डंडा खींच कर मिला लिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त 1700 वर्गगज भूमि, जिसकी कीमत आज 60 लाख रुपये के करीब है, पर से अतिक्रमण हटाने का सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है ? यदि किया है, तो क्या ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त खसरा नम्बर 225, 227 व 225/425 की नाप करवाई गई है ? यदि हां, तो परिणाम क्या रहा और नाप क्या-क्या है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम मदरामपुरा के ख. नं. 226 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. मन्दिर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक गै.मु. मन्दिर दिखाया हुआ है। भूतपूर्व आयुक्त नगर परिषद, श्री रामशरण जोशी व उनके परिवारजनों द्वारा मन्दिर भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही उनकी भूमि में मन्दिर को शामिल किया है।

(2) जी, हां, ख.नं.225, 227, 225/425 की भूमि के साथ लगी हुई ख.नं. 214 की भूमि लगभग 2 बिस्वा सिवायचक लगानी बंजड भूमि पर डंडा खींच कर कब्जा किया है। खसरा नम्बर 213, 214 राजस्व रिकार्ड में ख नं. 213 गै.मु. चबूतरा व ख.नं. 214 सिवायचक लगानी बंजड़ दर्ज है। इस प्रकार 250 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण है, जिस पर इस क्षेत्र की आवासीय सुरक्षित दर 1100/- प्रति वर्गमीटर रुपये 2,75,000/- कीमत होती है। अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। यह क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा नगर निगम में हस्तान्तरित हो चुका है। अग्रिम कार्यवाही हेतु निगम को निर्देशित किया जा रहा है।

(3) ख.नं. 225, 227, 225/425 निजी खातेदारी की भूमि हैं, जिसकी प्राधिकरण द्वारा पैमाइश नहीं कराई गई है।

शान्तिनगर योजना, जयपुर में सड़क निर्माण कार्य

52. **श्री बनवारी लाल भिण्डा** (फतेहपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की गोपालपुरा बाईपास पर स्थित शान्ति नगर योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टैक्नीकली कब अनुमोदित की गई ?

(2) क्या यह सही है कि अनुमोदित

(श्री बनवारी लाल भिण्डा)

शान्ति नगर योजना की उत्तर दिशा में जे. डी.ए. द्वारा सैक्टर रोड निर्मित किया जाना प्रस्तावित व अनुमोदित था और सैक्टर रोड पर उक्त आवासीय योजना के कतिपय प्लाट्स का निकास द्वार भी प्रस्तावित था? यदि हां, तो कितने प्लाट्स का? इस सैक्टर रोड व प्रस्तावित निकास द्वार के प्लाट्स का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सैक्टर रोड 1981 और 1987 में भी इस गृह निर्माण समिति की उक्त आवासीय योजना के प्रस्तावित व टैक्नीकली अप्रूव्ड नक्शे में दर्शायी गई है?

(4) यदि हां, तो क्या इस सैक्टर रोड को प्रस्ताव के अनुसार चिह्नित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) इस सैक्टर रोड का कितना-कितना निर्माण कब-कब किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) यह सैक्टर रोड कब तक बना दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) इस प्रस्तावित सैक्टर रोड पर किस-किस व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य करवाये गये हैं?

(8) क्या सरकार इन निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शांति नगर योजना दिनांक 12.4.1984 को तकनीकी रूप से अनुमोदित की गई थी।

(2) शांति नगर योजना के उत्तर दिशा में 60 फीट सैक्टर रोड प्रस्तावित है। सड़क पर 16 भूखण्डों का विकास भी उक्त रोड पर प्रस्तावित किया हुआ है। मानचित्र की प्रति संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) यह भूमि वर्तमान में बिड़ला फार्म के कब्जे में है इसलिए चिह्नित नहीं किया गया है।

(5) जी, नहीं। सड़क का निर्माण भूमि की उपलब्धता के पश्चात किया जावेगा वर्तमान में बिड़ला फार्म का कब्जा है।

(6) सड़क हेतु भूमि उपलब्ध होने पर तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सड़क का निर्माण किया जा सकेगा।

(7) सैक्टर रोड पर दो मकान श्री अजय अग्रवाल व श्री रूपनारायण सैनी द्वारा बनाये गये हैं तथा अन्य दो बाउण्ड्री वाल भी बनी हुई है।

(8) जी, हां। अवैध निर्माण को नियमानुसार कार्यवाही कर हटाया जावेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फलासिया (उदयपुर) में जनता जल योजना हेतु सर्वे

53. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा "जनता जल योजना" लागू की गई है?

(श्री कुबेर सिंह)

यदि हां, तो कब से तथा इस योजना को लागू करने का क्या आधार है ? आधार क्षेत्रफल रखा गया है या जनसंख्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में उक्त योजना का सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो किस-किस गांव का कब-कब तथा सर्वे का आधार क्या रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सर्वे के आधार पर किस-किस गांव में उक्त योजना स्वीकृत की गई तथा किस-किस गांव में स्वीकृति के आधार पर कार्य कब-कब आरम्भ किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन गांवों की प्रस्तावित योजना अभी भी स्वीकृत नहीं की गई वह कौन-कौन से गांव हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रस्तावित गांवों की योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995–96 में माकड़ादेव एवं सेलाना में योजना किस आधार पर स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। योजना मार्च, 1994 से लागू की गई। योजना लागू करने का आधार ग्रामवासियों की योजनाओं के संचालन में भागीदारी रखना था और आधार इसका जनसंख्या भी रहा। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा 500 से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों में जनता जल योजना लागू करने की अनुमानित प्रस्ताव बनायें। प्रथम चरण 500 से अधिक की एक स्थान पर रहने वाली आबादी और विशेषकर उसमें 70 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति वाले गांव का चयन किया गया।

(3) विवरण परिशिष्ट "ख" पर है।

(4) सूची परिशिष्ट "ग" पर है।

(5) प्रस्तावित गांवों में जनता जल योजना लागू करने के लिये गांवों की समितियों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(6) माकड़ादेव व सलनाई में योजनाओं की स्वीकृति का आधार अनुसूचित जनजाति का 70 प्रतिशत से अधिक प्रतिशत एवं ग्रामवासियों की समिति के प्रस्ताव प्राप्त होना रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला झुन्झुनूं के उच्च जलाशयों का निर्माण

54. श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झुनूं में वर्ष 1985 से

(श्री शीशराम ओला)

1990 तक कितने उच्च जलाशयों का निर्माण करवाया गया ? नामवार सूची मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में उक्त अवधि में क्षेत्रीय जलयोजना भी स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसका भी निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया ? यदि हां, तो योजना का नाम मय लागत सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त दोनों प्रकार की योजनाएं ए.आर.पी. के अन्तर्गत स्वीकार की गई अथवा अन्य योजना के अन्तर्गत ? प्रत्येक योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सभी जलाशयों से योजना अनुसार पेयजल सम्बन्धित ग्रामों को मानदण्ड के अनुसार उपलब्ध हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि अधिकतर उच्च जलाशय अभी तक भी पानी नहीं भरने के कारण सूखे हैं तथा उनकी हालत जर्जर हो गई है जिससे सम्बन्धित ग्रामों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है ? क्या सरकार इसके लिये किसी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनू में उक्त वर्षों में 38 उच्च जलाशयों का निर्माण कराया गया। इसकी सूची मय लागत के परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। झुन्झुनू जिले में कुल 50 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई। इन योजनाओं का निर्माण भी विभाग द्वारा करवाया गया/करवाया जा रहा है। योजना का नाम मय लागत परिशिष्ट–"ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में विभिन्न प्रकार की योजनाएं ए.आर.पी. के अलावा एम.एन.पी. एवं आठवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत की गई। विवरण परिशिष्ट–ख पर है।

(4) उक्त निर्मित जलाशयों का योजनावार ग्रामों में पेयजल वितरण का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट–"ग" पर है।

(5) जी, नहीं। उक्त सभी 38 उच्च जलाशयों में पानी भरा जा चुका है एवं सभी से पेयजल वितरण किया जा रहा है। अतः इसके लिये कोई भी दोषी नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम शिमला (झुन्झुनू) में पेयजल व्यवस्था

55. श्री शीशराम ओला (झुन्झुनू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू में पेयजल व्यवस्था के लिये एक ट्यूब वैल का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो किस स्थान पर, कब तथा गांव से कितनी दूरी पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्यूब वैल विभागीय अधिकारियों की गलती

(श्री शीशराम ओला)

से हरियाणा राज्य की भूमि पर निर्माण किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्यूब वैल हरियाणा राज्य की भूमि पर होने से हरियाणा राज्य उक्त गांव को पेयजल का उपयोग नहीं करने देता ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

(4) क्या सरकार उक्त ग्राम की पेयजल व्यवस्था हेतु पुनः एक ट्यूब वैल उक्त ग्राम की सीमा में ही लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । ग्राम शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं की पेयजल व्यवस्था के लिए जुलाई 1993 व अगस्त 1993 में 2 नलकूपों का निर्माण कराया गया था। यह नलकूप ग्राम शिमला से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम दलौता के श्मशानघाट के नजदीक बनाये गये थे ।

(2) जी, नहीं ।

(3) उक्त दोनों नलकूप वर्तमान में चल रहे है तथा उनसे उक्त ग्राम को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है । एक नलकूप (नं. 2) हरियाणा राज्य के ग्राम बदोपुर की ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय में भूमि सम्बन्धी विवाद दायर किया है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है । दोनों ही नलकूपों का उपयोग हो रहा है । अतः कोई अधिकारी इसके लिए दोषी नहीं है ।

(4) ग्राम शिमला की पेयजल समस्या के समाधान हेतु माह नवम्बर, 1994 में 19.88 लाख की लागत की योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत नलकूप का निर्माण कार्य ग्राम दलौता की सीमा में ही प्रगति पर है ।

जल प्रदाय योजनाओं का संधारण

56. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में कुल कितनी जल प्रदाय योजनाएं विभाग के संधारण में है तथा उनमें कुल कितना वार्षिक वित्तीय भार सरकार द्वारा उठाया जा रहा है ।

(2) राज्य के देहाती क्षेत्रों में विभाग द्वारा कितनी योजनाएं विभाग के संधारण में है तथा उन पर वर्तमान में प्रति वर्ष कितना खर्चा हो रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में शहरी क्षेत्र में कुल 213 जल प्रदाय योजनाएं विभाग के संधारण में है, इन पर वर्ष 1994-95 में 159.49 करोड़ रुपये व्यय किये गये एवं वर्ष 1995-96 में 168.69 करोड़ रुपयों का प्रावधान है ।

(2) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 23171 हैण्डपम्प योजनाएं तथा 8110 पाइप्ड एवं पम्प एवं टेंक योजनाएं क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं, पनघट योजनाएं, जनता जल प्रदाय योजनाएं एवं डिग्गी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इत्यादि प्रकार की योजनाएं संधारण में हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में संचारित योजनाओं में वर्ष 1994-95 में 107.50 करोड़ रुपये व्यय किए गये एवं वर्ष 1995-96 में 116.69 करोड़ रुपयों का प्रावधान है।

मेड़ता सिटी (नागौर) की जल प्रदाय योजनाएं

57. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उपखण्ड डेगाना खण्ड मेड़ता सिटी जिला नागौर के अन्तर्गत कितनी जलप्रदाय योजनाएं कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन जल प्रदाय योजनाओं में से दो चार योजनाओं को छोड़कर अधिकांश जल योजनाओं का पानी खारा है? यदि हां, तो इस क्षेत्र के ग्रामीणों को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या उपाय करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन योजनाओं के संचालन हेतु कर्मचारियों की कमी है जिससे जल वितरण प्रभावित हो रहा है और नागरिकों को परेशानी हो रही है? यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड डेगाना खण्ड मेड़ता शहर जिला नागौर के अन्तर्गत 52 जलप्रदाय योजनाओं से नागौर के अन्तर्गत 119 ग्रामों के लिए 52 जलप्रदाय योजनाएं कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट – "क" पर है।

(2) जी, हां। उपखण्ड डेगाना के अन्तर्गत अधिकांश जलप्रदाय योजना के जल स्रोतों का पानी विभागीय मापदण्ड के अनुरूप नहीं है इन क्षेत्र के ग्रामवासियों को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु एक परियोजना का प्रारम्भिक प्रारूप बनाया गया है जिसके प्रारम्भिक अनुमान की अनुमानित लागत लगभग 20 करोड़ रुपये है। वर्तमान में सर्वेक्षण कर विस्तृत योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(3) उपखण्ड डेगाना के अन्तर्गत योजनाओं के संचालन हेतु, 171 पद तकनीकी कर्मचारियों के स्वीकृत हैं। जिनके विरुद्ध 127 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 16 भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा रही है। वर्तमान में पेयजल योजना सुचारू रूप से चल रही है। शेष कर्मचारियों की कमी को पूर्ण करने हेतु सैनिक बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों की और सेवाएं लेने हेतु प्रयास जारी हैं। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट– "ख" पर है।

(4) उपरोक्त 3 के अनुसार।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बिहारीपुरा-लालपुरा (दौसा) की जल वितरण योजना

58. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के बिहारीपुरा-लालपुरा में सामूहिक जल वितरण योजना से पीने का पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त योजना को समुचित रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त ट्यूब वैल लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पंचायत समिति लालसोट के ग्राम बिहारीपुरा एवं लालपुरा की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बिहारीपुरा-लालपुरा के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इन दोनों ही ग्रामों को 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम बिहारीपुरा में 2 हैण्डपम्प तथा लालपुरा में 3 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं अतः वर्तमान में इन ग्रामों में पेयजल समस्या नहीं है।

(2) चूंकि इन दोनों ही ग्रामों को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। अतः अतिरिक्त नलकूप लगाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

मेड़ता शहर में जल प्रदाय योजनाओं पर जल शुल्क की वसूली

59. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण जल प्रदाय / शहरी जल प्रदाय योजना पर जल शुल्क राजस्व जमा करने हेतु क्या नीति बनाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजस्व को बैंक में जमा करवाने हेतु किस स्तर का अधिकारी जिम्मेदार है ? जमा राजस्व के प्रति किस स्तर का अधिकारी उत्तरदायी है ?

(3) मेड़ता शहर में कुल कितने उपभोक्ताओं के जल सम्बन्ध स्वीकृत किये गये ? उक्त उपभोक्ताओं में से फ्लेट रेट पर कितने उपभोक्ताओं से भुगतान किया जाता है ?

उत्तर

(1) ग्रामीण/शहरी जलप्रदाय योजनाओं में जहां पर विभाग द्वारा सीधे ही पेयजल शुल्क जमा किया जाता है वहां पर जी.ए. 55 रसीद काटकर उपभोक्ताओं को दी जाती है तथा उनका इन्द्राज कैश बुक में किया जाकर चालान द्वारा राजस्व बैंक में जमा करवाया जाता है तथा जहां पर अन्य एजेन्सी द्वारा जल शुल्क जमा किया जाता है वहां पर जमा शुल्क को उनके द्वारा ही राजकीय खातों में बैंक में जमा करवाया जाता है।

(2) ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर जमा राजस्व बैंक में जमा करवाने हेतु कनिष्ठ अभियन्ता एवं शहरी जलप्रदाय योजनाओं पर जमा राजस्व को बैंक में जमा करवाने हेतु सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी जिम्मेदार है। जमा राजस्व के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रति सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी उत्तरदायी है।

(3) मेड़ता शहर में माह फरवरी 96 तक कुल 4234 जल सम्बन्ध स्वीकृत किये गये उपरोक्त उपभोक्ताओं में से 2076 उपभोक्ताओं से फ्लेट रेट पर भुगतान लिया जाता है।

नाहरी का नाका, जयपुर में अनधिकृत जल सम्बन्ध

60. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड सैक्टर नं. 2 शिव मन्दिर के पास होकर पानी की पाइप लाइन से राजीव नगर कच्ची बस्ती वालों ने अनधिकृत कनेक्शन कर पानी ले रखा है? यदि हां, तो अनधिकृत कनेक्शन को कब तक हटा दिया जायेगा?

(2) क्या सरकार इस कच्ची बस्ती वालों को अलग पाइप लाइन देकर अधिकृत रूप से कनेक्शन देकर सरकार को हो रही हानि से बचाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। अनधिकृत पानी के कनेक्शन्स को काटने के प्रयास किये गये थे लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के डर से कनेक्शन नहीं काटे जा सके हैं इस क्षेत्र में पानी की अन्य व्यवस्था करने के पश्चात ही फिर से कनेक्शन काटे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) इन कच्ची बस्तियों की उबड़-खाबड़ बसावट होने के कारण यहां पेयजल वितरण लाइनें डालना सम्भव नहीं है अतः इन अनधिकृत कनेक्शन्स को नियमित करना सम्भव नहीं है अतः इन बस्तियों में भूतल जलाशय का निर्माण कर उन पर सार्वजनिक नल लगाकर पेयजल वितरण करने हेतु 21.71 लाख की लागत की एक योजना स्वीकृत हुई है जिसका क्रियान्वयन वर्ष 1996-97 में प्रस्तावित है।

नागौर जिले की डार्क जोन पंचायत समितियां

61. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर की कौन-कौन सी पंचायत समितियां डार्क जोन में कब से घोषित की हुई हैं?

(2) क्या सरकार जिले में वर्षा की औसत को देखते हुए नागौर जिले की पचायत समितियों को डार्क जोन क्षेत्र से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नागौर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में डार्क जोन की स्थिति वर्ष 1988 से 1993 तक संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है।

(2) नागौर जिले की भू-जल उपलब्धि 1.1.95 की स्थिति का सर्वेक्षण कर प्रति-

(भू-जल मंत्री)

वेदन तैयार कर लिया गया है जिस पर राज्य स्तरीय आकलन समिति की टिप्पणी अपेक्षित है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

नाल परियोजना उप खण्ड झाड़ोल (उदयपुर) की स्वीकृति

62. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नाल परियोजना सिंचाई उपखण्ड झाड़ोल जिला उदयपुर में कब कितनी राशि की किस मद से स्वीकृत की गई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना स्वीकृत करने के क्या आधार हैं ? उक्त योजना पर कितनी मजदूरी का मुगतान किया गया ? उक्त योजना को पूर्ण कराने हेतु किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त कार्य के लिए निविदाएं आमन्त्रित की गई ? यदि हां, तो कब व किस पत्र-पत्रिका में ? यदि नहीं, तो क्यों ? आमन्त्रित निविदाओं की विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त कार्य के लिए निविदाएं किस-किस फर्म/व्यक्ति ने प्रस्तुत की तथा किस-किस के नाम से किस आधार पर स्वीकृत की गई ? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उक्त कार्य का ठेकेदारों को मुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि का ? मय बिल एवं प्राप्ति राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या सरकार बिना निविदाएं आमंत्रित किये स्वीकृत कार्य करने को अवैधानिक मानती है ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नाल लघु सिंचाई परियोजना हेतु सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 से विशिष्ट योजना एवं ए.ग्रा.वि.वि. जयपुर के पत्रांक एफ 2(25)वियो/5/92 दिनांक 3.2.93 द्वारा राशि रुपये 13.60 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई । इसके अलावा किसी मद में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) उक्त योजना तकनीकी व आर्थिक रूप से उपादेय पाये जाने पर विशिष्ट योजना संगठन द्वारा स्वीकृत की गई । इस योजना पर 5.77 लाख रुपये की मजदूरी का मुगतान किया गया एवं इसे पूर्ण करने पर डी.पी.ए.पी. मद में कुल व्यय 16.97 लाख रुपये का हुआ है ।

(3) जी हां । विवरण निम्न प्रकार से है :–

(सिंचाई मन्त्री)

निविदा सूचना संख्या व वर्ष	जारी करने का दिनांक	समाचार पत्रों का नाम, जिनमें प्रकाशन हुआ
1/93–94	3854/26.4.92	दैनिक राजस्थान पत्रिका, उदयपुर/उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर/दैनिक पुकार, उदयपुर/साप्ताहिक हमारा हिन्दुस्तान/दैनिक जीना मरना, विधि का विधान, उदयपुर/पाक्षिक रंग छवि जयपुर/साप्ताहिक अमृत टाइम्स जयपुर।
6/93–94	7843/10.10.93	दैनिक राजस्थान पत्रिका, उदयपुर/दैनिक प्रातःकाल उदयपुर/दैनिक जय राजस्थान उदयपुर/साप्ताहिक आश्वासन, उदयपुर/साप्ताहिक पुकार उदयपुर/साप्ताहिक जन मंगल, उदयपुर/दैनिक कुक उदयपुर।

आमंत्रित निविदा की छाया प्रति संलग्न है (परिशिष्ट "ख" एवं ग")

(4) कार्य से सम्बन्धित आमंत्रित एवं स्वीकृत निविदाओं से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। न्यूनतम रेट की निविदाएं स्वीकृत की गई।

(5) जी हां। विवरण संलग्न है। परिशिष्ट "झ" बिलों की प्रतियां (परिशिष्ट 1 से 3 संलग्न है)

(6) जी हां।

किन्तु नियमों में अत्यावश्यक स्थिति में बिना निविदा आमन्त्रित किये बी. एस. आर. रेट पर निश्चित सीमा तक विभिन्न अधिकारियों को कार्यादेश देकर कार्य करवाने की शक्तियां प्रदत्त है। जब कार्य नियमों के प्रावधानुसार किया गया है तो किसी को दोषी ठहराना एवं दण्डित करने करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई विशेष मामला ध्यान में लाया जाता है तो दिखवा लिया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सवाईमाधोपुर में तालाब/एनीकट्स का निर्माण

63. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1995-96 में तालाब एवं एनीकट बनाने की सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई एवं कितने काम सरकार द्वारा चलाये गये? कितने काम पूर्ण हुए एवं कितने अधूरे रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(2) पांचना बांध जो टूट गया है उसको बनाये जाने का सरकार कब तक विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार नदियों पर एनीकट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो गम्भीरी नदी पर कब तक एनीकट बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1995-96 में सिंचाई विभाग द्वारा 5 लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव बनाए गये जो निम्न प्रकार है :–

1. डोरियां का ताल
2. आकोदिया
3. मरोना
4. राहिल बनिजरा
5. खेड़ा

उक्त सिंचाई परियोजनाओं में डोरियां का ताल सिंचाई परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद कार्य शुरू करा दिया है एवं प्रगति पर है। जबकि अन्य 4 परियोजनाओं का तखमीना बना लिया गया है एवं स्वीकृति के लिए कार्यवाही जारी है।

गांवाई तालाब या एनीकट बनाने की कोई भी योजना सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है क्योंकि सिंचाई विभाग सिर्फ उन तालाबों को बनाता है जिनकी सिंचाई क्षमता 50 एकड़ से ज्यादा हो एवं निर्धारित लाभ लागत अनुपात में आते हों।

इसके अलावा वर्ष 1994-95 में स्वीकृत निम्न तीन लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है :–

1. अटेवा
2. क्यारदा
3. नाजिम वाला

(2) यह सही नहीं है कि पांचना बांध टूट गया है बल्कि पांचना बांध की वेस्ट-वीयर के ऊपर बनाया 'कोफर डेम' 1995 की बाढ़ में टूट गया था जिसको ठीक कर दिया है।

(3) सिंचाई विभाग द्वारा नदियों पर एनीकट बनाने का कोई विचार नहीं है।

माही कैनाल पर सुआवा एवं डागर माइनर का निर्माण

64. **श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार माही कैनाल की जगपुरा डिस्ट्रीब्युटरी पर सुआवा माइनर व डागर माइनर कब तक तैयार करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नरवाली वितरिका के दो बार टैण्डर आमन्त्रित किए गए लेकिन अधिकारियों ने जानबूझकर टैण्डर नहीं कराये ? यदि हां, तो क्या सरकार अगले वर्ष इसको पूरा करने का विचार रखती है ?

(3) नरवाली वितरिका के कृषकों को सरकार कब तक मुआवजा देने का विचार रखती है ? मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) माही परियोजना की जगपुरा कैनाल से निकलने वाली सुआवा एवं डागर माइनरों का निर्माण कार्य वर्ष 96-97 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। नरवाली वितरिका के निर्माण हेतु निविदाएं प्राप्त करने की तिथि दो बार 11/95 एवं 1/96 की निर्धारित की गई परन्तु ठेकेदारों ने निविदाएं नहीं डाली। अधिकारियों द्वारा जानबूझकर टैण्डर न करवाया जाना सही नहीं है। आगामी वर्ष में इसे पूरा करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) निर्माण कार्य आरम्भ करवाने से पूर्व मुआवजा दिया जावेगा। अभी निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है एवं मुआवजे दिए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

खैरवाड़ा में नये बांधों का सर्वे

65. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में दो नये बांध बनवाने के लिये सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्थान हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

(2) सरकार उक्त तहसील क्षेत्र में बांध निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। ये दो स्थान क्रमशः ढीकवास एवं झांझरी गांव के पास स्थित हैं एवं इनके लिए "दो नदी' 'व "झांझरी" नामक लघु सिंचाई योजनाएं तैयार की गई हैं। दोनों परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

(2) तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता, सवाई माधोपुर द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय

66. श्री हीरालाल मीणा(बामनवास): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अधिशासी अभियन्ता खण्ड सवाई माधोपुर को गत तीन वर्षों में किन-किन विभागों से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए प्राप्त हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य किन-किन एजेन्सियों द्वारा कराये गये? कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर खर्च की गई है। भुगतानशुदा मस्टररोल एवं ठेकेदारों को किये गये भुगतान के वाउचरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने अपूर्ण हैं?

(4) उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में नहरों की सील्ड एवं मरम्मत पर खर्च की गई? मस्टररोल व वाउचरों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल मीणा)

(5) क्या यह सही है कि नागलाव बन्ध बोली की नहर मरम्मत का 35,000 रुपयों का ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त नहर की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई ? भुगतानशुदा वाउचरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता, खण्ड सवाई माधोपुर को गत तीन वर्षों में अन्य विभागों से विभिन्न कार्यों पर जो राशि प्राप्त हुई की सूची **परिशिष्ट "अ"** में अंकित है।

(2) उक्त कार्य श्रम मद में विभागीय स्तर से तथा सामग्री मद में आपूर्ति का कार्य ठेकेदारों आदि के माध्यम से कराये गये इन कार्यों पर खर्च की गई राशि का विवरण **परिशिष्ट "अ"** में अंकित है। कार्यों की संख्या अधिक होने के कारण सारी सूचना उपलब्ध कराना श्रम साध्य नहीं है यदि किसी कार्य विशेष के भुगतान शुदा वाउचर आदि की प्रति माननीय सदस्य को चाहिए तो उपलब्ध करा दी जायेगी।

(3) योजनावार स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण व अपूर्ण कार्यों का विवरण **परिशिष्ट "अ"** में अंकित है।

(4) उक्त वर्षों में जितनी जितनी राशि जिस जिस वर्ष में नहरों की सिल्ट व मरम्मत पर खर्च की गई उसका विवरण **परिशिष्ट "ब"** में अंकित है। क्योंकि संख्या अधिक होने के कारण सारी सूचना उपलब्ध कराना श्रम साध्य नहीं है यदि किसी कार्य विशेष के मस्टररोल वाउचरों आदि की प्रति माननीय सदस्य महोदय को चाहिए तो उपलब्ध करा दी जायगी।

(5) जी हां, नागलाव बांध (बौंली) की नहर के मरम्मत का कार्य वर्ष 95-96 में 35120/– रुपये का 18.50 प्रतिशत अधिक दर पर कुल राशि 41614/– रुपये का ठेकेदार को आवंटित किया गया था। जिसके विरुद्ध ठेकेदार को 41000/– रु. कार्य का भुगतान किया गया। वाउचर की प्रति **परिशिष्ट "स"** में संलग्न है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माही परियोजना, बांसवाड़ा के अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

67. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1995-96 में माही परियोजना बांसवाड़ा के कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों के स्थानान्तरण अन्यत्र किये गये, यदि हां, तो किन-किन के ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थान से हटाये गये उपरोक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण पुनः निरस्त/संशोधित किये गये ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के कब-कब तथा किस-किस आधार पर स्थानान्तरण करने तथा पुनः पदस्थापित करने के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995-96 में माही परियोजना के जिन अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों के स्थानान्तरण अन्यत्र किये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारियों/कनिष्ठ अभियन्ताओं में से किसी का भी स्थानान्तरण निरस्त/संशोधित नहीं किया गया है वरन् जिस अधिकारियों/कनिष्ठ अभियन्ताओं का इस परियोजनाओं में वर्ष 1995-96 में पुनः स्थानान्तरण किया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम कुहाड़ा (जयपुर) एवं कोटपूतली में बांध निर्माण

68. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले में कितने बांध, एनीकट एवं नहरें सिंचाई हेतु इस वर्ष बनाये जाने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कलां के कुहाड़ा ग्राम में कोई बांध बनाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली कृषि सिंचाई हेतु कितने बांध, एनीकट एवं नहरें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत छः बांधों व नहरों का कार्य प्रगति पर हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं एवं एनीकट का कार्य नहीं कराया गया हैं।

(2) जी, नहीं। क्योंकि कुहाड़ा परियोजना नीमकाथाना तहसील जिला सीकर में निर्माणाधीन फतेहपुरा बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में आती हैं। इसलिए इस परियोजना को लिया जाना सम्भव नहीं हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कृषि सिंचाई हेतु पांच बांध हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दूदू में तालाब तथा नहरों की खुदाई

69. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र दूदू में गत 3 वर्षों में कितने तालाब, बांध एवं नहर की खुदाई एवं मरम्मत की गई एवं इन पर कितनी राशि व्यय की गई? कौन कौन से कार्य पूर्ण हुए एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण रहे? कार्य अपूर्ण रहने के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र दूदू में गत 3 वर्षों में बांधों एवं नहरों की खुदाई,

(सिंचाई मंत्री)

मरम्मत एवं रख-रखाव पर वर्षवार कार्य-वार विवरण निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	कार्यों की संख्या बांध	नहर	योग	व्यय की गई धनराशि
93-94	3	2	5	519876.00
94-95	4	16	20	2353475.00
95-96	1	14	15	2295987.00

पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का वर्षवार विवरण संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर की अकाल प्रभावित पंचायत समितियों में सिंचाई सुविधा

70. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लूणकरणसर की महाद्रेव वाली, अजीतमाना, राजासर भाटियान, केला, मकडासर, सोठवाली, खियेरा, खोखराना, धीरेरा; ग्राम पंचायतों के गांव आमतौर पर अकाल प्रभावित रहते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन गांवों के निवासियों का जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये इन क्षेत्रों को इन्दिरा गांधी नहर से सिंचाई सुविधा प्रदान करने में ही सम्भव है ? यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों के लिये इन्दिरा गांधी नहर आर. डी. 507 हैड के बायें किनारे से 45 मीटर की लिफ्ट योजना बनाकर क्रियान्वित करने से इनको सिंचाई प्रदान की जा सकती है ?

(3) क्या सरकार इस योजना को मूर्त रूप देने हेतु इन क्षेत्रों का सर्वे कराकर नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस योजना के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) अकाल के समय प्रश्न में वर्णित गांव असिंचित क्षेत्र में अन्य गांवों की तरह प्रभावित होते हैं।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर स्वीकृत नहरों में इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 507 पर कोई लिफ्ट नहर प्रस्तावित नहीं है। परियोजना पर उपलब्ध जल मात्र सीमित है एवं इसकी तुलना में सिंचित योग्य क्षेत्र अधिक है। अतः नई लिफ्ट योजनाओं को सम्मिलित करने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी नहीं।

गडरा रोड शाखा के समानान्तरित निर्मित सड़क

71. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि गडरा रोड शाखा के समानान्तर बनने वाली सड़क में घटिया सामग्री व टैण्डरों में हेराफेरी के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो इस जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(56)

उत्तर

जी नहीं। किसी अधिकारी के दोषी पाये जाने व उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बांसवाड़ा में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को वेतन भत्तों की अदायगी

72. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में पंचायत समितियों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को काफी लम्बी अवधि के पश्चात् भी न्यूनतम वेतन एवं भत्ते नहीं दिये जा रहे है ? यदि हां, तो कितनी अध्यापिकाओं को और कब-कब से ?

(2) सरकार अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को अब कब तक न्यूनतम वेतन एवं भत्ते उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों में कार्यरत समस्त अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को नियमानुसार न्यूनतम वेतन एवं भत्ते दिये जा रहे हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा 15.7.88 से सभी अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को तृतीय श्रेणी अध्यापिकाओं के पद का न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है।

फलासिया (उदयपुर) में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

73. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में कौन सा ग्राम सम्मिलित किया गया तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय से कितना कि.मी. दूरी पर है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सम्मिलित किये गये गांव का नाम तथा पंचायत मुख्यालय से दूरी सहित विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकारियों की गलत नीति से ग्रामों को पास की ग्राम पंचायत में सम्मिलित नहीं कर दूर की ग्राम पंचायय में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस गांव को पास की ग्राम पंचायत मुख्यालय में सम्मिलित नहीं कर दूर की ग्राम पंचायत में किस आधार पर सम्मिलित किया गया ?

(3) क्या सरकार जनता की कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुये जिन ग्रामों को दूर की ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया गया है उनको पास की ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम को किस-किस ग्राम पंचायत में कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायतों एवं उनमें

(राज्य मंत्री पंचायती राज)

सम्मिलित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं। ग्राम पंचायतों के ग्रामों की दूरी राज्य सरकार के निर्धारित माप दण्डों के अनुसार ही है।

(2) जी, नहीं। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालयों पर आपत्तियों की सुनवाई कर किया गया था।

(3) जी, नहीं। पुनर्गठित पंचायतों के चुनाव वर्ष 1995 में कराये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में पुनः ग्राम पंचायतों का पुर्नसीमांकन कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

सीकर जिले के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय

74. **श्री बनवारी लाल भिन्डा** (फतेहपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1 95 से फरवरी, 1996 के दौरान सीकर जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां खोले गये ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1995-96 में फरवरी, 1996 तक सीकर जिले में 19 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये, जिनका विवरण निम्न है :-

विधान सभा क्षेत्र	नाम पं. स.	गांव का नाम जहां प्रा. विद्यालय खोला
1	2	3
धोद	धोद	1. कायलाबालाजी ग्राम मडकासली
		2. हरिजन बस्ती पलथाना
		3. नाडी ब्राह्मणन-तन माण्डेता
दांता-रामगढ़	दांता	4. धालासरी (नाड)
	रामगढ़	5. खोखरी की ढाणीतन गोगावास
लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	6. कसवाली(कन्या)
		7. कोकाकी ढाणी तन धानवी
		8. पूनवी (कन्या)
		9. खातीपुरा (कन्या)
		10. श्रोलागढ़
—	पिपराली	11. हिल्लाया वाली ढाणी में रामनगर रालाना जोडा ग्रा. पं. शिश्यू
		12. बालचेजारा की ढाणी
फतेहपुर	फतेहपुर	13. तिहावली (कन्या)
		14. ढाणी खजूरावाली टटेरा
		15. महावा (कन्या)
खण्डेला	श्रीमाधोपुर	16. पिरावाली(ढाणी)
		17. खटून्दरा

(राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

1	2	3
श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	18. हाथोरा ग्रा. पं. मोदपाडी (कन्या)
		19. बिन्जावाला जोहड़ा

पंचायत समिति लाडनूं के पूर्व अधिकारी के विरुद्ध जांच

75. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं के पूर्व अधिकारी के विरुद्ध फर्नीचर खरीद के मामलों में करीब एक लाख रुपये के घोटाले की जांच में आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध राज्य अन्वेषण ब्यूरो में भी मामले चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी अभी भी इसी पद पर इसी जिले की अन्य पंचायत समिति में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या इसे निलम्बित करने या पैतृक विभाग में भेजने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । श्री कृष्णदत्त शर्मा पूर्व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही, प्रकरण की आवश्यक पूर्ति पश्चात प्रारम्भ की जायेगी ।

(2) जी, हां । श्री कृष्णदत्त शर्मा, पूर्व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं के विरुद्ध राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, नागौर के यहां मुकदमा नम्बर 59/95 व 1/96 अन्वेषणाधीन है ।

(3) जी, हां । उक्त अधिकारी नागौर जिले की पंचायत समिति, डेगाना में कार्यरत हैं ।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अध्यापकों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति

76. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में जून, 1995 से अब तक अध्यापकों के कितने स्थानान्तरण आदेश, प्रतिनियुक्ति आदेश कब-कब हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास में प्रतिनियुक्ति के तहत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये ? प्रतिनियुक्ति का मापदण्ड क्या है ? क्या एकल अध्यापक को विद्यालय से हटाकर दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति है ? क्या जिस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति की गई वहां पूर्व में अध्यापकों का अभाव था ? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति की सूची मय अध्यापक व विद्यालय के नाम सहित व जहां से प्रति-

(श्री हीरालाल)

नियुक्ति दी गई है के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति किये गये अध्यापकों को पुनः प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी कर उन्हें पुनः पदस्थापित किये गये ? यदि हां, तो मय प्रतिनियुक्ति आदेशों के सूची नाम विद्यालय व अध्यापकों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचायत समिति बामनवास के विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची मय कार्यरत स्थान सदन की मेज पर रखें ? क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण प्राथमिक विद्यालय में किया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थाई पद होता है ? यदि हां, तो पंचायत समिति बामनवास के कितने विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण प्राथमिक विद्यालय में किस नियम के तहत किया गया है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में माह जून से अब तक 36 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये है, व 45 अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति समायोजन किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां, एकल अध्यापक विद्यालय में जहां अध्यापकों या छात्र अनुपात में अभाव था वहां दूसरा अध्यापक प्रतिनियुक्त किया गया। कमी वाले प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक की प्रतिनियुक्ति की जाती है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, नहीं।

(4) पंचायत समिति, बामनवास के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक पद रिक्त है, जिस पद पर श्री गिर्राज प्रसाद सैन कार्यरत हैं। श्री सैन का स्थानान्तरण प्राथमिक विद्यालय बाबड़ में किया गया था, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निरस्त किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर की पंचायतों में सचिवों की नियुक्ति

77. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद् भरतपुर ने भरतपुर जिले के समस्त विकास अधिकारियों को अपने पत्रांक डी. ई. सी. 3191–3200 दिनांक 26–12–1995 द्वारा ग्राम पंचायतों में एक पंचायत पर एक सचिव लगाने हेतु जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी अथवा जिला–परिषद् भरतपुर को इस प्रकार के आदेश जारी किए जाने के

(श्री हरिसिंह)

अधिकार हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या जिला–परिषद् द्वारा पंचायत समितियों को अपने पंचायत क्षेत्र में पंचायतों में सचिव लगाने के प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार हैं ? यदि नहीं, तो उक्त आदेश दिनांक 26–12–1995 को खण्डित करने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भरतपुर द्वारा पत्रांक 3191–3200 दिनांक 26–12–1995 प्रमुख महोदया, जिला परिषद् भरतपुर के लिखित आदेश की अनुपालना में जारी किया गया ।

(2) जिला परिषद् इस प्रकार का आदेश जारी करने के लिये नियमानुसार सक्षम नहीं हैं । फलस्वरूप जिला परिषद्, भरतपुर द्वारा जारी उक्त वर्णित पत्रांक 3191–3200 दिनांक 26–12–1995 प्रारम्भतः शून्य प्रभावी (Ab–innitio–Void) है ।

(3) जिला परिषद् भरतपुर का उक्त वर्णित आदेश प्रारम्भतः शून्य प्रभावी होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं ।

पंचायत समिति इटावा (कोटा) के हैण्डपम्प

78. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैण्डपम्पों को बिना अभियान के ठीक करने का काम पंचायत समिति का है ?

(2) यदि हां, तो पंचायत समिति इटावा जिला कोटा में गत 3 वर्षों में हैण्डपम्पों को ठीक करवाने हेतु कितना-कितना सामान किस-किस प्रकार का व कितनी राशि का विभाग से प्रति वर्ष प्राप्त हुआ ?

(3) प्रति वर्ष मिलने वाले सामान व राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अभियान के अतिरिक्त शेष अवधि में छोटी खराबियों की मरम्मत का कार्य पंचायत समिति द्वारा किया जाता है ।

(2) पंचायत समिति इटावा जिला कोटा में वर्ष 1993–94 में राशि रुपये 11,345,00, वर्ष 1994–95 में राशि रुपये 33,645.00, वर्ष 1995-96 में राशि रुपये 39,000.00 का सामान हैण्डपम्पों को ठीक करवाने हेतु प्राप्त हुआ । सामान की मात्रा एवं प्रकार की वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(3) वर्ष 1993–94 में राशि रुपये 56,275.00, वर्ष 1994–95 में राशि रुपये 1,48,364.00 वर्ष 1995–96 में राशि रुपये 1,56,497.00 प्राप्त हुए । वर्षवार मिस्त्रियों की मजदूरी पर तथा स्पेयर पार्ट्स पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है । वर्षवार

(राज्य मंत्री पंचायती राज)

किस-किस प्रकार का सामान कितना-कितना उपयोग में लिया गया उसके विवरण की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से क्षति

79. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1993 से 1995 के दौरान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने से कितनी जान-माल की हानि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से दुर्घटनाग्रस्त होने से उनमें मरने वाले यात्रियों अथवा उनसे कुचले जाने या टकरा जाने के कारण मरने वाले या स्थायी रूप से विकलांग होने वाले व्यक्तियों पर उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि के मुआवजे का चुकारा निगम द्वारा किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–अ)

(2) उक्त वर्ष में दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे के रूप में निगम द्वारा निम्न राशि का भुगतान किया गया है :—

वर्ष	राशि (लाखों में)
1993	466 89
1994	533.40
1995	786.35

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

बिना मीटर के आॅटो रिक्शा का संचालन

80. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में आॅटो रिक्शा मीटर से संचालित नहीं होने से उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों का आर्थिक शोषण हो रहा है।

(2) जयपुर शहर में वर्ष 1994-95 में आॅटो रिक्शा मीटर से संचालित नहीं होने के कारण कितने आॅटो चालकों का चालान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर शहर मे आॅटो रिक्शा मीटर से संचालित हो, इस संबंध में समय-समय पर आदेश प्रसारित करती रही है फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार अब क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आॅटो रिक्शा मीटर के अनुसार ही चलें, इस हेतु विभाग सतत् प्रयास-रत है।

(2) परिवहन विभाग द्वारा 412 आॅटो

(राज्य मंत्री यातायात)

रिक्शा चालकों के विरुद्ध चालान बनाये जाकर उनसे 4.97 लाख रुपये की प्रशमन राशि वसूल की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 2091 आॅटो रिक्शा चालकों के चालान बनाये गये।

(3) रेलवे स्टेशन व सिंधी कैम्प, जयपुर से विभिन्न स्थानों के लिए पूर्व भाड़ा पद्धति लागू की है, जिसके लाभप्रद परिणाम सामने आये हैं।

तहसील कोटडा, झाड़ोल, गोगुन्दा (उदयपुर) के राष्ट्रीयकृत मार्ग

81. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा जिला उदयपुर के किस-किस मार्ग को कब-कब राष्ट्रीयकृत किया गया तथा प्रत्येक मार्ग पर वर्तमान में कितनी-कितनी बसें निगम द्वारा संचालित की जा रही है? प्रत्येक मार्ग पर संचालित बसों का समय सारणी सहित पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तहसील के गांवों की जनता से नई बसें संचालित करने हेतु ज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त हुए? यदि हां, तो किस-किस गांव हेतु? क्या सरकार द्वारा इन पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उन गांवों को भी बस सेवा से जोड़ना चाहती है जिन गांवों से 10-15 कि.मी दूरी पर बस ठहर जाती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा जिला उदयपुर के निम्न मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं जिनके राष्ट्रीयकरण की तिथि प्रत्येक के सामने अंकित है :–

क्र.सं	मार्ग का नाम	राष्ट्रीयकरण की तिथि
1.	उदयपुर–कोटड़ा वाया झाड़ोल–सोम	1.12.83
2.	उदयपुर से रणकपुर वाया ईसवाल–गोगुन्दा–सायरा	11.8.76

निगम द्वारा वर्तमान में इन मार्गों पर निम्नानुसार बस सेवाएं संचालित की जा रही है :–

1.	उदयपुर से कोटड़ा वाया झाड़ोल–फलासिया–सोम	= 26 एकल परिचक्र दैनिक
2.	उदयपुर–गोगुन्दा	= 14 एकल परिचक्र दैनिक
3.	उदयपुर–गोगुन्दा–कोटड़ा	= 18 एकल परिचक्र दैनिक
4.	उदयपुर से गोगुन्दा होकर जालौर, रणकपुर, मा.आबू, सिरोही, नाकोड़ा, अम्बाजी फालना, जोधपुर आदि स्थानों के लिए	= 22 रिटर्न परिचक्र

समय सारणी संलग्न है।

(राज्य मंत्री यातायात)

(2) जी, हां। स्थानीय जनता एवं जन प्रतिनिधियों से निम्न स्थानों के लिए मांग प्राप्त हुई है :—

क्र.सं.	मार्ग का नाम	मांग की दिनांक
1.	गोगुन्दा से रेवालिया	19.7.95
2.	कोटड़ा से खेडब्रह्मा	17.4.94
3.	सोम से खैरवाड़ा	8.6.94
4.	सोम से विजयनगर	20.4.94
5.	कोटड़ा से मामेर	8.6.95
6.	झाड़ोल से ओगना	30.8.95
7.	गोगुन्दा से ओगना	30.8.95
8.	उदयपुर से अहमदाबाद वाया झाड़ोल–सोम कोटड़ा	19.8.95

इन मार्गों के अनुज्ञापत्र लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, और मार्गों का सर्वेक्षण आदि करवाया जा रहा है। सोम से विजयनगर, कोटड़ा से खेडब्रह्मा तथा उदयपुर से अहमदाबाद वाया झाड़ोल, सोम-कोटड़ा अन्तरराज्यीय मार्ग हैं, जिन पर गुजरात राज्य के साथ आपसी करार होने पर वाहन संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी, हां। निम्न ग्रामों को बस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है:– सेमटल, बूच, रावलियां, गढ़ी, कम्बा, जोटासन, माडाकला, इन्द्राकॉलोनी, मामेर, खैडवा, बोरड़ी, दरिया, बरतोल, कातरवास, कानपुर, मोहीबाड़ा, बावंलवाड़ा, सुलाई, मानदा, गोदावरी, गारनवास, खोकरा, कन्थारिया, राजपुरा, टोटारणा, विजयनगर, गढ़ी, कम्बा जोटासन, टोडी, मातासरा, माडी, बोरा, चिकला, इन्द्राकॉलोनी, बदराना, मोह, कमालियां, वाटा, धारा, मोमणी, झटिया-खेड़ी, नाल, मोरवन, पड़ावली, मातासुला, वीरपुरा, गारियावास, समोदा, अटारियां।

(समय-सारणी के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जयपुर में संचालित टेम्पुओं से प्रदूषण

82. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की नगर सीमा में संचालित टेम्पों (थ्री व्हीलर) के संचालन के लिए पूर्व में एक निश्चित अवधि के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब तक के लिये और उस अवधि में किन-किन कारणों से समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में टेम्पों से यात्रा करने वाली सवारियों के लिये प्रति टेम्पों संख्या निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की नगर सीमा में वर्तमान में संचालित टेम्पों में निर्धारित सीमा से कहीं अधिक मात्रा में सवारियों को लाने ले जाने के कारण जहां एक ओर सर्वाधिक वायु प्रदूषित

(६५)

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को अकारण मौत का शिकार भी होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1994 एवं 1995 में प्रदूषण नियंत्रण कानून के नियमों एवं निर्धारित संख्या से अधिक मात्रा में सवारियां लाने ले जाने के सम्बन्ध में कितने टेम्पों चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा दण्ड के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(4) क्या सरकार शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण एवं इनसे होने वाली दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए इनके नगर सीमा में संचालन के सम्बन्ध में रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में नगरीय सीमा में टेम्पों के संचालन को शनैः शनैः कम करने की दृष्टि से राज्य सरकार के निर्णयानुसार सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने अपने प्रस्ताव दि. 30.9.83 से टेम्पों के नये अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं करने एवं निर्धारित स्कोप (260 टेम्पों) के खाली स्थान होने पर उनकी पूर्ति नहीं करने और शनैः शनैः स्कोप को करने का निर्णय लिया परन्तु राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्राधिकार के निर्णय दिनांक 30.9.83 के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत हुई जिन पर विद्वान सदस्य, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दो निर्णय दिनांक 11.8.87 को पारित करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि संविदा अनुज्ञापत्रों के मामले में यात्री वाहन अनुज्ञापत्रों की प्रक्रिया अनुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47(3) के अन्तर्गत स्कोप अधिमान्य नहीं है। केवल उक्त अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसरण में अतिरिक्त वाहनों की जनहित में आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। ये भी निर्देश दिये कि संविदा अनुज्ञापत्र राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं अपितु मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाना अथवा अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने अपने प्रस्ताव दिनांक 18.1.88 में जयपुर शहर के चहुंमुखी विकास एवं इसमें आबादी में निरन्तर वृद्धि एवं भिन्न-भिन्न नई कालोनियों के निर्माण के मद्देनजर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अन्तर्गत जयपुर शहर टेम्पों वाहनों के अतिरिक्त संचालन की आवश्यकता समझते हुए संविदा वाहनों के अनुज्ञापत्रों का स्कोप 254 से बढ़ाया जाकर 504 निर्धारित किया।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 जो दिनांक 1.7.89 से प्रभाव में आया, के अन्तर्गत स्कोप के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया गया और इस नये अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार के भी अनुज्ञापत्र अस्वीकृत करने पर एक प्रकार से मनाही कर दी गई है परन्तु जयपुर नगरीय क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या के मद्देनजर राज्य सरकार ने दिनांक 31.10.92 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकार एवं प्रादेशिक परिवहन

(राज्य मंत्री यातायात)

प्राधिकार, जयपुर को जयपुर शहर में 3 पहिया संविदा वाहनों (ऑटो रिक्शा व ऑटो तांगा को छोड़कर) की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से नये अनुज्ञापत्रों को स्वीकृत करने और पुराने अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण पर रोक लगा दी परन्तु पूर्व में जारी अनुज्ञापत्रों को उनकी वैधता की अवधि तक संचालित करने की छूट दी। वर्तमान में टेम्पुओं के संविदा अनुज्ञापत्र ना तो जारी किये जा रहे हैं और ना ही उनका नवीनीकरण किया जा रहा है।

(2) जी, हां। अधिसूचना दिनांक 26.7.93 से प्रति टेम्पो यात्रा करने वाली सवारियों की संख्या 8 निर्धारित की हुई है। इस अधिसूचना के अन्तर्गत टेम्पुओं की बैठक क्षमता 8 में परिवर्तन कराने के लिए दो वर्ष का समय निर्धारित किया गया था, जो दिनांक 25.7.95 को समाप्त हो गया है।

(3) जी, हां। यह सही है कि जयपुर शहर की नगरीय सीमा में संचालित टेम्पोज द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक सवारियां ले जाने के कारण सर्वाधिक वायु प्रदूषण के साथ समग्र रूप से शहरी वातावरण प्रदूषित हो रहा है जो आम जनता के लिए हानिकारण सिद्ध हो रहा है। प्रदूषण नियन्त्रण कानून के अन्तर्गत कार्यवाही इस विभाग द्वारा सम्पादित नहीं की जाती है। मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत टेम्पोज के विरुद्ध प्रदूषण एवं निर्धारित मात्रा से अधिक सवारियां ले जाने के विरुद्ध की गई कार्यवाही एवं दण्ड की प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	चालान की किस्म	वर्ष 1994		वर्ष 1995	
		बनाये गये चालान	वसूल शुदा प्रशमन राशि	बनाये गये चालान	वसूल शुदा प्रशमन राशि
1.	प्रदूषण सम्बन्धी	109	50,000/-	368	1,85,000
2.	ओवर लोड	1316	2,17,000/-	720	3,27,000

(4) राज्य सरकार सिद्धान्ततः यह तय कर चुकी है कि वैकल्पिक शहरी परिवहन सुविधा उपलब्ध होने पर टेम्पोज/विक्रम को मंजली वाहन के परमिट भी भविष्य में नहीं दिये जायें।

निगम बसों में विधायक सीट

83. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज की कई साधारण और द्रुतगामी बसों में नियत विधायक सीट अन्य यात्रियों की सीटों से भी खराब हालत की हैं ?

(2) क्या इस सीट पर बैठने से

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

विधायक के घुटने सामने वाली चद्दर की दीवार से सटे रहते हैं ? सीट और दीवार के बीच आधा पौन फीट का फासला नहीं होता ?

(3) क्या सरकार विधायक को आरामदायक सीट उपलब्ध कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1992 में लूट-पाट की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा कारणों से चालक केबिन को बस की पूरी चौड़ाई में जाली लगाकर पार्टिशन कर दिया गया था। इस कारण फासला कम अवश्य हो गया था। वर्ष 1994 से विधायक सीट के समक्ष [अब कोई चद्दर] का पार्टिशन नहीं रखा गया है तथा सीट के सामने 20 "का लेग स्पेस है जो कि सुविधाजनक है।

(3) जी, हां।

अग्रवाल फार्म, जयपुर से विभिन्न मार्गों पर बसों का संचालन

84. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जयपुर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर में अग्रवाल फार्म से जयपुर से दिल्ली डीलक्स, सेमी डीलक्स एक्सप्रेस एवं अन्य श्रेणी की बसों का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से कितने-कितने बजे ? समय सारणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा आदि स्थानों की विभिन्न श्रेणी की बसों का संचालन उक्त कॉलोनी से करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से, किस-किस श्रेणी की बसों का यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। मानसरोवर से देहली के लिए वर्तमान में एक सुविधा वाहन सेवा का संचालन किया जा रहा है, जो मानसरोवर से 22.30 बजे प्रस्थान लेकर 23.00 बजे सिन्धी कैम्प आती है और सिन्धी कैम्प से 23.15 बजे देहली के लिए प्रस्थान लेती है। उक्त सुविधा वाहन सेवा का संचालन प्रायोगिक तौर पर दिनांक 1.12.95 से किया गया है। वापिसी में उक्त सेवा देहली से 22.00 बजे प्रस्थान लेकर सिन्धी कैम्प 3.30 बजे आती है तथा यात्री होने पर वाहन यात्रियों को छोड़ने मानसरोवर जाती है।

(2) जी, हां। वर्तमान में उदयपुर, जोधपुर, कोटा एवं ग्वालियर के लिए भी इस कॉलोनी से ऐसी सुविधा दि. 1.1.96 से उपलब्ध कराई गई है। एक बस 21.00 बजे से मानसरोवर पहुंचकर यात्रियों को लेकर 21.30 बजे सिन्धी कैम्प के लिए प्रस्थान लेती है तथा 22.00 बजे सिन्धी कैम्प पहुंचती है और उदयपुर, जोधपुर, कोटा एवं ग्वालियर 22.30 बजे जाने वाली बसों से उक्त यात्री यात्रा करते हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आय

85. **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत चार महीनों से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में जा रहा है ? गत दो वर्षों में निगम ने कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया ? वर्ष 1995-96 में घटकर शुद्ध लाभ कितना रह गया है ?

(2) राजस्थान पथ परिवहन निगम के राजस्थान एवं राजस्थान से बाहर कितने आगार हैं ? क्या आगार मुख्य प्रबन्धक पद पर पद स्थापित किये जाने बाबत योग्यता या वेतन शृंखला सम्बन्धी कुछ नियम या मापदण्ड तय है ? यदि हां, तो क्या माप दण्ड हैं ? वर्तमान में पद स्थापित आगार प्रबन्धकों की सूची मय उनके पद के सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा प्रतिवर्ष बस चेसिसों की खरीद की जाती है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने बस चेसिस निगम द्वारा क्रय किये गये ? टाटा एवं लीलेण्ड कम्पनी से क्रमशः कितने-कितने चेसिस खरीदे ?

(4) क्या यह सही है कि बसों की बाडी निर्माण हेतु सतलज बाडी बिल्डर्स को एडवांस दिया गया है ? यदि, हां, तो कब एवं कितना ? क्या एडवांस दिये जाने के बाद भी सतलज बाडी बिल्डर्स को बस चेसिस नहीं देकर अन्य बाडी बिल्डर्स को बस चेसिस भेजे हैं ? यदि हां, तो किस-किस को कितने-कितने बस चेसिस भेजे गये ?

(5) क्या यह सही है कि श्री राकेश पाण्डे (2) श्री रामनारायण सिंह चौधरी (3) श्री एस. के. मंगा (4) श्री इन्दर सिंह के खिलाफ गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पूर्व निगम अध्यक्ष एम. डी. कोरानी के समय गम्भीर दण्ड दिये गये थे, जिनको उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में सही माना था ? एम डी. कोरानी के समय उक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय तथा हाई कोर्ट के फैसले की प्रति तथा वर्तमान संचालक मण्डल द्वारा उक्त अधिकारियों की सेवायें नियमित किये जाने बाबत लिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत चार माह में स्थिति इस प्रकार रही है :–

माह	लाभ/हानि लाखों में ।
अक्टूबर, 95	+5.89
नवम्बर, 95	+10.18
दिसम्बर, 95	(–)118.57
जनवरी, 96	–28.54

वित्तीय वर्ष 93-94 एवं 94-95 की अवधि में निम्नानुसार शुद्ध लाभ अर्जित किया है :–

वर्ष	राशि लाखों में ।
93-94	2293.08
94-95	2658.30

(अन ऑडिटेड)

वर्ष 95 96 के शुद्ध लाभ की स्थिति वर्ष समाप्ति पर ही उपलब्ध हो सकती है ।

(राज्य मन्त्री यातायात)

(2) परिवहन निगम के राजस्थान में जयपुर सी. बी. एस. आगार सहित 46 आगार स्थापित हैं। राजस्थान के बाहर कोई आगार स्थापित नहीं है।

निगम मण्डल द्वारा तय मापदण्ड के अनुसार किसी भी संवर्ग/वेतनमान के अधिकारी को मुख्य प्रबंधक के पद पर पदस्थापित किया जा सकता है। मापदण्ड सम्बन्धी आदेशों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

वर्तमान में पदस्थापित मुख्य प्रबंधकों की सूची मय उनके पद दर्शाते हुये सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट–2)

(3) जी, हां। गत तीन वर्ष यथा 92-93 से 94-95 की अवधि में 2382 चेसिस क्रय किये गये हैं। इन चेसिसों में टाटा व लीलेण्ड कम्पनी के क्रमशः 711 व 1671 चेसिस हैं।

(4) जी हां।

गत तीन वर्षों में फर्म को दिये गये अग्रिम राशि की सूचना संलग्न है(परिशिष्ट-3)

उक्त फर्म को एडवांस दिये जाने के बाद अन्य बॉडी बिल्डर्स को बस चेसिस जारी नहीं किये गये हैं।

(5) जी, नहीं, केवल श्री रामनारायण सिंह चौधरी भूतपूर्व संभाग प्रबंधक के विरूद्ध जांचों में तत्कालीन निगम अध्यक्ष श्री एम. डी. कोरानी द्वारा निर्णय पारित किये गये थे, जिनकी प्रतियां संलग्न है। अन्य के विरूद्ध कोई दण्डादेश श्री कोरानी द्वारा पारित नहीं किये गये हैं।

श्री रामनारायण सिंह चौधरी को तत्कालीन निगम अध्यक्ष श्री एम. डी. कोरानी द्वारा अपने आदेश दिनांक 7.7.92 द्वारा पदावनति का दण्ड दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका पर निर्णय करते हुये दिनांक 25.10.94 को पदावनति के स्थान पर प्रताड़ना का दण्ड दिया गया है। आदेशों की प्रतियाँ परिशिष्ट 4 एवं 5 पर क्रमशः संलग्न है।

श्री रामनारायण सिंह चौधरी के विरुद्ध पारित किये गये आदेशों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया हो, इसकी जानकारी निगम को नहीं है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जसोता विसनपुरा मार्ग पर बस सेवा का पुनः संचालन

86. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जसोता (दौसा) की घाटगेट (जयपुर) से वाया जसोता विशनपुरा मार्ग पर बस सेवा को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घाटगेट से उक्त बस को वाया सैंथल होते हुये विशनपुरा तक संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम की जनता

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

की मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त पंचायत तक पुनः बस सेवा को घाटगेट से वाया जसोता-विशनपुरा तक संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । उक्त सेवा का संचालन अलाभकारी रहने के कारण दि. 6.10.95 से बन्द कर दिया गया है ।

(2) जी, हां । इस सेवा को वाया सैंथल होकर अपेक्षित यात्रीभार उपलब्ध हो रहा है ।

(3) जी नहीं । वर्तमान में सरकार ऐसा विचार नहीं कर रही है ।

जयपुर से गंगापुर वाया लालसोट बस सेवा

87. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से गंगापुर वाया लालसोट मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन समयानुसार नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो निगम की कितनी बसें उक्त मार्ग पर प्रतिदिन आती और जाती है । समय सारणी सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये समय सारणी के अनुसार निगम की बसों का संचालन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । समय सारणी सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी, हां । गत 2 वर्षों की अवधि में जयपुर से गंगापुर वाया दौसा-लालसोट मार्ग पर वाहन संचालन नियमितता 93 प्रतिशत रही है तथापि माह सितम्बर, 95 में दौसा-सवाई माधोपुर-भरतपुर जिलों में बाढ़ के कारण तथा नवम्बर-दिसम्बर, 95 में घाट की गूणी में सीमेन्ट की सड़क का निर्माण कार्य चलने के कारण वाहन संचालन की नियमितता 85 प्रतिशत रही है ।

(समय सारणी के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें ।)

कांकरोली बस स्टेण्ड

88. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कांकरोली के वर्तमान बस स्टेण्ड पर स्थान अभाव के कारण वाहनों के आवागमन से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो क्या विभाग बस स्टेण्ड को अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । धोईन्दा बस स्टेण्ड के

(राज्य मन्त्री यातायात)

विकास कार्य आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम के तहत कराये जाने प्रस्तावित हैं व राज नगर बस स्टेण्ड के विकास कार्य नगर पालिका द्वारा कराये जा रहे हैं। कार्यों को पूरा होने में लगभग एक साल लग सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा विक्रेताओं की नियुक्ति

89. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा विक्रेता नियुक्त करने के लिए सरकार ने जो आदेश जारी कर रखे हैं उनमें यह व्यवस्था है कि खुदरा विक्रेता उसी क्षेत्र का निवासी नियुक्त किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत दयालपुरा तहसील डीडवाना में इस वर्ष जो खुदरा विक्रेता नियुक्त किया है वह उक्त पंचायत का निवासी न होकर डीडवाना शहर का रहने वाला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसकी शिकायत सम्बन्धित सरपंच व अन्य ग्रामवासियों ने जिला स्तर व राज्य सरकार को की थी और जो प्रार्थना-पत्र खुदरा विक्रेता के लिए मांगे गये थे उसकी सूचना ग्रामवासियों को नहीं मिली थी ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या उपखण्ड स्तर पर इस कार्य में लिए गठित कमेटी में स्थानीय सरपंच ने ऐतराज किया था कि यह प्रार्थना पत्र चुपचाप मांगे हैं और पंचायत क्षेत्र में इसकी जानकारी नहीं है और बाहर के व्यक्ति को खुदरा विक्रेता नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) अब इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी और सरकार अपने द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना किस प्रकार से करायेगी।

उत्तर

(1) जी, हां। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। ग्राम पंचायत दयालपुरा तहसील डीडवाना के लिए किसी का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

डीडवाना शहर के श्री रामस्वरूप का ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसका कमेटी द्वारा चयन करने पर नियुक्ति दी गई।

(3) जी, हां। खुदरा विक्रेता के लिये मांगे गये आवेदन पत्रों की विज्ञप्ति ग्राम में चस्पा कराई गई थी।

(4) जी, हां। सरपंच के एतराज को जांच रिपोर्ट में निराधार माना गया।

(5) जांच कराये जाने उपरान्त कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

फाडर ट्रान्सपोर्ट की जांच हेतु गठित समिति

90. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या फाडर ट्रान्सपोर्ट की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कमेटी द्वारा जांच की जा चुकी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चारा परिवहन की जांच की जाकर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। 176.16 लाख रुपये के दावों का निष्पादन किया जा चुका है। 59.75 लाख रुपये के दावे न्यायिक/पुलिस जांच में विचाराधीन हैं।

114.30 लाख रुपये के दावों की जिला कलक्टरों द्वारा समीक्षा की जाकर निर्णित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

लालसोट (दौसा) के अकालग्रस्त गांव

91. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दौसा जिले की तहसील लालसोट के कितने गांवों को सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किया गया है? अकालग्रस्त घोषित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अकालग्रस्त घोषित गांवों में शीघ्र राहत कार्य शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार द्वारा जिला राहत सलाहकार समितियों का गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(4) क्या जिला कलक्टर द्वारा राहत सलाहकार समितियों की बैठकें आयोजित की गई है? जिलों में आयोजित बैठकों की सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले की तहसील लालसोट के 316 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–"अ")

(2) जी, हां। 24 कार्य 58.42 लाख रुपये राशि के जिला कलक्टर, दौसा ने स्वीकृत कर दिये हैं?

(3) जिला अकाल राहत पर्यवेक्षण समितियों का गठन दिनांक 19.1.96 को कर दिया गया है।

(4) दौसा जिले की अकाल राहत पर्यवेक्षण समिति की अभी तक जिला कलक्टर ने मीटिंग नहीं बुलवाई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

(72)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामनारायण मीणा एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से हैण्ड-पम्प संधारण में कथित सरकारी उदासीनता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भारी रोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जुबेर खान व 19 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा परिषद् के धन का कथित दुरुपयोग करने एवं स्टेण्डिग कमेटी की बिना स्वीकृति के अनधिकृत अनुदान स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री भरत सिंह व 24 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां जिला मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जिला प्रशासन द्वारा सम्मान के लिए नामजद एक व्यक्ति को कथित अपमानित करने की घटना में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री बनवारी लाल बैरवा एवं श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झालावाड़ की पंचायत समिति मनोहरथाना के ग्राम झीरी की प्राथमिक पाठशाला की अनुसूचित जाति की एक अध्यापिका के साथ अशोभनीय व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री हरिनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट तहसील के ग्राम मोपरा में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के प्रकरण की जांच को पुलिस द्वारा कथित रूप से दबाने की चेष्टा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले की धरियावद तहसील के ग्राम मांडवी में दिनांक 25 फरवरी, 1996 को पुलिस द्वारा आदिवासियों के साथ मारपीट व बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से शीर्ष सहकारी संस्थाओं के वार्षिक आडिट का कार्य चार्टेड अकाउंटेंट को देने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा क्षेत्र में गत वर्षों हुए कैचमेंट का कर्जा माफ करवाकर किसानों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई-

(श्री अध्यक्ष)

माधोपुर में बिजली की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में ।

(6) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना की खस्ता हाल सड़कों एवं कई पंचायत मुख्यालयों को अभी तक सड़क मार्ग द्वारा नहीं जोड़े जाने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की तहसील पचपदरा व उप तहसील गिड़ा में सेना द्वारा अभ्यास में क्षतिग्रस्त की गयी ग्रेवल सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(8) श्री जगन्नाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से अतिरिक्त तहसील मनोहरथाना को तहसील बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(9) श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर में अकाल राहत के मजदूरों की संख्या कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(10) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में पर्याप्त अकाल राहत कार्य नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(11) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की तहसील गढ़ी के ग्राम बोदिया में दिनांक 26 जनवरी, 1996 को हुई हत्या का राज अभी तक नहीं खुलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(12) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में संचालित रिक्शाओं को पंजीकृत कर अनुज्ञा-पत्र जारी करने एवं नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में ।

(13) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत पांच सिंचाई बांधों का निर्माण शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम को उसकी अभूतपूर्व विजय पर सदन की ओर से बधाई संदेश भेजा जाये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : मैं इसका समर्थन करती हूं । (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय क्रीड़ा मंत्रीजी आप तो इसमें पहल करें । (व्यवधान) आपके बैठे-बैठे पहल नहीं होगी । यह राष्ट्रीयता का सवाल है, मनोबल बढ़ाने का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, आप सुनें ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी कि अनूपगढ़ तहसील में भारत-पाक

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बोर्डर के ऊपर फायरिंग में सात लोग मारे गये। उनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे, कुल 83 सदस्य थे। ये बोर्डर के ऊपर आकर बैठे थे हिन्दुस्तान में प्रवेश के लिए। वहां आमने-सामने भागते हैं। बी.एस.एफ. ने अंधाधुंध फायरिंग की जिससे 23 लोग या 27 लोग घायल हुए, 7 मारे गये। इनमें करीब 50 बच्चे थे, 18-19 औरतें थीं और 15 मर्द थे। अनुसूचित जाति के थे, पीड़ित थे, आये थे। इसमें तुरन्त आप सूचना मांगें।

श्री अध्यक्ष : वह सूचना जल्दी मंगवाते हैं, कल तक। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मैं कल वक्तव्य दे दूंगा।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, आज 4-5 दिन हो गये, सुकेत गोलीकाण्ड में जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है नियम 157 के तहत. उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सदन का सत्र छोटा है और ऐसा न हो कि मेरा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लैप्स हो जाय। इस पवित्र सदन की मर्यादा का प्रश्न है। हम सब जो सदस्य हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है उसके बारे में प्रश्न है इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। दे रहा हूं (व्यवधान) आपको बता दूंगा, फैक्ट्स मंगाये हैं। आप बिराजिये।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी का दिन रामगंज मण्डी क्षेत्र के सुकेत इलाके के लिए काला दिन बन करके आया ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। उसका जवाब आ जाने दें। आपका स्थगन प्रस्ताव आया है, आपका जवाब आ जायगा।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सरकार की ओर से कल वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री रामकिशन वर्मा : गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : कल देंगे, यही कह रहे हैं। कल आप भी आ जायें। (व्यवधान) आज शून्यकाल नहीं रखेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मकराना काण्ड के बारे में कब जवाब देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मकराना काण्ड के बारे में दो दिन में स्टेटमेण्ट, अध्यक्ष महोदय अनुमति दे दें, मकराना है, सुकेत है और बाकी 1-2 जगह जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, सब के सम्बन्ध में कल वक्तव्य यहां सदन में दिया जायगा और पूनमचन्दजी ने जो मामला उठाया है वह भी दे देंगे। जो कस्टोडियन डैथ हुई हैं उस मामले में भी कल वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : आज शून्यकाल नहीं रखेंगे (व्यवधान) क्योंकि केवल मात्र आप

(श्री अध्यक्ष)

और एक रामनारायणजी के ही 10.35 तक आये हैं।

श्री शिवनाथ सिंह ((गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष : अब यहां पर देना बन्द करिये। पहले यह तो बताइये कि किस बात पर आप कहना चाहते हैं ? एक घण्टा केवल मात्र इस काम में लग जाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैंने दे दिया है। आपके चैम्बर में मैंने आपको दिया है, शायद एक हफ्ते पहले दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आपका हाथ नहीं आया पहले। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, दो के नाम हैं तो तीन को दे दो, क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान) मेरा भी शून्यकाल में नाम लीजिए। छोटा-सा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) ; अध्यक्षजी, मुझे बहुत खेद है, एक बहुत शर्मनाक घटना के लिए सदन का, माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय गृह मंत्रीजी का मुझे ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। अध्यक्षजी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8 तारीख को एस. एच. ओ. गुढ़ा तकराना गांव में आया, वहां पर हरिजन महिलाओं के साथ में उसने जो व्यवहार किया है मैं कह नहीं सकता हूं। वहां घर में कोई पुरुष नहीं था और 5 महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया है। जहां चोटें लगी हैं, अध्यक्षजी, वे महिलाएं दिखा नहीं सकतीं। अध्यक्षजी, उनको औंधा पटक कर उनके बटक्स पर, जांघों पर इस बुरी तरह से उनकी पिटाई की गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटना यदि इस राज में होती हैं तो बहुत शर्मनाक बात है। मैं बहुत कम पुलिस के खिलाफ बोलता हूं, डरता हूं, लेकिन मुझे पीड़ित हृदय से यह कहना पड़ रहा है कि यह जो 8 तारीख को घटना हुई है, तकराना गांव में, गुढ़ा एस. एच. ओ. के द्वारा, वह बहुत शर्मनाक है। इस एस. एच. ओ. गुढ़ा का मन बढ़ा हुआ है। पुरुषों को पीटता है, जंगले में लाकर डाल देता है। जंगले में डालकर के वापस छोड़ देता है। इसको मैंने कभी नहीं उठाया लेकिन इस बार यह घटना जो हुई किसी व्यक्ति-विशेष को नाजायज फायदा देने के लिए हुई। अध्यक्षजी, इस जमीन, जिस पर वह कब्जे की बात कहता है, का अदालत में कोई केस नहीं है। उस एस. एच. ओ. को अदालत से कोई किसी भी सिविल एजेंसी को मदद करने के लिए आदेश नहीं हैं। अपने आप वह रुपये लेकर 25 आदमियों को वहां लेकर गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गिलोर थी जो नीम पर चढ़ गयी। आज राजस्थान सरकार ने उसको आर. ए. सी. की पलाटून और दे दी। वह आर. ए. सी. के जवानों को लेकर वहां गया। मैं दूसरे साक्ष्य पेश भी नहीं करना चाहता, आर. ए. सी. के जवानों से पूछ लीजिये, क्या दोष था। उन औरतों का जिनके घर पर कोई पुरुष नहीं था और इस तरह से बेरहमी से पीटा गया। मैं इतना ही चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। उस सम्बन्धित एस. एच. ओ. को जब तक वहां से नहीं हटाया जायगा, कोई जांच नहीं होगी। उसको वहां से हटायें,

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहे एक्शन आप बाद में लें। मैं यह नहीं कहता कि उसको सस्पेंड करो या यह करो। वह तो कार्यवाही बाद में होगी लेकिन उसको हटाये बिना वहां जांच नहीं होने वाली। इसलिए, अध्यक्षजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में जितना अविलम्ब आप एक्शन ले सकते हैं, वह लें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घटना का माननीय विधायक ने जिक्र किया है वह घटना एक पारिवारिक घटना है। जो हीरालाल है, जिसने एक शिकायत की, इसके दादाजी भी हैं फत्ताराम और इन औरतों के पति हैं उनके भी दादा जो हैं, ये एक ही हैं। एक कूरड़ी का झगड़ा था और उस कूरड़ी के कब्जे के बारे में हीरालाल जो खुद भी बलाई है और ये खुद भी जिसके बारे में बोले हैं वह भी बलाई हैं और वहां का एस. एच. ओ. भी शिड्यूल्ड कास्ट का है, तो उस शिकायत पर.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उसको छूट है क्या इस प्रकार से मारने की? थानेदार को मारने की छूट है क्या?

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बलाई शब्द नहीं कहेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : बलाई नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, (व्यवधान) बलाई गौत्र हैं, बिराजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : बलाई तो कांस्टीट्यूशनल शब्द है।

श्री परसादीलाल मीणा : बलाई शब्द नहीं कहेंगे आप। इसे एक्सपंज करवाइये।

श्री अध्यक्ष : आपको मजाक सूझ रही है। बलाई गौत्र है, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बारे में मैंने पूरी जानकारी ले ली है। एस. एच. ओ. मौके पर गया था जो कब्जे वाली बात थी, वहां पर महिलाएं सामने आ गयीं, पुरुष कोई आये नहीं थे। मैंने आज सवेरे ही डी. आई. जी. को मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करके तुरन्त रिपोर्ट देने के लिये कहा है और यथोचित कार्यवाही करने के साथ ही एक्शन लेने के लिये भी निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उस घटना की तरफ लाना चाहता हूं, 2 तारीख को बारां में एक आदमी को बुरी तरह से पीटा गया 15–20 आदमियों के द्वारा और उसके 32 चोटें आयीं, उसके फैक्चर्स भी हैं। हास्पिटल में जब वह भर्ती था, बेहोशी की हालत में उसका पर्चा बयान भी लिया गया। इस कदर बुरी तरह जिन लोगों ने पीटा, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने धर्म के नाम पर एक पर्चा निकाला और धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की। उसमें आर. एस. एस. का वहां का एक शाखा-संचालक भी है, उसको पीटा गया। उसके बाद में 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा नम्बर 99/96, 307 का मुकदमा दर्ज होने के बाद इस सरकार में बैठे एक मंत्री ने 3 तारीख को जब उसको गिरफ्तार कर लिया

(श्री रामनारायण मीणा)

गया उसके बाद उसको छुड़ाया। उसे गिरफ्तार करने के बाद में उसे छोड़ा गया। यह ऐसा मामला, माननीय गृह मंत्रीजी, कोटा डिविजन में जो हो रहा है, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि काश्तकार हमारे साथ हैं, आज ही ऐसा न हो जाय कि कोई काश्तकार आपके + + + इतनी खराब हालत है कि आपके एक प्रधान वहां लैण्ड-ग्रेबिंग का काम करते हैं। आपने फाइल मंगवा ली और गरीब लोगों के वहां गोलियां चलायी गयीं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : बारा का जो मामला है, 20 आदमियों के द्वारा मारपीट की गयी है, उसका नाम पदम कृपलानी है, उस आदमी को पीटा गया बृजमोहन राठौड़ द्वारा। वह बहुत पावर फुल है और बीजेपी का वह सक्रिय आदमी है। आप कृपया अपने शासकीय दल के लोगों को कण्ट्रोल में रखें, कब्जे में रखें। बारां बन्द हुआ, एक दुकान नहीं खुली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके, सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस तरह के जो नाटक हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं। ऐसे शरीफ लोगों को पीटा जा रहा है और बिलकुल हत्या करने की दृष्टि से पीटा जा रहा है ताकि वहां से दूसरे लोग नेस्तनाबूद हो जायें। इस तरह से मकान ग्रेबिंग की बात करते हैं, कहीं किराये के मकान से निकालने की बात करते है। मैं आपसे निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी, आप यहां पर विराजमान हैं, ऐसी घटनाओं को कृपा करके सीरियसली देखें 307 का मुकदमा दर्ज होने के बाद ऐसे बदमाशों पर कण्ट्रोल किया जाय, इसकी आज पुख्ता व्यवस्था करें। इसके साथ हम आपसे आशा करते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसमें पूरी कार्यवाही की जायगी। उस थानेदार के खिलाफ और उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही की जायगी और उस मंत्री को आप मंत्रिमण्डल की मीटिंग में प्रताडित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : 295, हरिनारायणजी।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का एक गम्भीर मामला है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं, साढ़े दस पौने ग्यारह बजे जिन्होंने दिया, मैंने दे दिया।

एक माननीय सदस्य : मेडिकल कैम्प लगा था, मेडिकल बोर्ड को भी मुआयना नहीं करने दिया....(व्यवधान)....

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का एक गम्भीर मामला है, मैं उस पर 2 मिनट कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कल उठा लेना आप। बिराजिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : बहुत ही गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

दो मिनट का समय हमें दिया जाय (व्यवधान) मान्यवर, 14 आदमियों का....

श्री रिछपाल सिंह : बहुत ही गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : 10.30, 10.35 तक जो भी आये, उन सबको बोलने दिया । 295 श्री हरिनारायण जी ।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नोपरा ग्राम, लालसोट में माधोराम रैगर की हत्या की जांच

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर दबाने की कार्यवाही तथा लापरवाही, लोभ व लालच के कारण अब तक कोई सुनवायी नहीं होने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित कर सम्पूर्ण प्रकरण की सी. आई. डी. के द्वारा उच्च स्तर पर जांच करवाने की मांग करना चाहता हूं ।

ग्राम नोपरा, तहसील लालसोट जिला दौसा का माधोराम रैगर पुत्र श्री कन्हैया लाल रैगर मूल निवासी है । यह एक अनुसूचित जाति, गरीब समुदाय का है और मजदूरी करके अपने परिवार के साथ जीवन बिताता था । उसके सात वर्ष से कम उम्र की तीन पुत्रियां हैं और माता पिता वृद्ध हैं तथा माताजी विकलांग है । इसकी पत्नी श्रीमती नाथी के पेट में 6 माह का गर्भ है ।

जिसके पति माधोराम रैगर को मजदूरी के बहाने से ले जाकर हत्या कर दी है जबकि स्वयं माधोराम ने दिनांक 4.1.96 को मजदूरी के लिए जाने से रात्रि 8.30 बजे मना कर दिया था और उसकी औरत ने भी रात्रि को मजदूरी पर जाने से लल्लूराम मीणा पुत्र धन्ना मीणा ग्राम थूणिया एवं कालू मीणा ग्राम नगरिया को मना कर दिया था परन्तु दोनों ने यह कहा कि तुमने ट्रैक्टर-ट्रोली पट्टियों की खाली कराने चलने से मना किया है, तो उसे जबरदस्ती करके हाथ पकड़ कर घसीट कर ले गये जबकि उसकी औरत रात को चिल्लाती रही । उसके चिल्लाने पर तथा छोटी-छोटी पुत्रियों की ओर इन्होंने कोई रहम नहीं किया ।

दिनांक 5.1.1996 को माधोराम रैगर के मरने की सूचना परिवार को मिली और गांव में पूरा सन्नाटा छा गया । श्रीमती नाथी ने यह कहा कि रात को दो व्यक्ति आये थे वे मजदूरी के बहाने से खाना खाते हुए को जबरदस्ती करके ले गये और उन्होंने मेरे पति को मार कर गोपी मीणा, निवासी ग्राम थूणिया के कुएं में डाल दिया होगा, उन दोनों पर पूरा–पूरा सन्देह है । इस प्रकार माधोराम रैगर की पत्नी ने कहा ।

दिनांक 5.1.96 को पुलिस थाना प्रभारी, लालसोट को माधोराम रैगर की मृत्यु की सूचना दी एवं एफ. आई. आर. दर्ज किन लोगों के द्वारा करायी गयी ? पुलिस थाना प्रभारी ने उक्त घटना स्थल पर कितने बजे जाकर क्या कार्यवाही की ? सम्पूर्ण स्थिति की आस–पास के व्यक्तियों से पुलिस द्वारा छानबीन की गयी या नहीं ? इसकी जांच उच्च स्तर पर हुई है या नहीं ?

(श्री हरिनारायण)

दिनांक 5.1.96 को कुएं से मृतक को बाहर नहीं निकालने के कारण पुलिस थाना प्रभारी, लालसोट से पूछा जाय और डाक्टरी मुआयना/पोस्टमार्टम कहां कराया गया और मृतक को बाहर निकालने के बाद के पास के सरसों के खेत में डाक्टर द्वारा सम्पूर्ण जांच की गयी थी या नहीं ? पोस्टमार्टम कराने की आवश्यकता थी या नहीं ? इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच उच्च स्तर पर हो रही है या नहीं ? उक्त प्रकरण को रफा–दफा कर दिया है या नहीं ? अब उक्त प्रकरण को रफा–दफा करने की जांच सी. आई. डी. के द्वारा गोपनीय स्तर पर कराने की आवश्यकता है या नहीं ? अतः उपरोक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि पुलिस ने इस हत्या के मामले को सुनियोजित कार्यवाही के जरिये दबाने की चेष्टा की है और इसमें पुलिस की लापरवाही है जिसने जांच नहीं की और मृतक की पत्नी/परिवारजनों को लाश दाह संस्कार हेतु बिना पोस्टमार्टम दे दी और एक माह तक जाकर कोई पूछताछ नहीं की। इस सम्बन्ध में श्रीमती नाथी बेवा के द्वारा लिखित में शिकायत की गयी है तो उसके आधार पर जांच के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता कितनी दी गयी ? यदि अब तक आर्थिक सहायता नहीं दी है तो इस प्रकरण में लापरवाही किसकी है ?

अतः मेरा सरकार से यही निवेदन है कि उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की सी.आई.डी. के द्वारा जांच करायी जाय। साथ ही इस प्रकरण में जिन-जिन के द्वारा लोभ–लालच के चक्कर में लापरवाही बरती गयी है, जांच के आधार पर दोषी पाये जाय, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय तथा दोनों हत्यारो को किस आधार पर बरी किया गया, अब उन्हें मारने के आरोप में तुरन्त गिरफ्तार किया जाय।

अतः उक्त विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सूचना मुझे तुरन्त उपलब्ध करायी जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

मांडवी ग्राम उदयपुर में आदिवासियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 विशेष उल्लेख के जरिये उदयपुर जिले की धरियावद तहसील के ग्राम मांडवी में पुलिस द्वारा गांव पर चढ़ाई कर हमला, गोलीबारी कर निर्दोष आदिवासी पुरुष, महिलाओं के साथ बंदूक के कुंदों से रौंदे जाने एवं एक आदिवासी की हत्या किये जाने की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 25 फरवरी, 1996 को आदिवासियों में अलगाव व विद्रोही कार्यवाही में लिप्त एक संस्था की गलत शिकायत पर जिला पुलिस प्रशासन के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण आदिवासियों के आपसी सामाजिक विवाद को सुलझाने में सहयोग के बजाय मांडवी ग्राम पर रात्रि में चढ़ाई कर सोते हुए आदिवासी पुरुष–महिलाओं के साथ बंदूकों के कुंदों से मारपीट की गयी एवं उन्हें बूटों से रौंदा गया जिससे आदिवासियों में असन्तोष फैल गया एवं

(श्री महावीर भगोरा)

उन्होंने एकजुट होकर पुलिस बर्बरता का विरोध किया जिसे पुलिस ने अपनी तोहीन समझी एवं उन्होंने पत्थरबाजी की एवं 43 राउन्ड गोलियां चलायीं जिससे ओंकार मीणा की मौत हो गयी।

पुलिस प्रशासन ने उक्त कार्यवाही ही नहीं की, बल्कि उन भोले-भाले आदिवासियों के विरुद्ध धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 28 निर्दोष लोगों को फंसाया गया। उदयपुर का जिला पुलिस प्रशासन पूर्णरूपेण शहर व इसके आस-पास के कस्बों में हो रहे आपराधिक कृत्यों, चोरी, लूट, हत्या, डकैती, तस्करी, गुंडागर्दी आदि जघन्य कार्यों में लिप्त अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रहा है एवं निष्क्रिय साबित हो रहा है। यहां तक कि दिनांक 25 फरवरी को एक बदमाश सूरजपोल पुलिस नियंत्रण कक्ष के बाहर एक पुलिसकर्मी को चाकू बताकर धमकी देकर भाग गया एवं पुलिस निष्क्रिय देखती रह गयी। ऐसी हजारों वारदातें मुख्य बाजारों, भीड़ भरी बस्तियों व होटलों में रोज हो रही हैं परन्तु उदयपुर पुलिस प्रशासन उन पर काबू पाने में नाकामयाब रहा है जबकि दूसरी तरफ निर्दोष एवं असहाय लोगों के साथ अत्याचार की सीमा तक लांघ गया जिसका ताजा उदाहरण ओंकार मीणा की हत्या का मांडवी (धरियावद) काण्ड है।

इस विशेष उल्लेख के जरिये राजस्थान सरकार के माननीय गृह मंत्री से मैं पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता, निष्क्रियता एवं बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की न्यायिक जांच वर्तमान जिला प्रशासनिक एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को अविलम्ब हटाया जाकर, कराने एवं दर्ज मुकदमे को वापस लेने एवं पुलिस के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया जाने हेतु ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

सहकारी संस्थाओं का आडिट कार्य

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष जी, नियम 295 के तहत मैं शीर्ष सहकारी संस्थाओं के आडिट के साथ खिलवाड़ बन्द किये जाने बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सहकारी विभाग ने शीर्ष सहकारी संस्थाओं की वार्षिक आडिट रिपोर्ट देने का कार्य चार्टेड अकाउटेंट को देने का जो निर्णय किया है वह सरकार की नीति के विरुद्ध है तथा राज्य कोष को हानि पहुंचाने वाला है। इन संस्थाओं में राज्य सरकार के अरबों रु. हिस्सा राशि तथा ऋण के रूप में लगे हुए हैं। इसके साथ ही यह कार्य इनके सदस्यों के हितों के विरुद्ध भी है। यह निर्णय उन संस्थाओं के प्रशासकों तथा प्रबन्ध संचालकों को उनकी जिम्मेदारी से बचाने के लिए लिया गया प्रतीत होता है क्योंकि यह संस्थाएं भारी हानि में हैं तथा इनके उक्त पदों पर उच्च सरकारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। ऐसे अनेक अधिकारियों के विरुद्ध सहकारी विभाग के अंकेक्षकों द्वारा दिये गये मामले धारा 74 में दर्ज है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है। इसके विपरीत चार्टेड अकाउंटेंट्स ने भी पूर्व में इस संस्था के उच्च अधिकारियों की इच्छा के अनुरूप रिपोर्ट दी है।

(श्री हरजीराम बुरडक)

पूर्व में चार्टेड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट गबन घोटालों के मामले छूट जाने के कारण भी निरस्त की गयी है तथा विभागीय अंकेक्षकों से रि-आडिट भी कराया था, जैसे--राजफैड की 1981–82 में चार्टेड अकाउंटेंट की रिपोर्ट में लाखों रुपये के घोटालों का उल्लेख नहीं होने का मामला राज्य विधान सभा में गूंजा था। उसके उपरान्त वह रिपोर्ट निरस्त की गयी तथा विभागीय अंकेक्षकों से रि-आडिट करवाया गया तथा उससे अनेक मामले सामने आये थे। इसी प्रकार उपभोक्ता संघ की 83–84 तथा 84–85 की चार्टेड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट में कमियां पायी जाने पर विभागीय अंकेक्षकों से अन्वेषणात्मक आडिट करवाया गया है। सन् 1979–80 से लेकर 94–95 तक राजफैड, उपभोक्ता संघ, भेड़ व ऊन विपणन संघ, डेयरी फेडरेशन, तिलम संघ आदि का अनेक बार चार्टेड अकाउंटेंट से आडिट करवाया गया है परन्तु उनकी रिपोर्टस में गबन-दुरुपयोग के मामले बिलकुल नहीं है, इसके विपरीत इस अवधि में विभागीय अंकेक्षकों द्वारा सैंकड़ों मामले धारा 74 में दर्ज करवाये गये हैं।

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इसी कारण से सहकारी विभाग तथा इन संस्थाओं में कार्यरत उच्चाधिकारियों ने इन संस्थाओं की वार्षिक आडिट रिपोर्ट देने का कार्य चार्टेड अकाउंटेंट को देने का निर्णय करवाया है जिससे उनके घोटाले साधारण सभा तथा राज्य सरकार के सामने नहीं आ सकें तथा वे मनमानी कर सकें। क्योंकि वार्षिक आडिट रिपोर्ट जो राज्य सरकार तथा सदस्यों को दी जाती है वह चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा लिखी जायेगी। जिनके सभी खर्चों का भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जाता है। चार्टेड अकाउंटेंट की नियुक्ति इन्हीं उच्चाधिकारियों द्वारा की जाती है। इसमें भी भ्रष्टाचार फैलने लगा है जैसे अनेक आई. ए. एस. तथा सहकारी विभाग के उच्चाधिकारियों के नजदीकी रिश्तेदारों को आडिट आबंटन किया जाना इस निर्णय से राज्य सरकार को लगभग 80–90 लाख रुपये की आडिट फीस की वार्षिक हानि होगी।

इन संस्थाओं में सहकारी विभाग के अंकेक्षकों से समवर्ती अंकेक्षण करवाया जाता है। उन्हीं की संख्या बढ़ाकर वार्षिक आडिट रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए। इससे राज्य सरकार की अरबों रुपये की पूंजी सुरक्षित रहेगी अपितु उसे आडिट फीस भी प्राप्त होगी एवं सदस्यों तथा राज्य सरकार को सही आडिट रिपोर्ट भी प्राप्त होगी।

अतः नियम 295 के तहत राज्य सरकार से अनुरोध है कि सहकारी विभाग के उक्त गलत फैसले का कार्यान्वयन तत्काल रोकें। धन्यवाद।

इटावा में कैचमेंट के कर्जे की माफी

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, इटावा क्षेत्र में गत वर्षों में हुए कैचमेंट के कर्जे माफी की घोषणा के बाद कर्जा माफ नहीं करने के सम्बन्ध में मेरा राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्षों में विधान

(82)

(श्री रामगोपाल बैरवा)

सभा क्षेत्र पीपल्दा में कैचमेंट का कार्य करवाया गया। इस कार्य में उस क्षेत्र के किसानों पर बैंकों का कर्ज हो गया तथा जो कार्य कैचमेंट के माध्यम से किये गये वह भी अपूर्ण ही रहे व काफी अनियमितताएं इन कामों में रहीं। इसके बावजूद भी किसानों पर बैंकों का कर्ज हो गया जो काफी मात्रा में था। इस कर्ज को चुकाने में किसान असमर्थ रहे। उक्त कर्जा माफी के लिए किसानों ने समय-समय पर सरकार से मांग की तथा धरना व प्रदर्शन भी किये। सभी बातों से जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया गया। उक्त कर्जा माफी हेतु राजनैतिक पार्टियों के द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया।

9वीं विधान सभा के चुनावों के समय में भी इटावा में सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए वर्तमान मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत ने भाजपा सरकार राज्य में बनने पर कैचमेंट का कर्जा माफ करने की घोषणा सार्वजनिक मंच से की व पेम्फलेट भी निकाले गये। 9वीं विधान सभा के 1991 के बजट सत्र में भी किसानों के सभी ऋण माफ करने की घोषणाएं राजस्थान विधान सभा में की गयी।

उक्त घोषणाओं को मध्य नजर रखते हुए क्षेत्र के किसानों ने ऋण नहीं चुकाया जिससे वह ऋण बढ़कर आज चार-पांच गुना हो गया है। बैंकों द्वारा ऋण नहीं चुकाने पर उनको किसी प्रकार का अन्य लोन स्वीकृत नहीं किया जाता है, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान हैं। किसानों को ऋण चुकाने हेतु बार-बार बैंकों द्वारा नोटिस दिया जाकर उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने की धमकी दी जाती है।

अतः किसानों की समस्या को मध्य नजर रखते हुए व पूर्व में आप द्वारा की गयी घोषणाओं के अनुरूप कैचमेंट का कर्जा माफ करवाकर किसानों को राहत देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

सवाई माधोपुर में विद्युत संकट

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिला सवाई माधोपुर में बिजली की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं लेकिन बड़े दुःख की बात है....

श्री अध्यक्ष : इसको पढ़ो आप। बाद में बोल लेना। 16 तारीख को हो रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, बड़े दुःख की बात है। माननीय कट-आउट मंत्रीजी जब मौजूद ही नहीं हैं तो इस दुःख को किस को सुनाऊंगा मैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आ जायेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : इन दीवारों को सुनाऊंगा या किस को सुनाऊंगा? मैं तो आपको निवेदन कर दूंगा, ठीक है, अध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी चले गये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर में बिजली की समस्या के बारे में निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बिजली की भयंकर समस्या बनी हुई है। किसानों को 8 घंटे भी लगातार बिजली उपलब्ध नहीं हुई है। किसानों को पूरा बिल जमा कराना पड़ता है और बिजली पूर्ण नहीं मिलती है। किसानों को कनेक्शन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नर्सरी योजना में लगभग एक वर्ष होता आया पर नादोती एवं टोडाभीम में पैसा जमा होने के बावजूद भी आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिला। एक पोल एवं दो पोल के कनेक्शन भी नहीं दिये गये। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो 15 दिन तक भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। सामान का अभाव होने के कारण बेकार तार एवं लट्ठे टूटने लग गये हैं उन उनको बदला नहीं जाता है जिसके कारण किसानों को आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है।

टोडाभीम में 133 के.वी. ग्रिड की आवश्यकता है। टोडाभीम में मण्डावर से बिजली दी जाती है जो 60 किलोमीटर है। बीच में महुआ पड़ता है और बिजली नहीं आ पाती है। पूरा जोन टोडाभीम में है। जमीन उपलब्ध है। किसानों को वोल्टेज नहीं मिलती है इसलिए 133 के.वी. का स्टेशन टोडाभीम में किया जाय। पूर्व में भी सरकार ने इसका सर्वे कराया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। नादोती में 33 के.वी. का सब-ग्रिड मन्जूर होकर एक वर्ष ठेके को हो गया पर आज तक नहीं लगा जबकि ठेका भी हो गया है। सरकार घरेलू कनेक्शन भी नहीं दे रही है। 6 माह तक फाइलें पड़ी रहती हैं और मन्जूर नहीं होती हैं, डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं हुए। बिजली ही एकमात्र इस जिले में किसानों का आधार है। बोरिंग सिस्टम होने के कारण इंजन लोड नहीं उठाते हैं। पानी 400 एवं 500 फ़ीट से खींचा जाता है जो मात्र बिजली की मोटर से ही सम्भव है। इस बिजली के कारण नल योजना भी ठप्प पड़ी है। वोल्टेज न होने के कारण योजना पानी नहीं उठाती है और आये दिन किसान आन्दोलनरत रहते हैं। नल योजनाओं के कनेक्शन, एक वर्ष हो गया, आज तक नहीं दिये गये। विभाग में पैसा जमा है।

अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के कारण इस जिले में फसल नष्ट हो गयी। किसानों के खून-पसीने की कमाई नष्ट हो गयी। किसान अपना बिजली का खर्चा भी नहीं दे सकता। क्या सरकार इसे माफ करने का विचार रखती है? विभाग के पास न गाड़ी है, न कर्मचारी हैं। क्या सरकार अब गाड़ी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक देगी और दे दी है तो कौनसी गाड़ी दी है?

अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान, आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार जिला सवाईमाधोपुर में बिजली की समस्या को हल करने के लिए टोडाभीम में 133 के.वी. सब-ग्रिड की स्थापना करे, नादोती में 33 के.वी. ट्रांसफार्मर लगाया जाय। कनेक्शन दिये जाय। ओलावृष्टि हुई है वहां बिल माफ किये जायं। कर्मचारी एवं गाड़ी की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री रिछपाल सिंहजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जिन किसानों की फसलें

(श्री रामस्वरूप मीणा)

नष्ट हो गयी हैं उनके बिजली के बिल माफ करवा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : आपका 295 पूरा हो गया, बिराजो आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अतः पुनः आपके माध्यम से मैं सरकार का, इन दीवारों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्रीजी तो यहां हैं नहीं, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है उस पर आप ध्यान देंगे और किसानों को राहत दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने मुझे समय दिया, अध्यक्ष महोदय, उसके लिए आपको धन्यवाद। मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, इस बात के लिए

श्री अध्यक्ष : दूसरों से आपको डबल समय मिलता है। बिराजो आप।

डेगाना की खस्ता हाल सड़कें एवं पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की खस्ता हाल सड़कों एवं कई पंचायत मुख्यालयों को अभी तक सड़क मार्ग द्वारा नहीं जोड़े जाने के बारे में विशेष उल्लेख है।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय है। डामर की सड़कें नाममात्र की हैं। इनकी बनावट ही ऐसी की गयी है कि डामर नाममात्र का डाला गया है जिसकी वजह से जगह-जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। स्टेट हाइवे नम्बर 18 पर डेगाना से खांजू रोड पर ग्राम बेगोड़ से ब्रामणा के बीच 71 से 80 किलोमीटर तक, डेगाना जंक्शन से कीतलसर तक 5 किलोमीटर, भोरूंदा से डेगाना सड़क वाया निम्बड़ी कलां, पुन्दसौता सड़क पर, सुरियास से निम्बड़ी कलां के बीच 3 किलोमीटर, सुरियास से गोल तक 3 किलोमीटर, निम्बड़ी कलां से पुन्दसौता के बीच 4 किलोमीटर, डेगाना गांव से डेगाना जंक्शन के बीच 3 किलोमीटर सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हुई थी। इस बारे में बार-बार सम्बन्धित अधिकारियों को लिखे जाने पर कुछ पेचिंग कार्य किया गया था परन्तु कई स्थानों पर केवल मात्र गिट्टी डालकर पेचिंग किया गया और डामर बिलकुल नहीं डाले जाने से गिट्टी वापस बिखर गयी तथा गड्ढे पूर्ववत् बन गये। इसी प्रकार स्टेट हाइवे नम्बर 18 पर ढाणीपुरा से भैरूंदा के बीच 4 किलोमीटर, थांवला से वाडेघाटी के बीच 20 से 23 किलोमीटर के बीच 3 किलोमीटर सड़क पिछले दो वर्षों से क्षतिग्रस्त रही है। पेचिंग कार्य नाम-मात्र का किया गया। इसी प्रकार से स्टेट हाइवे नम्बर 21 पर 121 से 125 किलोमीटर के बीच डोडियाना भैरूंदा के बीच की सड़क दयनीय स्थिति में ज्यों की त्यों है।

राज्य सरकार की नीति के मुताबिक ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों एवं एक हजार

(श्री रिछपाल सिंह)

से अधिक की आबादी के समस्त ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान है परन्तु पूरे डेगाना विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे पंचायत मुख्यालय हैं जो अभी तक पक्की डामर सड़क तो दूर, ग्रेवल अथवा डब्ल्यू. बी.एम. सड़कों द्वारा भी नहीं जोड़े जा सके हैं। इनमें थाटा, बिखरमियांकलां, डावोली मीटी, चोलियास, खेरवा आदि प्रमुख हैं। इन पंचायय मुख्यालयों के अतिरिक्त 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले कई ग्राम ऐसे हैं जो डामर सड़क से नहीं जोड़े गये हैं। इनमें प्रमुखतया खिवताना, शिरासना, जालसू ननक, चुवा, राजोद, बंवरला, निम्बड़ी चांदावता, बरना आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कई पुरानी प्रमुख सड़कें जिनसे अनेकों बड़े कस्बे तथा पंचायत मुख्यालय जुड़े हुए हैं वे भी ग्रेवल की हैं और उनकी हालत अत्यन्त दयनीय है तथा बरसात के मौसम में इन सड़कों पर आवागमन बिलकुल बंद रहता है है। इन सड़कों में मुख्यतया इंडवा से रेण, डेगाना जंक्शन से खाटूबड़ी, डेगाना से कुचेरा वाया जालसू ननक आदि प्रमुख हैं। इन सड़कों की हालत बरसात के मौसम में अत्यन्त दयनीय हो जाती है तथा पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विधायक कोटे से निर्बन्ध राशि योजना द्वारा, सांसद क्षेत्रीय विकास खण्ड आदि से जो भी स्वीकृतियां जारी की जाती हैं इन छोटी-छोटी लम्बाई की सड़कों का कार्य भी दो-दो वर्षों तक विभाग द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता जिससे निर्माणाधीन सड़कें पुनः टूट जाती हैं और निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं बन पाती।

अतः मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करके पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर सड़कों की बदतर हालत में सुधार करके अधूरी सड़कों का कार्य पूर्ण कराकर तथा बड़े गांवों को शीघ्र डामर की सड़कों से जोड़कर और टूटी-फूटी सड़कों का पेचिंग कार्य कराकर लोगों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको शून्यकाल में पर्ची दी थी, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरे क्षेत्र का एक ऐसा गम्भीर मसला था कि 18.2.96 को एक पागल कुत्ते ने गांव में पांच व्यक्तियों को काटा, पांच-छह जानवरों को काटा जिससे दो व्यक्तियों की मौत हो गयी। 18.2.96 और 8.3.96 को वहां जिला कलक्टर मौके पर जा रहे हैं, वह मौके पर गये। यह मैं नहीं कहता कि नहीं गये। मैंने भी उनसे बात की। दो व्यक्ति मरे हैं। एक तो 40 साल की औरत मरी है और एक बच्ची मरी है। जिन जानवरों को उस कुत्ते ने काटा, उन भैंसों को और गायों का जिसने दूध पीया उससे उन बच्चों को बीमारी हुई और जिन जानवरों को, जो जानवर मरे, उनको 30-35 जितने गिद्धों ने खाया, वह गिद्ध भी उस पेड़ पर रात को मरे ही रह गये। ऐसा गम्भीर मामला था, अध्यक्ष महोदय। मैं तो यह ही कहने वाला था। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि डाक्टरों और दवाइयों की वहां पर व्यवस्था करवा दें। यह ही बात थी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा पहले भिजवा

(श्री अध्यक्ष)

देते न। आप साढ़े दस बजे भिजवा दें। श्री अमराराम जी चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जिस बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित किया है, अभी चार दिन के लिये वहां अस्थायी रूप से चिकित्सालय खोला है और वहां जितने भी मरीज मिल रहे हैं उनका तत्काल उपचार करने का काम भी प्रारम्भ कर दिया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जायेगी। चूंकि सूचना विलम्ब से पहुंची यह सारी घटना इंटीरियर एक गांव के अन्दर हुई जिस गांव का नाम लूणियास है, जहां हमारा केन्द्र भी नहीं था। मैं समझता हूं वहां सी.एम.एच.ओ. जाकर आये हैं, जिला कलक्टर भी जाकर आये हैं। वहां जितनी भी दवाइयों की आवश्यकता थी, दवाइयां उपलब्ध करा दी जायेंगी। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है अब तो। माननीय श्री अमराराम जी।

पचपदरा एवं गिड़ा उप तहसील में सेना द्वारा अभ्यास से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान सेना द्वारा अभ्यास के दौरान हाल में एक माह पूर्व पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में ग्रेवल सड़कों और रास्तों को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हाल दिसम्बर, 1995 व जनवरी, फरवरी, 1996 में विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की तहसील पचपदरा और उप तहसील गिड़ा में सेना द्वारा बड़े-बड़े टैंक्स व बड़े माल वाहक ट्रकों को चलाया गया जिसके कारण ग्रेवल सड़क व आने-जाने के अन्य रास्ते क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इसके कारण वहां की रहने वाली जनता को आने-जाने में भारी कठिनाई हो रही है। सारा ग्रेवल बड़े-बड़े टैंक्स चलने से बालू रेत में घुल-मिल गया है। वहां की जनता अपने दैनिक जीवन-यापन की वस्तुओं को लाने व ले जाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रही है।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को लिखित में पत्र भी दे दिया। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से मैं सरकार का ध्यान नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं।

अतः निवेदन है कि अतिशीघ्र ही सेना द्वारा अभ्यास के क्षतिग्रस्त की गयी ग्रेवल सड़कों और रास्तों को अकाल राहत कार्यों के तहत स्वीकृत कर शीघ्र ही नया ग्रेवल बिछवाने का आदेश दिलावें।

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ जी।

मनोहर थाना को तहसील बनाने बाबत

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोहरथाना अतिरिक्त

(श्री जगन्नाथ)

तहसील को तहसील बनाने बाबत नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना राजस्थान प्रदेश की आखिरी सीमा पर स्थित है। पूर्व में यहां पर तहसील कार्यालय था। कुछ वर्षों पूर्व कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में यहां से तहसील कार्यालय हटा दिया गया। मनोहरथाना तथा उसके आस-पास का क्षेत्र अकलेरा तहसील में लगा दिया गया। मनोहरथाना में वर्तमान में 26 पटवार सर्किल हैं तथा अकलेरा तहसील में 60 पटवार सर्किल हैं तथा 456 गांव हैं। अकलेरा तहसील 70 किलोमीटर लम्बाई में बसी हुई है तथा 6 थाना क्षेत्र हैं। इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण वहां की ग्रामीण जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अपने तहसील से सम्बन्धित कार्यों के लिये लम्बी दूरी तय करके आना पड़ता है। वर्तमान में मनोहरथाना में अतिरिक्त तहसील कार्यालय है तथा अतिरिक्त तहसील में तहसीलदार स्तर का अधिकारी ही कार्य करता है। तहसील की बिल्डिंग भी बनी हुई है तथा स्टाफ भी काफी संख्या में है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मनोहरथाना में तहसील खोले जाने के आदेश प्रदान करें।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कई बार मेरे क्षेत्र की जनता ने आन्दोलन किया है और वह चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अतिरिक्त तहसील हो जाये। इसलिये मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि अतिरिक्त तहसील को तहसील बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष : यह तो रेयर ही अपीयरेंस देते हैं। आप तो बिना कहे ही फरमा देते हैं। श्री शंकरलाल जी अहारी।

डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य में मजदूरों की संख्या में वृद्धि

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर में अकाल राहत के मजदूरों की संख्या कम होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

इस वर्ष डूंगरपुर जिला अकाल से जूझ रहा है। वर्तमान में छुटपुट कार्य अकाल राहत के चलाये जा रहे हैं। लोग मजदूरी के अभाव में गुजरात में पलायन कर चुके हैं। गुजरात में भी आवश्यक मजदूरी नहीं मिल रही है। जिले में मजदूरों की संख्या बहुत ही कम है। अर्थात् 20 हजार की स्वीकृति सरकार ने कर रखी है जबकि इस समय 50 हजार की संख्या होनी चाहिए और मई-जून में जाकर 1 लाख 50 हजार मजदूरों की संख्या होनी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस माह में कम से कम 50 हजार मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी करने की कृपा करावें ताकि अकाल पीड़ित लोगों को मजदूरी मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम जी अहारी।

डूंगरपुर में पर्याप्त अकाल राहत

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के

(श्री नाथूराम अहारी)

कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में अकाल के पर्याप्त कार्य नहीं खुलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर आपके सामने विचार रख रहा हूं।

महोदय, डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस वर्ष जिले में भयंकर अकाल है। अकाल के जो कार्य चल रहे हैं वे अपर्याप्त एवं असमान हैं। विकास के महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं लिया गया है। जैसे अकाल राहत के अधूरे कुएं, तीन-चार पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें आदि। अकाल राहत के अधूरे कुओं के लिये यह मापदण्ड रख दिये गये हैं कि चयनित परिवार के कुएं ही लिये जायं।

श्रीमान्, अकाल राहत के कुएं उन सभी निर्धन परिवारों के लिए हैं जिनका नाम चयनित नहीं है। फलस्वरूप अकाल राहत के सैंकड़ों कुएं सख्त पत्थर आने से, परिवार की दयनीय स्थिति होने से मलबा नहीं निकालने आदि कारणों से अधूरे पड़े हैं।

श्रीमान्, इस वर्ष अकाल है। यह कुएं अकाल के समय में ही स्वीकृत किये गये हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अकाल के समय में पुरानी अधूरी सड़कें एवं अकाल राहत के अधूरे कुएं सब के सब लिये जायें। इन कुओं पर अकाल राहत के मजदूर लगाये जायं और ब्लास्टिंग के लिए अलग से रकम स्वीकृत करायी जाय ताकि अधूरे कुओं पर लगे करोड़ों रुपयों का उपयोग हो सके और आदिवासियों के अधूरे कुएं पूर्ण हो सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

बोदिया ग्राम, बांसवाड़ा में 26 जनवरी, 96 को हुई हत्या की जांच में शिथिलता

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत गांव बोदीया तहसील गढ़ी में दिनांक 26 जनवरी, 1996 को हुई हत्या का आज तक राज नहीं खुलने के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की तहसील गढ़ी के गांव बोदीया में दिनांक 26 जनवरी, 1996 को हुई हत्या की प्राथमिक रिपोर्ट गढ़ी थाने में दर्ज करवायी थी। परन्तु आज तक हत्यारों की शिनाख्त नहीं हो पायी है एवं न ही कोई ठोस कार्यवाही हुई है, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी असन्तोष एवं भय व्याप्त है। साथ ही सरकारी कार्यवाही पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल हत्यारों को पकड़ कर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी।

जयपुर शहर में संचालित रिक्शाओं का पंजीकरण

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से जयपुर में संचा-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लित रिक्शाओं के नवीनीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नियमानुसार रिक्शाओं का नवीनीकरण हर वर्ष होना चाहिए। पिछले कई वर्षों से पूर्व में परिषद, अब निगम ने नवीनीकरण नहीं किया है। इससे पासशुदा रिक्शा और अवैध रिक्शा दोनों की स्थिति एक होकर विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। आये दिन नगर में अवैध रिक्शाएं बढ़ रही हैं और "जो चलाए रिक्शा उसका" नियम के आधार पर पंजीकृत रिक्शाओं के अतिरिक्त शहर में रिक्शाओं की बाढ़ सी आ गयी है। जिन्होंने ऋण लेकर रिक्शा खरीदा व जो पूर्व के चालक थे उनकी रिक्शा कभी यातायात विभाग पकड़ कर सीधा जब्त कर रहा है, कभी पुलिस वाले तो कभी निगम।

ऐसी स्थिति में रिक्शा चालकों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है। यह आवश्यक है कि तत्काल रिक्शा के आज्ञा पत्रों का नवीनीकरण किया जाय तथा सरकार जितने भी रिक्शा चल रहे हैं उन सबको पंजीकृत करके सभी को अनुज्ञापत्र जारी करे व रिक्शा चालकों को भी चालक अनुज्ञा पत्र जारी करें जिससे अवैध संचालन बन्द हो सके और रिक्शा चालक सम्मान से अपना पेट भर सकें, व्याप्त असन्तोष समाप्त हो सके। इस सारी पकड़-धकड़ से, रिक्शा जब्त किये जाने से रिक्शाधारी की स्थिति सुरक्षित हो सके और संचालन वैध स्थिति में आ सकें। रिक्शा चालक आन्दोलन पर उतारू हैं। अतः विशेष उल्लेख के इस प्रश्न पर मुझे यहां अनुमति प्रदान करें।

श्री रामनारायण मीणा : आप भैरोंसिंह जी शेखावत साहब के खिलाफ बोल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती उजला अरोड़ा : समझ में आता नहीं, आप खुद क्या बोल रहे हैं, आपकी समझ के बाहर है।

श्री रामनारायण मीणा : (व्यवधान) राजस्थान सरकार में इनको मंत्री नहीं बनाया इसलिए इनके काम होते नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामनारायण जी, आपको पार्टी बोलने का मौका नहीं देती, इसलिए बोल रहे हो।

सांगानेर में बांधों का निर्माण

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले पांच बांधों के बारे में पिछले तीन विधान सभा सत्रों से बराबर चर्चा करती रही हूं जबकि सिंचाई मंत्री जी ने स्वयं भी इन बांधों का निरीक्षण किया किन्तु इसके बाद भी आज तक किसी भी बांध का निर्माण कार्य सही ढंग से शुरू नहीं किया गया है। क्योंकि गूलर के बांध को बनाये बिना नेवटा बांध एवं चिरौटा के बांध में पानी नहीं पहुंच सकता है। इसी प्रकार रामचन्द्रपुरा बांध के स्थान को बदलने के बिना यह पानी चन्दलाई एवं विधानी पंचायत को नहीं पहुंच सकता है। इसलिये सिंचाई मंत्री जी इन बांधों के बारे में गम्भीरता से विचार कर शीघ्रातिशीघ्र बनवाने का निर्णय लेने की कृपा करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पार्टेंट मैटर मेरे क्षेत्र में हुआ है। मैं अभी-अभी वहां से आया हूं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं सरकार को अवगत करा दूं ताकि they may come in movement. मैं यह चाहता हूं कि वह कार्यवाही करें। मेरे क्षेत्र में आज से दस दिन पूर्व एक लावारिस लाश मिली और उस पर घातक वार किये हुए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ कह रही है कि उसके सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हुई। लावारिस लाश मिलने से एक दिन पूर्व उस गरीब की विधवा मां किशनगंज थाने में रिपोर्ट करने गयी कि मेरा बेटा लावारिस है, लापता है। लापता की रिपोर्ट होने के बावजूद भी जब रामगंज थाने में यह लाश मिली तो उसको लावारिस लाश मान करके जला दिया गया। दो दिन बाद उसकी जब शिनाख्त हुई तो उसकी मां और उसके रिश्तेदार गये। शिनाख्त करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी कि लाश मिलने से एक दिन पूर्व उसको मकान मालिक और उसके मिलने वाले कुछ साथी लोग ले गये थे और इसको मारा था। अब वह हत्या के प्रकरण में परिवर्तित हो गया।

इसमें मेरा निवेदन करना यह है मेघवाल जी, कि उसमें इंगित हो रहा है, संघ परिवार के लोग सारे के सारे हैं और इसीलिए पुलिस हरकत में नहीं आ रही। कल भी दो घन्टे तक रास्ता जाम हुआ और आश्वासन मिलने पर कि केस दर्ज कर लिया जायेगा, रास्ता खुला किन्तु रात को ढाई बजे तक, खबरें छपने तक केस दर्ज नहीं हुआ।

इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि शहर उद्वेलित हो रहा है और इसमें कोई भी हो, आप तो इसके हामी हैं,

(13.00)

कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुजरिम कोई भी हो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अब आप इससे ऊपर उठ करके इसमें कार्यवाही करें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय विधायक ने जिस तरह के तथ्य रखकर एक अपराध के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एस. पी. को स्पष्ट निर्देश दे दिये जायेंगे कि वह बिल्कुल बिना किसी कार्नर से प्रभावित हुए इसमें निष्पक्ष कार्यवाही करें। उसमें मैं स्वयं उनसे इस बात की रिपोर्ट मागूंगा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

उपनिवेशन विभाग

श्री अध्यक्ष : श्री गंगारामजी चौधरी राजस्व मंत्री, राजस्व उपनिवेशन विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7)

(श्री गंगाराम चौधरी)

राज/उप/80 पार्ट दिनांक 3 नवम्बर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन भाखरा तथा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में मंडियों में भूमि का विक्रय एवं भू-आवंटन शर्तें, 1973 की शर्त 2 (3) समहित शर्त 3 (1) के अनुसरण में इन्दिरा गांधी नहर एवं भाखरा परियोजना क्षेत्र में जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ की मण्डियों के लिए मण्डी विकास समिति मुख्यालय हनुमानगढ़ का गठन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) राज/उप/80 पार्ट दिनांक 3 नवम्बर, 95 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन भाखरा तथा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में मण्डियों में भूमि का विक्रय एवं भू-आवंटन शर्तें, 1973 की शर्त 2 (3) सपठित शर्त 3 (1) के अनुसरण में इन्दिरा गांधी नहर एवं भाखरा परियोजना क्षेत्र में जिला गंगानगर की मण्डियों के लिए मण्डी विकास समिति मुख्यालय हनुमानगढ़ का गठन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (14) उप/95 दिनांक 23 फरवरी, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन कतिपय अधिकारियों को कलक्टर के समस्त कृत्यों का पालन और समस्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या प. 3 (57) उप/95 दिनांक 26 फरवरी, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या प. 4(2)कोल/92 दिनांक 1 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है; तथा (6) अधिसूचना संख्या प. 4 (27) उप/रेव/84 दिनांक 1 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अधीन भूमि के अन्तरणों के विधि मान्यकरण के लिए शमन फीस की रकम पर अठारह प्रतिशत ब्याज भी देने का प्रावधान किया गया है।

परिवहन विभाग

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 18 (4) गृह/परि/79 दिनांक 24 जुलाई, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति की गयी है;

(2) अधिसूचना संख्या प. 18 (4) गृह/परि/79 दिनांक 21 सितम्बर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति की गयी है;

(श्री रोहिताश्व)

(3) अधिसूचना संख्या प. 6 (2) गृह-7/76 दिनांक 29 सितम्बर, 1995 जिसके द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, राजस्थान में सदस्य के पद पर नियुक्ति की गयी है तथा कार्य मुक्त किया गया है ;

(4) अधिसूचना संख्या प. 24 (1) गृह-7/76 पार्ट–II दिनांक 3 फरवरी, 1996 जिसके द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के अशासकीय संचालक के रूप में तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है ;

(5) अधिसूचना संख्या प. 24 (1) गृह-7/76 पार्ट–II दिनांक 3 फरवरी, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम में शासकीय निदेशक के पद पर नियुक्ति की गयी है ; तथा

(6) अधिसूचना संख्या प. 3 (1) परि/91 दिनांक 24 फरवरी, 1996 जिसके द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा को कुशलगढ़ उप खण्ड क्षेत्र में मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1994-95

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाशजी मेघवाल, खनिज मंत्री कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1994–95 सदन की मेज पर रखता हूं ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी मीणा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :–

ग्राम पंचायत मुख्यालय खजूरी पंचायत समिति नैनवां के बैरवा मोहल्ले में खरंजा व नाली निर्माण बाबत

(1) ग्राम पंचायत मुख्यालय खजूरी पंचायत समिति नैनवां के बैरवा मोहल्ले में खरंजा व नाली निर्माण बाबत; 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

ग्राम छाड़ेदा से माल में होकर ग्राम भीण्डी जाने वाले रास्ते पर बाण्डी को खाल पर पुलिया निर्माण बाबत

(2) ग्राम छाडेदा से माल में होकर ग्राम भीन्डी जाने वाले रास्ते पर "बान्डी का खाल" पर पुलिया निर्माण करवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

विधायी कार्य:विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, प्रभारी मंत्री, राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को पुर: -

(श्री अध्यक्ष)

स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर : स्थापित भी करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को पुर : स्थापित करता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होना है। उसमें श्री रमाकान्तजी, श्रीमती ताराजी श्रीमती कमलाजी, श्री भंवरसिंह जी, श्री शांति-कुमारजी धारीवाल बोल चुके हैं। अब जो पार्टियों का समय बचा है, भारतीय जनता पार्टी के पास 5 घन्टे 22 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास 3 घन्टे 57 मिनट, जनता दल के पास 30 मिनट, सी. पी. एम. के पास 10 मिनट, निर्दलीयों के पास 1 घंटा 35 मिनट।

श्रीमान् शांतिलालजी खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय वक्तागणों ने इस सदन में अपने विचार व्यक्त किये हैं। पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो तथ्य इस पुस्तिका में है उन तथ्यों को अपने तर्क देकर रेस्टीफाई करने का प्रयास किया है वहीं प्रति–पक्ष के माननीय सदस्यगणों ने इसकी जितनी बुराई कर सकें उतनी करने का एक प्रयास किया है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि यदि कोई तथ्य इस अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है उसके तर्क-वितर्क में न जाकर उसकी सच्चाई के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है, जो नहीं दिया गया है। अब इसमें एक बहुत स्पष्ट संकेत है। संकेत इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 5 वर्षों में इस राज्य के विकास के लिए, लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को जो परेशानियां थीं उनको दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किये गये और उसकी तुलना में उससे पहले वाले 5 वर्षों में किस तरह के प्रयास किये गये। इस अवधि में योजना बना कर कितनी राशि खर्च की गयी कितनी राशि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए उपलब्ध कराई गयी और इससे पहले कितनी राशि खर्च हुई यह दोनों चीजें तो

(९४)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

बिलकुल सही है लेकिन साथ–साथ इसमें यह भी संकेत है, स्पष्ट तौर से कि इन पिछले पांच वर्षों में धन खर्च करने के बाद में लोगों को किस तरह की सुख-सुविधाएं उपलब्ध करवा चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पैसे का जहां तक प्रश्न है कई लोग अधिक पैसा खर्च करके भी सुख-सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पाते हैं। फाइनेन्शियल मैनेजमेंट जिसका अच्छा है वह अपने पास उपलब्ध राशि में से अच्छे से अच्छे तौर-तरीके से खर्च करके सुख-सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। जिस तरह के तथ्य महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अंकित हैं, उनके द्वारा जो पढ़े गये हैं वह बहुत स्पष्ट हैं। कांच की तरह साफ है कि जो तथ्य उन्होंने अपने अभिभाषण में फरमाये हैं, वह बिलकुल सही हैं। उसमें कोई असत्य का लेना देना नहीं है।

प्रतिपक्ष की सदस्यता माननीय कमला जी ने अपनी बात में यह कहने का एक अटेम्प्ट किया है, जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपोजिशन फार दी सेक ऑफ अपोजिशन की दृष्टि से किया है। उन्होंने फरमाया कि गांवों में जो एक हजार की जनसंख्या है, जो पंचायत मुख्यालय है उनको सड़कों से जोड़ने के लिए जनसंख्या का जो वर्ष है वह 1971 लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुलिन्दे में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह 1991 की है। मैंने उस समय उनको इंगित भी किया था कि माननीय कमलाजी, आप यह गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही हैं परन्तु उन्होंने इस तरह की बात कही कि मेरे पास ललित किशोरजी चतुर्वेदी का एक लिखित लैटर आया है कि 1971 के आधार पर यह इस तरह के संशोधन हैं। इस तरह जानबूझकर किसी तथ्य को भ्रमित रूप से प्रदर्शित करके जनता को यह मैसेज देना, मैं यह समझता हूं, कदापि उचित नहीं है।

इसी तरह उन्होंने फरमाया कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में रात–दिन का अन्तर है। रात–दिन का अन्तर जमीन–आसमान का अन्तर–इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए माननीय कमलाजी ने अपनी बात कही है। मुझे लगता है कि यह भी सिर्फ विरोध करने के मकसद से विरोध किया है और इस तथ्य का भी, इस शब्दावली का भी, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान राज्य में माननीय शेखावत साहब ने जितने वादे जनता से किये हैं वह सारे के सारे वादे पूरे किये हैं। (व्यवधान)

मैं सारा बता दूंगा अभी। मेरी बात तो पूरी हो जाय। तब आप बोलियेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप मेरी बात सुनना चाहते नहीं और एक मिनट लेना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी बातों का जवाब मुख्य मंत्री जी देंगे। आप उनको भाषण पूरा करने दें। बिराजिये, रामनारायण जी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : व्यापारियों

(श्री रामनारायण)

से चुंगी लेती है सरकार। (व्यवधान) चंदा लेती है और चुंगी भी लेती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, सभी लेते हैं चंदे।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों को यह वादा भी किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में उनको दिये गये ऋण माफ कर दिये जायेंगे। क्या हमने वह ऋण माफ नहीं किये ? 326 करोड़ रुपये के ऋण माफ किये हैं किसानों के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के।

हमारी सरकार ने बारानी भूमि का लगान माफ करने का वादा किया था। बारानी भूमि का लगान माफ कर दिया। क्या यह बात सही नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाया जायेगा और उनको प्राथमिकता दी जायगी। उसके अनुसार जो पहले 12 प्रतिशत आरक्षण था। रोजगार की दृष्टि से उसको 45 प्रतिशत किया है और ग्रेड थ्री के अध्यापक, क्लास फोर्थ। (व्यवधान) सुन लीजिये मेरी बात, आपकी यदि किसी तरह की कोई बात हो तो बतायें। क्लास फोर्थ के रिक्रूटमेन्ट में क्लास थ्री के अध्यापकों के रिक्रूटमेंट में, कान्स्टेबुलरी के रिक्रूटमेंट में 45 प्रतिशत आरक्षण मार्क किया है जिससे निश्चित तौर से उन गरीब लोगों, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आते हैं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, को लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि कमला जी ने जो फरमाया कि कथनी और करनी में अन्तर है, तो यह कथनी और करनी में अन्तर कहीं नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कई मुद्दे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, टीका-टिप्पणी नहीं आपका नम्बर आयेगा तब आप भी बोल लेना। उनको अपनी बात कहने दो। Let him say.

श्री शांतिलाल खोईवाल : जो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत के द्वारा 1989–90 में अपना शासनकाल दुबारा शुरू किया था उस समय उन छात्रावासों में मैस भत्ता मात्र 150 रु. दिया जाता था, आज 350 रु. दिये जा रहे हैं। थोड़ा आनुपातिक दृष्टि से इसका परीक्षण करें, जांच करें। कहां 350 रु. और कहां 150 रु.। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 350 रु. पर्याप्त हैं। 350 रु. भी पर्याप्त नहीं हैं लेकिन ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो बातें कह रहे हैं उस दृष्टि से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जेल में उनके खाने के लिए राशि तय नहीं है। इनके लिए एक मानदंड बना हुआ है कि आधा किलो आटा, 200 ग्राम दाल, 100 ग्राम तेल। इस तरह की क्वांटिटी में बंधकर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी पढ़ रहे है, हमारी मंशा है कि उन्हें अच्छी सुख-सुविधाएं दी जाये, वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करें तो उनको राशि में न बांधे और मेहरबानी करके इस राशि के बजाय उन्हें जो मैस की आवश्यक खाद्य

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

सामग्री है वह तय कर दें। निश्चित रूप से वह जो गरीब लोग हैं उनका 350 रु. में काम नहीं चलता। मैं नहीं समझता कि 350 रुपये में उनका काम चल जाता है। वह या तो हाफ फेड रहते होंगे या आधे भूखे रहते होंगे या फिर उनका स्तर अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि 350 सौ रुपये में किसी व्यक्ति को दोनों टाइम का भोजन और चाय पान की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको मैस भत्ते के रूप में न लेकर जो न्यूनतम खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है उस सामग्री का मानदंड तय कर दें तो निश्चित रूप से जो हमारा हेतु है, उद्देश्य है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को शिक्षित करके उनको सुख–सुविधाएं देने का दायित्व है वह पूरा हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की बात चली तो मैं हाउस को निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी देना चाहूंगा, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति साफ्ट कॉर्नर राजस्थान सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता तो क्या किसी वाल्मिकी वर्ग के व्यक्ति को वाइस चांसलर जैसे अच्छे ओहदे पर योग्यता के आधार पर बैठाया जा सकता था। मैं नहीं समझता पहले तो आप सिर्फ इस जात नाम से उनके कन्धों पर बंदूक रखकर शिकार किया करते थे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। हमारी वास्तविक इच्छा है, हमारी मंशा है कि जो अनुसूचित जाति के लोग अच्छे, योग्य हैं उनको उनकी योग्यता के अनुरूप पद मिले।

यही नहीं, आज आर. पी. एस. सी. वाला जो मामला है, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य मेरी मदद कर रहे हैं, मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूं कि अब आर. पी. एस. सी. का चेयरमैन भी अपनी योग्यता के आधार पर वहां पद-स्थापित हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि पहले जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का कानूनी तौर से हक बनता था वह हक उन्हें नहीं मिला परन्तु आज अनुसूचित जाति का व्यक्ति वहां बैठा हुआ है तो निश्चित तौर से इस वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। वह जो उनका हक है, उनका हक दिलवाने की पूरी कोशिश करेगा। मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं। निश्चित तौर से, देखिये, आपके प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि बिलकुल ठीक है।

यही नहीं, विकास के कामकाज की दृष्टि से इस पूरे पुलिन्दे में तुलनात्मक आंकड़े दिये गये हैं। 1985 से 1990 तक के और 1990–1995 तक के आंकड़े देखकर महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी बात कही है। आंकड़ों के आधार पर यदि किसी बात का प्रस्तुतीकरण होता है तो वह ज्यादा विश्वसनीय होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि हम यह कह दें कि हमने यह मीर मार लिया, हमने वह मीर मार लिया, हमने मीर मारा तो कैसे मारा, इसका प्रस्तुतीकरण है।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

यही नहीं, जहां तक कृषि का प्रश्न है, कृषि विकास के लिए पिछले 5 वर्षों में जो राशि खर्च हुई है, उससे ठीक पहले 1985–1990 में उससे आधी धनराशि खर्च हुई थी। अब कहिये, आपने पैसा तो खर्च किया है लेकिन वास्तव में इसका लाभ किसानों को या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिला है या नहीं मिला हैं ? तो यह स्पष्ट इंगित करता है, इसी पुस्तिका में स्पष्ट तौर से इंगित होता है कि हमारे कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, तिलहन में बढ़ोतरी हुई है, खाद्यान्न सामग्री में बढ़ोतरी हुई है। यह सारी बढ़ोतरी इस बात को इंगित करती है कि वास्तव में जो अधिक राशि राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान की कृषि के लिए खर्च हुई है, उसका आम जनता को लाभ मिला है। इससे राजस्थान के किसानों की, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बहबूदी बढ़ेगी। उनका आर्थिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा।

सिचाई का जहां तक प्रश्न है, सिचाई में भी काफी पैसा खर्च हुआ है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से ठीक दुगुना पैसा खर्च हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि पैसा विकास के लिए खर्च करना ठीक है लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हो, यह भी बहुत जरूरी है। बीसलपुर परियोजना मूल रूप से पेयजल योजना के रूप में बनायी गयी थी और मेवाड़ के 4 जिलों पर यह पाबंदी लगायी गयी थी कि वहां पर किसी तरह के एनीकट या छोटे–छोटे बांधों का निर्माण नहीं होगा क्योंकि वे कैचमेंट एरिया में आते हैं और कैचमेंट एरिया में आने के कारण यदि वहां छोटे एनीकट, छोटे बांधों का निर्माण होगा तो बीसलपुर योजना, जो एक मूल रूप से पेयजल की दृष्टि से बनायी गयी है, से वास्तविक लाभ लोगों को नहीं मिल पायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी मिली है, जहां तक पेयजल का प्रश्न है, बिलकुल पेयजल समस्या का समाधान होना चाहिये, निराकरण होना चाहिये, इस ओर प्रयास होने चाहिये, पेयजल की दृष्टि से यह योजना ठीक है लेकिन आज वहां पर सिचाई के लिए भी नहरों का निर्माण कराया जा रहा है और वह मेवाड़ के 4 जिलों के लोगों की कीमत पर हो रहा है। वैसे तो कहते हैं कि आप पानी रोक नहीं सकते और वहां पर सिचाई के लिए नहरें बन रही वो नहरें हैं। क्या हमारे यहां निर्माण नहीं हो सकती ? चित्तौड़गढ़ जिले में निर्माण नहीं हो सकती, उदयपुर जिले में निर्माण नहीं हो सकतीं, भीलवाड़ा जिले में निर्माण नहीं हो सकती राजसमन्द जिले में निर्माण नहीं हो सकती ? यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में माननीय सिचाई मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। सिचाई मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से पेयजल की समस्या की जो विकट स्थिति बनी हुई है आज 4 जिलों में, उसका भी स्वत: समाधान हो जायेगा।

घोसूण्डा बांध के लिये निवेदन करूं मैं आपको वहां पर डाउन स्ट्रीम सरफेस पर करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर बेउच नदी पर 7–8 लिफ्ट योजनाएं राजस्थान सरकार ने पैसा खर्च करके निर्मित की है उन पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ है लेकिन उन बांधों के निर्माण के बाद नदी में एक बूंद भी पानी

(98)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

नहीं मिलता । जितना पैसा खर्च किया है वह सारा का सारा बरबाद हो गया है। मेरा माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि बांध निर्माण करने के लिए हिन्दुस्तान जिंक को इजाजत दी है, अच्छी बात है, एक आपका प्रतिष्ठान चित्तौड़गढ़ जिले में लगा है लेकिन उन किसानों, जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर करती है, की पूरी की पूरी आजीविका पानी के बिना पूरी नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि वहां पर छोटे–छोटे 7–8 एनीकट बना कर पानी को रोका जाय ताकि जो जलोत्थान योजनाएं हैं पुनः चालू हो जायें और किसान अपनी आजीविका कमा सकें।

रेल मगरा की स्थिति, बनास नदी की स्थिति ऐसी ही है। बनास नदी पर आज एनीकट या छोटे मोटे बांधों का निर्माण एक भी स्वीकृत नहीं है और उधर रेल मगरा तहसील में हिन्दुस्तान जिंक की एक बहुत बड़ी दरीबा माइंस है और वह इतनी गहरी है कि आसमान का सारा पानी भूमिगत पानी उसमें आ जाता है, उसको पम्प आउट करके बाहर फेंक दिया जाता है जो पानी पीने योग्य नहीं होता है। उस क्षेत्र की स्थिति, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी है कि आज रेल मगरा में सात दिन में एक दिन पानी मिल रहा है और वह भी एक उचित योजना नहीं होने के कारण से कभी कहीं से पानी लाते हैं पाइप बिछा करके और कभी कहीं से लाते हैं। तो योजना तो बनती नहीं है जो मूल रूप से बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय को अच्छी तरह से मालूम है, रेल मगरा का आधा हिस्सा आपके विधान सभा क्षेत्र में आता है लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरे ख्याल से अपनी बात को कह नहीं सकते। तो मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि रेल मगरा में जो बनास नदी गुजरती है वहां पर अकाल में एनीकट्स का निर्माण करने से लाभ नहीं मिलेगा। अकाल राहत के मदों में यदि एनीकट का निर्माण होता है तो न तो क्वालिटी की दृष्टि से मजबूत बन पायेंगे और न ही पूरे बन पायेंगे और न ही अकाल राहत मद में इतना पैसा खर्च कर पायेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध है, पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी से अनुरोध है कि उस क्षेत्र की पेयजल की और सिंचाई की समस्या का आप वास्तव में निराकरण करना चाहते हैं तो वहां कम से कम 4–5 मीटर ऊंचे एनीकट का निर्माण करना पड़ेगा। भूमिगत जल प्रवाह होगा और वहां के किसानों के कुओं में पानी आयेगा तो वहां की पेयजल की समस्या का स्वतः ही निराकरण हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय आज परेशानी इस बात की है, हमारे मुख्य मंत्रीजी की मंशा बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, राजस्थान के विकास के लिए किसी न किसी संस्था के माध्यम से, केन्द्र सरकार से, वर्ल्ड बैंक से अपनी योजनाए स्वीकृत करवा कर ले आये हैं, विकास के कामकाज बहुत हो रहे हैं, चिकित्सा विभाग का मुद्दा हम टेकअप करें तो आज 700 के लगभग सब सेंटर खोलने की मंत्री महोदय ने घोषणा की, करीब 10 सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की है, करीब 90 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा की है लेकिन उनमें क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

रखा गया है। जब मैंने यह जानकारी लेनी चाही मंत्री महोदय से तो मंत्री महोदय ने बताया कि अमुक अधिकारी से सम्पर्क करके पता लगावें कि आपके वहां क्या क्या हुआ है। मैंने डाक्टर साहनी से सम्पर्क किया तो मुझे बताया गया कि आपकी रेलमगरा तहसील में जनसंख्या की दृष्टि से जरूरत से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम 200 माननीय सदस्य यहां पर बिराजे हुए हैं और सत्र देर रात तक चलता है, 200 माननीय सदस्यों के लिए भोजन आता है और यदि उसको 110 लोग ही जीम जाते हैं तो उन 90 लोगों का क्या होगा। आपने मात्रा तो पूरे 200 के लिए मंगायी है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय कि मेरे यहां सात पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं जो एक चक में हैं उनमें चिकित्सा सुविधा के नाम पर एक भी कंपाउण्डर नहीं है। चारणा जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर, सांसरिया जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर, बनडिया जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर, पीपली/डोढिया जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं हैं जो एक पूरा का पूरा हिस्सा है रेलमगरा तहसील का अन्य स्थानों पर राजनैतिक दृष्टि से नजदीक–नजदीक उप स्वास्थ्य केन्द्र खुल गये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल गये हैं। तो उस समय जो अन्याय हुआ था उस क्षेत्र के प्रति वह कम से कम आप तो ठीक करें, माननीय मंत्री महोदय। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेहरबानी करके जो क्षेत्र छूट गये हैं और वहां के लोगों को अपनी चिकित्सा और उपचार के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है वहां पर कम से कम दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलें ताकि उन लोगों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : मावली के लिए भी थोड़ा बोल दें।

श्री अध्यक्ष : क्या आप नहीं बोल सकते ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी मिली है कि पशु चिकित्सालय इस बार काफी संख्या में खोले गये हैं। मैं जानकारी शब्द जान-बूझकर प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला है। आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करूं, उदयपुर सम्भाग में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से ब्राह्मणिया कलां ने पहला इनाम प्राप्त किया, पीपली डोढिया ने दूसरा इनाम प्राप्त किया है। अब जहां पर दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से इतनी मात्रा में दूध संकलन होता है वहां पर आपके पशु चिकित्सालय नहीं हो, माननीय मंत्री महोदय, तो फिर कहीं न कहीं आपको क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री रामनारायण मीणा : जालोर में ज्यादा खोले हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अब कहां खोले, कहां नहीं खोले, मैं तो मेरी बात कर रहा हूं। मेरे यहां दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से पूरे सम्भाग में सर्वोत्कृष्ट स्थान है और इस सम्बन्ध में समय-समय पर इनाम भी मिला है लेकिन इस दृष्टि से उसको नेग्लेट किया है, मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। पहले भी मैंने निवेदन किया है

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

कि विकास के लिए पैसे तो बहुत खर्च हो रहे हैं, बहुत नयी नयी संस्थाएं खोल रहे हैं। लेकिन जब तक हम क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक मैं समझता हूं जितना संतोष राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पायेगा।

यही हाल तकनीकी शिक्षा का है। तकनीकी शिक्षा में कई आई. टी. आई. खुले हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : कृपया मेरी बात सुन लीजिये, मैंने तथ्य निवेदन किये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय खोईवाल साहब, जल्दी समाप्त करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : तकनीकी शिक्षा में चित्तौड़गढ़ जिले की और राजसमंद की पूरी की पूरी अनदेखी की गयी है और अनदेखी इस तरह से की गयी है कि राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में, वैसे तो राजसमंद जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय होने के बावजूद आई टी.आई. जैसी छोटी सी संस्था नहीं हो....

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप उधर ध्यान दीजिये माननीय अध्यक्षजी की तरफ। तो रेलमगरा के लिये पैरवी करूं तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जिला मुख्यालय पर ही नहीं है। तो यह कहीं न कहीं सरकारी एजेंसी इंफार्मेशन जिस ढंग से मंत्री महोदय को फीड करती हैं वे उपयुक्त ढंग से उसका अध्ययन किये बिना ही इन्फार्मेशन दे देते हैं और उस आधार पर निर्णय लिया जाता है तो यह बात ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर आई टी.आई. की मांग तो क्या करूं, वहां पर पोलीटैक्निक कालेज खोलने की गुंजाइश है। इसलिए है कि वहां पर 250–300 के लगभग गेंग सा है। जे.के. टायर फैक्ट्री है। हिन्दुस्तान जिंक माइन्स में तकनीकी ज्ञान वाले को और तकनीकी डिग्री वाले को ही रखते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि आई.टी.आई. के साथ साथ पोलीटैक्निक कालेज खोलने की वहां पर महती आवश्यकता है। मंत्री महोदय यद्यपि यहां पर विराजमान नहीं है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी तक मेरी आवाज पहुंचे, मेरी यह इन्फार्मेशन पहुंचे और वे इस बारे में ध्यान दें। उस क्षेत्र के प्रति मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वहां पक्षपात किया गया है लेकिन जिस तरह की इन्फार्मेशन एजेंसीज फीड करती है उस एजेंसी पर रिलाइ करके निर्णय लिया जाता है तो यह बात अच्छी नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जो मूल तथ्य हैं उनके बारे में ध्यान दें और क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से विकास के काम काज के बारे में निर्णय लिया जायगा, ध्यान रखा जायगा तो उचित होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

एक माननीय सदस्य : हवाला से निकाल दिया है ना ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, आपस में कमेंट न करें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय .. (व्यवधान) शायद इन्होंने आडवाणी जी को नजदीक से देखा है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : मदनलाल खुराना से पूछिये।

श्री अध्यक्ष : मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से प्रार्थना करता हूं कि अनरूली सींस पैदा न करें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में मैं अपने आपको असहाय महसूस कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका आधार यह हैं कि राज्य के विकास की भावी दिशा के बारे में क्या कोई संकेत मिल रहा है ? इस अभिभाषण को देखने से पता चलता है कि कोई संकेत इसमें नहीं है। विकास की बुनियाद का जो ढांचा खड़ा किया जा रहा है क्या उसकी कोई परिकल्पना इस अभिभाषण मे की गयी है ? अध्यक्ष महोदय, जो उपलब्धियां बतायी गयी हैं क्या उसका कोई असर राज्य की जनता पर पड़ा है ? क्या राज्य की जनता को उससे कोई लाभ हुआ है ? क्या अभिभाषण में इस बात का कोई संकेत मिलता है कि सरकार ने जो इतनी नीतियां घोषित कीं, खनिज नीति, पर्यटन नीति, उद्योग नीति, उनका क्या हुआ ? क्या राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का कोई संकेत है कि जहां पूरे देश में कानून-व्यवस्था ठीक हो रही है, हमारे राज्य में क्यों इसमें बिगड़ाव आ रहा है ? क्या राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात की कोई चिंता व्यक्त की गयी है कि 26 जनवरी, 1996 को राजस्थान और जयपुर देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात के लिये जाने गये कि यहां पर कानून और व्यवस्था बिगड़ रही हैं ? जम्मू कश्मीर में यह बात नहीं हुई, पंजाब में यह बात नहीं हुई, जहां हालात बिगड़ गये थे वहां तो सुधर रहे हैं और जिस प्रांत के अन्दर इस प्रकार की स्थिति पहले नहीं थी, वह स्थिति 26 जनवरी, 1996 को हमको देखने को मिली। जबकि इस चीज का संकेत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से नहीं मिलता है। तो, मान्यवर, इसको पचाना बड़ा मुश्किल है। राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् अभी जो घटनाक्रम हुआ उसने भी जाहिर किया कि चाहे कोई खुद ही इसे पढ़े, इसे डाइजेस्ट आसानी से नहीं किया जा सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों हुआ ? एक नयी संस्कृति दी गयी है, 85 से 90 और 90 से 95, ऐसा देने में कोई गलती नहीं है पर यह जाहिर किया गया है, 92 से 95 में हम राज में थे, पर आप से बेटर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी यदि इसके साथ एक फिगर और जोड़ दें 77 से 79 तो इनकी अंत्योदय अधूरी रह जायगी, ये बिलकुल बौने नजर आयेंगे। फिगर के सम्बन्ध में अगर 77 से 79 के फिगर को देखा जायगा तो कहां चले जायेंगे ? क्या हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी से बात नहीं कह रहे है। भोलीभाली जनता को बहकाने का कुप्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई गाड़ी 1950 में पांच हजार रुपये में आती थी

(श्री जगदीप धनखड़)

और आज वह पांच लाख रुपये में आती है तो इसी गाड़ी को परचेज करने के लिए क्या कह देंगे कि हम सौ गुणा ज्यादा कार्य कर रहे हैं। इन आंकड़ों के मायाजाल में राजस्थान की जनता को फंसाना और अपनी कमजोरियों को ढकना, मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्वस्थ प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पांच सालों के आंकड़ों को अगर देखें और पहले पांच सालों के आंकड़ों को देख कर पूरी स्थिति देश की देखें तो जो वाह-वाही यहां हम लूट रहे हैं, पूरे देश की स्थिति इससे बैटर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि आप आंध्र प्रदेश को ले लीजिये, महाराष्ट्र को ले लीजिये, गुजरात को ले लीजिये, उनके भी कम्पेरेबल आंकड़ों को यदि आप लेंगे 85 से 90 और 90 से 95, तो उनमें भी कम्पेरीजन इस प्रकार का होगा। हां, एक बात है पूरे राष्ट्र का कम्पेरीजन यदि आप लेंगे तो आपकी परफारमेंस, माननीय मुख्य मंत्रीजी, राष्ट्र के एवरेज से नीचे है। मान्यवर, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि देश का जो इकानामिक सर्वे 95-96 आया है उसमें दर्शाया गया है कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करण्ट डोमेस्टिक प्राइसेस, उसमें बताया गया है अलग-अलग प्रांतों की क्या हालत है और यह कहा गया है कि राजस्थान में 1985-86 में यह 7600 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर था और अब 93-94 में 24,000 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी वाहवाही लूटेंगे कि तीन गुणा ज्यादा है पर, मान्यवर, सभी प्रांतों का यही हाल है और आपसे बैटर हैं। कई प्रांतों में तो चार गुणा है। यदि महाराष्ट्र की स्थिति ली जायगी तो उसमें 26 हजार करोड़ था जो आज के दिर 91 हजार करोड़ है, मोर देन थ्री टाइम्स। तो समझ में नहीं आता कि किस आधार पर आंकड़ों के बारे में आप कहना चाहते हैं आइसोलेशन कि हमारा अचीवमेंट बहुत बड़ा कमेंडेबल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नाइंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का यदि हम अध्ययन करें, एक्सपर्ट बोडी है, उन्होंने सभी स्टेट्स का कम्बाइंड एक्सपेंडीचर का फाइनेंशियल पैटर्न दिया है, 1986-87 में जहां करीब 50 हजार करोड़ का कम्बाइंड स्टेट्स एक्सपेंडीचर था वह 92-93 में 130 हजार करोड़ रुपये हो गया। कहने का मतलब अराउण्ड थ्री टाइम्स है। कितने साल में ? इन सिक्स ईयर्स। यदि सैण्ट्रल गवर्नमेंट के मोड ऑफ फाइनेंस को देखें तो 84-85 में जहां 40 हजार करोड़ रुपये था, वह 94-95 में चार गुणा हो गया, 160 हजार करोड़। तो समझ में नहीं आता कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस ओर ध्यान ज्यादा दिलाया गया कि दे आर बैटर। यह गलत है, It is not a healthy practice, it is be fooling the people. असलियत यदि देखी जाय तो मैं समझता हूं कि आप और हम सभी को चिंतित होना स्वाभाविक है। राजस्थान किस कैटेगिरी में आता है ? कहा जाता है, एक एक्सप्रेशन है बीमारू। मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश – इनको बीमारू प्रदेश भी कहा जाता है। इनके जो सोशल पैरामीटर्स हैं वे बड़े नीचे हैं। और

(श्री जगदीप धनखड़)

राजस्थान के बारे में क्या कहा जाता है ? 1994 में यह कहा गया कि महाराष्ट्र में जहां वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई है, गिरावट कहां पर आयी है ? राजस्थान में । किसी भी इकानामिक सर्वे को देख लें, बिहार और राजस्थान में गिरावट आयी है । यह लेटेस्ट है, 1995-96 का इकानामिक सर्वे बाई गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया । अब, मुख्य मंत्रीजी, आपका साथ उत्तर प्रदेश ने छोड़ दिया है, अब आपका साथी बिहार हो गया है । किसमें ? लिटरेसी में । क्यों ? क्योंकि ग्रोस एनरोलमेंट रेश्यो नीचे के क्लासेज में आपके यहां इतना कम है, इतनी चिंता का विषय है कि आपका ध्यान आकर्षित किया गया है कि इसमें सुधार लाइये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में जो नया कल्चर शुरू किया गया हैं, अब स्टार्ट होने जा रहा है, वनमैनशिप का, कहा गया कि अब बैटर हैं, एक अनुभवी मुख्य मंत्री हैं । मैं समझता हूं कि वह स्वयं इस बात के लिए चिंतित हैं कि इस प्रकार की बात क्यों हो गयी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के एक प्रमुख दैनिक ने एक सम्पादकीय लिखा है । उसमें वह लिखा है जो समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को सचेत करता रहता है । जब माननीय मुख्य मंत्रीजी गंगानगर से आये, वहां लिखा गया कि पूरे राज्य का नेतृत्व करने वाला नेता भी आज अपने को चिन्ता की स्थिति में पाता है । उस सम्पादकीय में जब मैंने पढ़ा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपका भाषण भी उसी सम्पादकीय पर है ।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा भाषण हुआ नहीं है । मैंने शुरूआत सम्पादकीय से की है, माननीय अध्यक्ष महोदय । माननीय मुख्य मंत्रीजी भाषण को डाइजेस्ट कर पायेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : बाहर वाश बेसिन्स बहुत हैं ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी यह स्थिति क्यों हुई ? हमारी यह स्थिति इसलिए हुई कि 5 साल में जो हमारे कार्यकलाप हुए हैं उनको ढकने का यह एक तरीका देखा गया है। क्या इस विधान सभा में जयपुर में जो दंगे हुए उनकी चर्चा नहीं हुई थी ? हुई थी । क्या इस विधान सभा में यह मांग नहीं की गयी कि कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 के तहत एक कमीशन बनाया जाय ? बनाया गया । क्या उस कमीशन ने जांच नहीं की ? जांच की । उस कमीशन की रिपोर्ट को यदि पढ़ा जाय तो मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का हर नागरिक चिन्तित हो उठेगा । उसकी समझ में आ जायगी यह बात कि 26 जनवरी, 1996 को यहां बम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ । उसके बाद अच्छी तरह समझ में आ जायगा कि जहां स्थिति पंजाब, जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य जगह सुधर रही है वह राजस्थान में क्यों बिगड़ रही हैं । शुरूआत, माननीय अध्यक्ष महोदय, तब हो गयी जब राज्य के गृह सचिव श्री अरुण कुमार जी ने 15 अक्टूबर, 1991 को आयोग के समक्ष हलफनामा दिया, हम आपको रिकार्ड

(श्री जगदीप धनखड़)

उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। कौनसा रिकार्ड? जिसके तहत आयोग इस कन्क्लूजन पर आना चाहता था कि ऐसी स्थिति और दुर्दशा क्यों हुई। जहां अधिकारिक सूत्रों के अनुसार 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 49 लोग मारे गये। और करोड़ों की प्रापर्टी बरबाद हो गयी। यहीं मामला रूका नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय के भी दरवाजे खटखटाये गये, इस कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जाय। उसमें अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अरूणकुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी चिन्ता का विषय हैं कि जिस व्यक्ति ने 15 अक्टूबर, 1991 को एक हलफनामा दिया, जिसके तहत पूरी टीम काम कर रही थी उसने उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाये सरकार की तरफ से कि आज के दिन इस कमीशन ने जो कन्क्लूजन्स दिये हैं उन पर क्या कार्यवाही की जाय। उस टीम का नेतृत्व मिस्टर अरूणकुमार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आपत्तिजनक है, माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और समय रहते हुए वांछित कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कन्क्लूजन्स क्या हैं?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने कन्क्लूजन्स की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना उचित समझा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्क्लूजन्स पढ़ते हुए किसी का भी दिल दहल उठेगा, विशेषकर जन प्रतिनिधि का। उस टिबरेवाल कमीशन, जिसके बारे में अखबारों में इतना आ चुका है, ने सरकार को क्लीन चिट दी है। उस टिबरेवाल कमीशन ने आगे कहा है और यह लिखा है,

"I quote, page-90, "Lastly, the police administration with-held important piece of documentary evidence in the form of wireless log-books maintained in police control room. The wireless log-books of 24th and 25th October, 1990, and even of the later period could have been of great help to appreciate and Judge the communal atmosphere, the law and order situation and events which developed and took place form time to time. These log books should have been produced but except of the relevant days, no satisfactory explanation has been given for their non-production. Thus, the Commission has been deliberately deprived of the important documents in the form of log-books which could have thrown light on the circumstances and approximate causes of the incidents."

माननीय मुख्य मंत्री जी कन्क्लूजन्स यहीं खतम नहीं होते हैं। कन्क्लूजन यह लिखा है पेज 306 पर,

"Wireless log-books maintained at police Control Room were authentic record of all the events

(श्री जगदीप धनखड़)

and incidents transmitted to the Control Room through wireless-sets........"

और उसमें क्या है ? कन्क्लूजन दिया है 311 में ही:

"It would, thus, be clear that all efforts were made by the Commission to get the relevant log-books, but they were not produced for the reasons best known to the police or the District Administration. The evidence discussed herein above has left an impression that the concerned authorities were not anxious to take necessary steps for the production of the log-books."

आगे कमीशन ने क्या कहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ?

"The Commission is also of the view that it was the duty of the Superintendent of Police, Jaipur City to take immediate steps to preserve the log-books. He should have taken them in his custoby on the appointment of Commission by the State Government. A departmental probe is, therefore, recommended to pin-point the responsibility for the lapse.s"

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या डिपार्टमेन्टल एक्शन करेगा ? डिपार्टमेन्टल एक्शन तो होना रहा, वह महाशय डी. आई. जी बनकर आ गये यहां पर। उस समय जो जयपुर के एस. पी. थे, जिनके बारे में कमीशन ने इतनी गम्भीर टिप्पणी की उनको आपने, मुख्य मंत्री जी, डी. आई. जी. बना दिया और उसके तुरन्त बाद 26 जनवरी, 1996 की घटना आपने देख ली। लाग बुक उसकी भी नहीं मिलेगी। Some kind of expertise has been gathered.

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवसर है। ऐसा क्यों हुआ ? आगे. मान्यवर, इसमें कहा गया है एक अधिकारी के बारे में पेज 519 पर—

"A. D. M.(II), Shri Satya Dev Sharma was an important witness as he was supervising Manak Chowk and Ramganj Police areas where maximum communal violence and incidents had taken place."

अब, मान्यवर, कमीशन ने कहा कि हमने लाख कोशिश की कि हम श्री सत्यदेव शर्मा का बयान रिकार्ड करें। इसके लिए कमीशन ने पुलिस को कहा, सरकार को कहा। कमीशन ने कहा:

"....I am convinced that his affidavit was not filed intentionally...."

यह कमीशन कह रहा है। किस का ? सत्यदेव शर्मा का।

"....I am convinced that his

(श्री जगदीप धनखड़)

affidavit was not filed intentionally, nor he was made available to appear before the Commission as in that situation it could have been disclosed that in fact he did not go to the trouble spot when the incidents took place. The Commission also made efforts to call him as a Commission winss, ..."

जब सरकार ने उसके गवाह प्रस्तुत नहीं किया, कमीशन ने प्रयास किया कि हम खुद गवाह कर लें। पर कमीशन क्या करे? कमीशन भी सम्मन तो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही करायेगा ना। उसके बारे में क्या कहते हैं न्यायाधीश।

"... summons were issued and handed over to the Police for service. Unfortunately neither the summons were served on him nor correct address was made available to the Commission...."

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर साम्प्रदायिक सद्‌भाव खतम हो गया। 49 लोग सरकारी आँकड़ों के हिसाब से मर गये, 100 से ज्यादा आहत हो गये करोड़ों की प्रापर्टी नष्ट हो गयी, कमीशन कहता है कि सत्यदेव शर्मा उस एरिया के इन्चार्ज थे। उन सत्यदेव शर्मा को आप लाइये। जब नहीं लाते हो तो कमीशन आपको सम्मन देता है। आप उसको तामील नहीं कराते, उसका पता नहीं बताते और आपके अभिभाषण में एक शब्द नहीं। राजस्थान को आपने देश के उन इलाकों में सम्मिलित कर दिया जहां आतंकवाद की छाया बहुत आसानी से पड़ सकती है। मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। ऐसा ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यहां तक होती तो समझ में आती। बात आप देखिये, 6 एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स थे, कमीशन ने कहा कि जो हालात के ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। आपने एक का भी बयान रिकार्ड नहीं कराया। 'नोट ए सिंगल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट', एफीडेविट किसी का फाइल नहीं किया। हां, एक काम किया। जिस जिलाधीश के बारे में यह कहा गया, जैसे एस. पी. के बारे में कहा गया, Probe, (प्रोब) he should have taken immediate action. वर्ड्स यूज किया है, 'नेग्लीजेन्ट' उनको आपने डी. आई. जी. बना दिया। तो उन जिलाधीश महोदय को भी आपने जयपुर का इन्चार्ज नहीं बल्कि विशाल जयपुर का इन्चार्ज बना दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी, यदि कोई पब्लिक कंटेम्प्ट हो सकती है तो वो पब्लिक कंटेम्प्ट आपकी सरकार ने किया है। तीनों बातें मैंने बतायीं, जिस आदमी ने रोड़े अटकाये उसको तो आपने अध्यक्ष बना दिया उस कमेटी का जो देखेगा कि टिबरेवाल कमीशन की रिकमंडेशन का क्या किया जाय। जिस एस. पी. के ऊपर था प्रोब किया जाय, जिसने लोग बुक्स को डिसएपीयर कर दिया, सब लाग बुक्स अवेलेबल करा दी कमीशन को पर 24 अक्टूबर, और 25 अक्टूबर की नहीं करायी, पता नहीं क्यों उनको डी. आई. जी. बना दिया और जिनके बारे में टिप्पणी की थी कि एक भी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है

(श्री जगदीप धनखड़)

उसका एफीडेविट फाइल नहीं किया गया, आपके सरकारी अधिकारी सत्यदेव शर्मा को नहीं ढूंढ पाये कमीशन के लाख प्रयास के बावजूद। मैं समझता हूं, क्या इस सदन के लिए, राजस्थान की जनता के लिए यह चिन्ता का विषय नहीं है? जो रिपोर्ट आपको 30 जनवरी, 1995 को दी गयी, महीनों तक आपने केबिनेट के समक्ष उसको नहीं रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। 29 मई, 1995 को मैंने एक प्रश्न पूछा कि टिबरेवाल कमीशन की रिपोर्ट आपको मिल गयी है, 29 मई, 1995 को इस पर जवाब लिखा है, जी हां, आयोग की रिपोर्ट का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है, तत्पश्चात् रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जायेगी एवं उसकी आज्ञा के पश्चात् सदन की मेज पर रखी जायगी। मतलब 29 मई, 1995 को इस महत्वपूर्ण डाकूमेंट को केबिनेट तर्क में भी डिस्कस नहीं किया। आप विधायिका को इग्नोर कर रहे हैं, आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? इग्नोरिंग दी एसेंस आफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो क्या एक व्यक्ति का शासन है? मुख्य मंत्री जी, राजस्थान बहुत विशाल है एक व्यक्ति का शासनचाहे व्यक्ति कितना ही अनुभवी हो, जनता के प्रश्नों का निवारण नहीं कर सकता और इसका उदाहरण आज की स्थिति में आप और हम सब देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यदि टिबरेवाल कमीशन तक है, समझ में आता है। बड़ा प्रयास किया गया अखबारों के माध्यम से Tibrewal Commission has exonerated us. Look at the kind of exoneration at the hands of the Commission हर इश्यू के ऊपर आपको सेंसर किया गया। यदि अगर आप तत्परता से कार्यवाही करते तो कम से कम नागरिकों को यह संतोष होता कि भविष्य के अन्दर साम्प्रदायिक सद्भाव इस तरीके से गड़बड़ाया नहीं जायगा। मैं टिबरेवाल कमीशन पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। (व्यवधान) मैंने कंक्लूजन ही पढ़े हैं, मान्यवर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्शन लिया उसको कमीशन ने जस्टिफाई किया या नहीं?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ पढ़ा है, पेजेज बताकर कंक्लूजन्स पढ़े हैं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आप सदन में बहस क्यों नहीं करा देते टिबरेवाल आयोग पर?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कर लेना तो।

श्री विष्णु मोदी : आपने रिपोर्ट पेश की उस वक्त हमने मांग की। अबकी बार यह सदन शुरू हुआ उस वक्त से मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको नोटिस दे रखा है कि टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बहस करायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जरूरी है कि धनखड़ साहब जो पाइंट रेज करें उसमें आप पंचायती करें। (व्यवधान) आपको बोलने दें, वह अनइंटरप्टेड बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : मेरे और धनखड़ साहब के कोई मतभेद नहीं हैं जिससे आप फायदा उठाना चाहें। आप टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट और आपने जितनी भी नीतियां बनायी हैं उन पर भी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते। आप सदन से तो बाहर ही रहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाहर तो कोई रहेंगे या नहीं रहेंगे यह तो कह नहीं सकता लेकिन बाहर रहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। माननीय धनखड़ साहब ने कमीशन की रिपोर्ट का पूरा थ्रेड बेयर डिस्कशन किया है, नेट रिजल्ट क्या निकला वो थोड़ा-सा बता दें तो हमारा भी ज्ञानवर्द्धन हो जायें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इतनी देर से आप समझ ही नहीं पाये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर): अंग्रेजी में था, अंग्रेजी में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह बात सही है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सिर्फ टिबरेवाल कमीशन तक सीमित नहीं है। 15 मार्च, 1994 को इस विधान सभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटा संभाग से दूषित केरोसिन के उपयोग के फलस्वरूप हुई दुर्घटना के बारे में यह घोषणा की थी और कहा था कि 25 लोग मारे गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी दर्दनाक घटना थी। विधान सभा सत्र चल रहा था, लोग मर रहे थे, कोटा जैसी विशाल महानगरी में मर रहे थे, प्रशासन ने राज्य सरकार को सूचित नहीं किया। 25 मौतों के लिए तो अधिकारिक रूप से मुख्य मंत्रीजी ने अपने बयान के अन्दर कहा। मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जूडिशियल मैम्बर इसकी इंक्वायरी करेंगे और एक जुडिशियल मैम्बर को यह काम सौंप दिया गया है। जांच चालू हो गयी। मैंने बीच में पूछा, जांच का क्या हो रहा है? जवाब आया, जांच बंद कर दी गयी। मैं चिन्तित हुआ, मैंने कहा, जांच बन्द क्यों कर दी गयी? बोले, जांच इसलिए बन्द कर दी गयी कि सम्बन्धित लोगों का चार्जशीट हो गया। तो जांच चालू का विषय चार्जशीट से सम्बन्ध का था ही नहीं। इस सदन में जो प्रोसिडिंग्स 15 मार्च, 1994 को हुई उसको आप देख लीजिये ब्लैक आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ए पर्टिकूलर एरिया का इश्यू था। कहा था कि डिविजनल कमिश्नर रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कलक्टर होना चाहिए, पटवारी तक होना चाहिए। गांव-गांव में, शहर–शहर में जब इस प्रकार की दुर्घटना हो रही है, अस्पतालों के अन्दर मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके बावजूद भी किसी को रेस्पांसिबल होल्ड नहीं किया जायेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वो सरकार है जो एक पुलिस अधीक्षक को इसलिए सस्पैंड कर देती है कि उसने एक तबादले के अन्दर अटैचमेंट वर्ड यूज कर दिया।

ऐसी स्थिति में यह उम्मीद की जाती

(श्री जगदीप धनखड़)

थी कि जहां इतने लोगों की मौत हो गयी Someboy should be responsible. कोई इंक्वायरी तो हो। रूल 17 और रूल 16 की तो नहीं है पर बंद क्यों कर दिया और बंद किस आधार पर कर दिया? कि चार्जशीट हो गयी। तो राजस्थान विधान सभा में 15 मार्च, 1994 को जो डिबेट हुई, उस डिबेट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा कि हमें सुधरने का मौका मिलेगा, दोषी आदमी हैं दण्डित होने चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन की किसी विंग में यह सूचित नहीं किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या राज्यपालजी के अभिभाषण में इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए था कि जो 15 मार्च, 1994 की घोषणा की गयी, जिन जुडिशियल मैम्बर को यह कार्य दिया गया, जिन जुडिशियल मैम्बर ने यह कार्य काफी समय तक किया। यह चर्चा है कि उनकी रिपोर्ट बहुत अन-पैलेटेबल डिस्क्लोजर्स करती इसलिए आपने बंद कर दिया। एक बार तो एक कमीशन जिसने 4-5 साल तक गहन अध्ययन करने के पश्चात् कुछ कंक्लूजन्स दिये हैं it is a literary piece उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके अन्दर उस अधिकारी को बैठा दिया जो × × था। दूसरे में आपने अबार्शन ही कर दिया। रिपोर्ट ही नहीं आयी और कारण दिया Some people have been prosecuted माननीय अध्यक्ष महोदय, this is not the kind of responsive governance in a democrotic society. जब इस विधान सभा में घोषणा कर दी गयी कोटा केरोसिन दुःखान्तिका के ऊपर रिपोर्ट आनी चाहिए थी। तो ग्रेड वेयर डिस्कशन होता few heads would have rolled, पर ना, हैड्स को रोल करने की परम्परा कहां है, हैड्स को तो रिवार्ड करने की परम्परा है जैसा पूर्व में मैं आपको कह चुका हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कोटा तक ही सीमित नहीं है। पत्रकारों के ऊपर डंडे पड़े ब्यावर में और विधान सभा के अन्दर हंगामा हुआ। कुछ लोगों को वहां रास नहीं आया कि पत्रकार नेतागिरी क्यों करें। अगर पत्रकार जनाक्रोश को व्यक्त नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ब्यावर के पत्रकारों ने यह बीड़ा उठाया। पुलिस के डंडे उन्होंने बरदाश्त किये। प्रतिपक्ष के 4 सदस्यों की एक टीम वहां पर गयी। इस सदन के अन्दर घोषणा की गयी, a member of Board of Revenue this time not judicial जांच करेगा, वो रिपोर्ट कहां गयी? क्यों भूल गये? तब तो चर्चा हो रही थी कि 15 दिन में ही हो जाना चाहिए, Are we really responsive? We are not.

(14.00)

यही कारण था कि महामहिम राज्यपाल महोदय इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको देश का पूरा ज्ञान है, कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन के तहत उन्होंने इस भाषण को पढ़ तो दिया पर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाये। अध्यक्ष महोदय, यदि देश की स्थिति को देखा जाय तो आज के दिन दुनिया में सब मानते हैं कि भारत के प्रधान मंत्री ने जो हाल में बात कही, Give me stability, I will give you prosperity, मुझे स्थायी पद दीजिये, मैं आपको सम्प-

× × × शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

बता दूंगा, आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दूंगा, लोगों को यह बात गले उतर गयी। क्यों गले उतर गयी? इसलिए गले उतर गयी कि आंकड़े पालिटिकल कम्पेरीजन पर नहीं, रियल कम्पेरीजन पर बेस्ड हैं। मान्यवर, देखिये, अगस्त 1990–91 में इनफ्लेशन की दर जो 17 प्रतिशत थी आज 5 प्रतिशत आ गयी जो 7 साल में सबसे कम है।

मान्यवर, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वह 1991–92 से 1994–95 में डबल हो गये और इसमें राज्य सरकार का जो रोल आता है, जिसके बारे में पहले भी इस सदन में चर्चा हो गयी है, प्रधान मंत्री रोजगार योजना में जहां करीब दो लाख लोग फायदा ले पाये, 1994-95 में 10 भी संख्या नहीं थी। क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है? केन्द्र सरकार से जो अच्छी योजनाएं हमें उपलब्ध हो रही हैं, पूरे देश में एक लाख 96 हजार नवयुवक फायदा उठा रहे हैं, 1994–95 में हमारे यहां 10 की भी संख्या नहीं थी। माननीय उप मुख्य मंत्री बड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे जब उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में इस बात को बताया। अब यह दो लाख 60 हजार का फिगर है यह कोई वाहवाही लूटने की बात नहीं है।

केन्द्र सरकार ने यह घोषणा कर दी कि इन्दिरा आवास योजना में 1985-86 से 1994–95 तक 20 लाख हाउस बने, पर आपने कहा कि हमने तो 10 लाख का टार्गेट रखा है। कहीं अचीवमेंट नहीं है। इ केन्द्र सरकार कहती है, 1989 से 1991 तक का ही डील करेंगे, that would have been petty. A Politician, sir, should never be petty, पालिटिक्स तो बहुत ही नियमों के हिसाब से खेलने वाला मामला है। उसमें यदि तेरी और मेरी की बात आ गयी तो जनता का हित नहीं हो सकता। तो आज के दिन यदि देश की स्थिति को देखते हैं तो मन बड़ा खुश होता है। जिस देश के अन्दर फोरेन एक्सचेंज नहीं था, आज के दिन उससे 16 गुना ज्यादा फोरेन एक्सचेंज है। लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन, टेरेरिज्म सब कब्र्ड है पर जब हमारे राजस्थान की ओर हम देखते हैं तो स्थिति बिलकुल उलटी हो गयी। और जगह बम–ब्लास्ट बन्द और यहां बम–ब्लास्ट ज्यादा हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय, संक्षिप्त करें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप 1.30 से फरमा रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र की ओर ध्यान दें, पंचायती राज की ओर ध्यान दें, पंचायती राज पर मैं बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं कहना चाहूंगा, गांव-गांव के अन्दर इस सरकार ने जो पंचायती राज के प्रति नकारापन दिखाया है, नीचे तक लोगों को पता है। अब तक उनको कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं।

सहकारिता के मामले में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी शीर्ष सहकारी संस्था के आज के दिन चुनाव नहीं हुए हैं। यह कीर्तिमान आप लोगों ने हासिल किया है। आज के दिन पूरे प्रान्त में किसी भी शीर्ष

(श्री जगदीप धनखड़)

सहकारी संस्था में निर्वाचित मण्डल नहीं है । जहां–जहां इन्होंने निर्वाचित मण्डलों को खतम किया, खुद के लोग थे, समय पर काम नहीं किया उनको एक्स्टेंशन देते गये पर जहां कांग्रेस का था उसी दिन कर दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इंगित करता हूं, जब आप नीचे देखते हैं तो मैं इसका अन्दाजा लगाता हूं कि आपका कांशस रिवोल्ट कर रहा है । सहकारिता के क्षेत्र में किस बात की राजनीति ? जो राजनीति का क्षेत्र है उसमें राजनीति की जाय । Co-operation, from everybody concerned, उसके अन्दर किस बात की राजनीति ? उसमें भी राजनीति की जा रही है क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप एक बार कह चुके हैं कि मैं संक्षिप्त में बोलूं किन्तु राजस्थान की जनता को 20 हजार करोड़ से लूटा जाय तो जन प्रतिनिधि संक्षिप्त में कोई बात कह सकता है ?

मुख्य मंत्रीजी फिलहाल हैं नहीं, इस सदन में मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं सस्ते में करूंगा । एक फिगर दिया था दो रुपये से कम का । क्या हम यहां जन प्रतिनिधि की हैसियत से पाई–पाई का हिसाब नहीं मांगें ? और उस स्थिति में नहीं मांगें जिस स्थिति के अन्दर इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के नाम पर इतने सौदे कर दिये ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हरेक विधायक को चिट्ठी लिखी, why not in the House ? वह पालिटिकल आनेस्टी क्यों नहीं हो ? पर चिट्ठी तो जोश में लिखी गयी, उसके पश्चात् जो घटनाक्रम चला उस घटनाक्रम को ट्रांसपेरेंट नहीं कहा जा सकता । वह घटनाक्रम किसी नार्म्स में फिट नहीं होता । इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री चन्दनमलजी बैद ने जो कल बात कही उस बात को आसानी से नजरंदाज नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष महोदय, कुछ भी पचा जाओ कोई बात नहीं पर राजस्थान की जनता के हित को नहीं पचाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या भारत की प्रशासनिक सेवा का अधिकारी लोकायुक्त जुरिस्डिक्शन में है ? मुख्य मंत्रीजी कहते थे कि मैं तो मुख्य मंत्री को भी ले आऊंगा, इस प्रकार की व्यवस्था कर दूंगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वह स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी लोकायुक्त के शिकंजे में आ सकता है ? यदि हां, तो एक बात होनी चाहिए थी । नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? मैंने इस सदन में एक मुद्दा उठाया था, राजस्थान लोक कमीशन जैसा हाथी आपने क्यों खड़ा कर रखा है । 50 लाख रुपये तो उस दिन खर्च हो गये थे । क्या कर रहा है ? एक डिप्टी सैक्रेटरी जितना काम राजस्थान लोक कमीशन नहीं कर रहा है । उसके जो अध्यक्ष हैं, मेरे मित्र है, विद्वान हैं, उनकी सेवाओं का फायदा और कहीं लेना चाहिए । पर राजस्थान की गरीब जनता को 50 लाख की मार तो तब पड़ गयी थी, अब तो वह ज्यादा हो गयी । क्यों ?

(श्री जगदीप धनखड़)

अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण डिवोइड आफ कंटेंट तो है ही, पर एक जो नयी पालिटिकल फिलोसोफी स्टार्ट की है वह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण के अन्तिम पृष्ठ 25 में पैरा 81 से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।

"आप सब राज्य की समस्त जनता के अभ्युदय के लिये निरन्तर प्रयासरत हैं। आपके वे प्रयास भरपूर सफलता प्राप्त करें तथा राज्य की खुशहाली में निरन्तर अभिवृद्धि हो। इस कामना के साथ महाकवि कालिदास के शब्दों में मैं यह शुभाकांक्षा आपको समर्पित करता हूं :

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु।
सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु॥

राज्य के सभी निवासी उन्नति के मार्ग में आने वाली घाटियों को सरलता से पार करें, सभी भरपूर खुशहाली के दिन देखें। सबकी आकांक्षाएं फलीभूत हों। सर्वत्र सभी प्रसन्न और प्रमुदित रहें।"

राज्य सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस सारे अभिभाषण में अन्तिम 81वें पैरा में जो बात कहलवायी है, मैं उसका स्वागत करता हूं और साथ में यह आशा और उम्मीद भी करता हूं कि उसी के अनुरूप राज्य का यह प्रशासन चले और राज्यपाल महोदय ने जो आकांक्षा की है उसको साकार रूप में प्रदर्शित करे। इस सारे भाषण को बहुत गम्भीरता से देखा जाय तो विकास की भावी परिकल्पना का दिग्दर्शन अभिभाषण में परिपूर्ण नहीं है, तो यह अभिभाषण कितना सार्थक हो सकता है। इसी के साथ मैं नीर, क्षीर और विवेक के साथ अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा।

यह बात सही है कि राज्य का इस वर्ष का जो हमारे सामने विवरण आया है, उसमें घरेलू उत्पादन में 8.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं यह भी मानता हूं कि 6.31 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, 148 प्रतिशत योजनान्तर्गत विनियोजन बढ़ा है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। ये सब तो एक अनवरत प्रक्रिया है उसके आधार पर बढ़ता है। उसमें राज्य सरकार के प्रयास भी हैं और राज्य सरकार के साथ-साथ समस्त जन प्रतिनिधि इन सारे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और इनकी सफलता में लगे रहते हैं। तो इसकी सफलता का श्रेय राजस्थान की जनता को, राजस्थान के समस्त जन प्रतिनिधियों को जाना चाहिए। वहां आप बहुत संकीर्ण रूप से इसका श्रेय लेने के लिए अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं समझता हूं, इसमें जनता की सारी

(14.13)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भागीदारी का समावेश हो तो इसकी उप-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

योगिता में, सफलता में एक और चरण आगे बढ़ सकते हैं।

जहां हम राजस्थान के इन सारे विकास के कारगर प्रयत्नों की चर्चा करते हैं तो हमको इस बात के लिये गम्भीरता से देखना होगा कि 1995–96 में, 1,48,226 अपराध दर्ज हुए हैं जबकि इससे पहले 1,33,019 अपराध दर्ज हुए थे। मैं यह कहना चाहता हूं, इसका अर्थ है कि 11.46 प्रतिशत राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। यह हमारी कुशलता में, मैं समझता हूं, अवरोध है। राजस्थान में अपराध बढ़ते हैं उसकी थोड़ी मुझे भी चिन्ता होती है क्योंकि गृह मंत्रीजी आज-कल हमारे जिले से प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कुशलता की बात बढ़-चढ़कर सामने आती है तो मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही है कि हमारे जिले के प्रतिनिधि गृह मंत्री के होते हुए अपराधों में वृद्धि क्यों हुई है। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि राजस्थान में आपकी कुशलता तभी होगी जब अपराधों में घटोतरी होगी।

इसी तरह खाद्यान्न में 31.80 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ है। अच्छी बरसात होती है, उत्पादन बढ़ता है तो श्रेय सरकार का लेने का प्रयास हो जाता है। अब यह कम हुआ तो कहते हैं, यह प्राकृतिक प्रकोप है। शीत लहर हो गयी, ओलावृष्टि हो गयी, बरसात कम हुई, यह कह कर बात टाल दी जाती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी खनिज सम्पदा विपुल है, हमारा प्रदेश प्रकृति के सारे साधनों पर आधारित है और उन प्रकृति के साधनों का हम सही ढंग से दोहन करें तो हमारी आय बहुत बढ़ सकती है। अब हिन्दुस्तान जिंक ने पूरे राजस्थान में दरख्वास्त लगा दी, किसी भी एरिया में आज-कल लीज नहीं मिल सकती। पहले उसका क्लियरेंस हो। कोई पर्यावरण की बीमारी और उसके साथ जोड़ दी जाती है, जहां पर पर्यावरण की स्थिति नहीं है। तो भारत सरकार तक से भी प्रमाण पत्र लेना पड़ता है।

राजस्थान में खनिज सम्पदा के लिये कुछ नीति बनायी है। नीति में अच्छी बातें भी हैं, सरलीकरण भी किया गया है। उसके साथ-साथ मार्बल नीति भी बनायी है। मार्बल नीति में कुछ और सरलीकरण किया गया है। छोटे लोगों को अवसर मिलने की बात उसमें कही गयी है। उस नीति के बीच में जो अमेंडमेंट हुआ, उससे छोटे लोगों के पास साधन नहीं होंगे, इतना मशीनीकरण नहीं होगा तो अवसर नहीं मिल पायेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि खनिज नीति में आपने कुछ किया, उसमें आज और भी जो रुकावटें, हर्डल्स हैं उनको आपको समाप्त करने की आवश्यकता है।

औद्योगिक विनियोजन की दृष्टि से 173 करोड़ 55 लाख रुपये का विनियोजन हुआ है और इसमें लिग्नाइट भण्डार के खुले क्षेत्र में विनियोजन के लिए भी आपने अवसर दिया है। तो कुछ आपने अच्छी बात भी की है, मैं उनको नकारना नहीं चाहता पर मेरा निवेदन यह है कि इन सब बातों को आप राजस्थान प्रदेश की जनता के लिये लागू करना चाहते हैं, आपको इसमें एकाधिकार और संकीर्ण भावना से नहीं सोचना चाहिए। आप इसके बारे में खुल

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कर चर्चा करें, जन प्रतिनिधियों से चर्चा करें।

आपने सड़क नीति बनायी, खनिज नीति बनायी, औद्योगिक नीति बनायी, पर्यटन नीति बनायी और पता नहीं कौन-कौनसी नीति बनायी। चार तो मुझे ध्यान में आयी हैं। इन नीतियों पर न आपने कभी सदन में चर्चा की, न जन प्रतिनिधियों से चर्चा करते हो कि उनमें कितनी कठिनाइयां हैं उनमें और क्या सुधार हो सकते हैं। इसके बारे में व्यापक चर्चा आप करें तो इसके बहुत अच्छे नतीजे भी आ सकते हैं। नीति बनाना एक अलग चीज है और उस नीति के आधार पर प्रगति कितनी हो रही उसका मूल्यांकन और समीक्षा किया जाना दूसरी बात है। मैं यह समझता हूं, राज्य सरकार कोई भी नीति बनाये तो उसमें जनता का, सारे लोगों का इन्वाल्वमेंट किया जाय, इस दृष्टि से उसके बारे में सदन में चर्चा की जाय और चर्चा करने के बाद समय-समय पर मूल्यांकन हो तो उस नीति की सार्थकता होगी। उसके गुणावगुण पर बराबर समय-समय पर चिन्तन होगा तो परिणाम अच्छे निकलेंगे।

मैं यह भी इस मौके पर कहना चाहता हूं कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहा जाता है कि हम पांचवें स्थान पर आ गये, हम काफी प्रगति कर रहे हैं, तेज गति से कर रहे हैं। तो आज देश के उन राज्यों के मुकाबले देखें जहां 1000 की जनसंख्या पर सैकण्डरी स्कूल मिलेगी, जहां पर 1500 और 2000 की जनसंख्या पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल मिलेगी, जहां 500 की जनसंख्या पर मिडल स्कूल मिलेगी। हम राजस्थान में जब इस बात पर विहंगम दृष्टि डालें तो वह दावा तब कर सकते हैं जबकि शिक्षा का व्यापक प्रसार हो। आज राजस्थान में 60 प्रतिशत निरक्षरता है। जहां महिलाओं की स्थिति का सवाल आयेगा, वहां पर 80-85 प्रतिशत के आसपास निरक्षरता है। तो वह प्रदेश आगे कैसे बढ़ सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रयत्न यह नहीं होना चाहिए जो असंतुलन के नाम पर आप ये सब बातें करते हैं। आपने कहीं तो पांच सैकण्डरी स्कूल खोल दीं, कहीं आठ खोल दीं। गृह मंत्रीजी, जोरदार हैं तो उनके यहां 10 खुल जायेंगी, दूसरे मंत्रीजी कमजोर, आदिवासी हैं तो उनके यहां एकाध भी नहीं खुलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यहां पांच वर्षों में एक सैकण्डरी स्कूल नहीं खुली पूरे इलाके में। एक हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों की जहाजपुर में खुली है। वह बहुत प्रयत्नों के बाद, मान लो, खोल दी उसके लिए धन्यवाद। आज हमारे इलाके में ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां 10 10, 12-12 किलोमीटर तक सैकण्डरी स्कूल नहीं है और दो-दो हजार की जनसंख्या है। एक-एक हजार की जनसंख्या के गांवों में मिडल स्कूल नहीं है। तो मैं राजस्थान की शिक्षा नीति के बारे में यह कहना चाहता हूं कि आप एक नीति स्पष्ट तौर पर घोषित कीजिये कि दो हजार की जनसंख्या के ऊपर गांव होंगे या चार-पांच हजार की संख्या के ऊपर गांव होंगे वहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बिना किसी भेदभाव के आटोमैटिकली खुल जायेगी, जहां दो हजार एक हजार की जनसंख्या के बीच के गांव होंगे वहां पर सैकण्डरी स्कूल आटोमैटिकली

(श्री रतनलाल ताम्बी)

खुल जायेगी। आज जिस तरह से 250 की जनसंख्या के ऊपर आपने नीति घोषित की है कि इन प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, आपको सारी शिक्षा नीति इसी आधार पर बनानी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं, असंतुलन के नाम पर, पिछले सात वर्षों में मेरे इलाके में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला। और तो और, 1989-90 में राजस्थान में 13 ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये थे लेकिन दस महीने बाद इस सरकार ने नये तो खोले नहीं, उनको और बन्द कर दिया। उसके बाद में मैं छह सालों से निरन्तर प्रयत्न कर रहा हूं, मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी अनुरोध किया, स्वास्थ्य मंत्रीजी से भी अनुरोध किया तो कहते हैं, उस समय इसलिए बन्द किये गये कि बजट से अधिक खोल दिये गये थे। सात वर्ष में सात बार बजट बना, सात बार खोले गये थे, आप कहां ओझल हो गये जो 12-13 बन्द किये गये उनको भी नहीं खोला। तो आपकी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अब कहते हैं कि आपके यहां पहले ज्यादा खुल गये। माननीय मंत्रीजी, मैं आंकड़े लाकर आपको दूंगा और उस मापदण्ड के आधार पर आप चलें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। हमारे लिये तो मापदण्ड यह है फलां अधिकारी के पास भेज दिया, मिल लिये, उन्होंने कहा कि आपके यहां इस मापदण्ड से ज्यादा खुल गये। मैंने कहा, 15-15 किलोमीटर तक नहीं है, वहां जनजाति के लोग रहते हैं, माडा क्षेत्र है, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग ज्यादा हैं, वहां पर यातायात के साधन नहीं हैं, वहां पर विशेष परिस्थितियां हैं। सात वर्ष में नहीं खोला, यह कौनसा न्याय है? इसलिए मैं चाहता हूं, हर तरह की नीति स्पष्ट कर दीजिये, हर चीज खुली किताब की तरह जनता के सामने रख दीजिये कि हम इस आधार पर चिकित्सालय खोलेंगे। प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर पशु चिकित्सालय नहीं है। 127 अभी खोले बताये, उनमें से हमारे इलाके में एक भी नहीं खुला। यह नीति में नहीं आता है? यह पता नहीं कौनसी नीति कहां बनती है, कब-कैसे बनती है। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, मेरी यह मांग है कि राजस्थान के विकास के सारे मापदण्ड निश्चित रूप से विधान सभा में तय कर दिये जायं और उस आधार पर सारे क्षेत्रों का विकास होता है तो असंतुलन नहीं रहेगा। इस दृष्टि से कोई विशेष तौर पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। पहले हमारे ये इधर वाले लोग उधर थे और उधर वाले इधर थे तो यह बातें कहते थे कि असंतुलन हो रहा है, राजनैतिक भेदभाव, पक्षपात हो रहा है। फिर आपमें और उनमें क्या फर्क है? आप भी वही कर रहे हैं। मैं निर्दलीय हूं और निष्पक्ष बात कहना चाहता हूं, आप इन आरोपों से बचना चाहते हो तो राजस्थान के एक-एक विकास के कार्यक्रम की योजना विधान सभा में तय करवा दें और उस आधार पर आप काम करें तो न्याय की बात होगी वरना आपमें और उनमें कोई फर्क नहीं है।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : आपने कौनसे नये मापदण्ड तय किये हैं?

श्री रतनलाल ताम्बी : आप बीच में नहीं बोलें। आपसे बात कर रखी है।

(१८)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि योजना का लाभ समाज के अन्तिम आदमी को कहां तक मिल रहा है, यह सभी दलों से मिल कर चर्चा करें। योजना का आधार यह बनायें और हमारी जो नीतियां बनती हैं उन नीतियों का समय-समय पर पुनरावलोकन हो तभी यह सामंजस्य की नीति होगी।

आपने राज्यपाल महोदय से कहलवाया कि सामंजस्य की नीति के आधार पर हम चलना चाहते हैं। कौनसा सामंजस्य और कैसा सामंजस्य ? इसकी शब्दकोष में क्या परिभाषा है, उसको आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में नामान्तरण के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चलता था, आपने इस बार यह बहुत अच्छा निर्णय किया, इसका मैं स्वागत करना चाहता हूं, आपने कहा, नामान्तरण की पंचायत को दरख्वास्त देते ही एक महीने में पंचायत फैसला कर देगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा। पटवारी के लेबल पर यह बहुत बड़ी परेशानी खड़ी की गयी थी। आपके अच्छे कामों की सराहना करने के लिये मैंने कहा कि नीर, क्षीर, विवेक से बात करना चाहूंगा। तो अच्छा काम आपने किया जिसका मैं स्वागत करना चाहता हूं।

आधारभूत विकास की जो बातें हैं उनके ऊपर चर्चा बार-बार आती है उसके सम्बन्ध में मैंने कुछ सुझाव आपके समक्ष रखे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप इस बात का श्रेय लेना बन्द कर दें कि यह सब कुछ आप कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, सब जन-प्रतिनिधि मिलकर कर रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है ? योजनाएं कहां से आ रही हैं ? मैंने एक प्रश्न लगाया, मैं आगे थोड़ा जिक्र करूंगा। आपको कितना पैसा भारत सरकार से मिला, उसको काम में नहीं ले पा रहे हो। तीन दिन पहले आपने जवाब दिया, इतनी योजनाएं हैं, इतना पैसा है। उसका अधिक से अधिक उपयोग करो और राजस्थान के विकास में जहां कमी है, भारत सरकार एक तरह की है उससे सब मिलकर बात करें। आप दूसरी तरह के हैं इसका यह मतलब थोड़े ही है कि विकास नहीं हो। विकास हो और विकास के लिये जो योजनाएं आयें उन पर सही ढंग से काम हो। राजस्थान का पिछड़ापन आप दूर करने में लगे हुए हैं और लगे रहना चाहिए पर उसमें सबके सहयोग के आधार पर आप अधिक से अधिक काम इस ढंग से करें जिससे समस्याओं का समाधान हो।

मैं इस मौके पर प्रधान मंत्री रोजगार योजना के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। इतनी अच्छी योजना है उसका राजस्थान में व्यापक तौर पर प्रसार नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के प्रयत्नों में कहीं-कहीं गतिशीलता नहीं होने के कारण इसका लाभ राजस्थान के बेरोजगार युवकों को बड़ी तादाद में नहीं मिल रहा है। एक ओर बड़े प्रशिक्षित अध्यापक रोज दुनिया, भर के आन्दोलन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भीलवाड़ा में धरना लग रहा है लम्बे समय से, उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो और दूसरी ओर अध्यापक के पद प्राइमरी स्कूल में खाली पड़े हैं। मैं समझता हूं कि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्राइमरी शिक्षा की हालत ज्यादा खराब है. उसको कैसे ठीक किया जाय यह देखें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हाई स्कूल में भी।

श्री रतनलाल ताम्बी : हाई स्कूल में तो काफी ठीक हुआ है, इस बार काफी स्टाफ पहुंचा है। सौ रुपये महीने के आधार पर भी रखा है परन्तु प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मान्यवर, मेरे यहां एक भी लेक्चरर नहीं है, मैं यह कह रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इस बार झुकाव उधर कैसे ?

श्री रतनलाल ताम्बी : अब मैं आता हूं, मुख्य समस्या – विद्युत पर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : संतुलित नहीं आया।

श्री रतनलाल ताम्बी : थोड़ा सुनोगे तब संतुलित आयेगा।

माननीय, मैं चर्चा करना चाहता हूं, विद्युत के बारे में। नेफ्था से उत्पादित विद्युत महाराष्ट्र में एक रुपये चौरासी पैसे में और राजस्थान में दो रुपये दस पैसे प्रति यूनिट मिलेगी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आप तो कम्युनिस्टों की तरह बोल रहे हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : इससे पर्यावरण खराब होगा। नेफ्था की जो दरें हैं, यह रेट अन्तरराष्ट्रीय बाजार में स्थायी रहने वाली नहीं हैं। एनरान समझौता जब कांग्रेस ने किया तब आपने एतराज किया और अब शिव सेना, मुंडे साहब, जोशी साहब, बाल ठाकरे साहब और आडवाणी साहब और स्वदेशी मंच, पता नहीं सारे आन्दोलन कहां गये। आपने यह रेट वहां स्वीकार की एक रुपये चौरासी पैसे और उसको कम्पेनसेट राजस्थान से करना चाहते हो आप। दो रुपये 10 पैसे की रेट है यहां। इसका अर्थ क्या है ? वहां तो आप विरोध कर रहे हो एक तरह से। जब पहले रेट तय की गयी थी, स्वदेशी जागरण मंच के नाम से आपने लम्बी-चौड़ी बात खड़ी की थी। अब आडवाणी साहब, ठाकरे साहब, मुंडे साहब और जोशी साहब, सब राजी हो गये और समझौते हो गये। राजस्थान में आज महंगी बिजली मिलेगी और बीस वर्ष में लगभग 15 हजार करोड़ रुपया आपको ज्यादा देना पड़ेगा। क्या अर्थ है इसका ? यह राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर रहे हो आप?

श्री परसादीलाल मीणा : चुनाव के लिए पैसा मिल गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एनरान वालों को राजी करना आता है।

श्री रतनलाल ताम्बी : एनरान से एक तरफ उन्होंने समझौता किया तो बहुत गलत किया और दूसरी तरफ ज्यादा में हम करें तो बहुत अच्छा कर लिया। इसलिए कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र का कम दर का घाटा शायद राजस्थान से कम्पेनसेट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्र

(118)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सरकार ने यह कैसे स्वीकृत किया, यह समझ में नहीं बैठ रहा है। राजस्थान की सरकार ने भी यह कैसे स्वीकार किया ? ये सब बातें जनता के सामने आज चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

रेगिस्तान में जो पानी आता है उससे बीमारी तथा कुबड़ापन वहां काफी है। वहां एक हजार मीठे पानी के कुओं का आपको पता लगा है, उन पर आप बिजली कनेक्शन क्यों नहीं देना चाहते हो ? पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये उनसे लेना चाहते हो आप। मेरी यह मांग है कि रेगिस्तान में पानी की इतनी गम्भीर समस्या है, भगवान की कृपा समझो, वरदान समझो कि वहां एक हजार मीठे पानी के कुएं निकल गये, राजस्थान की सरकार उन किसानों और ग्रामीणों के हित में उनसे कोई पैसा नहीं ले, मुफ्त में उनको कनेक्शन दे क्योंकि मीठा पानी उनको वरदान के रूप में मिला है। मैं समझता हूं उसमें सरकार को एक नीति बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान में मिनी हाइडल प्रोजेक्ट की चेकोस्लोवाकिया के वैज्ञानिकों ने एक स्कीम निकाली थी जो ...

श्री परसादीलाल मीणा : जल्दी करो, टाइम पूरा हो गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं हुआ जी। जिसमें पांच हार्स पावर के जो गली और मौहल्लों में लग सकते हैं, जो पानी के नल में लग सकते हैं जिससे प्रदूषण की बीमारी नहीं हो सकती है, यह एक योजना दी है और जिस वैज्ञानिक ने यह योजना बनायी है उसको वहां की सरकार ने वैज्ञानिक का सर्वोच्च पदक दिया है। राष्ट्र संघ ने भी उसको मान्यता दी है। वह योजना देने के बाद तीन–चार महीने हो गये, मैं समझता हूं, वह किसी टैक्निकल मैम्बर के पास पड़ी है। पांच–पांच मेगावाट की इस तरह की योजना हाइडल की लग जाती हैं तो कितनी बड़ी समस्या का समाधान हो जायगा। पानी भी उसमें कम नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं है, नलों में लग जायगा, मौहल्लों में लग जायेगा, गली में लग जायेगा और गांव में लग जायेगा। ऐसी योजना वहां सफल है और उस योजना का राजस्थान में प्रदर्शन करने को भी लोग तैयार हैं। पांच वर्ष चलाने के बाद वह आपको गिफ्ट में दे देंगे, इसका भी उन्होंने इशारा किया है। राजस्थान की सरकार बड़े-बड़े सौदे तो कर रही है और घर बैठे गंगा आयी, आपके सामने सारा योजना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया, मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने उसकी सराहना की और उसको बहुत अच्छी माना और विद्युत....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारा समय हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी उस योजना को ठीक मानते हैं, उन्होंने विद्युत सचिव महोदय को दी और उन्होंने टैक्निकल मैम्बर्स को दी और देने के बाद वह योजना वहीं की वहीं लटक गयी। इसके पीछे क्या राज हो सकता है, इसका अन्दाजा आप स्वयं को है। चार साल बाद यह प्रोजेक्ट आपको उपहार में दे दिया जायगा, जितना भी है उनका, यह उन्होंने साथ में अभिशंसा की है। फ्रांस में राष्ट्रपति ने जहां सर्वोच्च पदक दिया हो, राष्ट्र

(श्री रतनलाल ताम्बी)

संघ ने उसको मान्यता दे दी हो, मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस योजना को अपनाया जाना चाहिए जिससे समस्या का बहुत बड़ा समाधान होगा।

इस बार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में जो दिशा संकेत दिये हैं, मैं समझता हूं वह काफी अच्छे हैं और इसके आधार पर इच्छा शक्ति से यदि आप लागू कर देंगे तो राजस्थान में इसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप जिस तरह के सपने संजो कर चल रहे हैं वह सपने वास्तव में साकार हों इस बात को इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मुंगेरी लाल जैसे सपने हो जायं।

आपने राज्यपाल के अभिभाषण में पैरा नम्बर 33–34 में विस्तृत रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में जो जाहिर किया है, मै उसका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि उस तरह की योजना लागू की जाय। हमारे गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, यह भी थे उसमें, भीलवाड़ा में मुख्य मंत्रीजी पधारे थे, याद होगा, आजाद चौक में मीटिंग हुई थी, उप चुनाव का अवसर था, 100 मेगावाट का डीजल पम्प कौनसे महीने में लग जायेगा ? भूल गये ? याद है कि नहीं ? कहा था, वह उसी साल लग जायगा। वह आज तक नहीं लगा। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सीधी बात न करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब, ऐसा है, हमारे दल का हम समय लेंगे, मेरे पास तैयारी पूरी है। दो चार मुद्दों पर दस–बारह मिनट और बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आसन के थ्रू बोलें, सीधी बात नहीं करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, यह बात ठीक है। तो मैं अनुरोध यह करना चाहूंगा कि आप जो बात कहते हैं उसको निभायें। माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय यहां नहीं हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय यहां नहीं हैं और गृह मंत्रीजी ने यह हां भरी कि यह सब बातें कही हैं, जनता के बीच में, चुनाव के अवसर पर। तो मेरी यह मांग है कि वह सौ मेगावाट का डीजल पम्प सैट भीलवाड़ा में लगाया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यही माफिक पड़े हैं आपके गृह मंत्रीजी।

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसा है, यह थोड़े प्रोगेसिव हैं जिससे मैं इनको मानता हूं। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह 1981 की जनसंख्या को आधार बना रखा है आपने, कई योजनाओं में 1991 को बना रखा है, अन्तिम 1991 की जनसंख्या हमारे सामने है तो तमाम हमारी योजनाएं, तमाम हमारे कार्यक्रम 1991 की जनसंख्या को आधार मानकर लागू किये जायं।

आज बीमारियां दुनिया भर की फैलती है, गांवों में साधनों का अभाव है, तो अब दस हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए, पांच सौ–एक हजार के बीच में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री रतनलाल ताम्बी)

होना चाहिए। चिकित्सा को समर्पित बजट की बात तो आप करते हैं पर समर्पित कहां हुआ ? हमारी पूरी कांस्टीट्यूएंसी में एक सब सेण्टर हमको मिला। केवल एक सब सेण्टर पंचायत मुख्यालय भी बिना चिकित्सा सुविधा के मौजूद है।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे तो खूब खोले हैं इस साल।

श्री रतनलाल ताम्बी : खोल दिये तो आपसे बड़ा प्रेम होगा, हमसे नाराजगी होगी।

पेयजल के लिए राजीव गांधी मिशन से इतनी बड़ी योजना, इतना पैसा दिया गया, वह पैसा राजस्थान में पड़ा हुआ है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है पेयजल के लिए। समस्या गम्भीर आने वाली है लेकिन अभी तक कोई समझ में नहीं बैठती कि यह सरकार कब काम करेगी। यह सरकार अप्रेल, मई, जून में जब स्थिति गम्भीर हो जाती है तब थोड़ा जगती है बाकी तो पता नहीं क्यों सोती रहती है। मेरा निवेदन यह है कि अभी यह मार्च का महीना चल रहा है, इस बजट सत्र की समाप्ति के साथ राजस्थान में पानी की जो समस्या गम्भीर है उसको ठीक किया जाय। हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, हवा निकल रही है इसलिए उन हैण्ड पम्प्स को ठीक करने का अभियान चलायें। पानी का स्तर नीचे चला गया, उनमें पाइप जोड़ने का मामला है तो यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी समय रहते व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें न कोई राजनीतिक बात है, न कोई दूसरी बात है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, भारत सरकार, राजीव गांधी मिशन पैसा दे रहा है, वह कहते हैं-पहले उपयोग कर लो फिर मिल जायगा, तो धड़ाधड़ उपयोग करके काम किया जाना चाहिए।

गंदे पानी के निस्सारण की भी एक योजना है। जहाजपुर नगर में राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ, वहां एक बड़ी पवित्र प्राकृतिक नदी नागदी नदी है जिसमें पानी गरम रहता है। अच्छे देवालय बने हुए हैं, शानदार ऐतिहासिक स्थान है। उस नागदी नदी में सन् 1977 में बाढ़ आयी और बांध टूट गया। उसके बाद इतनी दुर्गति हो रही है, मैं अनेक बार यह मांग रख चुका कि सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वायत्त शासन विभाग मिलकर उसको वापस ठीक करें, पवित्रता बहाल करें। आज सारे नगर का गंदा पानी उस नागदी में जा रहा है। तो यह मैला निस्सारण की जो योजना है, उस कस्बे में लागू की जाय। पाइप जोड़ कर गंदे पानी को दूर निकाला जाय जिससे यह समस्या मिटे। वरना वहां प्रदूषण की समस्या, बीमारियों की समस्या पैदा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्यों करूं, साहब, अभी थोड़ा और बोल रहा हूं। मेरे दल का समय है, मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि उसमें रहूंगा, साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे दल का।

श्री रतनलाल ताम्बी : दल है मेरा। हमारे खनिज मंत्रीजी हैं उन्होंने खनिज नीति बनायी, खनिज नीति अच्छी बनायी। उसमें कुछ कमियां थीं, और सुधार किया। खनिज मंत्रीजी, आपको यह मालूम होना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहिए, हिन्दुस्तान जिंक ने सारे राजस्थान की दरख्वास्त लगा दी। सारे भीलवाड़ा जिले में हिन्दुस्तान जिंक की एक दरख्वास्त है उस आधार पर चाहे चाइना क्ले हो, चाहे सोप स्टोन हो, चाहे दूसरा हो, जब तक वह क्लियर नहीं हो जाय, किसी को पट्टे नहीं दिये जायेंगे। यह क्या मामला है ? जिस काम के लिए हिन्दुस्तान जिंक आपको एप्लाई करता है उस खनिज को छोड़ कर बाकी को तो आपको क्लियर करना चाहिए। वहां कहीं पर्यावरण की बीमारी है क्या, जिसको लिये लिये आप घूमते हैं ? नहीं है वहां। भारत सरकार से एन. ओ. सी. लाओ। अब एन. ओ. सी. के लिए जायगा साधारण आदमी, घूमता फिरेगा वहां। तो कुछ मामलों में आपको और भी उदार होने की आवश्यकता है।

अब मैं आना चाहता हूं अकाल पर। मान्यवर, अकाल के मामले में निवेदन यह है कि इस साल पहले अतिवृष्टि, फिर अनावृष्टि से हमारा सम्पूर्ण इलाका बहुत प्रभावित हुआ। अब क्या मापदण्ड है, मैं नहीं जानता, हमारे अनेक गांवों में लोगों ने भुट्टे तक सेंक कर नहीं खाये। 50 से 75 प्रतिशत और 75 से 100 प्रतिशत दो तरह की उन्होंने कैटेगरी बनायी। एक महीने पहले उनको निकाला, एक महीने बाद उनको निकाला और निकालने के बाद गृह मंत्रीजी को यह मालूम है, पूरे भीलवाड़ा जिले में 13–14 हजार मजदूर लगाये। आपको आश्चर्य होगा, आठ किलोमीटर सड़क, पांच श्रमिकों के साथ उसकी स्वीकृति। तीन या दो पंचायतें उस सड़क पर लगेगी और 15 गांवों में पांच मजदूर, कैसे किस को लगाया जाय ? यह स्थिति राजस्थान की अकाल की है। मेरे पास स्वीकृति के आदेश मौजूद हैं, एक-एक काम पर पांच-पांच मजदूर लगायें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : भीलवाड़ा में 18 हजार लेबर की स्वीकृति है।

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, वह 18 हजार लगे होंगे। लगाने की मैं जो कह रहा हूं वह दावे के साथ कह रहा हूं कि पांच श्रमिक एक सड़क पर मंजूर है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): 18 हजार कहां लगाये ? भीलवाड़ा में 18 हजार हैं ? पूरे राजस्थान में तो 90 हजार हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए वह स्थिति गम्भीर है।

श्री परसराम मदेरणा : पूरे राजस्थान के अन्दर। आप उसकी तरफ क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। I Put my stamp, my authority because these are Government's figures, available with me, of three days back. मैं उसको अथारिटी के साथ बोल रहा हूं, 90 हजार लेबर टोटल रिलीफ वर्क्स में फेमिन के अन्दर लगी हुई है। उसमें अब भीलवाड़ा में कितनी है, वह ब्रेक-अप उन्होंने दिया नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : देखो, यह कह रहे हैं कि 12 हजार है। अब यह देख लो, साहब, यह 18 बता रहे हैं, यह 12 बता रहे हैं। अब कौन सही है, भगवान जाने।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : जे. आर. वाई. भी आ गयी।

श्री परसराम मदेरणा : 90 में 12 ही होंगे। आर्डिनरिली तो आपका सिक्स्थ हिस्सा हो जाता है और जोधपुर और बाड़मेर, वहां पर 75 प्रतिशत लोग जो हैं .. (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, अकाल राहत कार्यों पर आप पिछले वर्षों के रिकार्ड को देख लें कि मार्च महीने में....

श्री कैलाश मेघवाल : भीलवाड़ा में बहुत ज्यादा खराबा हुआ था और वहां 18 हजार श्रमिक अकाल राहत में लगाने की स्वीकृति राज्य सरकार से जारी हो चुकी है। माननीय विधायक बता रहे थे 12-13 हजार, इनकी जानकारी सही नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले के चौदह सौ गांवों की तेरह लाख जनता अकाल से इफेक्टेड है।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत ज्यादा खराबा कुछ मतलब नहीं है। आपने दो कैटेगरी बनायी है। रबी की फसल में जिन ग्रामों को नुकसान 75 प्रतिशत या उससे ऊपर हुआ है वह है सबसे ज्यादा खराबा। पचास प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच में है, वह दूसरी कैटेगरी।

श्री रतनलाल ताम्बी : यस।

श्री परसराम मदेरणा : 75 प्रतिशत के गांव जिन जिलों के अन्दर 80 और 90 प्रतिशत हैं, वहां पर तो आप चार-चार, पांच-पांच हजार लेबर लगी हुई है। गृह मंत्रीजी, चुस्त-दुरुस्त और यह कुछ नहीं, सुस्त ज्यादा हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले की तेरह लाख जनता और 1400 गांवों के लिए यह 18 हजार की बात करते हैं तो उसको चुनौती नहीं देना चाहता हूं, मैं तीन दिन पहले गया, उसके बाद बढ़ गये होंगे, मुझे मालूम नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं, पिछले वर्षों का आप रिकार्ड देख लें, उपाध्यक्ष महोदय, मार्च महीने में भीलवाड़ा जिले में 45 और 60 हजार के बीच मजदूर काम करते थे और आज उस जिले में चौदह लाख, साढ़े तेरह लाख जनता प्रभावित है, वहां पर 18 हजार अगर मजदूर हैं तो वह भी ऊंट के मुंह में जीरा है। एक एक तहसील में हजार-बारह सौ मजदूर लग रहे हैं, एक तहसील में ढाई सौ तीन सौ गांव हैं, क्या उससे न्याय होगा, क्या उनसे व्यवस्था होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अकाल राहत के काम जनसंख्या पर आधारित हों। उन गांवों के आधार पर मजदूर लगाकर लोगों को काम दिया जाय। उसमें भी यह है कि अधूरे काम, सड़कें हैं, अब यह कहते हैं पी.डब्ल्यू. डी. वाले कि हम तो सड़क नीति के अन्तर्गत सड़कों को प्रस्तावित करेंगे। यह सड़क नीति बाद में आती, उससे पहले अकाल की सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको कौन पूरी करेगा? इसलिए यह सड़क नीति, अकाल के कामों में नहीं लगा कर जो अधूरी सड़कें हैं उन पर काम होना चाहिए।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक दुखद स्थिति और बताना चाहता हूं। वह स्थिति यह है, पांच लाख का काम स्वीकृत किया किसी निर्माण का और उसकी सामग्री के व्यय का तीन लाख रुपया उस पर है और एक पंचायत में दो काम हो गये तो पांच-सात लाख रुपये चाहिए। वह सरपंच डोले-डोले फिर रहे रहे हैं कि सामग्री का पैसा हमको नहीं मिला हम कहां से काम शुरू करें। यह दिक्कतें भी हैं। स्वीकृति कागजों में दे दो, 18 हजार लेबर लगा दो लेकिन जब तक उसको सामग्री का पैसा नहीं देंगे तब तक वहां निर्माण का काम गति नहीं पकड़ सकेगा। यह भी एक स्थिति वहां बनी हुई है। इस लिहाज से जो भी काम स्वीकृत किये जायं, वह कागजों में स्वीकृत हो सकते हैं। पांच मजदूर नींव खोद कर बैठे हैं, अब आगे चूना नहीं है, पत्थर नहीं है तो उसका इन्तजाम कैसे हो। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप जितना पैसा देते हैं उसमें स्वीकृति के साथ पचास प्रतिशत पैसा भी सामग्री व्यय के लिए तत्काल दे दिया जाय। पंचायत समिति में जाने के बाद मस्टर रोल 15-15 दिन तक जारी नहीं किये जाते हैं, सरपंच फिरते रहते हैं तो उस स्वीकृति का क्या अर्थ है? जिस दिन स्वीकृति पहुंचे उसके तीन दिन के अन्दर अन्दर उस स्वीकृति के आधार पर काम शुरू हो जाने चाहिए। इस व्यवस्था को आप माकूल तौर पर देखें।

इसके साथ-साथ पिछले 15 दिनों में शीतलहर से हमारे इलाके में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 50 प्रतिशत से लगाकर 70 प्रतिशत तक फसलें समाप्त हो गयीं। यह एक और नयी स्थिति पैदा हो गयी है। उस आधार पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर अकाल में व्यापक तौर पर काम-काज और मदद की आवश्यकता है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं अक्टूबर में गिरदावरी हो गयी, नवम्बर निकल गया, दिसम्बर निकल गया, जनवरी निकल गयी और अब तक परीक्षण राहत कार्य भी शुरू नहीं किये गये। आपने काम चार महीने बाद शुरू किया, अब कोताही क्यों करते हो? चार महीने तो मुफ्त में निकाल दिये। पहले आप देख लो, अक्टूबर में गिरदावरी होने के साथ नवम्बर में परीक्षण राहत कार्य चला करते थे। आप रिकार्ड उठाकर देख लो। इस बार फरवरी में पहली बार काम शुरू किये गये और वह भी कितने? 400 मजदूर पूरी कांस्टीट्यूएंसी में फरवरी में लगे थे। अब मार्च में जाकर 1300-1400 लगे, यह हालत है। मेरा निवेदन यह है कि यह कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह मानवीय दृष्टिकोण का मामला है। लोग भुखमरी के शिकार हों, लोग पलायन करके गांवों से निकल गये उसके बाद भी सरकार समय पर काम नहीं करे, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

अब मैं सिंचाई के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई योजनाएं हैं हमारे यहां। अभी राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने यह वर्णित किया था कि बीसलपुर परियोजना बने, हमें कोई एतराज नहीं है मगर उसके कैचमेंट क्षेत्र को आप एनीकट के नाम पर, अधूरे तालाब सिंचाई योजनाओं के नाम पर प्रभावित करें, वह काम पूरा न हो, यह अन्याय उस

१२५

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जिले की जनता बरदाश्त नहीं कर सकती। वहां पर एनीकट भी बनेंगे, अधूरे बांध भी बनेंगे। यह हमने कोई ठेका नहीं ले रखा वहां के लोग तो प्यासे रहे, भूखे रहे। आप समय पर वहां काम नही करें और कि अधूरे बांध जिनमें 30 प्रतिशत काम बाकी रहा कहीं 20 प्रतिशत बाकी रहा, वे एनीकट जो वर्षों से बने हुए थे टूट गये, उनके लिए 5 साल बाद अब कहते हैं कि इसमें यह दिक्कत है और वह दिक्कत है। यह बातें कोई जनता बरदाश्त नहीं करेगी। मेरा निवेदन है कि आप बीसलपुर के कैचमेंट के नाम पर हमारे जिले की जनता के साथ जो अन्याय किये बैठे हो। इस अन्याय से उस जिले की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। मैं चाहता हूं कि बनास के क्षेत्र में पेयजल योजना इस आधार पर बनायी जाय और उसके साथ साथ एनीकट और बांध जो अनकम्पलीट हैं, जो छोटे-मोटे हैं और टूटे–फूटे हैं उन सब को ठीक कराने की बात निश्चित रूप से की जानी चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन है, पशुपालन हमारे किसानों के जीवन का एक आधार है। उस आधार पर राजस्थान में एक ऐसी नीति बने, कोई पंचायत हैडक्वार्टर ऐसा नहीं रहे जहां पशुओं का कोई औष–धालय या अस्पताल या छोटा उप केन्द्र नहीं हो। कृपा करके इस मामले को बहुत ही गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है।

अब मैं पंचायती राज और स्वायत्त शासन की कुछ चर्चा करके अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री रतन लाल ताम्बी : 10–12 मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : निर्दलीय बंधुओं का पूरा समय लेना चाहते हैं क्या ?

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, उतना नहीं, बचाऊंगा मैं उनके लिए। मुझे मालूम है कितना क्या बोलेंगे।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी बहुत उत्साह के साथ राजस्थान में पंचायती राज का पुनर्गठन किया उसके बाद में संविधान संशोधन, जो केन्द्रीय गवर्नमेंट ने दिया, के आधार पर नया एक्ट बनाया। हमने उस समय भी कई मीटिंग्स में चर्चा की थी कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप जिस तरह का एक्ट बना रहे हो इसका जनता को कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। दो साल बाद स्वयं भी आप गांव गांव में गये। आप भले ही राजनैतिक भाषण देने के लिए उपलब्धियों पर कितनी चर्चा कर लें पर राजस्थान की जनता इस पंचा-यती राज के नाम पर आज सबसे ज्यादा पीड़ित है। चुने हुए प्रतिनिधि को आज अधिकार नहीं हैं। मैं चाहता हूं संस्थाओं को अधिकार मिलें, प्रतिनिधियों की बात नहीं कहना चाहता हूं, संस्थाओं को अधि–कार मिलें।

इस संविधान संशोधन में जो अनुसू–चियां दी गयी हैं, 50, 51 और 52, उन अनुसूचियों के आधार पर जो राजस्थान की सरकार दो साल में अधिकार नहीं दे सकी,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

वह पंचायती राज के प्रति कितनी गम्भीर है, इस बात का आपको अन्दाजा लगाने की आवश्यकता है। राजस्थान का 1994 के अप्रेल में बना हुआ एक्ट है और दो साल के बाद भी उसके नियम ही बनाकर नहीं दे सके। तो पंचायती राज के प्रति आप कितने गम्भीर हैं ? राजस्थान के पंचायती राज का यह सारा ढांचा जो आपने बनाया है वह ढांचा चरमरा रहा है, जन–आस्था समाप्त हो रही है, जनता का विश्वास समाप्त हो रहा है इसीलिए मेरी मांग है कि पंचायत राज का पुनरावलोकन करके आप एक्ट में व्यावहारिक तौर पर संशोधन कीजिये और उसके अन्तर्गत नियम बनाकर इस पंचायती राज की जो दुर्गति राजस्थान में हो रही है उसको समाप्त करें।

आज हालत यह हो रही है गांवों में कि लाखों रुपये भारत सरकार, राजस्थान सरकार मिलकर कई योजनाओं में दे रही है, वह पैसा कहां जा रहा है, कैसे लग रहा है, उसकी गुणवत्ता कौन देख रहा है, एक एक ओवरसियर के पास 50-50 लाख के काम, उस ओवरसियर को एक मिनट का टाइम भी नहीं और जो कुछ होता है सब मालूम है आपको कि गुणवता की स्थिति इतनी खराब है कि कई जगह तो टैक्निकल गाइडेंस के अभाव में चूना खराब हो रहा है, सामग्री खराब हो रही है। हजारों रुपयों का चूना बेकार हो गया, चूना लग गया। तो मैं कहना चाहता हूं कैसे पूरे होंगे। रेट्स बढ़ती चली जा रही हैं, काम अधूरे रह जायेंगे। आपके पास आर. ए. एस. नहीं हैं। इतनी बड़ी योजनाए पशुओं के डाक्टर या मास्टरों, जो शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं, बूते का रोग नहीं है। हम प्रधान रहे हुए हैं। 5–5, 6-6, 7-7 आर. ए. एस. अधिकारी हमारे पास बी. डी. ओ. रहे हुए हैं। उस समय की स्थिति क्या थी। कम बजट में कितना काम होता था। वह आज भी बिल्डिंग्स ज्यों की त्यों मौजूद हैं, हिलती नहीं हैं और आपकी तीन साल पहले बनी हुई हैं उसमें कहीं पट्टी टूट गयी, कहीं दीवार टूट गयी, कहीं फर्श ही उखड़ गयी, कहीं दरवाजे टूट गये। इस तरह की स्थिति हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि आपके पास आर. ए. एस. के अधिकारी नहीं हैं तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं आपके पास एक एस. डी. ओ. होता है, एक सब-डिविजन में दो तहसीलें उसके पास होती हैं तो आप एस. डी. ओ. को तो बनाइये विकास अधिकारी जो सारी देखरेख कर सके और उसका कण्ट्रोल ढंग से हो सके। फिलहाल जब तक व्यवस्था नहीं हो, आपके पास विकास सेवा उपलब्ध नहीं हो, आर. ए. एस. नहीं हों तो जो आपके ढांडा डाक्टर या शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं इनको आप एडिशनल बी. डी. ओ. बना दीजिये। कण्ट्रोल तो करिये। आज पता ही नहीं लग रहा है कुछ कि क्या हालत हो रही है। पंचायत समिति की जीपें राजस्थान में कहीं घूमेंगी, जीपों को जनप्रतिनिधि चलायेंगे, टकरा जायेंगे, तो टकरा जायेंगे टूटेंगी तो टूटेंगी, रोओ सरकार। इसलिए आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पंचायती राज की हालत बहुत खराब है। आपने यह कृषि प्रसार अधिकारी की व्यवस्था की पंचायतों में सचिव की। न वह विभाग वाले उनको भेजते है, न पंचायत चलती है। वह शिड्यूल्ड कास्ट के गरीब

(श्री रतनलाल ताम्बी)

+++ सरपंच बन गये, कहीं सरपंचाणीजी बन गयी, वह कागज पानड़े लिये लिये घूमती है, कोई देखता ही नहीं । न कोई दफ्तर में गांठते हैं, न कोई उनकी सुनवाई होती है । इसलिए मैं कहता हूं पंचायत वाइज सचिव आप दीजिये, मजबूती के साथ काम करने की व्यवस्था कीजिये वरना यह पंचायती राज का रुपया चाहे भारत सरकार दे, चाहे राजस्थान सरकार दे, सब पानी में, विकास की गंगा के बजाय विनाश की गंगा में बह कर जा रहा है। यह आप गांवों में जाकर देख लीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : प्लान और परिकल्पना तो यह थी कि जिस वक्त 73 वां अमेंडमेंट हुआ कि जो आपका चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर लगेगा वह कलक्टर से सीनियर आफिसर होगा । यही कारण है कि इसमें एक्जीक्यूटिव कमेटी के अन्दर मैम्बर रखने का केवल एक जगह कलक्टर का नाम आया है, इस सैक्शन के सब सैक्शन के अन्दर बाकी कलक्टर कुछ भी नहीं है । स्थिति यह है कि बहुत ही जूनियर आदमी आज एक्जीक्यूटिव, चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर लगे हुए हैं और वह कलक्टर के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हैं । यह पंचायती राज का ढांचा है इस तरह से पंगु बना हुआ है । आप विकास की गंगा में आर. ए. एस. अधिकारी लेने की बात करें । यह गवर्नमेंट तो विश्वास करती है सैन्ट्रलाइजेशन आफ पावर में (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : विकेंद्रीकरण नहीं यही कहना चाहता हूं, विकेन्द्रीकरण नहीं होगा इसमें, मैं निवेदन यह कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें कृपया ।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । दो एक मिनट में खतम कर रहा हूं ।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार दिये सतर्कता समितियां बनेंगी । मैं आज के दिन आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ग्राम सभाएं कहीं कायदे से नहीं हो पा रही हैं, कागजों में खानापूर्ति में दस्तखत करवा लिये जाते हैं । सतर्कता समितियां भी अपने अनुकूल बनायी जाती है । न कोई सतर्कता समिति फंक्शन कर रही है, न ग्राम सभाएं फंक्शन कर रही हैं । पंचायती राज बिलकुल लावारिस स्थिति में चल रही हैं, यह मेरा निवेदन करना है ।

मैं निवेदन यह भी करना चाहता हूं, वित्त आयोग बनाया, आपने कृष्ण कुमार जी गोयल की अध्यक्षता में कमेटी बनायी उनकी रिपोर्ट आज तक भी आप सदन में नहीं लाये । उस रिपोर्ट के आधार पर आप क्या करना चाहते हो, यह भी ढांचा आज तक सामने नहीं आया । तो पंचायती राज पंगु तरीके से नहीं चलेगी ? उसको साधन देने की आवश्यकता है और उसके संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है । उसके लिए व्यापक तौर पर आपको सोचने की आवश्यकता है वरना यह पंचायती राज की हालत बहुत गम्भीर हो जायेगी ।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आपने पंचायत समिति में जीपें विधायकों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। अब आज के दिन उन विधायकों को जीपें उपलब्ध नहीं होतीं। 4–4 बार लिखकर देने पर कहते हैं कि आज हमारा यह काम है वह काम है। तो आपने विधायकों के साथ यह ज्यादती क्यों की? या तो आप देने की बात हो तो उसका पूरा कंट्रोल करवाइये (व्यवधान) नहीं तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उस समय स्थिति अलग थी। आज, मान लो, अलग है तो इसके सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष की कमेटी से भी और राजस्थान से कई जगह से भी लिखा हुआ आया कि एक्जामिनेशन हो रहा है, देख रहे हैं पुराने सक्यूलर इस पर भी आप सही ढंग से व्यवस्था करें, कंट्रोल करें। जीपों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है सहकारी समिति के चुनाव नहीं हुए। सहकारी समिति अब पंचायत वाइज नहीं बनेगी। सहकारिता आंदोलन ठीक प्रकार से चले इसके साथ मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या जब जिला बना था तब 5 लाख थी। आज 16 लाख जनसंख्या हैं। इतना लम्बा भीलवाड़ा जिले का प्रशासन और लम्बा चौड़ा एरिया सही ढंग से कण्ट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए मेरी यह मांग है कि शाहपुरा में ए.डी.एम. का आफिस कायम किया जाय ताकि 4–5 तहसीलों को देख सके। ए.डी.जे. कोर्ट वहां बनायी जाय, एडिशनल एस.पी. वहां लगाया जाय और जहाजपुर में उप-खण्ड अधिकारी कायम किया जाय। मेवाड़ के जमाने में जिला कलक्टर जहाजपुर में रहता था आज अकेली तहसीलदार रहता है। हमने ए.सी.एम. की मांग की है, उप-खण्ड अधिकारी की मांग की है यह वहां पूरी की जाय।

बिजौलिया भीलवाड़ा जिले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां पर स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने 5 साल पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, भैरोंसिंह शेखावत यह घोषणा करके जा रहा है कि जब तक बिजौलिया तहसील नहीं होगी मैं वापस नहीं आऊंगा। यह घोषणा की है, अब आप पूछ लें। इसके बाद जब माण्डलगढ़ का उप-चुनाव था तब मुख्य मंत्रीजी वहां गये थे। लोगों ने कहा, मुख्य मंत्रीजी, वह घोषणा कहां गयी, अब तो उसका करो। अभी चुनाव हैं, फिर देखेंगे। पर अभी ये तहसीलें कायम हुई उसमें भीलवाड़ा जिले में एक भी नायब तहसील नहीं बनी, एक भी उप-खण्ड अधिकारी नहीं बना, एक भी तहसील नहीं बनी, एक भी ए. सी. एम. कोर्ट नहीं बना। माननीय गृह मंत्रीजी, आप जैसे सशक्त मंत्री के होते भीलवाड़ा जिले के साथ में इतना अन्याय हो रहा है और आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले के गठन होने के बाद 5–लाख के बजाय 15–16 लाख जनता हो गयी और वहां जनता आज नायब–तहसीलों के बिना परेशान है, तहसीलों के बिना परेशान है, उप-खण्ड अधिकारी के बिना परेशान है, ए.सी.एम. कोर्ट के बिना परेशान है। यह कहते हुए जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलता है उसके बारे में

(128)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एक शब्द, एक लाइन कहकर छुट्टी कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि निर्बन्ध राशि, 30 जिले 30 काम, क्यों आप सारा ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में देकर चल रहे हो। हरियाणा के मुख्य मंत्री भजनलालजी ने वहां 20 लाख रुपया एम.एल.ए. के जिम्मे किया, विकास कार्यों में 50 लाख, दो योजना मिला कर है। गयी बार मुख्य मंत्री महोदय से मैंने यह चर्चा की। उन्होंने कहा, मुझे बजट के मौके पर एक स्लिप दें, मैं घोषणा करूंगा। सम्भवतः वे भूल गये होंगे, याद नहीं रहा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज महंगाई इतनी बढ़ गयी, संस्थाओं की संख्या इतनी बढ़ गयी, एक एम.एल ए. के चारों ओर से लोग कपड़े खींचते हैं, वह 10 लाख को कहां-कहां देता फिरे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 25-25 लाख रुपया दोनों योजनाओं में देने की माननीय मुख्य मंत्रजी इस सदन में घोषणा करें, निर्बन्ध राशि और 30 जिले 30 काम में।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन, भौतिक सत्यापन करवाया जाय। वास्तव में करोड़ों रुपया लग रहा है, व्यवहार में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गरीबों के पास में पैसा पहुंच रहा है इन जिलों में कि नहीं पहुंच रहा है यह बातें देखने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मामलों में इस अभिभाषण को मैंने अच्छा बताया है और कुछ मामलों में मैंने विरोध किया है। मेरे संतुलित नीर, क्षीर, विवेक के आधार पर मैंने सुझाव दिये हैं। आप इसको राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में न देखें, संकीर्ण भावना के साथ नहीं सोचें। राजस्थान के व्यापक हित में मैंने कुछ सुझाव दिये हैं, इसको गम्भीरता से लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य रमाकान्त जी ने धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

विपक्ष की बैंचेज से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और अपने विचार रखते वक्त यह बताया कि राज्यपाल महोदय ने यह जो अभिभाषण दिया है, इसमें सिर्फ माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत का वर्णन ज्यादा किया है, उनकी वाहवाही लिख दी है। उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज माननीय भैरोंसिंह शेखावत के हृदय में बहुत दृढ़ विश्वास है राजस्थान की प्रगति के लिए और जो काम कर रहे हैं वह सही मायने में राजस्थान के हित के लिए कर रहे हैं। वे जो योजनाएं बना रहे हैं, जो योजनाएं बनायी हैं वाकई में राजस्थान को एक ऊंचाई पर ले जाने की उनकी हार्दिक इच्छा है। माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा, सामने विपक्ष की बैंचों से आवाज आयी कि भैरोंसिंह शेखावत ने जो प्रगति की, उस प्रगति की नींव तो कांग्रेस के शासन ने डाली। यह सही बात है लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से नींव डाली, जिस प्रकार से उन्होंने प्रगति की,

(श्री उगमराज मेहता)

वह रास्ता भैरोंसिंहजी ने नहीं अपनाया। स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि एक रुपया यहां से आता है और वह जाते जाते ग्रामीण क्षेत्र में 15 पैसे रह जाता है और उसमें से भी सिर्फ विकास के नाम पर 5 पैसे खर्च होता है। यह सही बात है। इस प्रकार से हमारी सरकार नहीं सोचती। हमारी सरकार सोचती है कि एक रुपया ही गांव में जाय और एक रुपया विकास के लिए खर्च हो। यह गति देना चाहते हैं हम, उस प्रकार से विकास करना चाहते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये दुरुस्त करें, उन्होंने यह कहा था कि 1977 में जनता पार्टी का राज जब दिल्ली में आया तब से भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि बढ़ते-बढ़ते यह हालत हो गयी। जनता पार्टी के आने से ही भ्रष्टाचार बढ़ा तो जनता पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार पर है। यह कहा था उन्होंने। आपको तो पता है। शिक्षा मंत्री जी, आपको तो पता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : यह तो अपने आपको झांक लो, देख लो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी के सन्दर्भ में कही थी।

श्री उगमराज मेहता : अब आप बिराजिये। इसका जवाब दूंगा मैं। बिराजिये। भारतीय जनता पार्टी का शासन 1990 में रहा है। उस समय जनता पार्टी का शासन था और इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कमी नहीं है। निर्दलीयों का शासन है।

श्री उगमराज मेहता : आप बिराजिये। मैं आपसे वार्ता नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने 643 करोड़ रुपये अभी दिये हैं। बीसलपुर परियोजना पर जिस प्रकार से रुपये खर्च किये, 1994 में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने अपने भाभड़ा साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी, उस समय बीसलपुर परियोजना का पानी अजमेर और ब्यावर में पानी ले जाने के लिए जिस रफ्तार से काम चालू हुआ था वह रफ्तार इस समय कछुए की चाल चल रही है। हमें उस कमेटी में कहा गया था कि 1996 की जनवरी में ब्यावर को 40 लाख गैलन पानी दे दिया जायगा बड़ी पाइप लाइन से। गत 2 माह पूर्व माननीय मंत्री महोदय, ब्यावर पधारे, उन्होंने रोड पर पाइप लाइन देखी। एडिशनल चीफ को कहा, क्या बात है कि अभी तक पाइप लाइन का काम पूरा नहीं हो रहा है। उस समय उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो यह मई महीने तक पाइप लाइन का काम पूरा होगा। मैंने यह कहा कि ब्यावर की जनता को पानी कहां से देंगे? उन्होंने यह कहा कि जो एग्जिस्टिंग पाइप लाइन है उससे हम 10 लाख गैलन पानी नसीराबाद से ब्यावर को पहुंचायेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप पम्पिग कितने घंटे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 16 घंटे पम्पिग नसीराबाद से करते हैं और पर-आवर 50 हजार

(श्री उगमराज मेहता)

गैलन पानी उपलब्ध होता है, यानि कुल 8 लाख गैलन पानी। मैंने कहा, कब, कितना-कितना, आंकड़े बतायें। मैंने मंत्री महोदय के सामने ही आंकड़े बताये, पिछले 2 माह के आंकड़े बताये, कभी 2 लाख गैलन पानी, कभी 3 लाख गैलन पानी, कभी 1 लाख गैलन पानी और कभी पानी ही नहीं पहुंचा। गत 2 मार्च को जिला कलक्टर की मिटिंग में मंत्री महोदय सोनगराजी भी वहां पर बैठे हुए थे उस समय उस मीटिंग में यह विचार किया गया, माननीय मोटवानीजी भी बिराजे थे, उस समय उनसे आंकड़े पूछे कि अजमेर शहर में कितना पानी दिया जा रहा है इस समय उन्होंने कहा, 90 लाख गैलन पानी, 60 लाख या 70 लाख गैलन पानी बीसलपुर से बाकी इधर से। अब उनसे जब मंत्रीजी ने पूछा यह कि इस प्रकार से 90 लाख गैलन पानी अजमेर शहर को दिया जाता है तो वह 48 घण्टे में पानी पूरा होना चाहिए, वह 48 घण्टे में पानी नहीं मिल रहा है अजमेर की जनता को भी और ब्यावर के लिए भी। कलक्टर महोदय ने पूछा कि किस प्रकार से रफ्तार से आप पानी दे रहे हो, इतना पानी दे रहे हो और आप टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दीजिये। उन्होंने कहा, दो दिन के बाद में रेगूलर 20 घण्टे पानी ब्यावर की जनता को पम्पिग करके नसीराबाद से दिया जायगा।

(15.00)

आज स्थिति ऐसी है कि तीन दिन, चार दिन हो गये, 72 घंटे 90 घंटे 98 घंटे में पानी मिल रहा है। यह स्थिति अभी भी बनी हुई है। यह मैंने अभी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया। स्थिति ऐसी हो रही है कि वहां पर ए.ईएन. नहीं, वहां पर जे.ईएन. नहीं। बीच में एक ए.ईएन. था। यह तो होता है कि कारणवश चले गये, उनके पिताजी बीमार हो गये तो बॉम्बे चले गये परन्तु वहां तीन ए.ईएन. की पोस्ट हैं और अभी इस समय एक ए.ईएन. नहीं है, एक भी जे.ईएन. नहीं है और हमारे यहां से बराबर फोन जाते हैं। चीफ इंजीनियर को मैं लगतार कहता हूं। मैंने कल निवेदन किया तो यहां से चीफ इंजीनियर कहते हैं कि हमने वहां पर ए.ईएन., जे.ईएन. भेज दिये लेकिन अभी तक वहां ए.ईएन. जे.ईएन. एक भी इस समय काम नहीं कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की पेयजल की स्थिति है। मैंने मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्रीजी से कल ही निवेदन किया, उन्होंने कहा कि इस समस्या की तरफ, ब्यावर की पेयजल समस्या की ओर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे आशा है कि मुख्य मंत्रीजी एक या दो दिन में नसीराबाद में और वहां एक आदमी बैठायेंगे और वहां 48 घंटे पम्पिग करेंगे, बराबर 20 घंटा और वहां से 10 लाख गैलन पानी ब्यावर को दिया जायेगा। उन्होंने इस प्रकार से कहा है और मुझे आशा है कि मुख्य मंत्रीजी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंजीत्री, यह दोनों बैठेंगे और अधिकारियों को बुलाकर यह आश्वासन उनसे लेंगे और इस कार्य का निवारण होगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजली मिलेगी कहां से ?

श्री उगमराज मेहता : बिजली बराबर आ रही है वहां पर, इसकी चिंता नहीं है। राठौड़ साहब। वहां पर बिजली बहुत है, लाइन जो है वाटर शेड के लिये बराबर है।

(श्री उगमराज मेहता)

नसीराबाद में जो विद्युत स्टेशन बनाया हुआ है वहां बराबर मिल रही है। उसकी कमी नहीं है। सिर्फ पम्पिंग में जो अधिकारी यहां बैठे हुए हैं वे गलत सूचना देते है और कह रहे हैं कि हम 16 घंटे पम्पिंग कर रहे हैं और 16 घंटे पम्पिंग नहीं करते हैं वह। वे गलत सूचना के आधार पर करते हैं ...

श्री किशन मोटवानी : पानी कहां से आयेगा? ब्यावर के लोगों के आंसुओं से अपने पम्पिंग करेंगे क्या?

श्री उगमराज मेहता : मोटवानीजी ने याद दिला दिया। सिंचाई विभाग को भी वहां 36 गेट बनाने थे, वे 36 गेट उसने इस साल बनाये ही नहीं। वे अगर इस साल बना देते या वर्षा ऋतु के पहले बना देते तो यह समस्या पैदा नहीं होती और अब भी यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 36 गेट जो सिंचाई विभाग द्वारा बनाने है अगर नहीं बनाये तो पेयजल की जो समस्या है अजमेर जिले की, यह यूं की यूं रहने वाली है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आज थोड़ा सा ठीक बोल रहे हो।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, समस्या यूं ही रहने वाली है तो अभी आप कह रहे थे न कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि दो दिन में मैं वहां जाकर नल खोद रहा हूं ...

श्री उगमराज मेहता : खोद नहीं रहे। उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता जो बोल रहे हैं वह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पानी की जो प्रायोरिटी है, जीवन की दूसरी आवश्यकता है। बीसलपुर की आज पन्द्रह साल से चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट +++ करती है कि पचास लाख गैलन पानी मिल जायेगा ब्यावर को। ब्यावर का एम.एल.ए. पहले-पहले तो थोड़ी सी प्रशंसा कर गया। मुख्य मंत्रीजी हरेक बोल रहा है। मुख्य मंत्रीजी गवर्नमेंट है? He is a Chairman of the Council of Ministers मिनिस्टर जो है, पी.एच.ई.डी. है, उनकी जिम्मेदारी है। अधिकारी नहीं देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। स्टेट मीनिस्टर बैठे हुए हैं। यहं इधर-उधर डोलते फिर रहे हैं। फलोदी में, औसियां के अन्दर। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर बीसलपुर योजना को देखते। एक मंत्री लगाओ वहां पर। आपका अगर जो वाल्व है, वह खराब हो जायेगा, वह भी मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया परसों मैं वाल्व ठीक कर दूंगा, परसों मैं उसका नल खोल दूंगा। यह क्या आप +++ बैठे-बैठे एक आदमी को।

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक और निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार बीसलपुर से जो पानी की कमी आयी है, इस साल तो वापस पहले की जो योजना है वह हाथ में लेनी पड़ेगी और कुओं से पम्पिंग करके उस पाइप लाइन से पानी देना पड़ेगा। पहले की तरह ही कुएं बनाने पड़ेंगे।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उगमराज मेहता)

जो उद्योग नीति राजस्थान सरकार ने बनायी है उसके अनुरूप आज ब्यावर क्षेत्र में....

श्री परसराम मदेरणा : पानी नहीं है तो उद्योग कहां से लेंगे ?

श्री उगमराज मेहता : प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। मैं उद्योग मंत्रीजी से और पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका एक आदेश आया है, यह मैं भी जानता हूं और सभी को यह दुःख होता है कि इस क्षेत्र में गाड़ी जाती है, ब्यावर होकर निकलते हैं तो चुंगी नाके में घुसते ही प्रदूषण से आपको कुछ होता है, मैं भी मानता हूं कि प्रदूषण रोकना चाहिये परन्तु प्रदूषण रोकने के लिए मैंने निवेदन किया कि आपके विभाग में इस प्रकार की टेक्नोलाजी होगी, टेक्निशिएंस होंगे, आज वहां के उद्योगपति बाहर बैठकर विचार-विमर्श करने को तैयार हैं कि किस प्रकार से वहां यंत्र लगाये जायं ताकि यह प्रदूषण बिलकुल रोका जाय। वे तैयार बैठे हैं और मैं भी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हूं परन्तु इस प्रकार से उनको यह नोटिस दिया जाय कि आपके यह उद्योग-धन्धे बन्द करिये तो इस प्रकार से लाखों रुपये लगे हुए हैं वे अब कहां जायेंगे? उनके मजदूर लगे हुए हैं वे मजदूर कहां जायेंगे ? उनकी रोजी-रोटी भी छिन जायेगी। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी कोई टेक्निशिएंस भेजिये, विभाग वालों को वहां भेजिये, उनके साथ में बैठकर विचार-विमर्श करिये और इस प्रकार की टेक्नोलाजी दीजिए ताकि वहां के प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। आज रीको के पास जमीन नहीं है। मैंने कई बार कहा कि आप सरकारी जमीन लीजिये, जोधपुर रोड की तरफ जाती है, लिंक रोड, वहां पर सरकारी जमीन है। मैंने निवेदन किया कि इस तरफ राइट साइड में डेढ़ सौ बीघा है और इस तरफ 250 बीघा जमीन सरकारी है वह लीजिये। एक तरफ आवासन मण्डल का हो जायेगा और एक तरफ रीको का नया इण्डस्ट्रियल एरिया हो जायेगा ताकि इधर-उधर भिजवाने की जरूरत नहीं पड़े। वहां इस प्रकार सरकारी जमीन लें। आवासन मंडल भी अगर सरकारी जमीन लेगा तो लोगों को सस्ते मकान मिलेंगे और हमारी ब्यावर से जोधपुर रोड है उसका भी हमारा डवलपमेंट हो जायेगा। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि रीको और आवासन मण्डल के लिए आप सरकारी जमीन लेकर जल्दी से जल्दी उसको डवलप करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां पर बिराजे हुए नहीं हैं, मैं मंत्रिमण्डल के सदस्य जो यहां पर बिराजे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात है। सरकार कहती है और हम भी चाहते हैं कि जन सहयोगियों से अस्पताल बने। सरकार ने ग्यारह हजार गज जमीन अलाट की है। लैंड यूज चेंज हो गया और करीबन तीन–चार महीने से वे लगातार चक्कर काट रहे हैं। कहां पर ? अजमेर में एस.टी.पी. आफिस में कि यह नक्शा पास किया जाय। सरकार ने इसके लिए एक लाइन लिखी है, डी.टी.पी. से सैंट-बैंक की राय ली जाय। जरूरी बात हैं, सैंट बैंक की राय लेनी चाहिये। एक दो करोड़ का अस्पताल बनने जा रहा है यह और प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ 25 पर्सेण्ट पर ही कंस्ट्र-

(श्री उगमराज मेहता)

क्शन के लिए इन्होंने इजाजत मांगी है। एस.टी.पी. वाले को कलक्टर ने कहा कि इस प्रकार से यह योजना खटाई में क्यों डाल रहे हो तो उन्होंने एक रिवर्स नोट लगा कर भेज दिया कि सिर्फ एक हजार गज पर ही कंस्ट्रक्शन किया जाय। अब एक हजार गज पर कंस्ट्रक्शन और दो-ढाई करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, किस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को वह संस्था हाथ में लेगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप उनको कहिये, निर्देश दीजिये एस टी.पी. वालों को कि वहां ऐसा अधिकारी है तो उनको यहां सीधे ए.पी.ओ. करिये और दूसरे अधिकारी को भेजिये। क्योंकि ब्यावर के एस.डी.ओ. ने जितनी फाइलें भेजी हैं, वह ब्यावर की फाइलें क्लियर करना नहीं चाहता। कारण यह है कि मैं एस.टी.पी. वालों को कलक्टर आफिस में सुना आता हूं कि ब्यावर वालों को क्यों हैरान करते हो, ब्यावर वाले तुम को कुछ करने वाले नहीं हैं। क्या करने वाले नहीं हैं, मैं कहना नहीं चाहता। इसलिए वह हमारे सारे काम रोके हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको यहां लाइन हाजिर करिये और दूसरे अधिकारी भेजिये ताकि ब्यावर का जितना भी जन-सहयोग का काम है वह जल्दी से हो सके।

श्री किशन मोटवानी : मेघवालजी को रिपोर्ट करो वह करप्ट आदमी है, +++ उसको आगरा भेजो तभी काम ठीक होगा अजमेर जिले का और ब्यावर का।

श्री उगमराज मेहता : मैं भी कह सकता हूं उसको क्योंकि कलक्टर ने भी उसको....

श्री किशन मोटवानी : आप नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी तरफ से।

श्री उगमराज मेहता : कलक्टर साहब ने भी उसको कह दिया दो–तीन बार कि तुम्हे यह काम नहीं करना हो तो, क्योंकि वह काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को यहां से ....(व्यवधान)....

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि अकाल राहत के जो कार्य चल रहे हैं, हालत यह है कि इस समय अजमेर जिले की 20 हजार की श्रमिक संख्या है और अभी कल 20 से 30 हजार तक की भेज दी है शायद। उसमें मेरा यह निवेदन है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में 24 पंचायतें हैं और वह 24 पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जमीन नहीं है खेती के लिए। वहां सड़कें ही ज्यादा बन सकती हैं या पक्के मकान, सार्वजनिक भवन बन सकते हैं। मेरा निवेदन है कि कोटड़ा से जोधपुर तक जो लिंक रोड बननी है वह रोक दी गयी है। कारण है यह कि उनके पावर की बात नहीं है, वह राज्य सरकार की पावर की बात है। एक वह रोड और एक बराकंद-कंटाला रोड, एक ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मेहताजी, आपने गवर्नर भाषण पढ़ा कि नहीं ? उस रेफरेंस में बोलिये आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उगमराज मेहता : उसी रेफरेंस में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा लगता है कि आप डिमांड्स पर बोल रहे हैं।

श्री उगमराज मेहता : नहीं, डिमांड पर नहीं बोल रहा हूं, अकाल राहत पर बोल रहा हूं। राज्य सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जो सड़कें हैं, वह सड़कें पास करके भेज दें ताकि श्रमिक संख्या वहां ज्यादा से ज्यादा लगे। मेरे यहां अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सड़कों का काम है और यह काम ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं इसलिए मैं अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत मांग कर रहा हूं कि मेरे यहां सड़कें बनायी जायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय सदस्य शुरू करें, , भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सफलता हासिल की है, संसद में भी दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है तो हमें भी इस सदन में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए, भारतीय टीम के लिए बधाई देनी चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से सदन को निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी शुरू-शुरू में आज शून्यकाल के बाद किया था। (व्यवधान)

बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम को सफलता पर बधाई

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भारतीय टीम ने बैंगलोर में क्वार्टर फाइनल में जो मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ उसमें शानदार सफलता हासिल की है उसके लिए सदन भारतीय टीम और उसके सदस्यों को हार्दिक बधाई देता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव आ जायेगा समय पर।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : पूरा सदन समर्थन करता है, अब तो पास कर दीजिये। सब समर्थन करते हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह प्रस्ताव आ गया, यह बोल गये और हम सब समर्थन करते हैं आप इसको पारित कर दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो राष्ट्रवादी हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, जुबेर खानजी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है प्रस्ताव पास किया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पास किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यह प्रस्ताव जुबेर खानजी की तरफ से हो हो ताकि साम्प्रदायिक सौहार्द्र भी बना रहे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई को मेरिट के आधार पर उप-जिला घोषित किया है। साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को एवं चिकित्सा मंत्री महोदय को इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान में पल्स पोलियो का जन-जागरण किया। जो हमारी भावी पीढ़ी पंगु हो सकती थी उसको पंगु होने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार की योजना के तहत इसे अमल में लाया गया है इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम है, भारतीय जनता पार्टी जब से इस शासन में आयी है तब से राजस्थान में जितने बलात्कार हुए, जितनी हत्याएं हुई हैं, जितने अपहरण हुए हैं उतने 1952 से लेकर आज तक कभी भी नहीं हुए। यह भारतीय जनता पार्टी जो कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान नहीं। कृपया बात नहीं करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी, जिसको बी.जे.पी. कहा जाता है वह बी. से भ्रष्टाचार, जे. से जननी और पी. से पार्टी यानि भ्रष्टाचार जननी पार्टी बन कर रह गयी है राजस्थान के सन्दर्भ में।

मुझे यह निवेदन करना है कि राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि प्रदेश के त्वरित विकास हेतु सरकार की कटिबद्धता से प्रयास किया जा रहा है। पैरा नम्बर 23, पेज नम्बर 7 पर माननीय राज्यपाल महोदय, से जो कहलवाया गया है। उन शब्दों को मैं परोक्ष रूप से वाचन कर रहा हूं. प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद रही है। राज्यपाल महोदय का यह कहना कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सही है, इससे ज्यादा कोई ❀ असत्य किसी क्षण में, किसी पल में कभी भी कहीं नहीं बोली गयी थी। यह तो गोएबल्स को भी मात कर दिया गया।

जयपुर में चार दिसम्बर को एक बालिका का अपहरण हुआ। पूरा राजस्थान दहल गया। उसके बाद मकराना में व्यापारी के पुत्र का चार दिसम्बर को अपहरण कर लिया गया। इसके अतिरिक्त मैं वह-वह चीजें बता रहा हूं जिससे माननीय गृह मंत्रीजी को त्याग-पत्र देने पर मजबूर होना चाहिए। भरतपुर में 7 दिसम्बर को कोतवाली क्षेत्र में दिन-दहाड़े लूट हुई और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी, तमाशा बनी रही। उसके बाद 7 दिसम्बर को मजदूर के बालक का जयपुर में अपहरण हुआ और

❀ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अपहरण का पता नहीं पड़ा कि किसने किया।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 21 दिसम्बर को बीकानेर जेल में जेलर ने इतना कहर ढहाया कि उसने सब चीज की अति कर दी। उसने एक व्यक्ति, जो कस्टडी में था, की पिटाई की। उसकी गुदा में बर्फ डाल कर पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गयी। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात है, इससे ज्यादा कोई अमानवीय बात हैं, इससे ज्यादा कोई निंदनीय बात है? आपके शासन में कभी आपने देखा था? संवेदनशीलता इसको कहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा किसी भी शासन के लिए गलत बात नहीं हो सकती, बेरहमी की बात नहीं हो सकती, बर्बरता की बात नहीं हो सकती। ऐसा जुल्मकारी यह सरकार का गृह विभाग होकर रह गया है।

मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोकायुक्त महोदय ने भी आपराधिक सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने व मुकदमा चलाने की इस मामले में सिफारिश की है तब मुकद्मा चलाया गया इस मामले में।

इसके अतिरिक्त महिला छात्रावास का हरेक को पता है। जयपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रात को कामकाजी महिलाओं के छात्रावास में नशे की हालत में गये और क्या हश्र रहा। माननीय गृह मंत्रीजी, मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है कि उसमें एफ. आर. लगा दी गयी। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? क्या वह बलात्कार करके आते तब कोई केस बनता? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजधानी का यह क्या हश्र हो रहा है। मुख्य मंत्री महोदय की कोई बात ही नहीं मानी जाती यहां पर। मुख्य मंत्री महोदय ने डायरेक्टर, लोकल बोडीज, अजय सिंह चित्तौड़ा को जांच अधिकारी बनाया, उन्होंने लिखा कि इनकी वास्तव में यह दुष्कर्मी है, इन्होंने किया है। तो वह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पटक दी। अब मुख्य मंत्री महोदय जो कर लें वह कर लें। यहां तो धड़े की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, यह तो धड़े की लड़ाई है। जहां ऐसे सैंसेटिव मुद्दे महिला छात्रावास में घुसने के मुद्दे जो जनप्रतिनिधि के हैं वह ऐसे तय किये जाते हैं धड़ेबाजी से तो फिर क्या हश्र होगा? वह जो डायरेक्टर साहब की चीफ मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट मांगी थी, अखबार में प्रकाशित हुई, उस पर कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ यह कि 173 सब-क्लाज 2 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी अदम वकुआ में। शर्म की बात है, अदम वकुआ, वकुआ ही घठित नहीं हुआ। Happening was not happened. यह जांच रही। बोलें कुछ। महिला दिवस मना रहे हैं और इस तरह महिलाओं के छात्रावास में घुसने पर भी एफ. आर. लगा रहे हैं। यह महिला दिवस है आपका।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि जयपुर शहर में चोरी, हत्याएं और नकबजनी की घटनाएं बढ़ी हैं जिसके लिए मैं यहां पर कम्प्यूटर लाऊं तो कम्प्यूटर भी रीडिंग बताने में अपने आप को समर्थ पायेगा।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मेरा निवेदन करना यह है कि 16 जनवरी को इटावा में पुलिस ने एक वृद्ध व्यक्ति को इतनी बेरहमी से मारा कि उसको एडमिट कराना पड़ा और डाक्टरों को उस की टांग काटनी पड़ी।

इसके अलावा आपको मालूम है कि 26 जनवरी का दिन राजस्थान के गृह विभाग के लिए बहुत ही कामयाबी का दिन रहा है। 26 जनवरी के दिन जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम पर हजारों लोग जा रहे थे अपने देश का पर्व मनाने के लिये, तब गृह विभाग के लोगों की जो पोल थी वह खुल गयी। आज हरेक को मालूम है कि जयपुर में अनेक बार सूचना मिली है कि मानव बम घूम रहे हैं, आतंककारियों का यह अड्डा बन गया है, लेकिन यह तो कहते हैं कि मानव बम गये। हमारे कोई मंत्री, मुख्य मंत्री या हमारे सचिवालय में जाकर जब तक किसी को उड़ा नहीं देंगे तब तक हम नहीं उठेंगे, तब तक हम नहीं जागेंगे, तब तक हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। यह स्थिति बन गयी है आज ला एण्ड आर्डर की। क्या किया आपने ? दो-चार डीवाई. एस.पी., दो चार छोटे लोगों को सस्पेण्ड कर दिया। विधान सभा का सत्र खतम होगा उसके बाद बहाल कर देंगे। संवेदनशील प्रशासन, त्वरित प्रशासन, गरीब को गणेश, सब गोबर गणेश किया आपने।

मेरा निवेदन करना यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण जलसे की घटना में विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो उच्चाधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बड़े आदमी के खिलाफ कौन कार्यवाही करे ? उपाध्यक्ष महोदय, जिन डीवाई.एस.पी., जिन इंस्पेक्टर जिन सब-इंस्पेक्टर को सस्पेण्ड किया गया है (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप क्या बात कर रहे हैं, प्रधान मंत्री की मृत्यु की रिपोर्ट गायब कर दी। दो-दो प्रधान मंत्री उड़वा दिये। शर्म आनी चाहिये आपका। केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : देखिये, बहिनजी, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचे। मैं मेरी बात तथ्यात्मक बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि सारी पोल खुल गयी। इतना ही नहीं हुआ, पुलिस को बेहरमी 26 जनवरी को घूम रही थी। 26 जनवरी की रात को साढ़े दस बजे मकराना के अन्दर एक शराब की दुकान जो बन्द थी ड्राई डे के कारण, उस पर कुछ लोग आये, उन्होंने कहा, हमें शराब चाहिये। उसने कहा आज ड्राई डे हैं, शराब नहीं देंगे। इस पर एक अनवर नाम के व्यक्ति का झगड़ा हुआ। वह व्यक्ति जो शराब चाहते थे उन्होंने पीटा। दो व्यक्ति – एक तो सोनूसिंह और एक दलबीर सिंह, पुलिस का संरक्षण के लिए थाने में गये। जब वह थाने में गये तो उनको बेरहमी से मारा-पीटा और उसी रात को थाने में उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद पुलिस की मिलीभगत से अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरे दिन सुबह इस व्यक्ति को किसी ने संभाला नहीं। उसके कारण से मकराना पुलिस थाने को 27 तारीख को लगभग 20-30 हजार लोगों ने घेर लिया। कलक्टर ने कहा, गोली से उड़ा

(138)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दों, भारतीय जनता पार्टी का राज है, क्या देखते हीं और सोनूसिंह की मौत हो गयी। डबल मौत के हत्यारे हैं। यह है अपना शासन। 26 जनवरी मनायेंगे, 15 अगस्त को पता नहीं कितनों को मरवायेंगे.... (व्यवधान) मैं आपने कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा हूं, आपको परेशानी क्यों हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि 26 जनवरी को उच्च शक्ति वाले विस्फोटक आर.डी.एक्स. का प्रयोग किया गया उसके बारे में अभी तक कोई भी विजिलेंस विभाग ने कुछ नही किया। मैं कहता हूं कि वह कौनसे कारण हैं कि आज यहां सदन में बैठा हर व्यक्ति कहता है कि जब वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, कहते हैं कि परिन्दा भी पर नहीं मार सकता था, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि इंटरनेशनल स्तर पर बदनामी होगी और सब की नौकरी चली जायेगी तो ऐसा भय इनको 365 दिन क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इनको भयमुक्त कर रखा है। अब यह तो माननीय गृह मंत्री महोदय ही बतायें कि क्यों भय-मुक्त कर रखा है और वह अब क्यों अपने आपको भयमुक्त मानते हैं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि बब्बर खालसा ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली इसके बाद भी स्टेडियम में जो बम कांड हुआ उसका अभी तक किसी को पता नहीं पड़ा। यह सुरक्षा की खामी है। हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के जितने मंत्रिगण हैं, मुख्य मंत्रीजी हैं, सभी नागरिक प्रतिनिधि हैं, इन सबकी सुरक्षा का भार इस तरह की पंगु, इस तरह की अक्षम पुलिस पर नहीं दिया जाय,

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा.... (व्यवधान).... 12 फरवरी को पुलिस हिरासत में हिण्डौन सिटी में एक की मृत्यु हो गयी। थाने का घेराव कर रही भीड़ पर गोली चलायी गयी 18 फरवरी को और जयपुर सैण्ट्रल जेल में 10 फरवरी को नन्दा की संदेहास्पद मौत हुई। पुलिस कस्टडी में डैथ और जेल में डैथ जितनी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई इतनी पहले कभी नहीं हुई 1952 से लेकर 1990 तक के बीच में।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि राजस्थान की पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। आपको मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में गुर्दा प्रत्यारोपण कांड हुआ। किडनी ट्रांसप्लान्टेशन के यहां पर अवैध धंधे चल रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए बेचारे गरीब लोगों के गुर्दे निकालकर बेचने का कारोबार हो रहा था जिसमें सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, फिलीस्तीन के जो भी शाह लोग हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया पानी की तरह बहती है, वह लोग गरीब लोगों के यहां से ट्रांसप्लान्टेशन के रूप में किडनी खुद के लगा कर जाते थे और राजस्थान की राजधानी की नाक के नीचे सब कुछ होता है। पुलिस का इसमें मिला-जुला षड्यंत्र है। इसलिए यहां पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अब कुछ दिन चर्चा हुई। मेरा निवेदन करना यह है आपके माध्यम से कि राजस्थान सरकार मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को लागू करें और किसी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हद तक भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं उनके ट्रांसप्लान्टेशन के बारे में एक एक्ट बनायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा यह कहना है कि जब से प्रजातांत्रिक प्रणाली चालू हुई है तब से अभी तक राजस्थान के अन्दर ऐसी कोई सरकार नहीं आयी जिसने इतनी बेइमानी की हो, जिसने इतना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हो जितना अब हो रहा है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्वायत्त शासन विभाग में, हालांकि मंत्री महोदय नहीं हैं, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और मुख्य मंत्री महोदय की नहीं चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, कानून यह है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सरकारी सेवाकाल में हो जाती है तो उसके जो वारिस हैं उनको नौकरी मिलती है लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में टू इन वन का सिस्टम आ गया। क्या ? एक आदमी की जगह दो आदमियों को नौकरी मिलेगी गारंटी से 35-40 हजार में। जयपुर नगर निगम में गये सालों में ढाई सौ लोगों को नौकरी मिली है। उन ढाई सौ लोगों को उनकी एवज में मिली जो नौकरी करते थे। उन्होंने केवल एक एप्लीकेशन लिखकर दी, जिनकी सेवाएं 10 साल की थीं, 15 साल की थीं, 20 साल की थीं, 25 साल की थीं, एप्लीकेशन यह दी कि मेरे टी.बी. हो गयी है। एक डाक्टर जिसने लिखा उसने ढाई सौ सर्टिफिकेट में से 215 सर्टिफिकेट बनाये। उसका एक सर्टिफिकेट लिया और उस व्यक्ति को तो कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया, उसको तो पेंशन मिल गयी और उसकी एवज में नौकरी दे दी गयी। पूरे भारत के अन्दर एवजी नौकरी देने की दिशा में पहला जिसे कहना चाहिये, ओलम्पिक अवार्ड इन्होंने ही लिया है, जिसके कारण जो सफाई कर्मचारी है उससे 30 से 40 हजार रुपये लिये गये। इस तरह ढाई सौ लोगों को नौकरी लगाने में करीब 65 लाख रुपये की हेराफेरी हुई, रिश्वत ली गयी और यह शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के राज में कि इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। मैं इस मामले की फाइल का एक-एक पेज लाया हूं जिसमें कि किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन करना यह है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम त्वरित न्याय देंगे, संवेदनशील रहेंगे, भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर देंगे। भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं, भ्रष्टाचार में तो आप डूबे हुए हैं। आपके ऊपर से भ्रष्टाचार निकल गया है। मेरा निवेदन यह है कि 1990 के अन्दर एक कमेटी बनायी गयी उसने यह निर्णय लिया कि ऐसी कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जायेगी जिसमें कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु नहीं हुई है उसके जीवन काल में ही उसकी एवज में दूसरे को नौकरी दे दी जाये। 10 साल की सेवा, 15 साल की सेवा, 20 साल की सेवा में यह दे दी गयी।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी तरह का केस था, यही सरकम्स्टान्सेज थे, विद्युत विभाग में जब ऐसा मामला आया तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फाइल मंगवायी और उस पर लिखा कि इस तरह की एवजी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। आर.एस.ई.बी. में जो एवजी नियुक्तियां होने जा रही थीं, लगभग हो चुकी थीं वह

(१५०)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रद्द हो गयीं और नहीं हुईं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फाइल मगवायी, उनको फाइल नहीं भिजवायी गयी और यहां पर स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने, सचिव साहब ने और विभाग के लोगों ने इस तरह की गड़बड़ी की। आज नगर निगम जयपुर में इस बात की चर्चा है कि तीस-तीस चालीस-चालीस हजार रुपये लेकर एक-एक सफाई कर्मचारी को नौकरी दी गयी है। सफाई कर्मचारी तक से रुपये नहीं छोड़ते। मीटर घुमा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एस.टी.डी. मीटर से भी ज्यादा तेज घूम रहा है। दोनों हाथों से तो लेते ही हैं और पैरों से पीछे और धकेल रहे हैं क्योंकि भगवान ने दो ही हाथ दिये हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय ने जब इन लोगों को नौकरी के लिए मना कर दिया और नगर निगम की यह स्थिति है कि बीस करोड़ रुपये जी.पी. एफ. के मय ब्याज के देनदारी है नगर निगम पर लेकिन नगर निगम बीस करोड़ रुपये नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अब सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति महज लाटरी के आधार पर होनी चाहिए। नगर निगम जयपुर ने कानूनों को ताक में रखते हुए 250 लोगों को कह दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट लाइये, उसके आधार पर एवजी नौकरी दे देंगे। कर्मचारी जो था दस, बीस, पच्चीस साल का, उसको तो पेंशन मिलेगी और उसके भाई-भतीजे या पत्नी, किसी को भी सर्विस मिल जायेगी। इसके अलावा 350 व्यक्तियों का नियमितीकरण कर दिया गया। इस तरह कुल मिला कर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत पांच सौ लोगों को रोजगार देने का अधिकार था, उस अधिकार से वंचित कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूरी फाइल है और उसकी फोटो कापी है इसमें से मैं वह रेलेवेंट पोर्शन दिखाना चाहूंगा जिसमें कि बद मंशा प्रकट होती है। माननीय मंत्री महोदय, यह स्वायत्त शासन विभाग का सक्यूंलर है इसमें यह लिखा हुआ है, असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मचारी के स्थान पर उत्तराधिकारी को नौकरी देने बाबत, इस प्रकार का नियमों में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इस मांग पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। यह तो है इसकी मीटिंग का, जिसमें डायरेक्टर लोकल बाडी बैठे थे और सब बैठे थे। यह जब नियम है, पैरा-8, सक्यूंलर है जनवरी 1989, उसके बाद भी 1995 में फिर यह डिमांड रिफ्यूज कर दी गयी, जब दोनों बार यह डिमांड रिफ्यूज कर दी गयी उसके बाद भी मंत्री महोदय ने और लोकल सैल्फ के और लोगों ने और सैक्रेटरी महोदय ने इस तरह की कार्यवाही की। फण्डामेंटल राइट है एक आदमी को जोब करने का। सैक्शन–14, सैक्शन–19 का वायोलेशन किया और उनको नौकरी दे दी गयी।

मेरा निवेदन यह है कि यह नौकरी दिलाने के लिये एक फर्जी डाकूमेंट, कूट रचित डाकूमेंट तैयार किया गया। एग्रीमेंट में यह लिखा है कि दिनांक 7.7.90 को निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग और इन सबकी मीटिंग हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया। जबकि स्थानीय निकाय निदेशक के कोई भी सिग्नेचर नहीं हैं। इस तरीके से

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कुल मिलाकर 65–70 लाख रुपये लिये गये तब यह नौकरियां दी गयीं । इसके अतिरिक्त एक की नौकरी के एवज में दो को नौकरी दी गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा । सवाईमाधोपुर नगरपालिका के अन्तर्गत करीब साठ लाख रुपये की हेरा-फेरी हो रही है और इन दिनों उसकी फाइल भी दबा दी गयी है । उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जो चुंगी ठेकों पर दी गयी थी उसकी आय के लिए कोई निश्चित पर्सेण्टेज तय की गयी थी । काटन, सिल्क काटन पर दो पर्सेण्ट चुंगी ली जाय । यह एक बात थी किन्तु माननीय मंत्री महोदय के पास व्यापारियों का एक जत्था आया, व्यापारियों ने कहा कि यह दो पर्सेण्ट तो ज्यादा है तो कहा कि एक पर्सेण्ट ले लीजिये । एक पर्सेण्ट के बाद यह कहा गया कि नहीं तीस रुपये क्विंटल रख दिया जाय । तो जो शिड्यूलड टैरिफ थी एक रुपया पर्सेण्ट और हाई कोर्ट ने भी आर्डर दिया था कि दो रुपये पर्सेण्ट लीजिये उसके बजाय तीस रुपये क्विंटल रख दी गयी और आदेश में संशोधन कर दिया गया और आदेश में संशोधन कब किया गया वह सबसे बड़ी मखौल की बात है । उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का कोई तो अन्त होता है लेकिन यहां तो भ्रष्टाचार के अन्त का भी अन्त हो गया, भ्रष्टाचार की शुरूआत ही चल रही है । जयपुर, 23 नवम्बर, 95 को यह राजस्थान राजपत्र छपता है और किस बाबत छपता है ? उसमें लिखा है कि 25 जून, 1991 से 12.10.95 तक तीस रुपये प्रति क्विंटल ली जाय । मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया गया है । कभी ऐसा भी बीच में हुआ है कि जो अवधि है वह खतम हो गयी उसके बाद आप यह कहते हैं कि जो दो पर्सेण्ट और एक पर्सेण्ट पर लिया गया उसको हम 30 रु. क्वि.से मांगते हैं ? क्योंकि इधर से भी और उधर से भी दोनों तरफ से एस.टी.डी. मीटर चालू है, मणिपुर की रीडिंग चालू है, भ्रष्टाचार चालू है, रुपयों की खरीद-फरोख्त चालू है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास समस्त दस्तावेज आ गये हैं उनके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि सवाईमाधोपुर की नगर पालिका जिसमें कि कांग्रेस के चेयरमैन हैं उनके सामने यह स्थिति है कि उनको तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है किन्तु माननीय मंत्री महोदय के विभाग द्वारा करोड़ों की राशि जमा कराने के लिए एक महीने की उनको मोहलत दी गयी । फिर दो महीने की मोहलत दी गयी । टर्न खतम हो गया उसके बाद भी उनकी डेट एक्सटेंड की जा रही है क्योंकि उनका मानसिक अनुपात–समानुपात बैठ गया । और मानसिक अनुपात–समानुपात बैठ गया इसको भी मैं खोलकर बताऊं क्या कि क्या होता है । तो मेरा निवेदन करना है कि इस तरह से यह जो बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसको कटघरे में खड़ा किया जायेगा और काल ही बतायेगा कि इस तरह की जो बेईमानी होती है उनकी क्या परिणति होती है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि परकोटे के अन्दर पुरातत्व के जो प्रोटेक्टेड मान्यूमेंटस हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनी थी लेकिन मयूर टाकीज के सामने, और भी जगह जहां करोड़ों रुपये

(142)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

की कीमत की जमीनें हैं, जहां एक-एक गज की कीमत लाखों में है वहां और बापू बाजार और नेहरू बाजार के परकोटे से सटी हुई दो–दो मंजिलें बन रही हैं। केवल यह है कि नीचे से पैसा दे दो। अब इससे ज्यादा स्पष्ट बात क्या है लेकिन कोई भी जांच आयोग नहीं बैठाया गया। शिकायत हुई है, कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह भ्रष्टाचार का नमूना भारतीय जनता पार्टी के राज में है। दोषी व्यक्तियों को दंडित नहीं किया गया और निरंकुशता चल रही है नगर निगम में। नगर निगम एक तरह से जयपुर का नरक निगम बन गया है और यह नारकीय स्थिति पता नहीं कहां ले जायेगी जयपुर शहर को।

इस तरह मुझे यह भी कहना है कि नगर निगम के एक ठेकेदार के व्यक्ति को, जिसकी गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं थी, महापौर अपने साथ ले गये थे और उस दुर्घटना में एक पार्षद की मृत्यु हो गयी थी और एक गन मैन की भी मृत्यु हो गयी थी। वह गन मैन प्राइवेट था। ठेकेदार के आदमी को गवर्नमेंट सर्विस नहीं दी जा सकती लेकिन पार्षद के भाई को भी सर्विस दी गयी। मुझे यह नहीं है कि किसी को सर्विस नहीं मिलनी चाहिए लेकिन यह तो इनकी इन्डिविजुअल लायबिलिटी थी उसको गवर्नमेंट पर क्यों फिक्स किया जाय। तो इस तरह की भ्रष्ट व्यवस्थाएं की गयी हैं।

इसी तरह मेरा निवेदन है कि लेखन सामग्री में 79 लाख का घोटाला हुआ और उसमें 15–20 आदमी अरेस्ट हुए हैं। क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या घोटाला नहीं हुआ? माल बरामद नहीं हुआ? फिर संवेदनशील प्रशासन की बात कही जाती है। यह जनता का पैसा है, यह पब्लिक फाइनेंस है इसका मिस–यूटिलाइजेशन किया जा रहा है और इसमें राजनीतिक संरक्षण है।

श्री शांतिलाल चोईवाल : आपके टाइम पर हुआ था।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ही ने किया है। आप ही के जमाने में हुआ है। यह जो फर्जी हंसी है उससे कोई फायदा नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि पूरे राजस्थान में सैकण्डरी–हायर सैकण्डरी के एग्जाम्स चल रहे हैं परन्तु पूरे राजस्थान में प्रेक्टिकल परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। शिक्षकों का आंदोलन जारी है। जो केन्द्र सरकार से करोड़ों रुपया आया शिक्षण भत्ता, माननीय शिक्षा मंत्रीजी हों तो सुन लें, माननीय शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन जो शिक्षक समाज के अग्रणी किसी जमाने में रहे हैं, वह मेरे साथी बैठे हैं वह अच्छी तरह विवेचन कर पायेंगे कि जो करोड़ों रु. शिक्षण भत्ते के नाम पर, एजूकेशन अलाउन्स के नाम पर सैण्ट्रल गवर्नमेंट से आया उस पैसे को भी राजस्थान गवर्नमेंट ने ले लिया, शिक्षकों में नहीं बांटा इसलिए उनमें इस तरह का आक्रोश है।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया गया, चयनित वेतन लाभ भी नहीं दिया गया जिसके कारण आज पूरी प्रेक्टिकल परीक्षाएं पैरालेटिक हो गयीं और उनको फर्जी नम्बर दे–देकर पास किया जा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रहा है । अपनी नाकामी को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा बजाय इसके कि शिक्षकों में जायें, समझौता करें, परीक्षा टाईम पर करायें । एक तरफ चुनाव आ रहे हैं दूसरी तरफ यह स्थिति है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि किसी भी क्षेत्र में देख लो, एक तरह से बिलकुल चौपट स्थिति है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : समाप्त कर रहा हूं लेकिन मैं गलत बात कुछ भी नहीं कह रहा हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आर. टी. डी. सी. का मतलब राजस्थान धातु डवलपमेंट कारपोरेशन हो गया है । माफ करें, मेरा किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है लेकिन राजस्थान धातु डवेलपमेंट कारपोरेशन में करोड़ों रुपयों, अरबों रुपयों का आने वाले सालों में गुड़ बांटने का है सरकारी खर्चे पर ।

आपके बूढ़े जिनको कोई जानता नहीं था, इसका नहीं था उनको पुरातत्व के अवशेष बता कर विज्ञापित किया जा रहा है । उसका कोई मापदंड ही नहीं है । मन में आये जिसको देंगे और मन में आये जिसको नहीं देंगे । काइटेरियां यह रखा है कि 75 साल पहले जिसके महल थे वह हैरिटेज होटल में आयेगा । 75 साल का मतलब है सन् 1947 से पहले शोषक लोगों के पास महल थे, शोषित के पास तो थे ही नहीं । इसका मतलब उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता । और शोषक लोग कौन हैं, आपको मालूम ही है । चाहे किसी भी जाति के हों सब ऊंची जाति के हैं । (व्यवधान) ऐसी स्थिति में मेरा यह सुझाव है कि जहां पर भी यह हैरिटेज होटल खोली जा रही है वहां के लोगों की समानता से भागीदारी होनी चाहिए, उनको प्रिफरेंस दिया जाना चाहिए और उनको भी लाभांश मिलना चाहिए तभी जाकर राजस्थान के सब व्यक्तियों को लाभ होगा। नहीं तो जो पुराने लोग हैं, जिनके पास पहले भी शाही जमाने में पैसा था जो पहले भी मोनोपोलिस्ट कैपेटेलिस्ट थे और मोनार्की में थे उन्हीं संघ के लोगों को हाइबरनेशन जिनका हो गया, रेस्टोर करने की यह योजना है । सरकारी फण्ड से आज प्रचारित किया जा रहा है ।

मैं यह भी कहूंगा कि जो नजूल सम्पत्तियां हैं उनके बारे में कोई भी मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है आजादी से पहले जो वर्ग था उसको पहले कहा कि 50 साल पुरानी बिल्डिंग्स हो । फिर देखा कि 50 साल में तो ऐसा है कि महत्वाकांक्षी लोग भी आ सकते हैं तो कह दिया–75 साल पुरानी हो । 75 साल का मतलब आप जानते हैं 1947 से पहले । और 1947 से पहले क्या स्थिति थी ? उपाध्यक्ष महोदय एक क्या अनेक घटनाएं हैं । आप मेरे को तीन दिन तक समय दे मैं तीन दिन तक पोल खोलता रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हश्र हो रहा है ।

मेरा निवेदन करना यह है, चूंकि और भी मेरे साथी बोलना चाहते हैं इसलिए मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले 2–4

१५५

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मुद्दों पर और बोलूंगा। एक यह जो हैण्डपम्प है, राजस्थान में पेयजल का ऐसा साधन है कि 20 लोगों की भी ढाणियां हैं यह जहां पर 15–20 आदमी ही हैं वहा लास्ट रिमोट प्लेस पर भी पानी उपलब्ध करता है। किन्तु राजस्थान की सरकार, संवेदनशील सरकार, गरीबों के आंसुओं को पोंछने वाली सरकार आज तक तीन साल में यह भी निर्णय नहीं ले पायी कि हैण्ड-पम्प का संधारण कौन करेगा। केवल अप्रेल मई जून में पी. एच. ई. डी. करता है और 9 महीने इनको पता नहीं किसके भरोसे छोड़ता है। पंचायत समिति के टेक्नीकल हैण्ड के भरोसे पर छोड़ता है जिनके पास जीप नहीं होती, जो कोई पाइप नहीं डाल सकते, जो कोई काम नहीं कर सकते। यह सरकार इस तरीके की आक्रामक सरकार हो गयी है....(व्यवधान) ....इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह दिन दूर नहीं जबकि जनता हैण्डपम्प को सुधारने के लिए पी. एच. ई. डी. का घेराव करेगी, इनके अधिकारियों को पीटेगी। तभी जाकर होगा....(व्यवधान)....माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि राजीव गांधी पेयजल मिशन जो केन्द्रीय सरकार की सहायता से चल रहा है उसको राजस्थान गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार जननी पार्टी जो यहां पर है, जानबूझ करके फैल करने पर लगी हुई हैं इसलिए कि कहीं चुनाव में फायदा न हो जाय क्योंकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पैसे से कोई काम हो रहा है। इसलिए जो आंकड़े हैं उसमें भी 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 25 प्रतिशत ही उपलब्धि की है। जबकि सारा पैसा बचा हुआ है। दौसा जिला इसका नमूना है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, बिजली के बारे में आप कहते हैं कि सौर ऊर्जा से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। बिजली कब पैदा होगी, कैसे होगी सौर ऊर्जा में क्या टैक्नीकल डिफेक्ट आयेंगे यह तो बाद की बात है, लेकिन आपने अभी गये दिनों में मीटर रेन्ट बढ़ा दिया, इसके अतिरिक्त लोड एक्सटेन्शन पर पैसा बढ़ा दिया और दूरगामी तरीके से भारी इम्पोजीशन करके करोड़ों रुपयों की वसूली के लिए बिल जारी कर दिये। आज किसान, आम उपभोक्ता कहां से पैसा लायेगा? कहां से करोडों रुपये की राशि लायेगा? आपको पैसा चाहिए इसलिए आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू कर दिया। यह किसानों के प्रति अन्याय है, आम उपभोक्ता के प्रति अन्याय है। मेरा यह भी कहना है कि 1985 के आवेदकों को कनेक्शन नहीं मिले हैं। इसके अलावा मार्च तक प्रदेश में 1760 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की जो बात कही थी वह भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि बिजली सुलभ होगी। हमारे कांग्रेस के शासन में हमने यह पोलपट्टी कभी नहीं चलाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पोल के 9 हजार, 2 पोल के 18 हजार और 10 हार्स पावर की मशीन है तो उसके लिए 15 हजार। यह पोल की कीमत, यह पोल में पोल आप ही के शासन में आयी है। गरीबों से एक-एक खम्भे की कीमत ली गयी, उसके बाद भी यह हुआ कि आपने कम्पेल कर दिया किसान को यह कह कर कि जिन्होंने एप्लाई

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

किया है उनको नर्सरी में जाना पड़ेगा। नर्सरी कनेक्शन का मतलब होता कि उसकी जो टैरिफ है वह 1 रुपया 35 पैसे के करीब होगा जबकि उसने जो एप्लाई किया है उसके अन्तर्गत उसको 65 पैसे ही देना पड़ेगा। नहीं तो पैसे वापस लौटाने की बात की जाती है। इस तरह से राजस्थान के किसानों के साथ, जो आवेदक हैं उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही। यही नहीं, यहां पर सरकारीकरण का राजनीतिकरण कर दिया गया है। आप भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक, समस्त लोग बजाय विकास के विनाश में लग रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन जब हम मंत्री महोदय के पास विकास की बात करने जाते हैं तो हम विकास की बात करने से पहले यह सुनते हैं कि यह 15 की लिस्ट है, यह 25 की लिस्ट है, यह जे. ईएन. यह एक्स. ईएन. यह चौकीदार इन सभी के ट्रान्सफर और इन सभी के ट्रान्सफर में लाखों रुपयों का वारा न्यारा होता है। इससे ज्यादा क्या बेईमानी की और भ्रष्टाचार की स्थिति बन सकती है जो कि हमें आ रही है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। मेरा निवेदन करना यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ने .. (व्यवधान) मैंने तो पहले ही स्वायत्त शासन विभाग के लिए कहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वह स्वायत्त शासन विभाग में है। उसका तो कोई सानी ही नहीं। मेरा निवेदन करना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना भ्रष्टाचार पनप रहा है उतना इससे पहले कभी नहीं पनपा।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है उसका मैं समर्थन बिलकुल करता अगर जनहित में होता, लेकिन यह जनहित में नहीं है, यह जनहित के खिलाफ है इसलिए मेरी असमर्थता है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्द गुर्जर। (अनुपस्थित) श्री मदनमोहन।

श्री मदनमोहन (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस पर थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अलवर जिले की उस ग्रामीण अंचल की भूमि में एक सह शिक्षा महाविद्यालय खोला जो राजस्थान में एक अनूठा उदाहरण रहा है। इस वर्ष राजस्थान में 8 महाविद्यालय खुले जिनमें से अकेला महाविद्यालय सहशिक्षा का रहा, सात महिला शिक्षा के रहे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने इस अभिभाषण में यह लिखाया है कि इस वर्ष सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्राथमिकता दी गयी जिससे खाद्यान्नों में वृद्धि हुई, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि का उत्पादन बढ़ाने में सरकार का योगदान नगण्य रहा क्योंकि किसानों को न तो समय पर बिजली उपलब्ध हुई,

(146)

(श्री मदनमोहन)

न बीज उपलब्ध हुआ न पानी उपलब्ध हुआ। जिस तरह के प्रयास बिजली के किये जा रहे हैं उन प्रयासों से बिजली उपलब्ध होने में 10-15 वर्ष लग सकते हैं जबकि किसानों को बिजली तो इस वक्त चाहिए लेकिन इस समय किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसानों के लिए जो आठ घन्टे की हां की गयी थी उसमें भी किसानों को मात्र पांच या छह घन्टे बिजली मिली वह भी पूरी नहीं मिल पायी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ यह और निवेदन करना चाहता हूं कि किसान ने भूमि का सीना चीर कर के अपनी मेहनत और मजदूरी से खाद्यान्न को बढ़ाया। इसका श्रेय सरकार नहीं ले सकती। उस किसान को ही जायेगा क्योंकि किसान ने उस जमीन का सीना चीरा था, अपनी मेहनत और मजदूरी से उसको बढ़ाया था। गत वर्ष जब कपास की रेट 2500 रुपये क्विंटल थी तो इस वर्ष राज्य सरकार ने यह उपलब्धि जरूर प्राप्त की कि 1500 रुपये क्विंटल राजस्थान में कपास बिकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के ऊपर इस विधान सभा में काफी चर्चा हुई। राजस्थान में पर्यावरण के नाम पर ढोंग ही रचा गया है। राजस्थान के अलवर जिले के अन्दर मोदी एल्कलीज में करीब दस बार गैस रिसाव हुआ है, श्रीराम फाइबर्स में रिसाव हुआ है। केडिया ग्रुप वहां पर दस डिस्टिलरी लगा रहा है और अलवर जिले को पूर्ण रूप से बरबाद करने पर तुला हुआ है। केडिया ग्रुप ने वहां पर दस डिस्टिलरी लगायी है जिसकी एक एक फैक्ट्री को करीब एक घण्टे में डेढ़ लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। बाग जो पर्यटन स्थल के रूप में उनको उजागर करना चाहिए था वह पर्यटन स्थल तो दूर रहा, पर्यावरण बचाने की बजाय प्रदूषण की खाई में फेंक दिया गया है। वहां पर शराब के कारखाने लगाये जा रहे हैं। शराब के कारखाने का जिस दिन हश्र होगा वह आपके सामने एक अनूठा उदाहरण होगा, जिस तरह से हवाला केस चल रहा है यह हवाला केस फीका पड़ जायेगा जिस दिन केडिया ग्रुप का केस सामने आयेगा। मैं दावे से कहता हूं कि यह कम से कम हजार करोड़ का घोटाला निकलेगा। इसमें राजस्थान के पक्ष और विपक्ष, दोनों ही पार्टीज के सदस्य मौजूद हैं, मैं दावे से कहता हूं। इसकी आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा कर देख लीजिये, जिस दिन इसका भंडाफोड़ होगा, आप देखते रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी को औद्योगिक नगरी बनाया जा रहा है। औद्योगिक नगरी जरूर बनाया जा रहा है लेकिन वहां पर पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर बेल्ट है। राजस्थान में अलवर जिला सबसे अधिक सरसों का उत्पादन करता है, खाद्यान्न की सबसे अधिक पूर्ति करता है। आज अलवर, भरतपुर और गंगानगर को निकाल दीजिये, राजस्थान में कुछ नहीं बचेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में एक-एक उद्योगपति को 300-300, 700-700, 1000-1000 बीघा जमीन अलाट की जाती है। मैं यह निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से कि राजस्थान के लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट को खतम कर देना चाहिए और जो मार्केट भाव भूमि के हों उसी के ऊपर किसानों

(श्री मदनमोहन)

की भूमि बिके, उस बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिये। आज भिवाड़ी की जमीन करीब एक करोड़ रुपये बीघे के हिसाब से बिकने लायक है लेकिन वहां पर मात्र 30, 40 और 50 हजार रुपये बीघे में खरीद कर इन उद्योगपतियों के हाथों में दी जा रही है जो पूर्ण रूप से इस अलवर जिले के पर्यावरण को नष्ट करने पर तुले हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जहां-जहां भी जाते हैं लगान के बारे में एक भाषण अवश्य देते हैं। मैं लगान के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बीघे का छह महीने का 40 पैसा होता है और एक वर्ष का एक बीघे का 80 पैसे होता है और यदि किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो उसके हुए 8 रुपये। एक किसान एक दिन में करीब 10 रुपये की बीड़ी पी जाता है लेकिन 8 रुपये की उसको छूट देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस लगान से लाभ नहीं होगा जितना इस लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट को खतम करने से होगा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अलवर जिले का किसान फलेगा और फूलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के समय-समय पर समझौते हुए हैं। मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने सराहनीय कदम उठाया है। परन्तु उस आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में राजस्थान को इतनी बिजली मिलेगी कि वह दूसरे प्रदेशों को भी निर्यात कर सके या उनकी मांग की पूर्ति कर सके। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की मांग जिस तरह से बढ़ रही है इसकी जितनी जल्दी पूर्ति की जाय उतना ही बेहतर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था के बारे में इस अभिभाषण में लिखा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति राजस्थान की लगभग सामान्य रही। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तीन दिन पहले राजस्थान पत्रिका में छपा था, यह भी एक सौभाग्य की बात है, कि राजस्थान में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराध बढ़े हैं, लाखों की वृद्धि हुई है। अलवर जिले के बारे में मैं आपसे कहूं, उसी जिले के आप रहने वाले हो, कम से कम सैकड़ों मर्डर हुए हैं, सैकड़ों चोरियां हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, नकबजनी हुई है लेकिन आज तक कोई....

श्री उपाध्यक्ष : अलवर में घटे हैं। अलवर जिले के अन्दर पिछले वर्षों की बजाय इस वर्ष घटे हैं, कम हैं।

श्री मदन मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछली बार एक नम्बर पर था और इस बार भी राजस्थान में एक नम्बर पर है, यह मैं दावे से कह सकता हूं।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 मर्डर भी हुए हों तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूं। यह असत्य बोल रहे हैं।

श्री मदनमोहन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कहता हूं इस सदन में कि खैरथल विधान सभा क्षेत्र में 20 मर्डर हुए हैं।

(श्री मदनमोहन)

यदि 20 से कम 19 भी निकल जायं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस दावे के साथ कहता हूं।

श्री रोहिताश्व : 100 से 20 पर तो आ गये।

श्री मदनमोहन : आप तो 10 की कह रहे हैं जबकि मेरे क्षेत्र में 20 हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री मदनमोहन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने मनमानी ठान रखी है उस पर यदि उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की गयी, उनकी मनमानी पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं दावे से कहता हूं कि आने वाले समय में अलवर जिला अपराध का एक केन्द्र होगा, वहां कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। जिस तरह से रेवेन्यू के उच्च अधिकारी वहां पर दलाली के धंधों में लिप्त हैं वह तो आप सोच भी नहीं सकते। आज जमीन मेरी, जमीन आपकी और सौदा मुझे और आपको करना था लेकिन जिलाधीश, अलवर ने जिस तरह से मनमानी करके करोड़ों रुपये का चूना लगाया, मैं आपको कहता हूं इस सदन में कि इसकी आप जांच करवा कर देख लीजिये, अलवर जिले के रेवेन्यू अधिकारी उसमें सारे दोषी मिलेंगे। कम से कम करोड़ों का चूना है। यह आने वाला समय ही बतायेगा। जिस तरह से अलवर जिले के अन्दर अपराध बढ़े हैं उसका केवल एक ही कारण था कि जो पुलिस के उच्चाधिकारी थे, उनका शौक था स्वागत समारोह करवाने का। पुलिस के उच्चाधिकारियों का थाने में स्वागत होता है। वहां पर काम की समीक्षा नहीं होती है। वहां पर थाने में स्वागत होता है घोड़ी और बैण्ड बाजों के साथ। बैंड–बाजे बजाये जाते हैं और उच्च अधिकारियों की वहां पर आवभगत की जाती है। उस समारोह के अन्दर 20 या 30 हजार रुपये खर्च होंगे तो वह थानेदार कहां से लायेगा, यह आप ही अन्दाजा लगा ले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा इस सदन में हो रही है। मैं सबसे पहले निवेदन करूं, खैरथल से आने वाले माननीय विधायक इस बात को निवेदन कर रहे थे, सदन के समक्ष बयान कर रहे थे कि जो हालात हैं वह बदतर हालात हैं और वे अपनी पार्टी के मुख्य मंत्रीजी का थोड़ा लिहाज कर रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुःख की बात है, यह सरकार शासन में आयी है और किस तरह से शासन में आयी वह आपके ध्यान में भी है, पूरे सदन के ध्यान में है। चुनावों के पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो पूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उद्योगपतियों को, खनिजपतियों को, सभी लोगों को बरगलाया। जगह जगह गये, चन्दा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया और यह कहा कि आप हमें पैसे दो उसके बाद वोट देना, हम आपकी खानें बहाल कर देंगे, पर्यावरण के नाम पर यह कर देंगे, वह कर देंगे। माननीय गृह मंत्रीजी, आपको तो ध्यान है, आप तो खनिज मंत्री हैं, आपने घोषणा

(श्री रामनारायण मीणा)

पत्र भी जारी किया था और घोषणा पत्र में साफ कहा था कि हम भारत सरकार की इस नीति के खिलाफ यह करेंगे, वह करेंगे। आपने कितनी नीतियों के खिलाफ क्या किया? आपने भारत सरकार को कौनसी योजना भेजी? 1960 की खानें जंगलात में चल रही थीं और आज की तारीख में उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हो, चार्जशीट इश्यू कर रहे हो, मुकदमे दर्ज कर रहे हो जबकि उनसे करोड़ों रु. का आपने चन्दा लिया है। यह हालत जिस राज के, जिस पार्टी के लोगों की हों, आप अन्दाजा लगा लें। शहर में क्या करते हो, उद्योगपतियों को क्या कहते हो। आज बड़े-बड़े उद्योगपति आपकी इस नीति से आगाह हो गये हैं।

खैरथल से आने वाले माननीय विधायक से पहले मेरे साथी कुछ निवेदन कर रहे थे। भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे। माननीय गृह मंत्रीजी, हम आपसे कहते रहते हैं कि करप्शन बढ़ रहा है, बेतहाशा करप्शन बढ़ा है। उद्योग विभाग का मामला ले लो, राजस्व विभाग का मामला ले लो, पुलिस का मामला ले लो, आबकारी का मामला लेलो, आबकारी विभाग में जो बैठे हुए हैं वे क्या नहीं करते। एक दुकान खोलने की एक लाख, दो लाख रुपये तो इंस्पेक्टर की रेट हो गयी है। आप जांच करवा लीजिये। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, जितनी भी नेशनल हाइवे पर दुकानें हैं, उन दुकानों के मामले में कहां लिखा हुआ है आपके बड़े आफिसरों का 50 फीट के बाद में आबादी नहीं है। एक एक मील तक आबादी है और वहां सड़क पर दुकानें खोल दी गयी हैं। शराब के पैसे से राज चलाना चाहते हो, शराब के पैसे से आप अपनी पार्टी को जिन्दा रखना चाहते हो और शराब के पैसे से आप करोड़पति बनना चाहते हो। बड़े शर्म की बात है। एक एक दुकान की आप जांच करवा लीजिये, आप इस सदन की कमेटी बना दीजिये। यदि यह बात साबित नहीं हो, आपके अधिकारियों ने न लिखा हो और आप लोगों ने नहीं लिखवाया हो तो आज यह सदन जो सजा देगा उसको मैं भुगतूंगा। आप हिण्डौली का मामला ले लीजिये, साफ लिखा हुआ है 50 फीट पर कोई आबादी नहीं है, आधा किलोमीटर तक आबादी है। नपुर का मामला ले लीजिये, आप आगे भीलवाड़ा का मामला लीजिये, आप चूरू का मामला लीजिये जहां पर रोड के साथ ही दुकानें हैं।

मैं इसी के साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा। कुछ पार्टियां होती है सिद्धान्त की बात नहीं करती है लेकिन सिद्धान्त पर चलती है और कुछ पार्टियां होती है जो सिद्धान्त की बात करती हैं और कहती है कि हम तो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं और सिद्धान्त के खिलाफ चलती हैं। सिद्धान्त क्या है आपका? धर्म का नाम लेते हो। क्या किया है आपने? मन्दिरों की स्थिति यह है आज की तारीख में कि शराबी आपके मन्दिर की परिक्रमा में बैठ कर दारू पीते हैं। आपके गेस्ट हाउस में क्या होता है। वही लोग आपके गेस्ट हाउस में रूकते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता, समझाना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर पार्टी चलती है उसके हाल क्या हैं। यह सारी की सारी बात

(श्री रामनारायण मीणा)

आपके सामने कहता हूं ।

(16.00)

किसानों की बात आप करो । आपके मकान की एक फीट जमीन कोई नहीं ले सकता । कौनसा ऐसा बांध है जिसका मुआवजा आपने पहले दिया हो और किसानों की जमीन को बाद में लिया हो ? किसान की बात आप करते हो, मैं मामली बांध की बात नहीं करता, मैं वायर के नये बांध की बात नहीं करता, हर बांध को लीजिये, मार्केट वेल्यू एक लाख रुपये हैं और आप 10 हजार रुपये देना चाहते हो । आखिर किसान से आपको क्या नाराजगी है ? किसान के खिलाफ आप क्यों हो ? यह बात आप हमें बता दीजिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज जो पार्टी शासन में बैठी हुई है उसने घोषणा पत्र में जो बात कही थी वह क्या पूरी की ? आपका यह घोषणा पत्र मेरा जहां तक ख्याल है, विद्युत के मामले में मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि विद्युत के मामले में कोई कल को बोल रहा था, ऊर्जा मंत्रीजी कह रहे थे कि एक हजार करोड़ रुपये का गड्ढा हो गया, वह हो गया लेकिन इतना जरूर है कि आप लोगों का स्वास्थ्य बता रहा है । इस सदन में वे लोग भी बैठे हुए हैं शासन में, जो ढाई-ढाई करोड़ रुपये का मकान खरीदने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तो पांच बीघा जमीन बेचकर चुनाव लड़कर आया हूं । यह हालत राजस्थान के मंत्रियों की है । मैं सदन में कोई होटल खरीदने की बात नहीं करता । हालत बहुत बदतर है ।

पंचायती राज के मामले में यहां बातें हुईं । क्या भारत सरकार आपको बार-बार चिट्ठियां नहीं लिख रही है ? क्या कारण है कि आप पंचायती राज के मामले में बिलकुल सुस्त हो, कुछ करना नहीं चाहते ? कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता तो आप चुनाव नहीं कराने की बात कर रहे थे, आप कुछ नहीं करना चाहते । आप जिला परिषदों को अधिकार नहीं देना चाहते । और तो और, भारत सरकार आपको 125 योजनाओं में पैसा देती है, ठीक है, आप इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं, भगवान के खातिर, ऊपर वाले के खातिर इतना तो कर दीजिये कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जिनके पक्के मकान नहीं हैं, उनके 15–15 हजार रुपये के जो इंदिरा आवास बन रहे हैं वह तो मत बनाइये । लखपतियों के मकान आप बना रहे हो, चयन कर रहे हो, हम कहते हैं तो असत्य बयान देते हो । यह सही है कि आप शिड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ हैं । यह तो गांधीजी, नेहरूजी और भीमराव जी और उन नेताओं की सूझबूझ है जिन्होंने रिजर्वेशन कर दिया । आपकी पार्टी में जीत कर आ जाते हैं, दिल्ली सरकार कहती है, नरसिंहरावजी कहते हैं कि इनका रिजर्वेशन करो, आपकी सरकार जवाब देती है विधान सभा में कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है । आखिर चाहते क्या हो आप ? चपरासी को क्लर्क बनाना नहीं चाहते हैं । उसको बाईपास करके आप चलाना चाहते हो और यदि देखना है तो मेरे पास ये कागज भी हैं और सारी की सारी बातें भी हैं । आपके जिलों में कलक्टर लगे हुए

(श्री रामनारायण मीणा)

हैं, एजेण्ट हैं या नहीं हैं, यह खैरथल से आने वाले माननीय विधायक ने कह दिया। सदन में इन्होंने यह भी कहा है कि जहां भूमिपतियों के कलक्टर दलाल हो वहां का शासन कैसे चलेगा।

उद्योगपतियों की हालत आप देख लीजिये। ऐसा कौनसा उद्योग है जो यहां आ रहा है और वह सुखी है। आप उद्योगों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, अब से आप शैब से बात करते हो; आप तो चुंगी के मामले में भी उनके नहीं हो; जिन व्यापारियों ने आपको वोट दिया है। शहरों में आप जीतते हो। 1992 में आप ही मुख्य मंत्रीजी थे, 23 फरवरी, 1992 को आपने कहा था कि हमने यह कर लिया है कि चुंगी की मथुरादास कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है, हम चुंगी का मामला हल कर देंगे, चुंगी माफ कर देंगे। आपके घोषणा पत्र का पाइंट नम्बर 21 देख लीजिये, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, चुंगी से होने वाली आय की वैकल्पिक व्यवस्था कर चुंगी समाप्त कर दी जायेगी। 1992 में भी आपने कहा था और 1996 में भी यही कह रहे हो। आखिर आप चाहते क्या हो? आप अपनी बात को पूरा क्यों नहीं करना चाहते? क्या यह सदन उसके आड़े आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। यह हालत आपकी जितने भी घोषणा पत्र हैं उनकी हैं, उसमें यह कहा, उसमें यह कहा, दूसरे में यह कहा, तीसरे में यह कहा, चौथे में यह कहा, पांचवें में यह कहा। रंग बदलने वाली पार्टी यदि कोई है तो वह आप जानते हो कि कौनसी हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किस किस की बात करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1990 के पार्लियामेंट के चुनावों में कहा था, 89 में लोगों का आह्वान किया था, इन्होंने कोटा सम्भाग के लोगों का आह्वान किया था, चम्बल के सिंचित क्षेत्र के लोगों का आह्वान किया था कि आप पार्लियामेंट में हमारे मैम्बर को जिता दीजिये, आपके कैचमेंट की वसूली के लिये लोग आयें तो जूत मार दीजिये, पीट दीजिये, खून-खच्चर कर दीजिये, राज अपना आयेगा तो सबको सम्भाल लेंगे। लोगों का कैचमेंट का कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा है? और खालों की कीमतें माफ हो गयीं, यह हो गयी। भारत सरकार से 50 प्रतिशत ले लिये। हर जगह पानी पीने जाओ, भारत सरकार; बाथरूम जाओ, भारत सरकार। आखिर भारत सरकार से आप क्या चाहते हो? आपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि हम सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, तस्करों को नहीं घुसने देंगे। फिर कहते हैं कि भारत सरकार ने हमारे को बटालियन के लिये पैसा नहीं दिया, हमारी सुरक्षा के लिये यह नहीं कर रही है। आखिर घोषणा पत्र आपका है, यह जो हालत आपकी बनी हुई है, बहुत ही भयंकर हालत है। हर बात में आप केन्द्र से विरोध मोल लेने की बात करते हो लेकिन जब केन्द्र सरकार पैसा देती है उसका सदुपयोग कितना कर रहे हो, आप बता दीजिये, आपकी छाती पर हाथ रख कर। पैसों का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। इन्दिरा आवास की बात, अभी मैंने निवेदन किया था, आश्वासित रोजगार योजना, जिसका सारा पैसा भारत सरकार देती है, में फर्जी मस्टररोल कौन बनाता है, कौन अधिकारी बनाते हैं? आपके तो ईमानदार

(श्री रामनारायण मीणा)

लोग हैं ना ? क्यों आखिर ये सारी की सारी बातें हो रही हैं ।

हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब आदमी आज की तारीख में चिकित्सालय में जाकर इलाज नहीं करा सकता । एक विधायक जाता है उससे फीस ली जाती है तो उसकी रसीद डाक्टर नहीं दे सकता । यह तो विधायकों की हालत है । यहां आप किसी भी विधायक से पूछ लीजिये जिसने फीस दी हो और रसीद मिली हो । पैसा नहीं देना चाहते, पैसा कमा रहे हैं और कहते हैं कि कानून अभी निकला है । आपने आर्डर निकाले हैं कि कोई भी निजी क्लिनिक नहीं चलेगा । विधान सभा में लिखा हुआ है । किसी एक डाक्टर का निजी क्लिनिक आपने बंद किया हो तो नाम बता दीजिये । उन डाक्टर्स के ऊपर जांच होती है, डाक्टर जयपुर आते हैं, मुझे पता नहीं पी.ए. से मिलते हैं कि मंत्री से मिलते हैं, किसी विधायक से मिलते हैं या कहां जाते हैं, खुश होकर जाते हैं । वह डाक्टर वहां जाकर 50 रुपये की जगह 100 रुपये फीस लेता है । आखिर क्या हो रहा है ?

हमने मलेरिया में यह किया, हमने इसमें यह किया, हम हर आदमी को स्वास्थ्य देंगे, आप तो कहते हैं कि 70 साल की उम्र के आदमी को फ्री चिकित्सा सुविधा देंगे । किसको दी ? आपने किसको दवाई दी है ? दवाइयों के कमीशन की हालत क्या है ? अफसर क्या कहता है, डायरेक्टोरेट क्या कहता है, शासन में बैठे हुए हमारे जन प्रतिनिधि क्या कहते हैं । इतनी बदतर हालत इस राजस्थान की कभी नहीं हुई । मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम चिकित्सा को समर्पित बजट की बात करते थे उसको आपने देख लिया । कौनसा चिकित्सालय ऐसा है जहां चिकित्सा का पैरामीटर बढ़ा हो, कुछ सुधार हुआ हो ? ऐसी कुछ भी बात नहीं है ।

मैं एम्फोर्ट की और इसकी बात नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों को पता है कि करोड़ों रुपये कौन खा गया; यह सारी हालत आपके सामने है । यह की यह हालत सारे डिपार्टमेंट्स की हो रही है । कुछ योजनाएं राजस्थान में बनायी जाती हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा । कभी तो आप कृषक साथी की बात करते हैं, कभी गोपाल योजना की बात करते हैं, कभी बैंक खाते की बात करते हैं । योजनाओं के छह महीने बाद में जो कागजों का खर्चा होता है उस कागज के खर्चे का पता नहीं चलता और योजना चली जाती है । इन योजनाओं में कागज के प्रचार के अलावा आपके द्वारा और क्या किया जा रहा है ? कभी सरस्वती विद्यालयों की बात होती है, कभी किसकी बात होती है । आप नीतियां बनाने में माहिर हैं । खनिज नीति से आपने क्या बदलाव किया ? छोटे लीज होल्डर्स आज की तारीख में परेशान हैं । वह कहते हैं कि यह तो अरबपतियों की पार्टी की नीति है । कभी कृषि नीति बनती है । कृषि नीति में आपने क्या किया ? फव्वारा सैट की आप जांच कर लीजिये, अनुदान की आप जांच कर लीजिये । काश्तकारों के पास फव्वारे नहीं हैं, उसके अनुदान का पैसा नहीं है । इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा है कि उसका पता नहीं है ।

(श्री रामनारायण मीणा)

बिजली के बारे में काफी कहा जा चुका हैं, बिजली की बात आयेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे हालात आप के सामने हैं। हालात इतनी भयंकर हैं जिसका यदि शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो इस कदर बिगड़ेंगे कि इसकी कोई मिसाल नहीं होगी।

शिक्षा के बारे में अभी कहा जा रहा था कि डेपुटेशन खतम कर दिये। राजस्थान में प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, व्याख्याता हड़ताल पर हैं, कोटा में डंडे चलाये गये और नकल करा करके प्राइवेट परीक्षा में लोगों को बैठाया जा रहा है। शिक्षक आज भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हम शिक्षा ढंग से नहीं दे सकते। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं। पढ़ने जायेंगे तो मटरगश्ती करने के अलावा वहां कुछ नहीं है। कोई टीचर वहां नहीं मिलता। स्कूलें खाली पड़ी हैं। इस तरह की हालत जिस प्रदेश की हो उस प्रदेश का भगवान ही मालिक है।

(16.10)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं घोषणा पत्र के बारे में निवेदन कर रहा था। इसके 15 नम्बर के पाइंट पर आपने दिया है कि शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए समिति की सिफारिश के आधार पर प्रदेशव्यापी योजना बनायी जायेगी। भाजपा यह प्रयास करेगी कि वर्ष 2 हजार तक बेरोजगारी समाप्त हो। हां, इतना जरूर है कि कोई चम्बल फर्टिलाइजर हो या कोई दूसरा फर्टिलाइजर हो, बड़े-बड़े नेताओं के लड़के ठेकेदारी करते है। क्या आपने चार आदमियों को भी नौकरी दी है? आपने तो नौकरियां बन्द कर दीं। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भी नौकरी नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली से लिखा आता है कि गरीबों को नौकरी दो लेकिन आप कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है। यह हालत हैं आपके तो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे?

एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब दुबारा से मुख्य मंत्री बने थे, शायद सन् 90 में, तब कही थी कि मुख्य मंत्री को लोकायुक्त की परिधि में लाया जायेगा, हम जांच करायेंगे। एक प्रारूप पेश कर दिया, उसका विधेयक भी पेश कर दिया। हमारे साथी जो चौमू से जीतकर आये हैं उन्होंने एक बात जरूर कही, मैं दाद देता हूं उनको और मैं उनकी इज्जत करता हूं, आदर करता हूं लेकिन ऐसे आदमियों की कितनी इज्जत होती है उस पार्टी में और उस शासकीय दल में, यह मुझे पता नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि हमें अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी चाहिए। क्यों नहीं की। आपने घोषणा क्यों नहीं की? वह तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, क्या दिक्कत है? घोषणा कैसे करें? वह प्रारूप जो विधेयक का बनाया था, माननीय सभापति महोदय, मेरे पास है। सरकारी पक्ष वालों, यदि आपसे कहीं गुम गया हो तो मुझ से ले लो। मेरे पास वह प्रारूप है। आखिर उसका क्या हुआ? क्यों नहीं उस विधेयक को पास कराया गया? भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं किसी की बात नहीं करता लेकिन आखिर हो क्या रहा है इस

(श्री रामनारायण मीणा)

राजस्थान में ? इंजीनियर आता है, 15 हजार दो। मैं नाम भी बता सकता हूं अगर आप जांच कमेटी बैठाओ तो । 15 हजार तो मंत्री का पी.ए. लेगा और 15 हजार मुझे चाहिए । यह हालात जहां के हों, यह हालात जिस प्रदेश के हों और तीन-तीन हजार रुपये में जहां ग्रामसेवकों के ट्रांसफर होते हों और तीन-तीन हजार उनकी नियुक्ति के लिए होते हों और शासन में लोग इस तरह के कबाड़े करते हों उसका क्या होगा ।

मैं बी.जे.पी. के अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं और न मैं दिल्ली के पुराने मुख्य मंत्री की बात कर रहा हूं । हवाला के चक्कर में मैं नहीं हूं क्योंकि मैं दोनों ही को नहीं जानता हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक फैक्ट्री लगी, जिला कलक्टर ने कहा कि कैसे फैक्ट्री लग सकती है मुझे बिना पूछे। माननीय उद्योग मंत्रीजी हिसाब ही नहीं बैठा, 55 लाख की पैनल्टी कर दी । जयपुर में फाइल आयी कि माफ कर दो । जिला कलक्टर तो कहे कि ऊपर वाले खा गये और ऊपर वाले कहें कि जिला कलक्टर का सैटिसफेक्शन नहीं हुआ । इस तरह से ऐसे लोगों की क्यों आपने अच्छी जगहों पर पोस्टिंग की हैं ? आप यह बताओ । यह हालात जहां हों, फैक्ट्री वाले "त्वमेव माताश्चपिता" की अगरबत्ती जलायें उसके बाद उसकी फैक्ट्री लगे । यह आपका औद्योगीकरण हो रहा है । यह आखिर क्यों हो रहा ?

मैं केडिया ग्रुप के बारे में यहां सदन में नहीं कहूंगा क्योंकि केडिया ग्रुप के एक-दो आदमी यहां सदन में बैठे हैं । मैं टसल में नहीं आना चाहता हूं । क्यों आप ऐसे मित्र पैदा कर रहे हो ? यह हालात क्या हैं ? शराब का कारखाना बने, आर्य समाज विरोध करे यह क्या है ? राजस्थान टेनरीज की हालत देखिये । कितने लाख का सौदा हुआ ? आज वह बन्द हैं । एक आदमी कहता है कि मुझे दो, मैं सरकार को 50 प्रतिशत का पार्टनर रखूंगा, आधा प्राफिट दूंगा । टेनरीज आज बन्द पड़ी है लेकिन किसी को परवाह नहीं है प्रदेश में उसको चलाने की । और तो और, जिस राज्य में मंत्री मण्डल के सदस्यों के परिवार के आदमी पुलिस में मुकदमा दर्ज करवायें और, माननीय गृह मंत्रीजी, आपके आसपास बैठने वाले लोगों की तरफ आप ध्यान नहीं दो, उन मुकदमों में एफ.आर. लगाने की बात करें, मंत्री को जलील करें और आप यह आशा करो कि मंत्री मण्डल के मैम्बर्स जलील हों, पुलिस में उनकी सुनवाई नहीं हो और उनकी बेइज्जती हो, यह कहां का न्याय है । आप अपने मंत्री मण्डल के सदस्यों तक को नहीं बख्श रहे हो । इस तरह के हालात हैं ।

एक बात का जरूर प्रचार हो रहा है, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी चर्चा है, सबको साक्षरता की बात करते हैं । अजमेर जिले, डूंगरपुर जिले और बूंदी जिले के लिए कहा । आपको सारा ज्ञान है, मुझे भी इतना जरूर ज्ञान है कि बूंदी जिले में बिल बने हैं, गांव वालों ने पैसा खर्च किया है, सारे बिल फर्जी बनाये गये हैं । पिछले सत्र मे एक बात आयी थी झालावाड़ महोत्सव की । पता नहीं वहां दारू आयी, आधी दारू तो गयी

(श्री रामनारायण मीणा)

और पता नहीं वह सांसद थीं या कौन थीं आधी दारू बम्बई में बेच दी। 70 हजार रुपये का बिल कोटा के हलवाई का पेश हुआ और जे. के. से खाना खिला दिया गया। ऐसे लोग इस तरह के धंधे करेंगे तो आखिर छोटे लोगों का क्या होगा? यह है शिक्षित, प्रशिक्षित और संस्कारित। यह हालात जहां माननीय सभापति महोदय, हो रहे हों और उसके बाद कोई कुछ कहे वह कम होता है।

एक बात, सभापति महोदय, यहां पर नयी चल रही है। कोई भी मुकदमा होगा 10 आदमी आ जायेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी माफ करना, हम आपसे राजनीति में भी बहुत जूनियर हैं, यह परिपाटी आपको छोड़नी पड़ेगी 4 आदमी आ गये जीप में भरकर, कोई भी ले आया। जो मुकदमे में फंसेगा 307 की फाइल यहां आ गयी, 302 की फाइल यहां आ गयी। किसी गरीब की जमीन हड़प ली नेता ने और फाइल यहां मंगवा ली। यह जो चीज हो रही है इसके लिए आप थोड़ा अपने साथियों को कहियेगा। हमारे यहां गोलियां चली हैं। वहां के कोई प्रधान हैं उन्होंने जमीन हड़प ली गोलियां चलाई और वह बेचारा ब्रिगेडियर फौज का रिटायर्ड, उसके आदमियों को पीटा और हास्पिटल में कह दिया डाक्टरों से कि इसको निकाल दो। हमने कहा तब बड़ी मुश्किल से हास्पिटल में रहा। उसकी फाइल यहां मंगाई, गिरफ्तार नहीं होने दिया। जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जहां यह हालात हों क्या वहां पर गरीबों की सुनाई हो सकती है? थाने में जाओ तो सबसे पहले तो उसको बिठाओ।

और तो और, इतना भयंकर जहां हो रहा हो, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आपके बारे में तो ज्यादा कहना उचित नहीं है क्योंकि आपके पीछे तो बहुत लोग लगे हुए हैं। आपके पीछे तो बहुत अखबार वाले भी लगे हुए हैं। आपसे लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। आप अपनी शैली को सुधारो। चित्रकूट योजना में कुछ नहीं हो रहा है, पांच साल हो गये। गरीबों का पैसा उसमें लगा हुआ है। और कुछ नहीं तो दो चार एम. एल. ए. की कमेटी बैठाकर कुछ तो करो। कहां क्या करना है, यह देखो। मिनी जयपुर आप बसाना चाहते थे, नहीं बसा, कोई बात नहीं है लेकिन जो योजनाएं उलझी हुई हैं, जहां कुछ खामियां हैं उन खामियों को दुरुस्त करो। और एक बात मैं आपसे कह दूं, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, कि जहां जहां भी आपकी पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं आप उनको देख सकते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी वहीं है। दो चार जगह छोड़ दो। दाल में काला चलता है। कौनसी जगह ऐसी है कि जहां बी. जे. पी. की नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम बैठी हैं, पता नहीं चालीस चालीस हजार की बात यहां की जाती हरिजनों की भर्ती में - है यहां नहीं है? आप कमेटी बैठाओ, आप पहल करो राजस्थान में ताकि लोग जानें कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कमेटी बैठाई हैं और कोई रिजल्ट निकला है। इसलिए यह बातें आपको करनी पड़ेगी और यह बातें नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि जमीनों के मामले में बहुत घोटाले हो रहे हैं, काश्तकार बरबाद हो रहे हैं। शहरों के नजदीक जितनी भी जमीन एक्वायर की जा रही है किसानों की, वह

(श्री रामनारायण मीणा)

उनके लिए बरबादी का कारण बनता जा रहा है। काश्तकार बहुत दुखी हैं और बहुत चिन्तित हैं। मैं राज्य सरकार से कम से कम यह आशा करूंगा कि काश्तकार की जमीन जहां भी एक्वायर की जाय उसको मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे दिये जायें और वह इसलिए दिये जायें कि कोई भी काश्तकार अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराता है तो स्टाम्प ड्यूटी बचाने की बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। एक लाख की जमीन ली जाती है और पांच लाख उसकी मार्केट वैल्यू होती है। काश्तकार बेघर हो जाता है, बरबाद हो जाता है और हालात उसके खराब हो जाते हैं।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, कि एक नीति आपने चलाई शिक्षा में कि जहां 2 लाख दें। वहां स्कूल खोल दें जहां एक लाख दें वहां स्कूल खोल दें। यह गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और पुरजोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं और गांव वाले भी इसकी भर्त्सना करते हैं। आपने नीतियां बनाई ऐसी कि पिछड़े इलाके आगे नहीं बढ़ सकें। आज मेरे नैनवां की बात कहता हूं। वहां सैकण्डरी स्कूल कन्याओं की है। आपके क्राइटेरिया से डबल कन्याएं वहां पर हैं। एक जगह 60 कन्याएं हैं और एक जगह 55 कन्याएं हैं। आप वहां इसलिए सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं कि गांव वालों के पास पैसा नहीं है। ऐसे मामलों को आप देखिये। आप नैनवां के स्कूल को क्रमोन्नत नहीं करना चाहते हैं और नैनवां में भी आप पैसा चाहते हैं। पैसे की नीति क्यों चलाते हैं आप ? आपकी पार्टी क्या पैसों पर आधारित पार्टी हो गयी ? यह नीति आप को छोड़नी पड़ेगी। जन सहयोग की बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, उस बात से अलग हटकर चलना पड़ेगा।

मैं इसी के साथ आपसे निवेदन कर रहा था कि जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि कांग्रेस ने देश को गिरवी रख दिया, इतना कर्जा हो गया, इतना यह हो गया। आप तो बहुत खुश होते हैं विदेशों से पैसा लाने में। 500 करोड़ रुपये का विदेशी कर्जा था राजस्थान पर जब आप शासन में आये थे और आज 5 हजार करोड़ रुपये से बढ़ गया या नहीं बढ़ गया ? आखिर आप चाहते क्या हैं ? आप स्वदेशी की बात करना चाहते हो। मैं और की बात नहीं अर्ज कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, विदेशी हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग स्वदेशी की बात करते हैं। मैं पेप्सी कोला की एजेन्सी की बात नहीं करता क्योंकि वह तो पार्टी के अध्यक्ष के घर में उसका पैसा आता है। आप चाहते क्या हो ? खान-पान की चीजें जो विदेशों से आती हैं उसमें कमीशन खाना चाहते हो, उसमें अपना हिस्सा रखना चाहते हो। आप चाहते क्या हो ? कहो क्या, करो क्या। यह ज्यादा चलने वाली नहीं है। एनरान की बात मैं नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, एक बात जो बिजली में यह कह रहे हैं कि दो रुपये दस पैसे में आप एम. ओ. यू. साइन कर रहे हैं कि वहां एक्स फैक्ट्री, जिस काश्तकार के पड़ेगी, जिस फैक्ट्री वाले के पड़ेगी, जिस दिन हमारे घर में उसकी बत्ती जलेगी उस दिन उसको तीन रुपये में दोगे, चार रुपये में

(श्री रामनारायण मीणा)

दोगे। आप समझौता क्यों नहीं कर रहे हो? आप रेट सही क्यों नहीं कर रहे हो? हम आपको आह्वान करते हैं, बेईमानी छोड़िये ईमानदारी पर आइये माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, किसानों से जितना आप ले रहे हो, कम से कम मध्य प्रदेश जाकर देख लीजियेगा, दिग्विजय सिंह जी का, जहां पांच हार्स पावर तक का एक पैसा नहीं लिया जाता है। आप तो किसानों के हितैषी हैं, इतना तो कर दीजिये। मुख्य मंत्रीजी से जाकर मिल लीजिये कि आप पांच हार्स पावर तक फ्री देते हो या नहीं देते हो। देते हो तो ठीक है। एक सिंगल पोल का वहां कोई पैसा नहीं लिया जाता और नर्सरी के नाम पर आप 25 हजार लेने की बात करते हो। आप चाहते क्या हो? काश्तकार की जमीन, लालसोट से आने वाले माननीय विधायक महोदय.... (व्यवधान)

श्री समापति : आप समाप्त करें। आर्डर प्लीज। माननीय परसादी लाल जी।

श्री रामनारायण मीणा : काश्तकार की बात इसलिए कर रहा हूं, ऐसा काश्तकार जिसकी पांच बीघा जमीन है, यदि वह बारानी है, वह 10 हजार रुपये की जमीन है आप 50 हजार रुपये लेना चाहते हो। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, अधिक नहीं बोलते हुए, यह सारे के सारे रिकार्ड इनके हैं।

श्री सभापति : और बहुत बोलने वाले हैं। आधे घंटे से ज्यादा बोल लिये।

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री के आदेशों की पालना मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं करें उस प्रदेश का क्या होगा? मुख्य मंत्री जी ने 31.10.94 को आर्डर निकाला कि बिना मेरे से पूछे ट्राइबल एरियाज से किसी डाक्टर का ट्रांसफर नहीं हो। सबसे ज्यादा ट्रांसफर वहां से किये। दो डाक्टरों के ट्रांसफर मेरे नैनवां से किये और 10–15 दिन बाद डाक्टर हमारे पास में आ गये कि नैनवां से आप हटा नहीं सकते, मुख्य मंत्रीजी का आदेश है, तीन महीने पहले जा नहीं सकते। फिर वह गये, साहब, हम करा लाये। कैसे कराकर लाये? तो कहा, यह बात तो फिर कभी मिलेंगे तो करेंगे।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : इतनी भयंकर हालत है, माननीय सभापति महोदय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जितने पाइंट्स अंकित हैं, सब रटी रटायी बात है। पहले के जो भाषण हैं उन भाषणों से अलग नहीं है। उन अभिभाषणों से हटकर एक बात है जो घोषणा पत्र में हैं जिसकी यह पूर्ति करते हैं। एक ऐसी बात है, करोड़ों रुपये का चन्दा खनिज वालों से लिया है। खानें हैं हमारे बूंदी में, 70 से चल रही हैं उनको पर्यावरण के नाम पर तकलीफ दे रहे हैं। क्यों नहीं आप उनको दूसरी जमीन देना चाहते? आप क्यों उन लोगों से चन्दा इकट्ठा करके उन लोगों को बरबाद करने पर तुले हुए हो? अब भी चन्दा लेना चाहते हो। हर साल लेना चाहते हो। इसलिए इन सारी बातों को देखना होगा। राजस्थान में स्वच्छ प्रशासन तो आप देने की स्थिति में नहीं हो लेकिन कम

(श्री रामनारायण मीणा)

से कम हर आदमी आपके+ + +यह तो कर दीजिये ।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री अमराराम जी चौधरी ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन के बारे में मैं यह सोच रहा हूं कि किस प्रकार से इसका समर्थन किया जाय। क्या सवा साल से हमारे सैशन न्यायालय में पी. पी. की पोस्ट खाली है, वह नहीं भरी इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करूं ? एक साल-सवा साल हो गया, मंत्री महोदया बैठी हैं, क्या मजबूरी है, उसकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही हैं ? आज बाड़मेर का सारा काम सफर हो रहा है। वहां से ए. पी. पी. फर्स्ट या वहां का असिस्टेंट डायरेक्टर आता है । यदि किसी आवश्यक काम से नहीं आता है तो बेल के लिए बाड़मेर जाना पड़ता है । तो कोई व्यवस्था नहीं चल रही है । सैशन न्यायालय बालोतरा में है और उसके कारण से वहां के सारे वकील चिन्तित हैं कि यह हो क्या रहा है । सवा साल हो गया, किसी को भी करो लेकिन आप नियुक्त तो कर दो। आपकी मजबूरी होगी । क्यों नहीं कर रहे हो ?

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, जब फरवरी में पंचायत समिति की बैठक हुई तो वहां पंचायत समिति के सारे सदस्यों ने कहा कि हम तो इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों दे रहे हो । तो कहा कि हम सवा साल से आ रहे हैं, टी., ए. डी. ए. भी नहीं दिया गया है । अब पंचायत समिति में जो मैम्बर दूर दूर से आते हैं उनको टी. ए., डी. ए. भी नहीं देते हो । अधिकार देने की बात तो दूर की है लेकिन उनको टी. ए., डी. ए. भी नहीं दिया गया ।

आज डामरीकरण का सवाल आया । दो साल से जो सड़कें मंजूर हुई हैं वह एक इंच भी डामर की नहीं हुई । गोटड़ा स्टेशन तक एक अप्रोच सड़क थी, उसके डामरीकरण के लिए दो साल हो गये, कंक्रीट पड़ी है दोनों तरफ सराड़ा ग्राम पंचायत है, दो–तीन हजार की आबादी है, कभी तीन मजदूर लगाते हैं, कभी चार मजदूर लगाते हैं और फिर काम बन्द कि डामर नहीं आया । पचपदरा विधान सभा क्षेत्र और तहसील क्षेत्र के अन्दर यह जो पंचायत हैडक्वार्टर के डामरीकरण का सवाल है, पिछले दिनों के अन्दर डामर नहीं आया । मैंने कलक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले के अन्दर डामर का पूरा अभाव है । अब क्यों नहीं आ रहा है डामर ? पाटौदी के अन्दर 15 साल पहले डामर सड़क बनी थी पचपदरा से पाटौदी 20 किलोमीटर तक, मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि नवम्बर तक जहां भी खड्डे हैं वह ठीक कर दिये जायेंगे लेकिन अभी तक कोई पेचिंग का काम नहीं किया गया है । 17

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री अमराराम चौधरी)

बसें हैं जो बालोतरा से समदड़ी जाती है और 17 ही आती हैं। उसके चारों तरफ न तो पटरियां बंधी और न आज तक खड्डे भरे हैं। आज तक वैसी की वैसी पड़ी है और 17 बसों में जाने वाली यात्री हमेशा गालियां बोलते हैं जो यहां नहीं कह सकता। यह पी. डब्ल्यू. डी. का काम है। वहां एक्स ई. एन. लगे हुए हैं। कभी वह कहते हैं जैन आयेगा, कभी कहते हैं माहेश्वरी आयेगा, कभी कहते हैं गुप्ता आयेगा। अब इनका झगड़ा कैसा है ? कोई भी हो, वह कह रहे हैं हमें तो जाना है, क्या करें। तो इस प्रकार पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर यह हो रहा है कि कोई डामरीकरण नहीं हो रहा है। डौली पंचायत को जोड़ना था वह भी दो साल से एक किलोमीटर की सड़क मंजूर हुई, अभी तक मैटल डाला है, कुटाई नहीं की है।

अभी सेना ने हमारे वहां पर अभ्यास किया। सारी ग्रेवल सड़कें टैंक्स के चलने से नष्ट हो गयीं। छोटे-छोटे गांव जहां पहले ग्रेवल सड़के थीं वह सारा ग्रेवल रेत के टीलों के अन्दर घुल मिल गया जिससे पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। छकड़ा भी नहीं ले जा सकते, ऊंटगाड़ी भी ले जाना मुश्किल हो गया। तो यह जो हालत है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़कें हमारी नष्ट हो गयी हैं उनको अकाल राहत के अन्दर तो कम से कम प्रारम्भ करवा दें ताकि वहां ग्रेवल डला रहे। बहुत सी सड़कें थीं, मैटल सड़क बनायी, रात के अन्दर कम से कम पांच सौ गाड़ियां, टैंक्स चले, कालेड़ा कंक्रीट की अप्रोच सड़क थी वह सारी की सारी उखड़ गयी। अब वह कालेड़ा वाले हमेशा कहते हैं, गांव में जाना ही हमारा मुश्किल हो गया।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा रोजगार के बारे में। रोजगार के लिए जो बात कही गयी, 1994 के अन्दर पुलिस में भर्ती हुई, कुछ ऐसे मामले थे जो हमने गृह मंत्री जी हैं उनको निवेदन किया जिनका सलेक्शन हो गया उनको इसलिए रोक दिया गया कि उनके खिलाफ कोई 323, 348 का मामला है। मामले का फैसला भी हो गया, भर्ती से पहले, यानी ट्रेनिंग में जाने से पहले पहले और मुकदमा भी उस समय हुआ जिस समय उन्होंने परीक्षा दी। वह बरी हो गये और आपने यह कानून भी बनाया है कि जो बरी हो जाता है उसको तीन साल के भीतर भीतर वापस नौकरी दी जा सकती है। तो ऐसे 27 केसेज आपके पास हैं। आपने डायरेक्टर जनरल को भी लिखा था लेकिन उन्होंने भी यह मानकर नहीं किया चूंकि उनके खिलाफ मुकदमा था, जिस समय उन्होंने भर्ती चाही थी। तो वे बरी हो गये हैं उनको तो कम से कम आप नौकरी में वापस लें ताकि यह बेरोजगारी की समस्या मिट सके।

मेरे क्षेत्र में उप तहसील हुई है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपने जगह-जगह उपखण्ड कार्यालय खोले हैं, ए. सी. एम. की पोस्टें क्रियेट कीं, कई कार्यालय खोले इससे हमारे काश्तकारों को लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक काश्तकार के लिए तलवार लटक रही है वह यह है कि देवस्थान की जो भूमि है, वह काश्तकार आज से नहीं है, कम से कम 40 वर्ष किसी को हो गये, किसी को 50 साल हो गये और वह भूमि

(श्री अमराराम चौधरी)

माइनर होने के कारण ट्रांसफर हो नहीं सकती। लेकिन पटवारियों ने 2020 के अन्दर जब गिरदावरी करके पुजारी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी और पुजारी नाम हटा दिया और पुजारी आपका खातेदारी हो गया, उसने पांच साल के बाद में दूसरों को बेचान कर दी और पैसे पूरे ले लिये, फिर उनका म्युटेशन हो गया, खातेदार दर्ज हो गया, अपना कुआं खोद दिया, मकान बना दिये उसके बाद में कलक्टर ने रेफरेंस कर दिया रेवेन्यू बोर्ड को और उस रेफरेंस के बाद में खातेदारी खारिज। खैर, यह तो ठीक कर दिया कि अब पुजारी का नाम तो हटा दिया और मूर्ति का ही नाम रख लिया। मूर्ति क्या हल चलायेगी? यह तो प्रेक्टिकल बात सोचें। मन्दिर के लिए आदमी होना चाहिए, यह मैं मानता हूं। तो आज काश्तकार आल रेडी बैठे हैं, जिसने सारा इन्वेस्टमेंट किया है, उस व्यक्ति के नाम से आप कम से कम उसका पजेशन नहीं छुड़ाये या उस पर आप यह कर दीजिये कि एक साल में एक बीघा पर 10 रुपये देगा या 20 रुपये देगा जिससे मन्दिर की भी आमदनी होती रहे। आखिर मूर्ति तो वहां हल चलाने जायेगी नहीं। जो काश्तकार करेगा, वह ही वहां पर पैसा देगा, वह ही पैदा कर सके, बाकी तो जमीन वैसे ही बंजर टाइप पड़ी रहेगी। इसलिए आप जब सुधार कर रहे हैं, न्यायालय आप खोल रहे हैं, तहसील, उप तहसील आप बना रहे हैं लेकिन आज हाई कोर्ट के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, करीब चार हजार से भी अधिक रिट्स पैंडिग हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो आदमी मर गये वह मुकदमा चलता रहता है जिससे काश्तकारों को बड़ी भारी चिन्ता रहती है।

एक निवेदन करना चाहूंगा, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने एक टार्गेट फिक्स किया जैसे फैमिली प्लानिंग का हमारे कांग्रेस के समय में हुआ था। उन्होंने एक टार्गेट फिक्स किया था कि इतने तो वह अधिकारी आपरेशन करायेगा। वैसा ही बोर्ड के चेयरमैन साहब ने यह आदेश दिया कि एक डी. वाई. एस. पी. को तीन लाख रुपये रिकवरी करनी है, एक ए. ईएन. विजिलेंस का है उसको एक लाख तो लाना है कम से कम रिकवरी के लिए। अब मेरे यहां 2-3 केस तो ऐसे हुए। एक काश्तकार की 10 एच. पी. की मोटर थी वह टेक्सिमो की मोटर थी उसका एक माह का जो बिल है वह 3776 यूनिट आया। आठ घण्टे भी यदि बिजली चले तो 2800 करीब आना चाहिये। अगर उस टेक्सिमो की मोटर को यदि आप गलत भी मानें कि उसका हैड गलत है, 12.5 एच. पी. की भी मान लीजिये तो भी 3300 आता है, 476 यूनिट और ज्यादा चार्ज ले रहे हैं। विजिलेंस अधिकारी वहां जाता है और वहां पर कोई नहीं है, वहां लाइनमैन को ले जाकर कह रहा है कि नहीं, यह तो आपने मीटर को रिवर्स कर दिया। कोई फोटो नहीं लिया, कोई बयान नहीं लिया जिसके अनुरूप मीटर को सील किया हो, उलटा वह तो ज्यादा दे रहा है।

ऐसा का ऐसा ही एक केस है, आपका मीटर टेढ़ा लटका हुआ था और पांच दिन पहले मीटर लटका है उसके बाद में उससे 25,000 रुपये वसूल किये हैं। 25,000

(श्री अमराराम चौधरी)

रुपये लिये, पहले उसका कनेक्शन काट दिया । 25,000 रुपये भरे, वापस उसका कनेक्शन हुआ । उसका मामला सैटलमेंट कमेटी को भेजा तो यह था कि वह मीटर टेढ़ा था, आपने बन्द कर दिया । पांच दिन में कितना भी टेढ़ा हो मीटर, 10 एच. पी. की मोटर लगी हुई है, कितना और काश्तकार से वसूल कर लिया । तो इस प्रकार का इन्होंने टार्गेट फिक्स किया है वह नहीं होना चाहिए ।

श्री सभापति : अब समाप्त करें आप ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : दूसरा मेरा निवेदन यह है, पानी के बारे में जैसा अभी मैंने निवेदन किया था कि पचपदरा क्षेत्र के अन्दर जवाई बांध का पानी जहां लूणी से मेरे आसपास के एरिया में अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी उदघाटन करके आये हैं, वहां जो आप भेज रहे हैं तो पचपदरा में तो कुओं के अन्दर पानी जाता है, कोई खुदाई भी नहीं करनी पड़ती, महीने में एक बार भी यदि पचपदरा तक पानी दीजिये जवाई से, हम तो समझेंगे कि हमारे लिए तो गंगाजल से भी बढ़कर हो गया । क्योंकि इस एरिया में पचपदरा तक, आप हमेशा हाई-वे रोड से चलते हैं वहां पानी नहीं है और मैं तो यह भी कह रहा हूं कि आप सर्वे करवा लीजिये एक हजार फीट का । आज भी मेरा एक प्रश्न था, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी है जिससे कि आपके यहां टैस्ट बोर किया जा सके । नोवाड़ा, कालाथाल, इस साइड पाटोदी एरिया के अन्दर मीठा पानी है । मीठिया बेरा में बहुत मीठा पानी मिला है । पचभद्रा, भद्रा मीन्स नदी, यानी पांच नदियां जो यहां बहुत समय से चलती थीं, ऐसे स्थान पर जमीन में पानी हजार फीट तक मिल सकता है । आज गुजरात के मेहसाणा में एक हजार फीट के नीचे पानी है । हमारे यहां पर कोई ऐसी मशीन हो जिससे मालूम किया जाय ताकि यह जो समुद्र में पानी गिरता था, इस प्रकार की अण्डर ग्राउण्ड चैनल होगी । हमारे गांव में जो छोटे-छोटे कुएं थे पुराने, वह हमने शुरू कराये जिससे आज हम जिन्दा हैं । मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप बालोतरा और पचपदरा क्षेत्र के लिए कम से कम एक या दो दिन जवाई का पानी हमें दें । लूणी के अन्दर आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है ।

स्कूलों के बारे में मेरा निवेदन है, शिक्षा में हमारे जिले के लिए आपने सुना है, बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ये हाई स्कूल और मिडल स्कूल हो रहे हैं, वे बाड़मेर क्षेत्र में और इस डेजर्ट एरिया के अन्दर ज्यादा से ज्यादा दें आप दूसरों के अनुपात में । शिक्षा में जो प्राइवेट स्कूल हैं और कई साधन हैं, शहरों के अन्दर स्कूलों को बिजनेस बना रखा है । अब गांवों में कई बच्चे पैसे देकर तो पढ़ नहीं सकते । आप में डेजर्ट के प्रति हमदर्दी है, आप पधारे, आपने लिग्नाइट का ग्रिल के अन्दर....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री अमराराम चौधरी : पधारकर जो राष्ट्र को समर्पित किया, यह आप सौर ऊर्जा लगा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत

(श्री अमराराम चौधरी)

अच्छा वरदान होगा। लेकिन में एक निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर क्षेत्र में, हमारे डेजर्ट इलाके में जहां 10–15–20 मील में आज स्कूल नहीं हैं, वहां तो आप कैम से कम हाई स्कूल खोलने के आदेश करें।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय किशन गोपाल जी कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य श्री रमाकांत जी शर्मा ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सच्चे मन से कर रहे हो या ऊपरी मन से ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : सच्चे मन से।

राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस के 1985 से 1990 के कार्यकाल की तुलना माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिहजी शेखावत साहब के 1990 के बाद पांच साल के कार्यकाल से की गयी है।

श्री शिवनाथ सिंह : वे तो बाहर गये, अब क्या है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आ जायेंगे। तुलनात्मक विकास के, प्रगति के जिस वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है कि एक घण्टे के लिए समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण माननीय शेखावत साहब के कार्यकाल की उपलब्धियों का एक दस्तावेज है। यह राज्य के विकास और प्रगति का सूचक है और भविष्य में जिस रफ्तार से राज्य का विकास हो रहा है उसका एक चित्र है, एक आइना है। राज्यपाल के अभिभाषण में यह दर्शाया गया कि पूर्व में जिस कांग्रेस सरकार ने राज किया है उस कांग्रेस के टाइम में प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बहुत कम था और इसी की वजह से राजस्थान के विकास में जो गति आनी चाहिए वह पर्याप्त नहीं रही। लेकिन 1990 से योजनागत विनियोजन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप इस सदी के अंत तक राजस्थान सभी क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास की ओर

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

अग्रसर होगा। प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना जो साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की मंजूर कराई, सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले 283 प्रतिशत अधिक होने पर मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। किसी भी राज्य का विकास, उसकी आर्थिक उपलब्धि उसकी योजना के आकार पर निर्भर करता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व में, केन्द्र में भी उसी की सरकार थी जिसकी राज्य में सरकार थी और वह चाहते तो निश्चित रूप से केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा योजनाएं मंजूर कराते, आकार बड़ा कराते और राज्य के विकास को गति देते लेकिन उनका राज्य के विकास की ओर ध्यान होने के बजाय अपनी कुर्सी की ओर विशेष मोह था, क्योंकि वह विधायकों के या राजस्थान के जन प्रतिनिधि के रूप में मुख्य मंत्री नहीं बनते थे। वह केन्द्र की जो सरकार होती थी, प्रधान मंत्री होते थे, उनकी मर्जी पर होते थे। वह अगर योजनाओं के बारे में अपनी ज्यादा मांग रखते तो उनको डर लगता कि कहीं मुझे हटा न दें और यह परिस्थिति रही कि जो वहां से स्वीकृत होकर आता था उसी से विकास होता था। मन की इच्छा, मन की शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय पिछले जितने भी मुख्य मंत्री रहे माननीय शेखावत साहब के पहले, उन्होंने कहीं दर्शाया नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको भीतर की बात का पता चला गया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदय, राजस्थान के विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, मन में इच्छा और वित्तीय अनुशासन, गरीबों के प्रति हमदर्दी और दूर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिये जो योजनाएं बनाने की इच्छा थी उसके पीछे यह था कि गांव के लोग गांव छोड़-छोड़ कर शहर की की ओर बढ़ रहे थे, उनको रोकने के लिये वह सब सुविधाएं जो शहरों की ओर आकर्षित करने के लिये बनी हुई थीं उनको ठेठ गांव तक देना है, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो। इसी के लिये यह सारी योजनाएं बनाई गयीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, औद्योगिक विकास। निर्यात, खनिज विकास आदि के लिये जो आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है उसी की वजह से राजस्थान का अन्य राज्यों में, पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान बनने लगा है। अन्य राज्यों में, अन्य सरकारों में भी राजस्थान की अच्छी चर्चा होने लगी। यह एक अच्छा द्योतक है इस राज का, इस प्रशासन का, जो पिछले पांच साल में उपलब्धि की उसका।

माननीय सभापति महोदय, कृषि, बिजली, सिंचाई, पर्यावरण, ग्रामीण रोजगार, पेयजल, शिक्षा, साक्षरता, औद्योगीकरण, खनिज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क, पंचायती राज और नगरपालिकाओं के बारे में जो अभिभाषण में दर्शाया गया है....

श्री राजेन्द्र पारीक : कोगटाजी, इन सारी बातों के लिये एक शब्द है–सर्वांगीण। एक ही शब्द में यह सब आ जाते हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : 1985 से 90 और 1990 से आज तक की तुलना इस अभिभाषण में दर्शायी गयी है।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

सभापति महोदय, किसी भी देश के राज्य का विकास या उसकी आर्थिक स्थिति उसके कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। अगर राज्य का कृषि उत्पादन बढ़ेगा, वहां के किसान सुदृढ़ होंगे तो निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कृषि विस्तार के लिये और कृषि उपज के के लिए जो विभिन्न योजनाएं इस पांच साल में क्रियान्वित की उसके सफल परिणाम आने लगे हैं। 1990-91 में रासायनिक खाद का उपभोग जो छह लाख टन हुआ करता था वह 1995 तक 12 लाख टन हुआ। यह इस बात का द्योतक है, प्रतीक है कि किसान इस ओर आकर्षित हुए हैं। वातावरण मिला है कि अधिक से अधिक कृषि का उत्पादन हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्षमा करें, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। आप अपनी पार्टी का कहीं लिखा हुआ एक शब्द बता दें कि रासायनिक खाद का किसान भाइयों, आप उपयोग करो और फिर उपयोग बढ़ा हो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह प्रचार हो रहा है, साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके घोषणा पत्र में, सभा में, भाषणों में एक शब्द कहीं बता दो कि भाइयों, रासायनिक खाद का प्रयोग करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रत्येक भाषण में है मुख्य मंत्रीजी के।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कह कि फव्वारा पद्धति, उसमें तो दस गुना या पांच गुना बताई। यह साफ कहना चाहिए था कि मारुति कांग्रेस के राज में थी कुल पन्द्रह हजार और अब हैं छह लाख। यह कोई उपलब्धि है क्या आपकी? लेकिन यह तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है; मेरे देखने के अन्दर, खेतसिंहजी के देखने के अन्दर रेडियो जब सुनते थे तो कहते थे कि रेडियो कोई चीज है, फिर टी.वी. आ गया, फिर रंगीन टी.वी. आ गया, उससे पहले ट्रांजिस्टर आ गया। तो यह तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब आप फव्वारा ही गिना दो और बूंद-बूंद सिंचाई गिना दो, यह कोई गिनाने की बातें हैं? यह तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है और आपने इसका कहीं प्रचार किया हो तो वह बताओ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हां, किया। सभापति महोदय, प्रचार के कितने ही तरीके होते हैं। एक प्रचार का तरीका है कि इस पर टैक्स कम किया। और जब टैक्स कम किया तो किसानों ने सोचा कि इस राज ने क्या हमारे लिए किया और इस कारण से यह उपयोग ज्यादा हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रशिक्षण शिविर लगवाये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : और विज्ञान मेले, कृषि विज्ञान मेले और अन्य जितनी भी वगैरह सब होती हैं उसमें इसका प्रचार हुआ और इसकी वजह से ही यह बढ़ा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जीवित मक्खी मत निगलो।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : प्रशासन गांवों की ओर गया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : और इसी का परिणाम है कि चाहे तिलहन लीजिये, काटन लीजिये, कपास लीजिये, इन सब का उत्पादन बढ़ा है और यह डाटाज आपके सामने हैं। सभापति महोदय, केवल खाद्य की ही बात नहीं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली की भी आवश्यकता है। इसके लिये भी इस राज ने जो कार्य किये है, जिस तत्परता से किसानों भाइयों को कनेक्शन दिये बिजली के, या बिजली की सुविधा बढ़ायी है उसके डाटाज आपके सामने हैं। सन् 1985 से 90 तक किसानों के कृषि कुओं पर 80 हजार के लगभग कनेक्शन दिये और 1990 से 95 तक एक लाख 33 हजार के लगभग नये कनेक्शन कुओं पर दिये। यह इस बात का प्रतीक है कि किसानों के प्रति और राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके प्रति जो कार्य करने चाहिए वह किस ढंग से हो रहे हैं।

यही नहीं, विद्युतीकृत कुओं की संख्या जो लगभग 16 हजार 1985 से 90 तक थी वह बढ़कर 26,734 हो गयी। यह भी इस बात का प्रतीक है कि किसानों के प्रति यह सरकार बहुत हमदर्दी रखती है। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार....

श्री मदन दिलावर : जब किसानों की बात होती है तो उधर वाले सुनते नहीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमसे ज्यादा किसान तो आप हो नहीं सकते।

श्री मदन दिलावर : यह बात सत्य है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे से ज्यादा किसान मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई नहीं हो सकता।

श्री मदन दिलावर : ये स्वीकार करते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अगर हो तो मैं पूछता हूं, एक सवाल का जवाब दो।

श्री मदन दिलावर : यह हमारे पड़ौस में हमारे सदस्य बैठे हैं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : एक सवाल का किसान जवाब दे दें तो....

श्री मदन दिलावर : हां, दे देंगे। एक क्या पांच का देंगे, साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अर्जुनसिंह जी छोटे थे उस समय मैंने डेढ़ हल की पांच बीघा के अन्दर बाजरी की थी 85 मन उनके गांव में बैठकर। उससे पहले चार काश्तकार लगे हुए थे ट्रैक्टर लिये हुए। उनके चारा हुआ डेढ़ बोरी। मैंने कहा, आप खेती करना नहीं जानते, खेती मैं करता हूं। एक अफीमची को तो रखा साथ, अफीम दे कर के खाली कि इस लालच से वह रह जाय। 900 रुपये का चारा, दो एकड़ के अन्दर। मेरे से ज्यादा काश्तकार कोई नहीं है। ये जानते हैं। और मैं किस कैटेगरी का काश्तकार हूं और मेरे फार्म पर कैसा जोरदार है मेरा बंगला, आपका देखा हुआ है। मेरे से ज्यादा आप कहां काश्तकार हो। कोई नहीं हो सकता, यह मैं कह सकता हूं। हां, तो मैं एक सवाल पूछता हूं। एक बैल कमजोर है और एक बैल है तगड़ा, वह रह रहकर बाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। चलो,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उनको दोनों को कैसे चलाओगे गाड़ी मे, जवाब दो ? कोई किसान हो, जवाब देवें ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो ताकतवर है उसको बायीं तरफ और जो कमजोर है उसको दायीं वाली तरफ ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, नहीं । समझाओ मुझे, समझाओ एक मिनट ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता दिया न, साहब, और क्या है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, समझाओ न आप ।

श्री मदन दिलावर : आपको क्या बताना, क्या समझाना ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बात आपकी समझ में नहीं आयी तो फिर आप किसान नहीं हैं ।

श्री सभापति : कृपया अब समाप्त करें । अब किशन गोपाल जी । प्लीज गो अहेड ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था, यह केवल किसानों के लिए ही नहीं, बिजली का उपयोग भी इन वर्षों से खूब बढ़ा है । जहां 1985 से 90 के वर्षों में 30 अरब यूनिट बिजली का उपभोग था, वह 1990 से 95 के बीच 50 अरब यूनिट हुआ है । यही नहीं, बिजली की उपलब्धि में जहां 1985 से 90 तक 6 अरब यूनिट था वह अब इन सालों में 10 अरब यूनिट है । माननीय सभापति महोदय, प्रति वर्ष के जो ये आंकड़े हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं कि यह सरकार किसानों, गरीबों के लिए, सारे उपभोक्ताओं के लिए हमदर्दी रखती है और इसके लिए यह सब कुछ हो रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष का बजट शिक्षा को समर्पित था । किसी भी प्रांत का डवलपमेंट जब तक साक्षरता नहीं बढ़ेगी तब तक नहीं होगा । आपन कितनी भी योजनाएं बनायें, कितने ही पैसे खर्च करें, सम्पूर्ण विकास सम्भव नहीं होगा । माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने एक साल का बजट जो पिछले वर्ष का था वह शिक्षा को समर्पित किया । 1985 से 90 तक जो शिक्षा में खर्च हुआ है वह है 286.27 करोड़ रुपये उसके अगेंस्ट में शिक्षा को समर्पित बजट में 1990–95 में 595 करोड़ रुपये का प्रावधान था, 108 प्रतिशत की वृद्धि की है । यह इस बात के लिए है कि राज्य का सर्वांगीण विकास करना है तो एक-एक क्षेत्र में बारीकी से योजना बनाकर उसके लिए धन उपलब्ध करवाना और धन उपलब्ध करवाकर उसकी क्रियान्विति करना ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष का बजट स्वास्थ्य को समर्पित किया और 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, सामुदायिक विकास स्वास्थ्य केन्द्र 10, उप स्वास्थ्य केन्द्र 700 और उप खण्ड स्तर पर 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो 30 बैड के थे उनको 60 बैड में परिवर्तित किया ।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

यही नहीं, जहां विभिन्न सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं और तुरन्त चिकित्सा की आवश्यकता है उसके लिए महुआ, फतेहपुर और देवली में दुर्घटना चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की गयी।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में भी देखें तो 1985 से 90 के बीच में केवल एक महाविद्यालय खोला गया और 1990–95 में 8 महाविद्यालय खोले गये। यह इस बात का प्रतीक है कि यह सरकार सब तरफ से जागरूक है, सभी क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम करने की....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा विषय अजमेर जिले का तो अब आ रहा था।

श्री सभापति : अब आप पूरी गाथा में आ गये, अपनी तो बात कही नहीं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : नहीं, कहूंगा। आप बैठे हैं इसलिए मैंने सोचा धीरे-धीरे बोलता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व प्रशासन राज्य प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होता है। पिछले काफी समय से इस ओर यह समझिये कि ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार इस वर्ष इस क्षेत्र में समुचित ध्यान दिया गया और 5 अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालयों की स्थापना की गयी, 10 उप खण्ड स्तर के कार्यालय खोले गये, 17 सहायक जिला कलक्टर न्यायालय खोले गये, 5 नवीन तहसील खोली गयीं, 11 तहसील क्रमोन्नत की गयीं और 15 नयी उप तहसीलें खोली गयीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा राजस्थान-भर के नागरिकों की तरफ से कि इस ओर आपने ध्यान आकर्षित किया। इससे राजस्व की जो समस्याएं हैं उसमें आम जनता को सुविधाएं मिलेंगी।

इसके साथ-साथ, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा मसूदा क्षेत्र की जनता की ओर से और उनका प्रतिनिधि होने के नाते मेरी तरफ से कि राजस्थान में 5 नयी तहसीलें खोलीं और उसमें पहला नम्बर, अगर एक भी खुलती तो मसूदा खुलती, 3 खुलती तो पहला नम्बर मसूदा और 5 खोली तो पहला नम्बर मसूदा का रखा। उसके लिये जो प्रायोरिटी दी उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, ब्यावर तहसील और ब्यावर उप खण्ड राजस्थान में एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां एक एस.डी.ओ. बैठते हैं और एक तहसीलदार बैठते हैं। बहुत लम्बे समय से यह मांग थी, इसकी पूर्ति की इसलिए इस क्षेत्र की जनता इस सरकार के प्रति बहुत-बहुत आभारी है लेकिन इसके साथ-साथ निवेदन करूंगा कि जो ए.सी.एम. कोर्ट खोली है वह केवल मसूदा विधान सभा क्षेत्र या तहसील मसूदा का ही कार्य देखती है, तो मैं आज इस अभिभाषण पर बोलता हुआ मांग करूंगा कि ए.सी.एम. कोर्ट मसूदा में स्थापित की जाय, स्थानान्तरित की जाय। यह मैं मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र अजमेर जिले की कुछ समस्याएं आपके

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

सामने रख रहा हूं। जो सबसे बड़ी समस्या है उस बारे में कहूंगा। अजमेर राजस्थान का हार्ट है और हिन्दुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहां पुष्कर है जहां सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। एक कहावत है, सब तीर्थ किये पुष्कर नहीं किया तो सब बेकार है। इसी प्रकार ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में विश्व स्तर का, अन्तरराष्ट्रीय स्तर का स्थान है जहां विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी नागरिक आते हैं। यही नहीं, इसके साथ–साथ शिक्षा का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। सारे हिन्दुस्तान के किसी न किसी अधिकारी, किसी न किसी बड़े उद्योगपति, राजा–महाराजाओं के बच्चे अजमेर में पढ़ते हैं। अजमेर स्टेट राजस्थान में मर्ज हुआ।

श्री सभापति : वहां सब–इंस्पेक्टर का लड़का पढ़ता है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : लेकिन अजमेर जिला आज एक दृष्टि से पीछे है वह एक हवाई अड्डे से, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह आग्रह करूंगा कि अजमेर राजस्थान का हार्ट है, अजमेर में उतरने वाला व्यक्ति कहीं भी आसानी से पहुंच सकता है लेकिन इस दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ है तो इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। अजमेर का महत्व है, जो तीर्थ है, विश्व में सबसे बड़ा आकर्षक स्थान अजमेर है इसके लिए मैं मांग करता हूं कि इसकी पूर्ति करें। साथ ही, एक पालिसी थी कि हर डिविजन में इंजीनियरिंग कालेज खुले। इस पालिसी के तहत अजमेर में बहुत पहले ही इंजीनियरिंग कालेज खुल जाना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश या समझिये कि अजमेर जिले का नेतृत्व कमजोर होने की वजह से हम पिछड़ गये।

श्री सभापति : आपके ललित किशोर जी ले गये अजमेर वाले।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब को धन्यवाद देता हूं कि....

श्री सभापति : कि पांच वर्ष में हमारे हाथ काट दिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : उन्होंने पालिसी बनायी और अजमेर डिविजन में जो यह कमी है उसकी पूर्ति करने के लिये घोषणा की लेकिन मैं यह आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी आने वाले सत्र में ही इसको प्रारम्भ किया जाय।

इसके साथ–साथ अजमेर जिले की सबसे गम्भीर समस्या पानी की है। अगर पानी की सुविधा होती तो अजमेर जिला राजस्थान की राजधानी होता। माननीय सभापति महोदय, अजमेर राजस्थान का हार्ट है लेकिन एक समस्या थी पानी की और पानी की समस्या से आज भी अजमेर जिला जूझ रहा है। मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री माननीय भंवरलालजी शर्मा साहब से कहूंगा कि अजमेर जिले के लिए आपने प्रारम्भ में जो तत्परता, जो मेहनत की, जो योजनाएं पूर्व सरकार ने बनायीं, उनकी जिस ढंग से मानीटरिंग की उसमें आप थोड़ी सी वही इच्छा और लग्न रखें। क्योंकि इस वर्ष बारिश नहीं हुई है, पानी

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

की स्थिति बहुत खराब है और बनास नदी में पानी नहीं है इसलिए पानी की स्थिति की मानीटरिंग करना बहुत आवश्यक है। अभी तक गर्मी शुरू नहीं हुई है। अजमेर जिले में आप ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, केकड़ी कोई भी लें, हर जगह पानी की समस्या है।

इसके साथ–साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अजमेर जिले में सब म्यूनिसिपैलिटीज, सिवाय विजयनगर के बीसलपुर योजना से जुड़ी हुई हैं। अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी सब जुड़ी हुई हैं लेकिन विजयनगर एक वंचित और पीछे रहने वाली नगरपालिका है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इसकी भी योजना बनायी जाय क्योंकि वहां पानी का कोई सोर्स नहीं है, केवल ट्यूबवैल हैं, ट्यूबवैल से पानी आता है और हर साल पानी की समस्या रहती है। हर बार 2 या 3 ट्यूबवैल खोद दिये जाते हैं और समस्याओं पर केवल लीपा-पोती होती है, जो स्थायी समाधान होना चाहिये वह नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये। आप यह कण्डीशनल बात करते हैं। प्रशंसा करने की। बस, समाप्त कीजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हमारे अजमेर जिले में हैण्डपम्प ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का एकमात्र साधन है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बाद अगर सबसे ज्यादा संख्या है तो हैण्डपम्पों की है। (व्यवधान) शिक्षा विभाग में जो शिक्षक हैं उनके बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा संख्या है तो हैण्डपम्पों की है और जो स्थिति है वह सब आपके सामने है। मैं इसमें जो स्थिति है वह आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। गांवों में जहां दूरदराज में केवल हैण्डपम्प की सुविधा है, वह खराब हो जाता है या कोई मेजर मिस्टेक होती है तो 2–2, 4–4 महीने तक ठीक नहीं होती। इसका भी कारण है, हमको बोलेंगे पंचायत समिति करेगी, पंचायत समिति कहेगी कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं, यह मेजर समस्याएं हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें। मुझ पर पार्शलिटी का आरोप मत लगवायें।

आप कृपया खतम करें। समाप्त करें। माननीय श्री भरतसिंहजी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : महोदय, 2–3 समस्या और हैं मेरे क्षेत्र की। दो मिनट केवल।

सभापति महोदय, इन हैण्डपम्पों के लिये एक बार, गर्मी आने से पहले विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जाय और उस अभियान में जितने भी हैण्डपम्प खराब हैं पूरे राजस्थान में, वे ठीक किये जायें। लेकिन इसके साथ–साथ अजमेर जिले के जो हैण्डपम्प हैं, जो खराब पड़े हैं उनको ठीक करवायें।

श्री सभापति : श्री भरतसिंहजी । Now co-operate me. अब को-ऑपरेट करें आप ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, अजमेर जिले में बारिश सबसे कम हुई और अजमेर जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये । अजमेर जिले में जो तहसील ब्यावर है जिसमें मसूदा विधान सभा क्षेत्र, दो पंचायत समिति जवाजा और मसूदा है उसमें हण्ड्रेड पर्सेण्ट गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये है । 443 गांव हैं और 443 गांव ही अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं । अब उसमें केवल पहाड़ी क्षेत्र है, वहां अन्य कार्य हो नहीं सकते । मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसमें 2-3 कामों की छूट मिलनी चाहिये । एक तो सड़क बनाने के लिये । अकाल राहत में जो सड़कें बनें वे नीति-मुक्त होनी चाहिए । अब आप तो कहो कि एक हजार की जनसंख्या वाले में सड़कें बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी-इसका मतलब अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं होंगे और कोई काम नहीं हो सकते ।

श्री सभापति : अब समाप्त करें । आप पास में बैठते हैं, आप समझा लीजिये उनको ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : दूसरा यह है कि इस बार बारिश नहीं हुई तो इसके लिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो कुएं सूख गये हैं, जो निजी कुएं हैं, उनमें आप अकाल राहत कार्य स्वीकृत कराने की कृपा करें ।

श्री सभापति : अब समाप्त करें । मैं कह दूंगा Please not to be noted now.

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, पूर्व में भी ऐसे कुओं को खोदने के लिये अकाल राहत में राशि स्वीकृत हुई है और 10-10 हजार रुपये दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में निजी कुओं में पानी निकलेगा, पानी होगा और किसानों के लिए कृषि उत्पादन में सहायक होगा ।

श्री सभापति : माननीय भरतसिंहजी । Not to be noted.

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

श्री सभापति : अब बैठिये आप । प्लीज सिट-डाउन । कृपया अब बैठे आप । फिर मौका देंगे आपको अब आप बैठे ।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि राजस्थान की जनता, खासकर ग्रामीण जनता में कोई आशा बने कि इस अभिभाषण में राजस्थान की सरकार ऐसे निर्णय लेने वाली है या ऐसे निर्णय लेगी जिससे आने वाले समय में ग्राम के स्वरूप में कोई सुधार होगा ।

इस अभिभाषण में पिछले 6 साल का उल्लेख किया गया है । विकास की दृष्टि से मैं कुछ उन मुद्दों, जिनमें सरकार की सफलता रही है, के लिए तो सरकार को

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भरतसिंह)

धन्यवाद देता हूं, जैसे पल्स पोलियो का कार्यक्रम लिया गया उसकी सफलता के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में तिलहन का उत्पादन बढ़ा, 6 साल में बढ़ा और हम हिन्दुस्तान में तिलहन-उत्पादन में सबसे आगे हैं, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं और ऐसे जो भी काम हैं जिनसे राजस्थान की जनता का भला हुआ उन सबके लिए बधाई देता हूं। मगर पिछले 6-साल में आपने ऐसे काम भी किये हैं जिनसे राजस्थान की गरीब जनता का अहित हुआ है, उन पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

राजस्थान की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। बड़ा जोर देने के बाद पंचायत राज के चुनाव करवाये गये। इस सरकार की जो सबसे बड़ी कमी है कि यह डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर आप इस विधान सभा में आये हैं लेकिन इस सदन की बैठकें ही नहीं हो रही हैं और इसका रिफ्लेक्शन नीचे के स्तर तक गया है। पंचायत के आपने चुनाव करवाये, कैसे करवाये वह सब हम जानते हैं, कांस्टीट्यूशनली आप बाध्य थे चुनाव करवाने के लिए इसलिए आप चुनाव करवाये। जब चुनाव पर डिबेट हुई तो काफी कुछ बातों के ऊपर ध्यान दिलवाया गया कि ये कमियां रहेंगी जिनसे आगे आने वाले टाइम के अन्दर पंचायतों में दिक्कतें आयेंगी, मगर चुनाव हुए, मैं आपको बधाई देता हूं। उन चुनावों के बाद क्या वे संस्थाएं चल रही हैं? आज हमारे बजट का 80 प्रतिशत तनख्वाह पर खर्च होता है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइये आपको वहां पर बाबुओं की कोई कमी नहीं दिखेगी, बहुत अधिक बाबू हैं, काम कम करते हैं मगर पंचायत समिति एक ऐसी संस्था है जहां बाबुओं का अभाव है। काम बहुत है मगर बाबू नहीं है। एल.डी.सी. नहीं हैं, विकास अधिकारी की पोस्टें खाली हैं, ग्राम सेवकों की पोस्टें खाली हैं। हम हमारा 80 प्रतिशत पैसा उनकी तनख्वाह पर खर्च करते हैं और एक वह संस्था जिससे 70 प्रतिशत गांव के लोगों का डायरेक्ट हित जुड़ा हुआ है उसकी आप पूर्ति नहीं करते। 6 साल के अन्दर चुनाव नहीं हुए। चुनाव हुए तो आपने महिलाओं की बात की कि हमने महिलाओं का यह कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के डायरेक्शंस से हुए, 30 प्रतिशत आपने रिजर्वेशन दिया अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया, वे लोग पंचायत में आ गये इसकी मुझे खुशी है। मेरी पंचायत समिति, जहां का मैं विधायक हूं, की हर बैठक में एक विधायक तो जा रहा है मगर दुर्भाग्य की बात है कि एस. डी. ओ., डीवाई. एस. पी., उस विभाग से सम्बन्धित अधिकारी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, आधी तो पोस्टें खाली हैं, आयेगा कौन। जो आदमी लगाते हैं उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। जहां से सब समस्याओं का समाधान होना है। जहां से उसका निचोड़ है, पंचायती राज जिसे ताकत देने की हम बात कर रहे हैं, चुनाव आपने करा दिये मगर उसके बाद, पंचायत मंत्रीजी यहां बैठे हैं, कभी इन्होंने जाकर पंचायत समितियों की प्रोसिडिंग्स देखी है या इस बात को देखा है जो आपके विधान में है कि महीने में मीटिंग होनी है, वह पंचायत समिति की मीटिंग हो रही है? क्या जिला परिषद्

(श्री भरतसिंह)

की मीटिंग हो रही है ? नहीं हो रही है । मर्जी है प्रधान की उसने बुला ली तो बुला ली और कानून जो बनाये हैं, नियम जो बनाये हैं वह ताक पर रखे हुए हैं । जब आपकी पंचायत व्यवस्था नहीं चलेगी, जब आपके अधिकारी बैठकों में नहीं जायेंगे तो आपकी जितनी भी दूसरी व्यवस्थाएं हैं उन पर आप नियन्त्रण किस प्रकार से रखेंगे ?

(17.10)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो पूरी आपकी व्यवस्था चरमरा जायेगी। मैं समझता हूं कि यह सरकार की सबसे बड़ी कमी रही है । मेरे कहने का मकसद यह है, सिर्फ कमी उजागर करने का मकसद नहीं है, मैं समझूंगा कि आप इस पर ध्यान देंगे, यह नोट करेंगे और इसकी पूर्ति करेंगे तो जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चल रही हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचेगा ।

दूसरा, जिसका उल्लेख इस अभिभाषण में किया है कि हमें भारत सरकार ने वाटर शैड कार्यक्रम के लिये पुरस्कृत किया है । राजस्थान नम्बर वन पर रहा है । मैं समझता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है तो इस प्रदेश में पानी की कमी है । टोटल जो सिंचित क्षेत्र राजस्थान का है, 60 पर्सेण्ट इरिगेटेड एरिया में हम ग्राउण्ड वाटर से खेती कर रहे हैं, चाहे वह ट्यूबवैल के माध्यम से हो, चाहे कुएं में से पानी निकाल कर कर रहे हो मगर हमारा जो तमाम सिंचित क्षेत्र है उसके 60 पर्सेण्ट से अधिक क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्राउण्ड वाटर का स्तर लगातार बैठता जा रहा है । हमारे पास इस प्रकार के साधन हैं कि हम सौ मीटर, दो सौ मीटर और मैं समझता हूं कि जहां तक नीचे जा सकते हैं, तेल ही निकाल रहे हैं, पता नहीं कितने मीटर से, नीचे तो चले जायेंगे मगर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस दिशा में हमने कुछ किया ? आंकड़ों के आधार पर आप कुछ भी कह दें मगर हकीकत यह है कि जिस सम्भाग से मैं आता हूं उस सम्भाग में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है और जिस सम्भाग में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है अगर वहां का जल स्तर इतना नीचे गिर जाय कि हैण्डपम्प काम नहीं करें, कुएं में पानी नहीं बैठे और उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करें और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इलाज नहीं है, इलाज है तो होते होते हम उस दिशा में जा नहीं रहे हैं । मुझे खुशी है कि आज इस विभाग से सम्बन्धित मंत्री यहां विराजमान हैं । हाड़ौती सम्भाग में अनेकों नदियां हैं, आप कम से कम एक मीटर का बंधा बांध दीजिये उनके ऊपर । अभी समस्या आती है तो इरिगेशन वाले बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, पी. एच. ई. डी. वाले बोलते हैं कि इससे डायरेक्ट लाभ नहीं है, मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर जो नदियां हैं, उनके उपर आप एक–एक मीटर का बंधा बांधते हैं तो ऐसे अनेक स्थान हैं । आपके पुराने जो स्टेट टाइम के एनीकट्स हैं, जो काजवेज हैं उनके ऊपर आप प्रोविजन कर दें पानी रोकने का । मैंने आपके डिविजनल कमिश्नर को, कोटा के कलक्टर को और जो आज आर. एस. ई. बी. के

(श्री भरतसिंह)

चेयरमैन हैं वे पी. एच. ई. डी. के जब सेक्रेटरी थे तब वे आये थे, उनको सुझाव दिये थे । कमिश्नर को लेकर जाते हैं पर दुर्भाग्य की बात यह है कि मौके पर जाकर सब कुछ दिखाने के बाद उसकी क्रियान्विति करने में इतना समय लग जाता है और समस्या अपने आप बढ़ती जाती है । तो मेरा सुझाव है कि जिस सम्भाग में पानी का जल स्तर गिर रहा है, चिंता है, काश्तकारों में कि यहां पानी कभी बैठता ही नहीं था यह क्या हो रहा है, उस सम्भाग के अन्दर आप कम से कम एनीकट्स का कार्यक्रम लें जिससे ग्राउण्ड वाटर की प्राब्लम कुछ हद तक साल्व होगी ।

जहां तक हैंड पम्प्स का सवाल हैं, यह विभाग का सर्वे रहा है कि जो हैंड-पम्प लगाये गये हैं वे 44 पर्सेन्ट खराब हैं और वे खराब इसलिए हैं क्योंकि जल स्तर बैठ रहा है और यह जो दोहरी नीति है आपकी कि पंचायत समिति उसको ठीक करेगी और अभियान चलाकर वह करेगी, मैं पंचायत समिति की मीटिंगों में जाकर और काम देखकर यह महसूस करता हूं कि यह आपकी दोहरी व्यवस्था चलने वाली नहीं है । अ पकी जो भी व्यवस्था है, एक के ही पास रहे और डिपार्टमेंट के जितने भी हैण्डपम्प मिस्त्री हैं आप उनको उनके पास तब्दील करें और वे ही यह कोशिश करें वरना अगले दो–तीन महीने आयेंगे वे आपके लिए और सबके लिए एक सिरदर्द बने रहेंगे । पिछले आठ–दस साल में हुआ क्या है कि लोगों की हमने एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी है कि जहां पर गांवों में पहले नेज-बाल्टियों से पानी लाते थे वहां आज आपको एक रस्सी भी नहीं मिलेगी । आपने लोगों की एक्सपेक्टे-शंस इतनी कर दी और अब आप वापस पीछे ले जाना चाहते हो कि भाई कुएं पर जाकर तुम पानी खींचो तो वह बात अब नहीं हो सकती । आपके ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशंस, इतनी सी है कि आप वे हैण्ड पम्प ठीक करायें और छोटे गांव के अन्दर कोई सरकारी चीज फंक्शन कर रही है तो उसके माध्यम से मालूम पड़ता है कि सरकार चल रही है या नहीं चल रही है । उस मापदंड से सरकार आपकी बहुत छोटे-छोटे गांवों में तो बन्द है । उसके अलावा आपकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है । तो यह चुनौती है और समस्या अपने आप में गम्भीर है मगर मैं समझूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो व्यवस्था सुधरेगी ।

हमारे कोटा सम्भाग के जो मंत्री हैं वे पी. डब्ल्यू. डी मिनिस्टर हैं । चतुर्वेदीजी साहब सड़कों के बारे में जगह-जगह इस बात को दोहराते हैं कि एक हजार की आबादी के ऊपर हम सड़क बनायेंगे और हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे । मगर हकीकत यह है कि जिस सम्भाग से चतुर्वेदी साहब आते हैं, जितनी खराब सड़कें कोटा सम्भाग में हैं, जितनी दुर्दशा वहां के लोगों की बरसात के अन्दर होती है और यह रिकार्ड में हैं, उनके जो विभाग ने उत्तर दिया है, कोटा सम्भाग से खराब सड़कें राजस्थान में किसी भी सम्भाग में नहीं हैं और इस कोटा, झालावाड़ और बारां, तीन जिलों की नौ तहसीलें, दो सब डिविजन ऐसे हैं कि जिनके अन्दर बरसात में आप एक

(श्री भरतसिंह)

तहसील से जिला मुख्यालय या कहीं नहीं जा सकते । नौ तहसील अगर कोई सम्भाग की ऐसी हों कि जहां से आप तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय नहीं जा सकें, सबै डिविजनल मुख्यालय से आप जिला मुख्यालय नहीं जा सकें और इसलिए नहीं जा सकें क्योंकि उस रास्ते में जो पुलिया आती है वह पुलिया 70 साल पहले प्री इंडिपेंडेंस डेज की रपट है । सरकार की नीति एक तरफ तो यह कहती है कि हम एक हजार की 1991 की पापूलेशन को, 71 की पापूलेशन को, 1981 की पापूलेशन को सड़क से जोड़ देंगे । एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने वाली बात कर रहे हैं मगर यहां पर दस लाख की आबादी का क्षेत्र है पूरा और पुलियों के अभाव में सड़क से वंचित हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह नया विधान सभा भवन बना रहे हैं, हमारी सरकार बहुत बात कर रही हैं, दो मंजिला, तीन मंजिला विधान सभा भवन बना दें और उसके अन्दर लिफ्ट और पत्तियां नहीं लगायें तो उसका उपयोग क्या है ? इस प्रकार उस कोटा सम्भाग में आप एक नीति जो एक हजार की आबादी की ले रहे हैं, कम से कम जो रियासत काल की पुलिया बनी हुई हैं और वैसी पुलिया एक या दो ही नहीं, कम से कम सौ के ऊपर पुलिया रियासत टाइम की है, जिनमें से केवल पन्द्रह पुलियाओं के ऊपर नयी पुलिया बनी हैं बाकी 115 पुलियाएं इस प्रकार की हैं जहां बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है उसके बारे में नयी सड़क नीति के अन्दर किसी प्रकार का जिक्र नहीं है और मुझे खेद है कि जो अभिभाषण है उसके अन्दर भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । उल्लेख किया गया है तो यह बोला गया है कि निजी क्षेत्र के अन्दर से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं । मगर कोई भी निजी क्षेत्र का आदमी, कोई भी कम्पनी उस कोटा सम्भाग के अन्दर जाकर काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उस सम्भाग में जो पैसा खर्च करेगी उसको रिकवर करना उसके लिए सम्भव नहीं है । तो सरकार को इसके लिए अपने पास से, या चाहे विश्व बैंक से हो या चाहे दूसरी एड से हो, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

इसी प्रकार माइन्स से, खनिज विभाग से सरकार ने अपनी आमदनी का उल्लेख किया है । माननीय खनिज मंत्रीजी, यह सही है कि आपको 681 करोड़ की आमदनी खनिज विभाग से होती हैं और राजस्थान में बहुत बड़ा इसका पोटेंशियल है मगर मैं आपको दावे से कहता हूं, जितनी आमदनी आपकी हो रही है उससे दुगुनी आपकी चोरी हो रही है और जहां आप चोरी रोकने के प्रयास करेंगे वहीं झगड़ा होता है । कल आप डिबेट के अन्दर उत्तर भी देंगे । यह सही है कि जहां पर चोरी हो रही है वहां चोरी रोकने का प्रयास करते हैं तो झगड़ा होता है क्योंकि जिसके पास खान है उसके पास पैसा है और उसका व्यापक दुरुपयोग हो रहा है । राजस्थान को इसकी जितनी आमदनी होनी चाहिये वह नहीं हो रही है इसलिए आप उनकी नाकाबंदी करिये और अधिकारी लगाइये । आप इसकी व्यवस्था करेंगे तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि यह 681 करोड़ की आमदनी है वह 2000 करोड़ होगी । टैक्स

(श्री भरतसिंह)

का जो घाटा हो रहा है, जो पैसा चोरी करके लोग बाग अपने घरों में भरते हैं उसके दुरुपयोग का भुगतान हमें करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार से इसकी जो आमदनी है, काफी दिखती है मगर काफी है नहीं। इसको काफी कुछ बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी आप थोड़ा ध्यान देंगे।

टूरिज्म के बारे में मैं थोड़ा ध्यान दिलवाऊंगा कि राजस्थान में टूरिज्म का जबरदस्त पोटेंशियल है। बाहर का टूरिस्ट आता है हिंदुस्तान में टूरिस्ट आयेगा वह राजस्थान में आवश्यक रूप से आता है। हम यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान में हम टूरिज्म के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वह बहुत कुछ है मगर हकीकत यह है कि जितना कुछ हमारे पास है, जितनी कुछ हमारे पास विरासत है, उसको हम सही प्रकार से केश नहीं कर पा रहे हैं, खास तौर से साउथ–ईस्ट राजस्थान में, कोटा सम्भाग के अन्दर टूरिज्म के नाम पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो हैरिटेज प्रोपर्टीज हैं, सरकार की जो प्रोपर्टीज हैं, खास कर के जो किले हैं, जो सरकार के कब्जे में है, उनको लोंग टर्म लीज के ऊपर देने के लिए सरकार को एडवरटाइज करके, विज्ञप्तियां देकर बाहर की कम्पनियों को, जो होटल लाइन में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इन्वाइट किया जाय। टूरिज्म की दृष्टि से प्रमोट करने के लिए जो किले हमारे बेकार पड़े हुए हैं उनको दिये जायें। यह कुछ बातें हैं जिन पर मैंने ध्यान दिलाया है।

एक विषय और है। वन मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं। माननीय वन मंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आंकड़ों के आधार पर किसी भी सदन को या किसी भी सभा को बहुत आसानी से गुमराह किया जा सकता है।

मैं काश्तकार हूं और एक उदाहरण देता हूं। वन मंत्री जी, आपका ध्यान दिलाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय वन मंत्री जी।

श्री भरतसिंह : वन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वनों का उल्लेख करते समय चतुराई से एक चीज जोड़ी गयी इन आंकड़ों में कि ढाई सौ स्क्वायर एकड़ के अन्दर वन क्षेत्र बढ़ा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल–(वन मंत्री) : 210 वर्ग किलोमीटर।

श्री भरतसिंह : हां 210 वर्ग किलोमीटर मान लीजिये आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सदस्य, यह हमने नहीं जोड़ी है, यह भारत सरकार के सैटेलाइट सर्वे ने जोड़ी है।

श्री भरतसिंह : हां, वह इसी से कहा है। मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूं वह यह है कि आंकड़े किस प्रकार भ्रमित कर देते हैं। एक किसान अगर बोले कि मैंने 10 घंटे मेरा डीजल पम्प चलाया, उसका पानी निकल कर वहां दूसरे किनारे पर गया, कितनी बीघा सिंचाई हुई, उससे नापते हैं कि आपने दिनभर सिंचाई करी! पानी कितना लगा। कभी यह नहीं बोलते कि

(श्री भरतसिंह)

आपने कितने घंटे इंजन चलाया। तो पैसा लगाया उसका रिजल्ट क्या निकला ? मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरी तहसील खानपुर के सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था। उसका जवाब आया कि पिछले दो साल के अन्दर आपने 30 लाख एक साल में और 20 लाख एक साल में वन विभाग पर खर्च किये हैं। आंकड़ों के हिसाब से पैसा खर्च हुआ है 30 लाख और 20 लाख और प्लांटेशन जो मैंने जाकर देखे हैं उसका नामोनिशान नहीं है। अगर हम हमारे पैसे खर्च करने के आधार के ऊपर उसको पूरा आधारित कर दें....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सदस्य, आपका पर्यावरण के प्रति जो भाव है उसका मैं आदर करता हूं और आपकी वेदना को भी समझता हूं। आप जिस प्लांटेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं यहां से एक विशेष अधिकारी को जांच के लिए भेजूंगा जो आपको साथ ले जाकर जांच करवा लेगा।

श्री भरतसिंह : आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय मंत्री जी, पिछले सत्र में मैंने भी यह बात कही थी और आपने कहा था कि मैं खुद जांच कराऊंगा। नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर मैन रोड पर 15–15 पेड़ों की कतारें थीं, कम से कम 20–20 वर्ष पुराने बड़े-बड़े पेड़ हैं जिनको काट–काट कर धराशाही कर दिया गया है और वहां पर ढाबे बनते जा रहे हैं। मेन रोड पर। आप शाहपुरा के पास से तिराहे से चलिये, ठेठ कोटपूतली तक निगाह कराइये कि सारे पेड़ किस तरह से निर्ममता से काटे जा रहे हैं और कैसे वहां पर ढाबे बनते जा रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा कट गये हैं। अभी पांच दिन पहले मैं देख कर आयी हूं, और भी ज्यादा कट रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : मैंने विधान सभा में पिछले 10 साल से प्रश्न पूछे हैं। अजमेर और जयपुर के बीच में ऐसे नीम के वृक्ष हैं जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हैं। तीन दफा मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया है, एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में एक्जामिन किया है। पी.डब्ल्यू.डी. का है, आपसे सम्बन्ध नहीं है, बड़े-बड़े नीम हैं जो हिन्दुस्तान में नहीं हैं, जो वन ....(व्यवधान)... हां, फोरेस्ट के नहीं हैं पी.डब्ल्यू. डी. के हैं, मैं खुद कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : परीक्षण किया है आपने एस्टीमेट कमेटी में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, मैंने एक्जामिनेशन किया था। आप यहां से अजमेर जाइये, पेड़ों की छाल उतार दी, वन थर्ड आज-कल सूखे हुए पड़े हैं, वन थर्ड अगले साल सूखेंगे। 100 वर्ष में लगे हैं और एक पेड़ की कीमत एक लाख रुपये से कम नहीं है। निर्ममता से सौ-सौ वर्ष पुराने नीम के पेड़ों को खतम किया जा रहा है। मंत्री महोदय, आप अजमेर दौरा करते वक्त देख लेना। यह आपके विभाग का नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय विश्नोईजी, वह मेरे विभाग के नहीं हैं, पी.

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

डब्ल्यू. डी. के हैं, यह बात सच है लेकिन मैं आपसे यह भी चाहता हूं कि आप यह सुझाव दें कि इन पेड़ों की रखवाली कैसे की जाय।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : पी.डब्ल्यू.डी. के नम्बर लगे हुए हैं हरेक पेड़ पर और अभी 10 मिनट लगेंगे, आप मेरे साथ यहां से 15 किलोमीटर चलियेगा, सबको पहले छीलते हैं, उनकी छाल उतारते हैं, छाल उतारने से यह पेड़ मरने लगते हैं। आप यहां से बगरू थाने चले जाइयेगा और सीन देख लीजिये, वन थर्ड पेड़ तो सूख कर खतम हो चुके हैं, वन थर्ड अभी जले हुए खड़े हैं और वन थर्ड जो हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया नीम के पेड़ हैं वह खतम हो जायेंगे जिनका व्यास आठ-आठ फीट चौड़ा है। आपको 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती कमला : मैं जहां बता रही हूं, आधा किलोमीटर पर तो आपके नर्सरी वाले और वन विभाग वालों का दफ्तर कायम हैं और किलोमीटर पर वहां पर डाक बंगले के पास में पी.डब्ल्यू डी. का दफ्तर है और यह मेन रोड पर है जहां पर पचास बार वह आते-जाते होंगे।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : मैं कह रहा हूं कि हरेक वृक्ष पर नम्बर लिखा हुआ है, पी.डब्ल्यू.डी. में उसका रिकार्ड है। करेंगे क्या ? उसकी एक डाली को ले जाकर दफ्तर में जमा कर देंगे और कह देंगे फलां पेड़ जल गया उसका यह तना है और तना जो पचास हजार का होगा उसको बेच देंगे। यह हो रहा है अभी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्रीमती कमला : आरा मशीन लगी हुई है रोड पर।

श्री भरतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो गया आपका।

श्री भरतसिंह : नहीं हुआ, आप सुनो तो सही, आपके काम की बात बोलूंगा अब मैं।

इस सरकार की पिछले 6 साल में सब से दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है वह रही है राजनैतिक द्वेषता के साथ काम करने की। आप सरकार में हैं, आपके जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं आप उनको अपनाइये मगर राजनैतिक द्वेषता के साथ जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं और खास तौर से महिलाओं के साथ, झालावाड़ जिले में चुने हुए जन प्रतिनिधि के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। झालावाड़ जिले की सब से बड़ी ग्राम पंचायत सुनेल ग्राम पंचायत है जो 1916 के पहले से रियासत के जमाने में नगरपालिका थी। 1991 को उसको ग्राम पंचायत बनाया गया। इस जिले में जहां साक्षरता की दर महिलाओं में बहुत कम है। एक एम.ए. पढ़ी-लिखी महिला सुनेल कस्बे की सरपंच बनी। सरपंच बनने के बाद उस कस्बे की चुंगी की जो आमदनी थी उसको तीन गुना किया। जहां 32,000

(178)

(श्री भरतसिंह)

रुपये ग्रामदनी थी वहां 90,000 रुपये तक बिना कोई नये कर लगाये उन्होंने इस चुंगी की ग्रामदनी बढ़ायी। चुंगी की ग्रामदनी बढ़ायी उस कस्बे के व्यापारियों को तकलीफ हुई। वह शासक दल के नेताग्रों से मिले। उनको आश्वासन दिया कि ग्रापकी चुंगी हम बन्द करवा देंगे। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, महिलाग्रों को ताकत देने की बात करते हैं, पंचायतों को मजबूत करने की बात करते हैं, वह लोग-बाग उस कस्बे में घोषणा करते हैं कि पंचायत मंत्रीजी आ रहे हैं झालावाड़ में, कल उनका कार्यक्रम है, ग्रापकी पूरी व्यवस्था हम कर देंगे। पंचायत मंत्रीजी तो झालावाड़ नहीं ग्राये मगर वहां से कलक्टर से ग्रादेश कराया, कलक्टर पर दबाव दिया ग्रौर शांति भंग के नाम पर उस पंचायत को जो अधिकार थे उन ग्रधिकारों को ताक पर रख दिया। पंचायत मंत्रीजी के यहां से कि कलक्टर ने शांति भंग होने की सम्भावना बतायी है ग्रौर चुंगी बन्द कर दी। क्यों? क्योंकि वहां की पढ़ी-लिखी महिला सरपंच है और वार्ड मैम्बर्स कांग्रेस के थे, 27 में से 24 मैम्बर्स कांग्रेस के थे ग्रौर सरपंच कांग्रेस की थी। ग्रगर वह काम करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रब ग्राप समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर क्या हुग्रा ?

श्री भरतसिंह : एक महीने तक वहां पूरे कस्बे में ग्रव्यवस्था रही ग्रौर उसके जब मुख्य मंत्रीजी को ग्रौर सरकार को लिखा गया तो बाद में नेगोसियेशन करके उस चुंगी को चालू किया। हम ग्रापसे यह कहते हैं कि फिर बन्द ही क्यों किया ? आपको बन्द करने का ग्रधिकार क्या था ?

श्री ग्रनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : उन्होंने गलत तरीके से बढ़ायी थी।

श्री भरतसिंह : कुछ गलत तरीका नहीं था, वह पूरा मेरे पास है।

श्री ग्रनंगकुमार जैन : उसको री-शिड्यूल करके नयी रेट का निर्धारण किया था। समझे कि नहीं ?

श्री भरतसिंह : बन्द किया था आप लोगों ने।

श्री ग्रनंगकुमार जैन : चालू भी इसी सरकार ने की थी।

श्री भरतसिंह : वह मुझे मालूम है। 1991 से जो व्यवस्था लागू थी उस व्यवस्था के तहत वहां पर चुंगी वसूल हो रही थी। कुछ नया टैक्स नहीं लगाया। 1991 में जिस व्यवस्था से चुंगी वसूल हो रही थी वही नियम हैं। ग्रगर पूर्व में जो चुंगी लग रही है उसके ग्राधार पर चुंगी वसूल की जाती है तो वह कर सकते हैं ग्रौर कलक्टर ने चुंगी ग्रनियमितता के ग्राधार पर नहीं, शांति भंग के नाम पर चुंगी बन्द करी थी। इसे मैं बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, मैं तो सिर्फ ग्रापके सामने उजागर करना चाहता हूं कि जो राज में बैठे हैं उसे विशाल हृदय करके चलना पड़ेगा ग्रौर एक भूंगली में से ग्रापको ग्रगर खाकी नेकर ही दिखे तो यह आपका सोच गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है इसको पढ़कर और इसमें तारीफ के पुलिन्दे पढ़कर मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं भी सियावर रामचन्द्र की जय बोलूं। सियावर रामचन्द्र की जय। बोलो जरा जोर से....(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आयी थी तो पिछले साल का इनका घोषणा पत्र बड़ा लुभावना था और इनका नारा बड़ा जोरदार था जो मुझे अभी तक याद है, "हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, महंगाई को लगाम, अयोध्या में श्री राम, बी. जे. पी. का यही पैगाम।" यही नारा था न आपका ? इसी नारे को लेकर राज्य में आये थे न ?

अब हर हाथ को काम में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पृष्ठ संख्या–5 पर लिखा है भगवान राम को साक्ष्य में रखकर पढ़ रहा हूं मैं,-"इसकी तुलना में 1990-95 की अवधि में लघु इकाइयों पर 738 करोड़ रुपये तथा मध्यम एवं बड़े उद्योगों पर 8,894 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ है। इस अवधि में लगने वाले उद्योगों में 1.09 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है।"

9.632 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मात्र एक लाख नौ हजार मजदूरों को काम करने की और रोजगार देने की क्षमता क्रियेट कर पायी है यह सरकार। इसी तरह महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या–23 पर महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से यह कहलवाया गया है कि रोजगार कार्यालयों द्वारा 1.62 लाख आशार्थियों का पंजीयन किया गया। रोजगार सहायता हेतु 781 रोजगार शिविर लगाये गये और 7,389 आशार्थियों को स्वरोजगार हेतु ऋण लेने तथा स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में मदद दी गयी। इतना लम्बा-चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने और 781 कैम्प लगाने के बाद भी 1.62 लाख आशार्थियों में से मात्र 7,389 लोगों को स्वरोजगार योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया। यह क्या सरकार हर हाथ को काम देने का वादा करके इस शासन में आयी है और क्या इनकी परफारमेंस रही है ?

अब बात लीजिये हर खेत को पानी की। मैं कहता हूं कि हमारे पाली जिले में, मैं राजस्थान तो पूरा घूमा नहीं और घूमने का मौका भी नहीं मिलता लेकिन पाली जिले में, माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में भी हर खेत को पानी भैरोंसिहजी ने दे दिया हो तो हम यह मान लेंगे,कि पूरे राजस्थान में इन्होंने हर खेत को पानी दे दिया। इस राजस्थान जैसी मरुस्थली में अगर हर खेत को पानी उपलब्ध करा देंगे तो इनकी सरकार पुज जाय, इनके मुख्य मंत्रीजी पुज जायें, इनके मंत्रीजी पुज जायें। पाली जिले में नहीं, मुख्य मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र में भी अगर हर खेत को पानी दे दें तो भी मैं कहता हूं कि इनकी वाहवाही हो जाय, इनके पुजने जैसी कार्यवाही हो जाय।

हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के स्वयं के जिले में करोड़ों रुपये राज्य सरकार के लगे हुए हैं, सालों पहले लगे हुए हैं, बांडी-नेड़ा योजना पर एक करोड़ और कुछ रुपये लगे हुए हैं, बायज बांध में लाखों रुपये लगे हुए हैं, गर्बल्या

(श्री भीमराज भाटी)

बांध में भी लाखों रुपये लगे हुए हैं, जिन सिंचाई योजनाओं में लाखों रुपये लग चुके हैं वह योजनाएं जहां थीं वहीं की वहीं ठप्प पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है।....(व्यवधान) नये भी नहीं बने हैं न। नये बनें तो क्या तकलीफ है।

अब तीसरी बात है महंगाई पर लगाम की। मारवाड़ी में हमारे एक कहावत है, "सस्ता रोये बार-बार और महंगा रोये एक बार।" तो इनका मेरे ख्याल में सोचना यह है कि यह क्यों सस्तीवाड़ा करें, सस्तीवाड़ा करेंगे तो सस्ता-सस्ता होगा, रोज रोते रहेंगे, अपने तो महंगाईवाड़ा ही ठीक है जिसमें एक बार ही तो रोयेंगे, रोते ही रहेंगे, किस लिए महंगाई पर लगाम लगायें। महंगाई पर भी कोई लगाम नहीं हैं।

अब आइये अयोध्या पर। अयोध्या में भगवान राम को तो हो गया जुकाम। सर्दी लग रही है भगवान राम को। वह ऊपर छप्पर ही छप्पर है, वह त्रिपाल बंधे हुए हैं उसके मेणिये के, मेणिये भी नहीं हैं वह, गुलाबी कपड़ा बंधा हुआ है। भगवान राम को सर्दी लग रही है, भगवान राम को गर्मी में पसीना आ रहा है, भगवान राम बारिश में भीग रहे हैं और हालत यह है कि अब वह जो पत्थर गढ़ा रहे हैं न सिरोही में, तो भगवान राम गर्मी में पसीने-पसीने हो रहे हैं, (व्यवधान) सर्दी में सर्दी उनको लग रही है और बारिश में भीग रहे हैं लेकिन भगवान राम में सच्चाई है, वह तो राम हैं, आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके पास सच्चाई है। भगवान राम की हालत यह है कि वह राम आज इनसे रूठ गया है, इनके अडवाणीजी को अग्रिम जमानत मंजूर करानी पड़ रही है और इनकी श्रीमती जी आज गीत गा रही हैं कि "मेरा पिया घर आया ओ रामजी"। वह घर आ गये कि मैं तो वापस जाऊंगा ही नहीं लोक सभा में, जब तक मेरा यह कलंक दूर नहीं हो जाय। यह तो भगवान राम की कृपा है, वह रूठ गये जिससे इनकी यह हालत हो रही है।

अब मुझे दुःख यह होता है कि इस राजस्थान के पवित्र सदन में, पूरे राजस्थान से चुनिन्दा जनता के प्रतिनिधि आते हैं, बड़े से बड़ा आदमी यहां खड़े होकर यह कहता है कि हमने पंचायती राज में यह कर दिया, म्यूनिसिपैलिटीज में यह कर दिया, हमने महिलाओं को सत्ता की भागीदारी सौंप दी, अनुसूचित जातियों को सत्ता की भागीदारी सौंप दी जबकि हकीकत यह है कि पंचायती राज एक्ट और म्यूनिसिपैलिटी एक्ट सैण्ट्रल गवर्नमेंट की और श्री राजीव गांधी की देन थी और सेवन्टी फोर्थ कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से यह कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन था हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि उसको समय पर इलेक्शन कराना था। लेकिन मैं यहां रोज सुनता हूं, अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं कि हमने यह कर दिया, महिलाओं को यह दे दिया, शिड्यूल्ड कास्ट को यह दे दिया। कम से कम यहां तो ऐसी बात नहीं किया कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक और दुःख है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदूषण मिटाने के बारे में कोई बात नहीं कही गयी। रोज हम सुनते हैं, अलवर में केडियाजी का शराब का कार-

(श्री भीमराज भाटी)

खाना लग ही रहा है, दिल्ली में कई कारखाने जिनको हाई कोर्ट ने हटाने का ग्रार्डर कर दिया, गुजरात के कई कारखाने जो प्रदूषण फैला रहे थे उनके ऊपर रोक लगी हुई है ग्रौर वह सारे कारखानेदार ग्रपने राजस्थान में घुसने में लगे हुए हैं ग्रौर यहां कोई कण्ट्रोल नहीं। किसी तरह का कोई कण्ट्रोल नहीं है। पाल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड से कभी भी सर्टिफिकेट ले लीजिये, आपको हर तरह के सर्टिफिकेट की सुविधा है। हर तरह के सर्टिफिकेट का शुल्क है ग्रौर वह शुल्क अदा करते ही आपको सर्टिफिकेट मिल जायेगा। मेरा इस पवित्र सदन में, माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी मार्फत इस सरकार से निवेदन करना है कि कम से कम ऐसे जानलेवा, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तो राजस्थान में औद्योगिकरण के नाम पर मत पनपने दीजिये, इतनी मेहरबानी तो ग्राप कीजिये। नही तो हमारी ग्राने वाली संतानें, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी।

ग्रब ग्राइये लॉ एण्ड ग्रार्डर की सिचुएशन पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हजारों ग्रादमियों के सामने भरे स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के शुभ ग्रवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के पधारने के चंद मिनटों पहले बम फट जाता है। हालत यह होती है। लॉ एण्ड ग्रार्डर की सिचुएशन गृह मंत्रीजी, यह है कि ग्राज शेर–ए–राजस्थान के जिसके नारे लगते हैं वह राजस्थान में कहीं जाते हैं तो उन शेर–ए–राजस्थान भैरोंसिंह शेखावत को जेड कैटेगिरी में फांसकर पिंजरे में लिए–लिए घूम रहे हो। यह आपकी लॉ एण्ड ग्रार्डर की सिचुएशन है, ऐसी हालत है ग्रापकी। ग्रापने ग्राज विधान सभा को छावनी बनाकर रख दिया है। क्या लॉ एण्ड ग्रार्डर सिचुएशन है? ग्रगर यही लॉ एण्ड ग्रार्डर की सिचुएशन है, जनता के चुनिन्दा प्रतिनिधियों को अगर किसी से खतरा है, शेर–ए–राजस्थान को ग्रगर किसी से खतरा है तो फिर ग्रपन कहां सेफ हैं? ग्राज पंजाब ग्रौर जम्मू–कश्मीर में जो बात अपन सुनते हैं वह यहां राजस्थान में देखने को मिल रही है। गणतंत्र दिवस पर बम फट जाय, माननीय गृह मंत्रीजी, गजब हो गया ग्रौर उसकी ग्रपने को खबर नहीं। मेहरबानी करके जो लोग भी इस बात के लिए जवाबदार हों उनको देखें। राजस्थान को भी नीचा देखना पड़ा है। राजस्थान की तरफ आज लाखों की आंखें हैं, बाहर से साउथ से ग्रौर अन्य जो प्रवासी राजस्थानी लोग है, वह ग्रापके राजस्थान में आना चाहते हैं, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ऐसी घटनाग्रों से उन लोगों को दुःख होता है, ऐसी घटनाग्रों से उनमें भय घुसता है इसलिए मेहरबानी करके इस लॉ एण्ड ग्रार्डर की सिचुएशन को सम्भालिये।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं ग्रो.बी.सी. का ग्रादमी हूं, इस मौके पर मुझे बहुत दुःख है, मैंने पूरा भाषण पढ़ा है, पूरा एक–एक पेज, एक–एक शब्द इसका पढ़ा है, इस सरकार ने इस पूरे अभिभाषण में ग्रो. बी. सी. के बारे में कोई भी बात नहीं कही है। न उनके रिजर्वेशन के बारे में कोई बात की है, न उनके एजूकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के बारे में कोई बात की है, न कोई वित्त निगम बनाने की बात की है, न उनको सर्विसेज में कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के बारे में बात की है। रिसेंटली

(श्री भीमराज भाटी)

अभी माईनिग इंजीनियर्स के इंटरव्यू हुए, उसमें ओ. बी. सी. के लोगों के रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुनः इस पवित्र सदन में राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि ओ. बी. सी. के मामले में अपनी नीयत को साफ रखें और न सिर्फ नीयत साफ रखें बल्कि ओ.बी.सी. वाले लोगों को यह पता भी चलना चाहिये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ओ. बी. सी. के प्रति सही दृष्टिकोण है और सही एटीट्यूड है।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की एक बात और कहना चाहता हूं। अब क्या भ्रष्टाचार की बात करें कोई भी रास्ते चलता आदमी, माननीय मुख्य मंत्रीजी का साथी रहा हुआ आदमी, केबिनेट में मंत्री रहा हुआ आदमी खुले आम आरोप लगा जाता है कि फलां इलेक्शन में ऐसा हुआ, फलां इलेक्शन में हमने ऐसे पैसे खाये और इसमें इतने तो वह खा गया और इतने मैं खा गया, इतने यह खा गया। आपका साथी रहा हुआ, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी का साथी रहा हुआ केबिनेट में साथी रहा हुआ, आदमी खुले आम ऐसी बात कर जाता है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज दिन तक उस बात को डिनाई नहीं किया। या तो मुख्य मंत्रीजी डिनाई करते कि भंवरलालजी बिलकुल असत्य बोलते हैं या फिर भंवरलालजी के ऊपर कुछ न कुछ कानूनी कार्यवाही करते। भारतीय जनता पार्टी आफिशियल अपना कुछ वर्शन निकालती कि भंवरलालजी शर्मा ने जो बात कही है वह बिलकुल गलत है, बिलकुल ऐसा बात उन्होंने कही है। आपका साथी रहा हुआ आदमी आपके ऊपर खुले आम भ्रष्टाचार के आरोप लगाये, पूरे राजस्थान की जनता देखे, उसको पढ़े और उसके बावजूद आपकी तरफ से कुछ भी नहीं, एक डिनायल भी नहीं। पार्टी लेवल पर या डिनायल नहीं, पर्सनल लेवल पर भी डिनायल नहीं तो इसका क्या मतलब है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं इस पवित्र सदन में निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मैं नया सदस्य हूं इसलिये मुझे दुःख होता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री के ऊपर उनका भूतपूर्व साथी रहा हुआ आदमी आरोप लगाता है तो हम लोगों को भी शर्म आती है कि पचास साल के राजनीतिक जीवन वाले आदमी के ऊपर दो–चार–पांच साल साथ रहा हुआ आदमी भ्रष्टाचार का आरोप लगा गया और भैरोंसिहजी उसको सुनकर नीची नाड़ करके चुपचाप चले गये। फिर यह कैसे राजस्थान के शेर हैं? शेर–ए–राजस्थान तो ऐसे आदमी को उठाकर अन्दर टिकायें कि मैं बताता हूं कि मैंने कौनसा पैसा खाया और कौनसी बदमाशी करी है।

एक निवेदन और करता हूं कि राजस्थान सरकार ने अकाल राहत के काम की एक फरवरी को ही जोधपुर के अन्दर जब माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारे थे तब घोषणा कर दी थी। मैं पाली जिले की बात बताता हूं। मुझे तो आज बड़ा सरप्राइज हुआ जब किसी ने बताया कि भीलवाड़ा में 18 हजार मजदूर काम कर रहे हैं, कोई बता रहा था कि 12 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। हमारे पाली जिले में अभी तक तो अकाल राहत के ऊपर जरा से भी मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना के कुछ काम मंजूर हो रखे हैं वह

(श्री भीमराज भाटी)

भी कुछ चल रहे हैं, कुछ बन्द पडे हैं लेकिन अकाल राहत का कोई भी काम अभी भी पाली जिले में शुरू नहीं किया गया है और न कोई स्वीकृति हुई है। स्वीकृति की भी हैं तो हमारे पास इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे पाली जिले में अब काश्तकार अपनी फसलों से निवृत्त हो चुके हैं इसलिए अकाल राहत के काम हैं वह मेहरबानी करके शुरू करें बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़ (अनुपस्थित) श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य रमाकान्त जी शर्मा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ...

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाले माननीय विधायक से सुबह मेरी वार्ता हुई थी तब इन्होंने कहा था कि मैं राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करूंगा, पुरजोर शब्दों में करूंगा क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है।–(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह आपकी घरेलू बातें हैं।

श्री रामनारायण (नैनवां) : यह वादा खिलाफी है। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : आपसे जो बात हुई, आपने तो कोई बात उठायी नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राजस्थान का चहुंमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के गांवों में और शहरों में किया उसके लिए मैं माननीय शेखावत साहब को बधाई देना चाहूंगा। इसके साथ ही विद्युत मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आठ घंटे बिजली देने की जो घोषणा की थी, उसमें कुछ क्षेत्रों में पूरे 8 घंटे बिजली न मिली हो लेकिन फिर भी बिजली की व्यवस्था काफी अच्छी रही है। इसके लिए आप किसी भी जी. एस. एस. के सहायक अभियन्ता से रिकार्ड मंगा लें तो आपको यह महसूस होगा कि बिजली की स्थिति काफी हद तक....(व्यवधान) सुधरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपको बधाई देना चाहूंगा....

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां देखकर पढ़ने की परम्परा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : वह कागज में देखकर नहीं पढ़ रहे। कागज के आधार पर सहारा ले रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : 1985 से लेकर 1990 तक और 1990 से 1995 तक जो व्यवस्थाएं आपने की हैं, 79,838 कनेक्शन के बजाय आपने 1 लाख 33 हजार कनेक्शन जो दिये हैं, यह डेढ़ गुणा कनेक्शन देने की जो उपलब्धि है वह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीस अरब यूनिट बिजली देने के बजाय आपने जो

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

50 अरब यूनिट बिजली दी यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। साथ ही पांच साल में 1985 से 1990 तक 33 के. वी. के जो 97 सब ग्रिड स्टेशन लगाये गये थे उसके बजाय आपने 138 सब स्टेशन, 154 जी. एस. एस. राजस्थान में लगाये उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। 132 के. वी. के ग्रिड स्टेशन आपने 22 के बजाय 138 बनवाये उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। 200 के. वी. का पिछले पांच सालों में, 1985 से 90 तक, मात्र एक ग्रिड स्टेशन बना था उसके बजाय आपने दस सब ग्रिड स्टेशन बनाये हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। यह दस गुना जो आपने उपलब्धि हासिल की है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा।

साथ ही, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। 1979 से आज तक जो काश्तकार लाइन में लगे हुए हैं और उनको साधारण प्रायोरिटी के आधार पर कनेक्शन देना चाहिये था। उनको कनेक्शन नहीं मिले हैं इसलिए इनकी समय सीमा तय होनी चाहिये। आज आपने नर्सरी योजना के तहत जो कनेक्शन दिये हैं, दे रहे हैं उसमें गरीब व्यक्ति 1979 से अब तक, 1996 तक, वहीं का वहीं बैठा हुआ है और उसको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। नर्सरी योजना जो आपने लागू की है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इससे जो गांव अविद्युतीकृत थे और जिन गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंच पायी थी उन गांवों में कम से कम बिजली पहुंची तो है। जो लोग सक्षम थे, पैसा खर्च कर सकते थे, उनको भी आपने प्रायोरिटी तोड़ कर नर्सरी योजना में कनेक्शन दिया। यह तय किया गया था कि साधारण प्रायोरिटी के 25 हजार कनेक्शन दिये जायेंगे, 25 हजार कनेक्शनों के अलावा जो कनेक्शन दिये जायेंगे वह नर्सरी योजना में दिये जायेंगे। वह प्रायोरिटी तोड़कर दिये जा सकते हैं लेकिन नर्सरी योजना के अलावा जो साधारण प्रायोरिटी में आपने कनेक्शन दिये हैं उनकी संख्या बहुत कम है। आपने जो 1983 तक का तय किया है कि सारे कनेक्शन साधारण प्रायोरिटी पर दिये जायेंगे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 1990 तक के जो साधारण प्रायोरिटी के कनेक्शन हैं उन काश्तकारों को कनेक्शन देने की कृपा करें। एक पोल व दो पोल वालों को पुनः डी. एन. (demand notice) जारी किये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक पोल और दो पोल में जिन्होंने सिक्योरिटी जमा करवा दी और उनके लिए दुबारा खाली वी. आर. (voltage regulation) नहीं बैठने की वजह से आपके उनके डी. एन. दुबारा जारी कर दिये। एक क्षेत्र में पांच सौ व्यक्तियों को डी. एन. जारी किये और उनमें से 50 व्यक्ति जिनका वी. आर. नहीं बैठ रहा है, जब वह नर्सरी योजना में फार्म भरता है तो उसका वी. आर. बैठ जाता है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो दुबारा डिमाण्ड नोटिस जारी किये हैं जिनकी सिक्योरिटी पहले जमा की जा चुकी है उनको बिना दुबारा सिक्योरिटी जमा करवाये कनेक्शन दिये जायें और वी. आर. वाली जो परेशानी है उसको हमेशा-हमेशा के लिए खतम किया जाय।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

दूसरा, मैं निवेदन करूं कि नर्सरी में कनेक्शन देने की नौ हजार रुपये प्रति पोल की दर है जबकि वास्तविक खर्चा उसमें सरकार का मात्र 4 हजार रुपये आता है। आपने 80 प्रतिशत लेबर और ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेज लगाया है उसको आपको कम करना चाहिए। क्योंकि आज किसान स्वयं अपनी ट्रोली में डाल करके उन खम्भों को कुएं तक ले जाता है, स्वयं खड्डा खोदता है, स्वयं तारों की खिचायी करवाता है और सारा लेबर का खर्चा वह खुद वहन करता है। इसलिए नर्सरी योजना में आपने 9 हजार का खर्चा लगाया है उसमें 5 हजार जो 80 प्रतिशत के हिसाब से लेबर और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है, जो कि आपको बिलकुल नहीं करना पड़ता है इसे कम किया जा करके जो एक्चुअल खर्चा है 4 हजार रुपये वह लिया जाये। इससे सरकार को कोई ज्यादा घाटा होने वाला नहीं है और किसानों को काफी राहत मिलेगी। दो वर्ष से ज्यादा समय के जो कनेक्शन कटे हुए थे, अकाल की वजह से या पानी नीचा चले जाने की वजह से उन कुओं का जल स्तर बहुत नीचा चला गया था, बारिश हो जाने की वजह से कुछ पानी उन कुओं में आया है तो उन कुओं में नर्सरी योजना के तहत जो दुबारा लाइन खींची है, उन कुओं की या आगे वाली लाइन से कुआं चल रहा था या बीच में जो कुएं हैं उनके वापस नौ हजार रुपये प्रति पोल के हिसाब से आप चार्ज कर रहे हो, यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो दो साल से ज्यादा वर्ष के कटे हुए कनेक्शन थे और जिनका डी. सी. जो हुआ है वह ओवर ड्यू हो वह जमा कर लें आप, लेकिन उन पर पुनः नर्सरी योजना के तहत तारों का और खम्भों का जो पैसा चार्ज किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के द्वारा अपनी फसल को निकालने के लिए जो थ्रेशर मशीन लगायी जाती हैं उन थ्रेशर मशीनों का अलग से डबल चार्ज लिया जा रहा है। विजीलेंस कमेटियों द्वारा उनको पकड़ कर उनके ऊपर बहुत भारी पैनल्टी लगायी जा रही है। जब किसान अपने मीटर से लाइन खलिहानों में लेकर थ्रेशर लगाकर के अपनी फसल निकालता है और थ्रेशर का मीटर चलता है उसका पैसा वह देता है तो उसको विजीलेंस कमेटी क्यों पकड़े और क्यों उसके ऊपर बड़ा भारी बोझ डाला जाय। यह थ्रेशर को पकड़ने वाली परेशानी है इसको दूर किया जाय, यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

पुराने ट्रांसफार्मर्स से लाखों की संख्या में राजस्थान के खेतों में पड़े होंगे। जिनका आयल और बूस्ट वगैरह लोग चोरी करके ले जाते हैं वह आज तक वापस नहीं आये हैं। मैं समझता हूं कि उनको इकट्ठा करके ठीक करवाया जाय तो आपकी वित्तीय समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। गांवों में कृषि नीति के अनुसार 1996–97 तक कनेक्शन देने की साधारण प्रायोरिटी के आधार पर एक नीति तय हो जिसमें नर्सरी योजना को सम्मिलित नहीं करें। नर्सरी योजना अलग से है उसमें जिनको आवश्यकता हो उनको दें। इसमें

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

जो टार्गेट आप देते हैं वह नाम मात्र के हैं एक पंचायत समिति में कहीं दस आये हैं, कहीं पांच आये हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम हजारों की संख्या में एक–एक पंचायत समिति में साधारण प्रायोरिटी के कनेक्शन दिये जायें।

शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करके सबसे ज्यादा समय दे करके, गांवों में चैकिंग करके, स्कूलों में अध्ययन की व्यवस्था को देख करके हर सम्भाग स्तर पर जो बैठकें ली हैं, सारे विधायकों को उसमें बुलाया गया है, सारे अधिकारियों को उसमें बुला करके और एक छोटी सी गांव की ढाणी की परेशानी से ले करके शहर की बड़ी समस्या तक की सारी बातों का निचोड़ करके जिस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में लिया है, मैं उसके लिए शिक्षा मंत्रीजी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहूंगा। शिक्षा के स्तर में शहर व गांवों में हुए सुधार के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। समय–समय पर गांवों और शहरों में आवश्यक व्यवस्थाएं, शिक्षण संस्थाओं को सायंकालीन समय में, दूसरी संस्थाओं को, प्राइवेट संस्थाओं को किराये पर देने की जो घोषणा की है मैं उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसके अलावा 1985 से 1990 में 286.27 करोड़ के बजाय 1990 से 95 के बीच में 595 करोड़ रुपये आपने स्कूलों पर खर्च किये हैं। प्राथमिक शालाएं 1900 के बजाय 5955 खोलीं, 1591 के बजाय आपने 1659 उच्च प्राथमिक शालाएं खोलीं और एक के बजाय 8 महाविद्यालय खोलें उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने ट्यूशन पर रोक लगायी। इसको सख्ती से लागू किया जाय क्योंकि शिक्षक स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा करके जल्दी से छुट्टी करके ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में रहता है। इसके साथ ही....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि एक घण्टे का समय और बढ़ाया जाय।

श्री कन्हैयालाल मीणा : ग्रामीण छात्रों को और शहरी छात्रों को आप एक दृष्टि से देखते हैं। ग्रामीण छात्रों को गांवों में न लाइट की व्यवस्था मिल पाती है, गरीबी की रेखा से नीचे ज्यादातर लोग निवास करते हैं। प्रवेश के लिए ग्रामीण छात्र दर-दर ठोकरें खाते फिरते हैं। महाविद्यालयों में उनको प्रवेश नहीं मिल पाता है। ग्रामीण और शहरी छात्रों की मैरिट समान होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण छात्रों में और शहरी छात्रों की मैरिट में अन्तर होना चाहिए। इसके अन्दर संशोधन करके प्रवेश की व्यवस्था की जाय।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महिला शिक्षा को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। जो शिक्षा की प्राथमिकता है उसमें महिलाओं को बहुत कम प्राथमिकता है। हर पंचायत में कम से कम एक मिडल स्कूल महिलाओं के लिए होना चाहिए, एक विधान सभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय होना चाहिए और कम से कम 10 पंचायतों के बीच में एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होना चाहिए। महिलाओं को ज्यादा शिक्षा देने की जो आपकी नीति है उसके तहत यह व्यवस्था होनी चाहिए।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

छात्रों की औसत संख्या के हिसाब से अध्यापकों को लगाया जाना चाहिए। अध्यापकों की कमी को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने छात्र हैं उसके हिसाब से वहां पर अध्यापक लगाये जायें। गांव से अध्यापक शहर में आना चाहते हैं इसलिए जो शहरी भत्ता दिया जाता है वह उतना का उतना गांवों में भी दिया जाय जिससे ग्रामीण शिक्षक शहर की तरफ नहीं भाग करके गांवों में रहना पसन्द करें। आये दिन शिक्षा विभाग के हजारों अध्यापक शिक्षा अधिकारी के, डायरेक्टर के यहां चक्कर काटते रहते हैं। इससे बच्चों के अध्ययन में काफी बाधाएं आती हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं आप एक घंटा और बढ़ा दीजिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा : उनका मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता पिछले पांच साल से बकाया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसका निपटारा किया जाय जिससे ये लोग अपना टाइम यहां नहीं लगा करके स्कूलों में लगायें। इसके साथ ही प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जो परीक्षा परिणामों में अन्तर है उसमें भी आप गौर फरमायें कि इसमें इतना अन्तर क्यों है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनिवार्यता की जाय। दरी पट्टी, बोर्ड, चॉक, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं।

साथ ही मैं चिकित्सा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था इमरजेंसी में है उसके लिए। एक व्यवस्था वह थी कि 10 मरीज अगर घायल होकर आ गये तो उनको दो-दो, तीन तीन घंटे तक नहीं देख पाते थे लेकिन आज जिस प्रकार की इमरजेंसी और आउटडोर में व्यवस्था की है उसके लिये मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1996 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.00 बजे, मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला दौसा में शीतलहर व अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को सहायता

37. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत महीनों में दौसा जिले में शीतलहर व ओलावृष्टि के कारण करोड़ों रुपये की सरसों व गेहूं की फसल नष्ट हो गई ?

(2) क्या इस हेतु विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से आंकलन करवाया गया है ? यदि हां, तो दौसा जिले में प्रत्येक पंचायत समिति में किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी फसल का खराबा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के पास किसानों की फसल जो उपरोक्त कारणों से नष्ट हो गई है से राहत दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) किसानों को उपरोक्त दशा में किस प्रकार का मुआवजा या अन्य आर्थिक मदद या सुविधा प्रदान की जावेगी ? इस बारे में सरकार की घोषित नीति क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। दौसा जिले में दिनांक 9.2.96 एवं दिनांक 25.2.96 को हुई ओलावृष्टि से सरसों व गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। इस वर्ष राज्य में शीत लहर का प्रकोप नहीं रहा।

(2) जी हां। फसल खराबे की ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–'अ')

(3) जी हां। ओलावृष्टि से फसल नष्ट होने पर नकद सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(4) ओलावृष्टि से नुकसान होने पर निम्नलिखित मदों में सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है :–

1. जनहानि
2. पशुहानि
3. फसल हानि
4. क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों की मरम्मत।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान राज्य वित्त निगम में विभागीय पदोन्नति नियम

38. **श्री भीमराज मीणा** (आसपुर) एवं **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान वित्त निगम में विभागीय पदोन्नति के स्वीकृत व लागू नियम क्या हैं ? सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री भीमराज मीणा)

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत एवं लागू पद्धति में प्रबन्धक स्तर तक की पदोन्नतियां तकनीकी, कानूनी, लेखा एवं सामान्य वर्ग के समूहों के अधिकारियों की अलग-अलग वर्गीकृत सूचियों से वरीयता क्रम अथवा योग्यता के आधार पर करने का प्रावधान है ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले लगभग 10 वर्षों में स्वीकृत पदोन्नति पद्धति का अनुसरण प्रबन्धक स्तर की पदोन्नतियों में नहीं किया गया है ?

(4) क्या भविष्य में प्रबन्धक स्तर की पदोन्नतियां स्वीकृत व लागू पद्धति के आधार पर ही की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम में अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर क्षीण हैं ? यदि हां, तो प्रबन्धन इस विषय में क्या और कब तक कुछ करने की मंशा रखता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम की वर्तमान में स्वीकृत व लागू पदोन्नति नीति एवं तत्सम्बन्धी नियम परिशिष्ट "अ" के साथ सदन के पटल पर रख दिये गए हैं।

(2) जी नहीं। नियम में स्वीकृत एवं लागू पद्धति में प्रबन्धक स्तर तक की तकनीकी, कानूनी, लेखा एवं सामान्य वर्ग के समूहों के अधिकारियों की अलग-अलग वर्गीकृत वरीयता सूची रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। सभी स्तर के अधिकारियों की सम्मिलित वरीयता सूची जारी की जाती है तथा पदोन्नति नीति में उल्लिखित योग्यता एवं अनुभव को मद्देनजर रखते हुए वरीयता सूची में से वरीयता क्रम व योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां की जाती है।

(3) जी नहीं। पिछले 10 वर्षों में प्रबन्धक स्तर की पदोन्नति में स्वीकृति, पदोन्नति नीति का अनुसरण किया गया है।

(4) जी हां। भविष्य में अभी तक के निर्णय के अनुरूप प्रबन्धक स्तर में पदोन्नतियां स्वीकृत व लागू पद्धति के अनुसार ही की जायेगी।

(5) जी नहीं। निगम के कार्य क्षेत्र में विस्तार की सम्भावनाओं को देखते हुए समय-समय पर पदों की संख्या की समीक्षा की जाती है एवं नये पद सृजित किये जाते रहे हैं तथा इनके अनुसार निगम के अधिकारियों की पदोन्नति की जाती है।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समितियों की बैठकों में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति

39. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलोदी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समितियों की बैठकों में किन-किन अधिकारियों को उपस्थित होने के आदेश दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(2) पंचायत समिति – बाप, जिला जोधपुर में पिछले एक वर्ष की बैठकों में कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे ?

(3) जिन अधिकारियों को पंचायत समिति की बैठक में उपस्थित होना पड़ता है क्या वे अपने विभाग की योजनाएं पंचायत समिति के समक्ष जानकारी हेतु रखते हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 48(7) के अन्तर्गत, कोई पंचायती राज संस्था किसी जिले या जिले के कम क्षेत्र पर अधिकारिता वाले किसी ऐसे अधिकारी, जिसकी उपस्थिति बैठक में वांछनीय हो, को बुलाये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से अधिकारियों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार द्वारा कोई स्थाई आदेश जारी नहीं किया हुआ है।

(2) पंचायत समिति, बाप जिला जोधपुर में गत एक वर्ष की बैठकों में उपस्थित होने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि जिन जिला स्तर अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया जाता है वे अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाएं/कार्यक्रम आदि की जानकारी बैठकों में रखते हैं।

पंचायत समिति बाप में उपस्थित होने वाले अधिकारियों की सूची

क्रमांक 1	बैठक की तारीख 2	उपस्थित होने वाले अधिकारी 3
1.	10–4–95	1. सहायक अ. रा.रा.वि.मं., बाप
		2. सहायक अ. सा.नि.वि., बाप
		3. सहायक अ. जनस्वा. अभि. वि., बाप
		4. प्रभारी सा.स्वा.के., बाप
		5. पशु सहायक पशु औषधालय, बाप
2.	10–5–95	1. —
3.	12–6–95	1. उपखण्ड अधिकारी, फलौदी

1	2	3
		2. सहायक अभियन्ता, पी एच.ई.डी., बाप
		3. प्रभारी पशु चि., बाप
		4. कनिष्ट अभियन्ता, पी.एच.ई.डी., बाप
		5. सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि., बाप
		6. कनिष्ट अभियन्ता, पी.एच.ई.डी., बाप
		7. कनिष्ट अभियन्ता, विद्युत, बाप
		8. प्रभारी सा.स्वा.के., बाप
		9. भू.अ.नि., बाप
4.	10-7-95	1. प्रभारी, सा. स्वा. केन्द्र, बाप
		2. ,, पशु चिकित्सालय, बाप
		3. ,, भेड़ व ऊन विभाग, बाप
5.	11-8-95	1. प्रभारी सा. स्वा केन्द्र, बाप
		2. ,, भेड़ व ऊन, बाप
6.	11-9-95	1. —
7.	10-10-95	1. प्रभारी सा. स्वा. केन्द्र, बाप
		2. — पशु चिकित्सालय, बाप
		3. बाल विकास परि. अधिकारी, बाप
		4. मलेरिया निरीक्षक
8.	10-11-95	1. सहायक अभियन्ता, विद्युत, बाप
		2. कनिष्ट अभियन्ता, पी एच.ई.डी., बाप
9.	11-12-95	1. उपखण्ड अधिकारी, फलौदी
		2. नायब तहसीलदार, फलौदी
		3. बी.एच. पशु चिकित्सालय, बाप

1	2	3
10.	26–12–95	1. अधि. अभियन्ता, विद्युत, फलौदी
		2. ,, ,, पी.एच.ई.डी., फलौदी
		3. सहायक अभियन्ता, विद्युत, फलौदी
		4. ,, ,, पी.एच.ई.डी., फलौदी
		5. ,, ,, पी.डब्ल्यू.डी., फलौदी
		6. कनिष्ट अभियन्ता, पी.एच.ई.डी., फलौदी
		7. ,, ,, पी.डब्ल्यू.डी , फलौदी
		8. प्रभारी, सा. स्वा. केन्द्र, बाप
		9. कनिष्ट अभियन्ता, सा.नि.वि , फलौदी
11.	10–1–96	1. प्रभारी, पशु चिकित्सालय, बाप
		2. बाल विकास परि. अ., बाप
		3. सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि , फलौदी
		4. ,, ,, पी.एच.ई.डी., बाप
		5. कनिष्ट अभियन्ता, पी.एच.ई.डी., बाप
		6. ,, ,, ,, ,,
12.	12–2–96	1. —
13.	11–3–96	1. —

नगरपालिका, डीग का सीमांकन

40. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितनी नगरपालिकाओं के सीमांकन के मामले सरकार के विचाराधीन हैं और कब से ?

(2) क्या डीग नगरपालिका की सीमा वृद्धि का मामला भी लम्बी अवधि से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो

(श्री श्रवण सिंह)

सरकार उक्त मामले को कब तक सुलझाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में जितनी नगरपालिकाओं के सीमांकन के मामले कब से विचाराधीन हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(2) नगरपालिका, डीग द्वारा पारित डीग का सीमा वृद्धि का प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से दिनांक 2.3.96 को प्राप्त हुआ है ।

परीक्षणाधीन है । बाद परीक्षण निर्णय लिया जायेगा ।

सदन की मेज पर रखने के लिये नगरपालिका/परिषदों की सीमांकन के प्रकरण

क्र. सं.	नाम नगर निगम/ परिषद/पालिका	प्रस्ताव वर्ष	क्र. सं.	नाम नगर निगम/ परिषद/पालिका	प्रस्ताव वर्ष
1	2	3	1	2	3
1.	कामां	1994	14.	फतेहपुर	1992
2.	विजयनगर	1988	15.	नागौर	1992
3.	सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)	1995	16.	तारानगर	1991
4.	सुमेरपुर	1986	17.	राजगढ़ (चूरू)	1992
5.	उनियारा	1995	18.	निवाई	1992
6.	चित्तौड़गढ़	1991	19.	मालपुरा	1994
7.	खेतड़ी	1993	20.	बगरू	1986
8.	जैसलमेर	1995	21.	देवली	1994
9.	अजमेर	1994	22.	सवाईमाधोपुर	1994
10.	डूंगरपुर	1995	23.	झुन्झुनूं	1993
11.	फलौदी	1996	24.	इन्द्रगढ़	1993
12.	बारां	1992	25.	सागवाड़ा	1992
13.	अलवर	1993	26.	जालौर	1989

1	2	3	1	2	3
27.	आबूरोड़	1989	30.	बांसवाड़ा	1992
28.	गंगापुरसिटी	1989	31.	मकराना	1988
29.	बालोतरा	1995	32.	जोधपुर	1996

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में स्वीकृत सहायता कार्य

41. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला उदयपुर में अकाल राहत कार्य इस वित्तीय वर्ष में कब से प्रारम्भ किये गये ?

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में अकाल सहायता के कितने कार्य कहां-कहां कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गए ? विभागवार विवरण मय मजदूरों की संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम पंचायतवार जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत कार्य पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अकाल सहायता के विभिन्न कार्यों में मस्टररोल सरपंच के माध्यम से वितरित किए जाते हैं अथवा विभागीय अधिकारियों द्वारा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने दिनांक 30.11.95 को राहत कार्य प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये।

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में अकाल राहत कार्यों का विभागवार विवरण मय राशि एवं मजदूरों की संख्या सहित सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"क")

(3) अकाल राहत कार्य, क्षेत्र में रोजगार की आवश्यकता एवं क्षेत्र में चल रहे अन्य विकास कार्यों पर उपलब्ध रोजगार को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं। अतः अकाल राहत कार्यों का ग्राम पंचायत की जनसंख्या से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(4) मस्टररोल जिला कलक्टर कार्यालय से जारी की जाती है। विभागीय कार्यों पर सम्बन्धित विभाग को तथा पंचायतों के माध्यम से करवाये जा रहे कार्यों पर सरपंचों को मस्टररोल विकास अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर जिले में स्वीकृत एनीकट्स

42. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगरपुर जिले में वर्ष 1993-94

(195)

(श्री नाथूराम अहारी)

से 1995–96 तक कितने एनीकट स्वीकृत किये गये ? पंचायत समितिवार मय स्वीकृत राशि तथा स्थान के विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त एनीकटों की अब क्या स्थिति है तथा इन पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले में वर्ष 93–94 से 95-96 तक कोई एनीकट स्वीकृत नहीं किया गया है । जिला कलक्टर एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डूंगरपुर द्वारा स्वीकृत किये गये एनीकटों की सूचना पंचायत समितिवार मय स्वीकृत राशि के निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)
1.	डूंगरपुर	93–94	3	14.98
		94–95	6	26.90
		95–96	8	39.27
2.	आसपुर	93–94	–	–
		94–95	5	20.99
		95–96	–	–
3.	सीमलवाड़ा	93–94	2	9.89
		94–95	4	19.94
		95–96	2	9.50
4.	बिछीवाड़ा	93–94	4	19.75
		94–95	6	31.49
		95–96	2	9.12
5..	सागवाड़ा	93–94	2	10.93
		94–95	1	5.00
		95–96	9	42.51
		कुल	54	260.27

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डूंगरपुर द्वारा स्वीकृत एनीकटों पर स्वीकृत राशि व्यय व वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "अ" में संलग्न है ।

पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	नाम एनीकट	मद	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि माह 2/96 तक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
(अ) डूंगरपुर पंचायत समिति					
वर्ष 1993-94					
1.	मसानिया एनीकट	जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय धारा)	4.98	4.80	पूर्ण
2.	धन्धुला एनीकट	,, ,,	5.00	3.60	प्रगति पर
3.	दोवड़ा एनीकट	,, ,,	5.00	3.00	प्रगति पर
वर्ष 1994-95					
1.	कानेला एनीकट	आश्वासित रोजगार योजना	5.00	5.00	पूर्ण
2.	भचडिया एनीकट	,, ,,	5.00	5.00	पूर्ण
3.	कणदी का नाका एनीकट	,, ,,	4.90	3.57	प्रगति पर
4.	माण्डवा खापरड़ा ,, (मान ओवर फ्लो मात्र)	,, ,,	4.90	4.42	प्रगति पर
5.	डोजा एनीकट	,, ,,	3.60	3.72	पूर्ण
6.	डागेला एनीकट	,, ,,	3.50	0.19	प्रगति पर
वर्ष 1995-96					
1.	दराखण्डा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना जीवन धारा	4.96	0.88	प्रगति पर
2.	फुटी तलाई एनीकट	,, ,,	4.38	0.78	प्रगति पर
3.	माडण्वा खापरड़ा एनीकट (ओवर फ्लो मात्र)	,, ,,	4.98	0.94	प्रगति पर
4.	बड़ीनाल एनीकट	,, ,,	5.00	0.85	,,
5.	कांकरी डूंगरी एनीकट	,, ,,	5.00	0.95	,,
6.	देवाली एनीकट	,, ,,	4.98	1.10	,,

1	2	3	4	5	6
7.	भूतकामड़ा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना जीवन धारा	4.97	0.93	प्रगति पर
8.	दरावाला एनीकट	,, ,,	5.00	0.85	,,
(ब) पंचायत समिति आसपुर					
वर्ष 1993–94		—	—	—	—
वर्ष 1994–95					
1.	पारा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय (धारा)	4.73	3.81	प्रगति पर
2.	हेरफला एनीकट	,, ,,	4.99	3.04	,,
3.	वसुन्धरा एनीकट	,, ,,	4.90	2.45	,,
4.	रेटुआ एनीकट	,, ,,	5.02	1.45	,,
5.	झरनिया एनीकट	आश्वासित रोजगार योजना	1.75	1.53	पूर्ण
वर्ष 1995–96		— —	—	—	—
(स) पंचायत समिति सीमलवाड़ा					
वर्ष 1993–94					
1.	खारापानी एनीकट	जवाहर रोजगार योजना जीवन धारा	4.90	5.00	पूर्ण
2.	टंकारी एनीकट	,, ,, (धारा)	4.99	5.00	पूर्ण
वर्ष 1994–95					
1.	बडगा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना (धारा)	4.99	4.90	पूर्ण
2.	चड़ियाला एनीकट	,, ,,	4.97	5 00	पूर्ण
3.	बरगला एनीकट	आश्वासित रोजगार योजना	4.98	4.29	पूर्ण
4.	मोर डूंगरा एनीकट	,, ,,	5.00	4.74	पूर्ण
वर्ष 1995–96					
1.	भाटिया एनीकट	जवाहर रोजगार योजना (धारा)	4.50	1.10	प्रगति पर
2.	नोलीयावाड़ा एनीकट	,, ,,	5.00	1.20	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
(द) पंचायत समिति बिछीवाड़ा					
वर्ष 1993–94					
1.	शिशोद एनीकट	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय (धारा)	4.98	6.28	पूर्ण
2.	झीझवा एनीकट	,, ,,	4.98	4.83	,,
3.	टान्डी ग्रोवरी एनीकट	,, ,,	4.79	4.60	,,
4.	रोजेला एनीकट	जवाहर रोजगार योजना जीवन धारा	5.00	5.00	,,
वर्ष 1994–95					
1.	बीखला एनीकट	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा	4.98	5.00	पूर्ण
2.	झाबुग्रा एनीकट	,, ,,	4.99	5.00	पूर्ण
3.	नलवा एनीकट	,, ,,	4.88	4.50	प्रगति पर
4.	बावदरी एनीकट	,, ,,	5.70	3.23	,,
5.	पादरडी एनीकट	,, ,,	5.94	3.47	,,
6.	लक्ष्मणपुरा एनीकट	,, ,,	5.00	2.50	,,
वर्ष 1995–96					
1.	वागफला एनीकट	जवाहर रोजगार योजना जीवन धारा	4.88	0.90	प्रगति पर
2.	कुण्डला एनीकट	,, ,,	4.24	0.93	,,
(ध) पंचायत समिति सागवाड़ा					
वर्ष 1993–94					
1.	कोपरा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा	4.96	5.59	पूर्ण
2.	भेसरा एनीकट	,, ,,	5.97	1.30	प्रगति पर
वर्ष 1994–95					
1.	हाडला एनीकट	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय (धारा)	5.00	4.90	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
वर्ष 1995–96					
1.	महुवाड़ा एनीकट	जवाहर रोजगार योजना जीवन धारा	4 93	0.92	प्रगति पर
2.	सुरमाना एनीकट	,, ,,	4.99	0.96	,,
3.	गोवाड़ी एनीकट	,, ,,	4.99	0 98	,,
4.	लिम्बोर एनीकट	,, ,,	4.63	0.88	,,
5.	नन्दीड एनीकट	,, ,,	4.98	0.89	,,
6.	मथाधरा एनीकट	,, ,,	4.99	0.89	,,
7.	पानतलाई एनीकट	,, ,,	5.00	0.76	,,
8.	बुचिया एनीकट	,, ,,	3.00	0.83	,,
9.	झाबला नाला एनीकट	,, ,,	5.00	0 50	,,

दौसा क्षेत्र को आवंटित कैरोसीन

43 **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट), **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995–96 में दौसा में कितना कैरोसिन तेल आवंटित किया गया? आवंटित कैरोसीन का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या जिला रसद अधिकारी, दौसा को कैरोसिन वितरण में गड़बड़ी की सूचना मिली है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) तहसील लालसोट में कैरोसीन के अधिकृत विक्रेताओं को कितना-कितना कैरोसिन आवंटित किया गया ? पंचायत वार आवंटन का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या अधिकृत विक्रेताओं ने उपभोक्ताओं को कैरोसिन वितरण कर दिया है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 में दौसा जिले को किये गये कैरोसिन तेल के आवंटन का माहवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(2) जी, हां। कैरोसीन वितरण की 24 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिन पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई :–

1. एफ. आई. आर.	1
2. प्राधिकार पत्र निलम्बित	6
3. जुर्माना	5
4. शिकायतें सही नहीं पाई गई	5
5. विभागीय कार्यवाही में विचाराधीन	7

(3) तहसील लालसोट के अधिकृत विक्रेताओं को जितना-जितना कैरोसीन तेल अप्रेल, 1995 से फरवरी, 1996 तक आबंटित किया गया, पंचायतवार विवरण सदन की मेज रख दिया गया है।

(4) जी हां। प्रश्न के भाग (3) की सूची में वितरण किये गये कैरोसीन तेल का विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर आगार द्वारा संचालित बसें

44. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नागौर आगार से प्रतिदिन कितनी बसों का संचालन अन्य स्थानों के लिये किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नागौर का आगार आय की दृष्टि से प्रदेश में तीसरा अथवा चौथा स्थान रखता है ? यदि हां, तो क्या इस आगार की द्रुतगामी बसों की हालत बदतर है जिससे सवारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) उक्त आगार की द्रुतगामी बसों की सवारियों की परेशानी दूर करने हेतु निगम क्या उपाय करने का विचार रखता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम के नागौर आगार से विभिन्न मार्गों पर वर्तमान में 96 वाहन सेवाओं द्वारा दैनिक 172 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। मार्गवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1995–96 में माह जनवरी, 1996 तक आय की दृष्टि से नागौर आगार 17वें स्थान पर है। इस आगार द्वारा संचालित द्रुतगामी बसों की हालत सन्तोषप्रद है।

(3) नागौर आगार द्वारा संचालित द्रुतगामी बस सेवाओं में यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तथापि नागौर आगार में पुरानी वाहनों के बदले में निकट भविष्य में 9 नई वाहनें और आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।

(201)

नागौर आगार से विभिन्न मार्गों पर दैनिक
संचालित परिचक्रों का विवरण ।

क्र. सं.	मार्ग का नाम	परिचक्र	क्र.सं.	मार्ग का नाम	परिचक्र
1.	नागौर–दिल्ली वाया अजमेर	2	23.	मकराना–आबूरोड	2
2.	नागौर–दिल्ली वाया लाडनूं	4	24.	जोधपुर–विजयनगर	2
3.	नागौर–दिल्ली वाया सीकर	4	25.	बावड़ी–जोधपुर	2
4.	नागौर–दिल्ली वाया खाटू	2	26.	नागौर–खींवसर	2
5.	नागौर–जयपुर वाया अजमेर	6	27.	नागौर–गंगानगर	2
6.	नागौर–जयपुर वाया सीकर	2	28.	नागौर–विजयनगर	2
7.	नागौर–जयपुर वाया बिचून	10	29.	खाजूवाला–नागौर	2
8.	नागौर–जोधपुर	19	30.	अजमेर–नागौर	19
9.	जयपुर–जोधपुर वाया बिचून	1	31.	अजमेर–रायसिंहनगर	2
10.	नागौर–जयपुर वाया मकराना	1	32.	नागौर–सीकर	2
11.	जयपुर–खाटू वाया बिचून	2	33.	नागौर–नावाँ	4
12.	नागौर–धनकोली	1	34.	नागौर–सालासर	2
13.	नागौर–लाडनूं	5	35.	नागौर–गुढागौडजी	2
14.	लाडनूं–धनकोली	1	36.	नागौर–सिहासन	2
15.	धनकोली–जयपुर वाया बिचून	2	37.	नागौर–अजमेर वाया टेहला	3
16.	नागौर–कोटा	4	38.	अजमेर–मेड़ता	12
17.	जोधपुर–बीकानेर	10	39.	मेड़ता–अजमेर वाया टेहला	2
18.	बीकानेर–नागौर	6	40.	नागौर–कुचेरा	4
19.	डीडवाना–जोधपुर	2	41.	नागौर–रींया	2
20	नावाँ–जोधपुर	2	42.	नागौर–अजमेर वाया रींया	2
21.	नागौर–सिरोही	2	43.	मेड़ता–ब्यावर	2
22.	पाली–नागौर	2	44.	नागौर–डेगाना	2

202

जिला सवाई माधोपुर के चयनित शिक्षित बेरोजगार

45. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में जिला सवाई माधोपुर में उद्योग विभाग के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत किन-किन शिक्षित बेरोजगार युवकों का चयन किया गया ? चयनित छात्रों की सूची ग्राम व जाति दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें।

(2) चयन किये गये छात्रों को किस किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि अथवा साधन उपलब्ध करवा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1993-94, 94-95 एवं 95-96 में चयनित शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सूचना निम्नानुसार है :-

वर्ष	चयनित युवाओं की संख्या
1993-94	58
1994-95	501
1995-96	821
	योग-1410

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (संलग्नक-"क"

(2) उपरोक्त चयनित युवाओं में से योजनान्तर्गत लाभान्वित युवाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	लाभान्वित युवाओं की संख्या	वितरण ऋण राशि लाख रु. में
1993-94	33	15.81
1994-95	206	93.88
1995-96	59	24.83
	योग-298	134.52

वांछित कार्य एवं राशि संबंधी विवरण प्रस्तुत सूची के कालम 5 व 6 पर अंकित है। बैंकों द्वारा वर्ष 1993-94, 94-95 एवं 95-96 (माह फरवरी 96 तक) स्वीकृत किये गये कुल 828 ऋण आवेदनों में से 102 युवाओं द्वारा बैंक औपचारिकता पूर्ण नहीं करने, उपस्थित (टर्न अप) नहीं होने अथवा प्रशिक्षण नहीं लेने के कारण उनके ऋण आवेदन निरस्त किये गये। बैंकों द्वारा शेष स्वीकृत प्रकरणों में वितरण की प्रक्रिया जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय

46. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कितने नये प्राथमिक विद्यालय खुलवाने

(श्री रघुवीर सिंह)

हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ? क्या प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विद्यालय खोले गये ? यदि हां, तो कहां कहां तथा नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में वर्ष 1994-95 में 7 गांवों में प्राथमिक शाला खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

जिनमें से 3 प्राथमिक शाला वर्ष 1994-95 में एवं 4 प्राथमिक शाला वर्ष 1995-96 में खोल दी गई। खोले गये प्राथमिक शालाओं के नाम निम्न हैं :-

1. उदयपुरिया
2. करणपुरिया
3. खाखरिया
4. डांगीखेड़ा
5. नन्दवी
6. डालनबावड़ी
7. जूनपुरिया

गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आबंटित भू-खण्डों का नियमन

47. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटित प्लाटों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कर लिया गया है ।

(2) ऐसी कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनके द्वारा आवंटित प्लाटों का सरकार द्वारा अभी तक नियमन नहीं किया गया है ?

(3) सरकार द्वारा जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आबंटित प्लाटों का नियमन एवं आबंटन नहीं किया गया है, उनमें क्या कानूनी अड़चन है एवं इन भूमियों पर आबंटित प्लाटों का नियमन किस प्रकार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर विकास प्राधिकरण में राजस्व विभाग (भू. रु.) के आदेश क्रमांक प. 2 (8) राज/भू. रु./90 दिनांक 18.2.94 की अनुपालना में प्राधिकरण क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों की 1159 आवेदित आवासीय योजनाओं में से 154 योजनाओं को नियमित कर दिया है ।

(2) प्राधिकरण में आवेदित गृह निर्माण सहकारी समितियों की शेष रही 1005 योजनाओं में आबंटित प्लाटों का नियमन अभी तक नहीं किया गया है ।

(3) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आबंटित प्लाटों का नियमन एवं आबंटन नहीं किया गया है उनमें संलग्न सूची से दर्शाये अनुसार कानूनी अड़चनें हैं। इन भूमियों पर आबंटित प्लाटों के नियमन के बारे में नीति निर्धारण का मामला राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।

2054

गृह निर्माण सहकारी समिति के प्लाटों के नियमन में आने वाली कानूनी अड़चनों की सूची

1. ऐसी योजनाएं जो अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि पर बनाई गई हैं का नियमन नहीं किया जा सकता है ।

2. ऐसी योजनाएं जिनके अन्तर्गत आने वाली भूमि 20.8.81 से पूर्व इकरारनामे के आधार पर खरीद कर कब्जा नहीं लिया गया है, को नियमित नहीं किया जा सकता है ।

3. ऐसी योजनाएं जिनमें सम्मिलित भूमि के लिए 31.5 82 से पूर्व पूर्ण या आंशिक रूप से सम्परिवर्तन शुल्क जमा नहीं कराया गया है, को रूपान्तरित नहीं किया जा सकता है ।

4. ऐसी भूमियां जो कि गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा मूल खातेदार से क्रय नहीं की जाकर सिर्फ कब्जाधारी से खरीदी गयी हैं या इकरारनामे के आधार पर मूल खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति या किसी गृह निर्माण सहकारी समिति से खरीदी गई हैं पर बनी आवासीय योजनाओं को भी नियमित नहीं किया जा सकता है ।

5. ऐसी भूमि जिन पर भू–उपयोग मास्टर प्लान में गैर आवासीय है को नियमित नहीं किया जा सकता हैं ।

6. ऐसी भूमियां जो कि गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा इकरारनामे के आधार पर मूल खातेदार से तो खरीदी गयी है परन्तु यदि भूमि सह खातेदार की भूमि है और उसका विभाजन नहीं हुआ है तो बिना किसी तरमीम के ऐसी योजनाओं को अनुमोदन किया जाना सम्भव नहीं है ।

7. ऐसी योजनाएं जो मन्दिर माफी पर बनी है का नियमन नहीं किया जा सकता है ।

8. ऐसी भूमि जो सह खातेदार के नाम पर है परन्तु इकरारनामे पर सभी सह खातेदारों के दस्तखत नहीं हुए हैं ।

9. ऐसी योजना जो कि खरीदी गई भूमि से मौके पर अधिक भूमि पर बनी हुयी है या सिवाय चक भूमि को सम्मिलित कर के बना रखी हैं उनके सभी आवासों को नियमित नहीं किया जा सकता है ।

10. ऐसी योजनाएं जिनकी भूमि राज्य सरकार के प्रतिबंधित या उनके अंतर्गत अवाप्तिधीन हैं, उनको नियमित नहीं किया जा सकता है, तथा पृथ्वीराज नगर, चित्रकूट नगर इत्यादि ।

11. इसके अलावा अनुमोदित योजना में ऐसे भूखण्डधारियों जिन्होंने 17.4.94 के पश्चात् जरिए इकरारनामा भूखण्ड क्रय किया हैं एवं समिति के द्वारा उनका

नाम राज्य सरकार के प्रपत्र दिनांक 18.2.94 के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, को नियमित किये जाने में परेशानियां आती हैं।

12. ऐसी गृह नि. स. स. जिनके प्रबन्ध में विवाद है जिनमें प्रशासक या अवसायक नियुक्त है और समिति के द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है को नियमित करने एवं अनुमोदित करने में काफी कठिनाइयां आती हैं।

13. ऐसी गृह नि. स. स. जो नियमन कार्य में सहयोग नहीं देती हैं तथा भूखण्ड-धारियों की सूची पेश नहीं करती हैं। भूमि विक्रय से सम्बन्धित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं करती है। योजनाओं के संशोधित मानचित्र पेश नहीं करती है के कारण नियमन कार्य सम्पादित करने में कठिनाई आती है।

सागवाड़ा की पाल (खैरवाड़ा) पर निर्मित बांध

48. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र खैरवाड़ा में सागवाड़ा की पाल में एक बांध बनाया गया है? यदि हां, तो कब और सर्वे के आधार पर इस बांध के कमाण्ड क्षेत्र में कुल कितने हैक्टेयर भूमि थी ?

(2) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कितने हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध का सारा पानी नदी में चला जाता है ? यदि नहीं, तो टेल तक पानी नहीं पहुंचने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कैनाल की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस बांध का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 1991–92 में पूर्ण हुआ था। सर्वे के आधार पर इस बांध का कमाण्ड क्षेत्र 299 हैक्टेयर प्रस्तावित था।

(2) जी, हां। पूरे कमाण्ड क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता। वर्तमान में औसत 180 हैक्टेयर भूमि में वास्तविक सिंचाई होती है।

(3) जी, नहीं। उक्त बांध का अधिकांश पानी सिंचाई के काम आता है। लगभग 75 प्रतिशत दक्षता से सिंचाई हो रही है। सारे निर्धारित कमाण्ड क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचने का मुख्य कारण यह है कि पूर्व के मापदण्डों के आधार पर 40 हैक्टेयर तक के कमाण्ड हेतु मुख्य नहर में केवल आउटलेट छोड़े गये हैं, जबकि यह क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ी ऊंचा, नीचा व स्थान–स्थान पर स्थानीय नालों का डिप्रेशन वाला है।

(4) उक्त नहर की अतिआवश्यक मरम्मत एवं लघु माइनर के निर्माण हेतु

(सिंचाई मंत्री)

डी. आर. डी. ए. से आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत 4.14 लाख रुपये स्वीकृति प्राप्त की गई हैं एवं कार्य प्रगति पर है, जो शीघ्र पूरा हो जायेगा।

निगम द्वारा अनुबन्धित बसें

49. **श्री हरिसिंह** (महुआ) **एवं श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कुछ प्राइवेट बसें अनुबन्धित की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी एवं किन सेवा शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि गत दिनों निगम के अध्यक्ष/संचालक मंडल द्वारा अनुबन्धित बसों की किराया दरों में बढ़ोतरी की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस किराया बढ़ोतरी को एक वर्ष भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है ? यदि हां, तो इससे निगम पर कुल कितना आर्थिक भार बढ़ा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। माह फरवरी, 96 के अन्त में निगम के पास 313 निजी वाहनें अनुबन्ध पर हैं। इन वाहनों की अनुबन्ध की सेवा शर्तों के अनुबन्ध पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(2) जी, हां। निगम द्वारा अनुबन्धित वाहनों के किराया दरों में दिनांक 26.2.94 से 19 पैसा प्रति कि.मी. और दि. 2.11.94 से 21 पैसा प्रति कि. मी. की बढ़ोतरी की गई।

(3) जी, नहीं। उपरोक्त किराया वृद्धि एक वर्ष की भूतलक्षी प्रभाव से नहीं की गई है।

(प्रारूप विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर (भरतपुर) में प्रस्तावित पथ परिवहन निगम आगार

50. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर (भरतपुर) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आगार बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा आगार बनाये जाने हेतु जमीन क्रय की जानी है ? यदि हां, तो जमीन क्रय किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम अब कब तक जमीन क्रय कर आगार का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर

51. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) क्या सरकार सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर को प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस उद्योग में कितने कर्मचारी कार्यरत थे और अब कितने कार्यरत हैं ? कितनी मशीनरी थी, और अब कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर के पुर्नचालन हेतु बी.आई.एफ.आर/ ए. ए. आई. एफ. आर. द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार कंपनी का प्रबंध नये प्रवर्तक मैसर्स गैनन डंकरले एण्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा ले लिया गया है, वे शीघ्राति-शीघ्र इकाई चालू करने हेतु प्रयासरत है। क्योंकि पुर्नचालन योजना की क्रियान्विति पर कंपनी के एक पुराने लेनदार मैसर्स पी. एन. बी. फाइनेन्स द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ले रखा है और अभी मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इस लिए अभी निश्चित समयावधि बताना व्यवहारिक नहीं है। अब तक की प्रगति का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2)जुलाई, 1987 में फैक्टरी बन्द होने के समय लगभग 3367 कार्मिक कार्यरत थे सितम्बर, 1995 में फैक्ट्री के पुनः खुलने पर कर्मचारियों की संख्या 1848 थी जिनमें से 1613 ने अपनी उपस्थिति दी है। शेष कार्मिक या तो सेवानिवृत हो गये है या छोड़ गये हैं।

प्रवर्तकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जो मशीनरी फैक्ट्री के बंद होने के समय थीं वही मशीनरी आज भी विद्यमान हैं।

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर उद्योग लिमिटेड, की सीमेन्ट फैक्ट्री जुलाई, 1987 से बंद है इसके लिए एक पुर्नजीवन योजना (बी. आई. एफ. आर.) द्वारा दिनांक 20/21.4.92 को मंजूर की गई। सावर्जनिक हित को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त यूनिट हेतु भारी रियायते/सहायताएं देने के लिए सहमति दी गई।

बी. आई. एफ. आर. द्वारा स्वीकृत पैकेज के अनुसार जयपुर उद्योग लि. का प्रबंध नये प्रवर्तक मैसर्स गैनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि. द्वारा ले लिया गया है। जयपुर उद्योग लिमिटेड के बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नये प्रवर्तक द्वारा जमा कराई गई रु. 6.00 करोड़ की राशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया को जयपुर उद्योग लि. के करन्ट एकाउन्ट में स्थानान्तरित करनी थी, परन्तु कम्पनी के एक पुराने लेनदार मैसर्स पी. एन. बी. फाइनेन्स कम्पनी द्वारा पुर्नचालन योजना की क्रियान्विति पर दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे लिये जाने के कारण स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा राशि जयपुर उद्योग लि. के करन्ट एकाउन्ट में स्थानान्तरित नहीं की गई हैं।

वर्तमान में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है फिर भी नये प्रवर्तक द्वारा कम्पनी के पुर्नचालन हेतु आवश्यक प्रारम्भिक कदम उठाये जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. नये प्रवर्तक द्वारा माह सितम्बर, 1995 से फैक्ट्री पुनः खोलकर सफाई अभियान, रिपेयर एवं रख रखाव का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

2. फैक्ट्री कोलोनी, खदान साइट, आसपास जंगल व झाड़ झकाल हटाना एवं रोड की सफाई का कार्य किया गया है।

3. फैक्ट्री कोलोनी एवं खदान साइट में पानी, बिजली व सेनीटेशन की सुविधाएं पुनः स्थापित करने का कार्य किया गया है।

4. फैक्ट्री एवं खानों पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी की चालन क्षमता का निरीक्षण करने का कार्य किया गया है।

5. फैक्ट्री में हुई क्षतिग्रस्त विद्युत व्यवस्था की मरम्मत का कार्य किया गया हैं।

6. आंशिक सीमेन्ट ग्राईंडिग को परीक्षण के तौर पर चालू किया है।

7. किलन हाउस संयत्रों को आंशिक रूप से चालू करने के लिए तैयार किया गया है।

जिला सीकर की पंचायतों में अध्यापकों के रिक्त पद

52. **श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :** क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले की पंचायत समितियों में काफी समय से अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस समिति में कितने-कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हुई है ? यदि हां, तो रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

(3) अध्यापकों के चयन के लिए क्या नियम एवं प्रक्रिया विद्यमान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सीकर जिले में पंचायत समितिवार अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। अध्यापकों की कमी के बावजूद पढ़ाई में बाधा नहीं होने दी गई

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

है। रिक्त 426 पदों के विरूद्ध 305 अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है व शेष 121 अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र की जा रही है।

(3) नियमों एवं प्रक्रिया की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

घीजपुरा (मकराना) में पेयजल व्यवस्था

53. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम घीजपुरा में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या ग्राम घीजपुरा में अनुसूचित जाति के घरों तथा कुछ अन्य लोगों को दो वर्षों से अभी तक पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्राम घीजपुरा को पनघट योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध हो रहा है। अक्टूबर, 93 में ग्राम घीजपुरा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये ग्राम लोरोली में जल संबंध विकसित कर पाइप लाइन द्वारा पेयजल देने की योजना स्वीकृत की गई थी जिसकी अनुमानित लागत 2.36 लाख है।

(2) पनघट योजना से ग्रामवासियों को सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। स्वीकृत योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मौहल्लों में भू तल जलाशय बनाये जाना प्रस्तावित है, लेकिन लोरोली ग्राम में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। भू जल वैज्ञानिकों से राय ली जाकर जल स्त्रोत विकसित करने का कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं

54. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कौन-कौन से एनीकट बांध, तालाब या परियोजनाएँ संभावित हैं जिनके बन जाने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ? अनुमानित लागत क्षमता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में संभावित बांध, तालाब सिंचाई परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम योजना	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	सिंचाई क्षमता (हैक्ट. में)
1.	धान्धड़ा तालाब	17.80	29
2.	मोहना टैंक फीडर	19.60	30

210

(सिचाई मंत्री)

1	2	3	4
3.	जादोलिया	4.90	33
4.	देविया	4.83	10
5.	कालियाखाल	4.85	15

इन परियोजनाओं की क्रियान्विति वांछित धन राशि उपलब्ध होने एवं इन्हें तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर निर्भर करती है ।

सिचाई मद से एनिकट्स के निर्माण का कार्य नहीं कराया जाता है ।

कर्बला उदयमन्दिर का मुतवल्ली प्रकरण

55. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कर्बला उदयमन्दिर, जोधपुर में जनवरी, 1991 में मुतवल्ली कौन था ? उन्हें वर्ष 1991 से 1995 के बीच कितनी बार निलम्बित किया गया एवं किस आधार पर बहाल किया गया ?

(2) क्या वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली को कुछ राशि दी गई है ? यदि हां, तो इससे वक्फ बोर्ड को क्या फायदा हुआ या होने वाला है ?

(3) क्या बहाल करते वक्त या बहाल करने के बाद उससे कब्रिस्तान उदयमन्दिर को विकसित करने के लिए कोई इकरार—नामा/समझौता किया गया ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? इकरारनामा/समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) किये गये इकरारनामे की क्या बोर्ड से मंजूरी ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो उस मीटिंग में जिसमें मंजूरी हासिल की गई, कितने सदस्य मौजूद थे उसमें से कितने सदस्यों ने मंजूरी दी कितनों ने इसका विरोध किया ?

(5) क्या विरोध के आधार पर कोई कार्यवाही की गई ? मीटिंग की प्रति एवं विरोध पर की गई कार्यवाही की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनवरी 1991 में कर्बला उदयमन्दिर जोधपुर के मुतवल्ली श्री एहमद शाह थे । 1991 से 1995 के बीच उनको केवल एक बार निलम्बित किया गया तथा जांच के पश्चात अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 6–5–1995 से उनको बहाल किया गया ।

(2) जी, हां । वक्फ बोर्ड से जो इकरार नामा तकमील हुआ उससे इस सम्पूर्ण सम्पत्ति का विकास सम्भव हो सका है । नई व्यवस्था से इस सम्पत्ति पर मुतवल्ली का जाति (निजी) हक समाप्त हो गया है । वक्फ बोर्ड को यह अधिकार हासिल हो गया है कि वह इस सम्पत्ति का विकास कर सकेगा तथा उससे होने वाली आय वक्फ बोर्ड के कल्याणकारी कार्यक्रम में काम आयेगी ।

(3) जी हां । मुतवल्ली से इकरारनामा वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 60 के तहत किया गया है । इकरारनामें की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है । (परिशिष्ट"क")

(राज्य मंत्री, वक्फ)

(4) जी हां, इस मीटिंग में बोर्ड के सात सदस्यों में से पांच सदस्य मौजूद थे। यह मंजूरी सर्वसम्मति से दी गयी।

(5) जी नहीं। मंजूरी सर्वसम्मति से दी गयी थी। मीटिंग की कार्यवाही की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "ख")।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत घाटोल (बांसवाड़ा) को भूमि पर अवैध निर्माण

56. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या पंचायतीराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत घाटोल जिला बांसवाड़ा में पंचायत की जमीन सर्वे नम्बर 1869 पर किसी ने अवैध कब्जा कर निर्माण किया हुआ है? यदि हां, तो किसने ?

(2) क्या सर्वे नम्बर 1869 की जमीन 1964 में पंचायत या पंचायत समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से मुआवजा अदा कर, ली गई थी? यदि हां, तो पंचायत ने यह जमीन किस कार्य में ली?

(3) क्या इस जमीन पर किसी अन्य व्यक्तियों को पट्टे दिए गए? यदि हां, तो उनको कब्जा क्यों नहीं दिया गया?

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उस समय सड़क के मध्य से कितने फीट जमीन छोड़कर मकान बनाने का आदेश दिया था?

(5) अभी जो अवैध निर्माण हुआ है वह रोड से कितने फीट दूर है? क्या सरकार इस अवैध निर्माण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या इस बारे में दिनांक 29 जुलाई, 1995 को प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(7) क्या घाटोल तहसीलदार ने निशानदेही नहीं होना बताया था? क्या सरकार निशानदेही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत, घाटोल जिला बांसवाड़ा में सर्वे नं. 1869 में पंचायत की कोई जमीन नहीं है।

(2) जी नहीं। पंचायत या पंचायत समिति ने वर्ष 1964 में सार्वजनिक निर्माण विभाग से सर्वे नं. 1869 की जमीन मुआवजा देकर नहीं ली है।

(3) जी नहीं। पंचायत घाटोल द्वारा सर्वे नं. 1869 में किसी भी व्यक्ति को पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी को भी मकान बनाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

(5) घाटोल ग्राम का सड़क सीमा 10 फीट (सड़क के मध्य से दोनों ओर 50.

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

फीट) रेवेन्यू रेकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज है। वर्तमान में मोके पर बनी हुई दुकान सड़क के मध्य से एक कौने पर 32 फीट तथा दूसरे कौने पर 44 फीट की दूरी पर बनी हुई है। सड़क गोलाई में होने के कारण दूरी अलग-अलग है। अवैध निर्माण के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी हां। दिनांक 29–7–95 को जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इस प्रकरण की जांच तहसीलदार घाटोल द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

(7) जी नहीं। जांच रिपोर्ट में तहसीलदार घाटोल ने, ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार निशानदेही की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग्राम रामपुरा बाडिया (दूदू) में अवैध पाइप लाइन

57. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रामपुरा बाडिया पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर में कनिष्ट अभियन्ता द्वारा अवैध पाइप लाइन डाली गई है ?

(2) क्या उक्त पाइप लाइन सरकार द्वारा स्वीकृत थी ? यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अवैध पाइप लाइन डाली गई है।

(2) जी नहीं। जांच में कनिष्ट अभियन्ता दोषी पाया गया है। इस अवैध पाइप लाइन के लिये दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

मण्डावा (झुन्झुनू) में निर्मित नाले के निर्माण पर व्यय

58. **श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले के मण्डावा कस्बे में बरसाती बाढ़ के पानी को व्यवस्थित रूप से निकालने हेतु विभाग द्वारा कोई नाले का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो कब तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नाले का निर्माण वर्ष 1988–89 तथा 1990 में करवाया गया तथा उसके काम को पूरा होना दिखाकर पूर्णता का प्रमाण-पत्र देकर आगे के लिए काम बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989-90 में नाले

(सिंचाई मंत्री)

का निर्माण शुरू करवाकर वर्ष 1991-92 में पूर्ण करवाया गया था। इस नाले पर 9.50 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(2) उपरोक्त नाले का निर्माण 1989-90 में 515 मीटर लम्बाई में पाइप डालने व 720 मी. लम्बाई में खुली नाली बनाने का कार्य कराया गया। यह कार्य स्वीकृत आंकलन के अनुसार पूर्ण हुआ है, अतः इस प्रकरण में जांच की आवश्यकता नहीं है।

पंचायत समिति पाली में रिक्त पद

59. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, पाली में विकास अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता के पद लम्बे समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ?

(2) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों के पदस्थापन बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक उपरोक्त रिक्त पद भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, पाली में दिनांक 10-8-95 से विकास अधिकारी का पद चयनित विकास अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से रिक्त चल रहा है। कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदस्थापन कर दिया गया है।

(2) विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया जारी है। विभागीय आदेश क्रमांक 54 दिनांक 3-1-1996 के द्वारा पंचायत समिति, पाली में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किये गये कनिष्ठ अभियन्ता श्री सुरेशकुमार स्वामी को तत्काल सिंचाई विभाग से कार्यमुक्त करने हेतु मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर को लिखा हुआ है।

तहसील पचपदरा के ग्रामों में नलकूप

60. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या भू जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार तहसील पचपदरा के ग्राम उमरलाई, पारलू, सरवड़ी, मोरड़ा और नवोड़ा बेरा में परीक्षण के तौर पर एक हजार से अधिक फुट गहरे नलकूप खोदने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी, नहीं।

जवाहर सागर बांध के भराव क्षेत्र में उत्पन्न व्यवधान

61. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जवाहर सागर बांध के भराव क्षेत्र एवं आस-पास होने वाले खनन कार्यों से खानों से निकलने वाले मलवे के कारण जवाहर सागर बांध में

(श्री रामनारायण मीणा)

भराव क्षमता एवं बिजली के उत्पादन कार्य में पड़ रहे विपरीत प्रभाव के बारे में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वे विभाग, पर्यावरण विभाग एवं खनन विभागों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाहर सागर बांध के भराव क्षेत्र एवं आस-पास होने वाले खनन कार्यों से निकलने वाले मलवे के कारण जवाहर सागर बांध की उपयोगी भराव क्षमता पर एवं बिजली उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है । भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वे विभाग एवं खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट अ, ब, स, द पर संलग्न हैं ।

(2) जी हां । इस विभाग द्वारा खनन विभाग के अधीन सम्बन्धित खनन पट्टाधारियों के खर्चे से सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्यों का समय-समय पर जायजा लिया जा रहा है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-2

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची

वर्ष 1994-95 में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित युवाओं की सूची

क्र.सं. 1	नाम आशार्थी 2	बैंक का नाम 3	स्वीकृत राशि 4	वितरित राशि 5
1.	श्री विमलेश कुमार शर्मा/लल्लुलाल शर्मा	यूको बैंक दौसा	58,000	48,000
2.	श्री कजोड़मल मीणा/गोविन्दराम	,,	44,500	44,500
3.	श्री प्रेमचन्द/प्यारेलाल	,,	40,000	37,200
4.	श्री विष्णुकुमार शर्मा/कन्हैयालाल	,,	58,500	37,962
5.	श्री शिवराम मीना/हरसहाय	,,	65,000	32,000
6.	श्री करमचन्द राणा/राधाकिशन	,,	46,000	46,000
7.	श्री भारत भूषण शर्मा/कैलाशनारायण	,,	60,000	9,500
8.	श्री मुरारीलाल खटीक/मुन्नालाल	,,	46,500	28,500
9.	श्री महेशचन्द शर्मा/कल्याण सहाय	,,	44,000	40,000
10.	श्री ओम प्रकाश खटीक/नाथूलाल	,,	27,000	27,000
11.	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता/चिरंजीलाल	यूको बैंक सैंथल	88,000	87,400
12.	श्री श्यामलाल मीणा/कल्याणसहाय	,,	45,000	45,000
13.	श्री विनोदकुमार शर्मा/रूपनारायण	यूको बैंक लालसोट	56,000	56,000
14.	श्री बालमुकन्द शर्मा/रामेश्वर प्रसाद	,,	45,000	25,000
15.	श्री जितेन्द्रकुमार शर्मा/रामअवतार	,,	44,000	45,000
16.	श्री हेमराज गुप्ता/प्रयागदत्त	यूको बैंक राहूवास	42,500	42,000
17.	श्री रमेशचन्दभाट/रामगोपाल	,,	33,250	33,250

216

1	2	3	4	5
18.	श्री राधामोहन शर्मा/बद्रीनारायण	यूको बैंक बांदीकुई	62,000	61,275
19.	श्री राजेश पाठक/ओमप्रकाश	,,	55,000	50,000
20.	श्री नन्दकिशोर बैरवा/भीमाराम	,,	47,000	47,000
21.	श्री कैलाश प्रसाद जैन/सुवालाल	,,	78,800	44,650
22.	श्री रामभरोसी माली/ श्रीनारायण माली	,,	57 500	43,500
23.	श्रीमती मालती शर्मा/महावीर प्रसाद	,,	65,000	43,500
24.	श्री शिवचरण शर्मा/कुलानन्द	,,	88,000	42,000
25.	श्री शिवचरण शर्मा/रामजीलाल	,,	25,000	30,000
26.	श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता/ रामेश्वरी प्रसाद	एस.बी.बी.जे. दौसा	77,000	77,000
27.	श्री शशीकान्त शर्मा/कजोड़मल	,,	58,000	55,000
28.	श्री जाकिर हुसैन/अब्दुल खान	,,	83,700	83,700
29.	श्री विजयसिंह माटी/तेजसिंह	,,	37,000	36,[illegible]50
30.	श्री राजेन्द्रकुमार सैनी/कालूराम सैनी	,,	91,000	87,400
31.	श्री मोहनलाल कोली/गेंदीलाल	,,	45,000	42,750
32.	श्री सुरेशकुमार शर्मा/ गोविन्द नारायण	,,	45,000	56,000
33.	श्री विजयकुमार शर्मा/सुरेन्द्रकुमार	एस.बी.बी.जे. छारेडा	69,000	54,784
34.	श्री प्रकाशचन्द गुप्ता/प्रभुदयाल	,, नांगल बैरसा	86,000	50,000
35.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता/गणपतलाल	,, लालसोट	50,000	50,000
36.	श्री महेशकुमार पांचाल/प्रभुदयाल	,,	40,000	40,000
37.	श्री कालूराम मीना/जगनलाल	,,	50,000	50,000
38.	श्री कैलाशचन्द महावर/हजारीलाल	,,	30,000	30,000

1	2	3	4	5
39.	श्री गौतम हरीतवाल/आशुतोष	एस.बी.बी.जे. बांदीकुई	90,000	57,361
40.	श्री लुभायाराम शर्मा/श्रीनारायण	,,	72,500	56,936
41.	श्री कैलाशचन्द बैरवा/मोमोतीलाल	,,	92,000	87,400
42.	श्री निरंजन प्रसाद शर्मा/ ईश्वरी प्रसाद	,,	43,500	38,000
43.	श्री जगदीश प्रसाद/रामसहाय सैनी	,,	90,000	69,460
44.	श्री खाजू खान/मकबूल खान	,,	50,000	48,540
45.	श्री गोविन्द स्वरूप मुद्गल/ } संयुक्त			
46	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	,,	1,00,000	95,000
47.	कुमारी भावना पाठक/यज्ञदत्त	एस.बी.बी.जे. दौसा	40,000	27,000
48.	श्री राजेशकुमार शर्मा/रामगोपाल	,,	50,000	50,000
49.	श्री रामअवतार मीना/सुवालाल	,, सिकराय	54,500	51,775
50.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना/लक्ष्मीनारायण	,,	54,000	51,000
51.	श्री रामस्वरूप सैनी/गंगाधर	,, सिकन्दरा	58,500	58,500
52.	श्री प्रदीपसिंह चौधरी/छोटूसिंह	,,	85,000	45,000
53.	श्री सुनीलकुमार जैमन/रामचन्द्र	,,	41,000	41,000
54.	श्री नेमीचन्द शर्मा/पूनमचन्द	,,	62,000	50,000
55.	श्री पूरणमल बैरवा/रामसहाय	,,	52,000	49,000
56.	श्री बनवारीलाल सिंगल/ रामेश्वर प्रसाद	,,	45,000	45,000
57.	श्री राजेशकुमार गुप्ता/राधेश्याम	एस.बी.बी.जे. गीजगढ़	91,000	90,000
58.	श्री राजेन्द्र कुमार सैनी/कंचन माली	,,	59,000	59,000
59.	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा/लक्ष्मणसिंह	,,	64,000	65,000
60.	श्री संजय कुमार/कैलाश लाटा	बी.ओ.बी. महुआ	60,000	60,000
61.	श्री मुकेश कुमार/मोहनलाल गुप्ता	,,	50,000	75,000

218

1	2	3	4	5
62.	श्री सुरेशचन्द मीणा/मठियाराम	बी.ओ.बी. महुवा	50,000	25,000
63.	श्रीमती कविता खण्डेलवाल/विश्वनाथ	,,	30,000	29,440
64.	श्री सुरेन्द्रकुमार गोयल/गोपाललाल	,,	70,000	61,490
65.	श्री रामग्रासरेसिंह/मनोहरीलाल जाटव	,,	56,000	19,000
66.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा/नाथूलाल	ब. बैंक दौसा	85,000	80,000
67.	श्री जगदीश प्रसाद/रामसहाय शर्मा	,, बालाहेड़ी	72,500	23,000
68.	श्री घनश्याम शर्मा/राधेश्याम	,,	57,500	80,000
69.	श्री उमेदीलाल मीणा/परसादीलाल	,,	57,500	35,000
70.	श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा/राधेश्याम	,, गुडलिया	42,000	42,750
71.	श्री अरविन्द कुमार पारीक/ओमप्रकाश	,,	43,000	42,000
72.	श्री रामवीरसिंह गुर्जर/जगनसिंह	,,	50.000	26,200
73.	श्री गोविन्दनारायण/बद्रीप्रसाद शर्मा	,,	35,000	35,000
74.	श्री धर्मचन्द जाटव/कुन्दनलाल	,,	50,000	50,000
75.	श्री रामअवतार शर्मा/लक्ष्मण राम	,, खेडला बुजंग	50,000	50,000
76.	श्री भूरसिंह/चौथीलाल मीणा	,,	50,000	20,000
77.	श्री भरोसीलाल/मन्नूराम बैरवा	,,	50,000	15,000
78.	श्री घनश्याम/हरेती जाटव	,,	65,000	75,000
79.	श्री महेशचन्द सोनी/भगवान सहाय	,, बनियाना	82,000	50,000
80.	श्री बनवारीलाल पूबिया/बद्रीनारायण	,,		
81.	श्री केदार प्रसाद/बलदेव शर्मा	बी.ओ.बी. बनियाना	25,000	25,000
82.	श्री केदार प्रसाद गुप्ता/रामअवतार	बी.ओ.आर. बगड़ी	80,000	50,000
83.	श्री महेशचन्द जैन/बाबूलाल जैन	,, अलूदा	6,000	15,000
84.	श्री रामचन्द कीर/भौंरीलाल	यू.बी.आई. चांदराना	25,000	25,000
85.	श्री जगदीश प्रसाद/श्रीयालाल बैरवा	,, बैरांवडा	45,000	25,000

1	2	3	4	5
86.	श्री मुकेश कुमार शर्मा/	पी.एन.बी. बिवाई	50,000	50,000
87.	श्री कैलाश कुमार शर्मा/	,,	50,000	50,000
88.	श्री मदनलाल जांगिड़/	,, बैजूपाड़ा	46,000	46,000
89.	श्री प्रहलादनारायण/जगदीशनारायण	एस.बी.आई. दौसा	33,000	31,000
90.	श्री बनवारीलाल/विश्वम्बरदयाल सिंगल	,,	52,500	49,875
91.	श्री आनन्द बिहारी शर्मा/जगदीशप्रसाद	,,	40,000	40,000
92.	श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा/भगवान सहाय	,,	58,000	55,000
93.	श्री दिनेशकुमार गुर्जर/मुरलीधर	,,	60,000	59,890
94.	श्री सुनीलकुमार/रामजीलाल शर्मा	,,	55,500	26,900

महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
दौसा

वर्ष 1995–96 में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित युवाओं की सूची

क्र.सं.	नाम आशार्थी	बैंक का नाम	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री श्रीराम मीणा/बद्री मीणा	बी.ओ.बी. बनियाना	39,000	39,000
2.	श्री जगदीशसिंह/श्रीनारायण	,,	40,000	40,000
3.	श्री विजयसिंह/माधोलाल पूर्बीया	,,	43,000	43,000
4.	श्री महेश जयसवाल/सूरजमल	,,	43,000	20,000
5.	श्री राजेशसिंह/चौथमल पूर्बीया	,,	43,000	38,000

220

1	2	3	4	5
6.	श्री ओमप्रकाश/राधेश्याम शर्मा	यूको बैंक बनियाना	43,000	43,000
7.	श्री गिर्राजप्रसाद/रोशनलाल	,,	40,000	40,000
8.	श्री दिनेशकुमार/रामस्वरूप	,, बांदीकुई	61,750	61,750
9.	श्री अनिलकुमार/भौंरीलाल	,,	44.350	44,350
10.	श्री गोविन्दनारायण नाटाणी/कैलाश	,, बसवा	56,878	56,878
11.	श्री भगवानसहाय/रामजीलाल शर्मा	,,	20,768	20,768
12.	श्री पूरणमल गुप्ता/मोतीलाल	एस.बी.बी.जे.	42.700	30,000
13.	श्री लल्लूप्रसाद/नाथूलाल	,,	54,000	54,000
14.	श्री रामहंस गुर्जर/मांगीलाल	,,	70,000	70,000
15.	श्री भगवानसहाय/रामधन बैरवा	,,	39,500	39,500
16.	श्री मोतीलाल/छीतरमल कुम्भकार	,,	85,000	15,000
17.	श्री अनिलकुमार/मनोहरलाल शर्मा	,,	80,000	26,125
18.	श्री महेन्द्रसिंह/भंवरसिंह छाबड़ी	,,	43,000	14,250
19.	श्री अमरचन्द/बीरबल बैरवा	,,	40,000	9,500
20.	श्री प्रकाशचन्द/राधेश्याम सैन	,,	34,000	25,650
21.	श्री हरीशचन्द/लालाराम बैरवा	,,	65,000	4,750
22.	श्री बसराम/नोशनराम बैरवा	,, बसवा	56,000	56,000
23.	श्री शिवचरण/कैलाशनारायण बैरवा	,,	80,000	80,000
24.	श्री मंगलचन्द/प्रभुनारामण खण्डेलवाल	,,	38,000	38,000
25.	श्री गिर्राजप्रसाद/रामगोपाल विजय	,,	80,000	80,000
26.	श्री भगवतीप्रसाद/रामजीलाल बैरवा	,,	40,000	8,100

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की प्रति

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :–एफ 6(3)नविप्रा/3/82 दिनांक 30–12–82

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अजमेर।

विषय :–अवाप्त की गई भूमि के बदले भूखण्ड दिये जाने की स्वीकृति बाबत।

महोदय,

निदेशानुसार आपके पत्र क्रमांक भू. अभिलेख/8550 दिनांक 13–1–82 में वर्णित एवं प्राप्त सूची संख्या 1 से 5 तक पर राज्य सरकार ने विचार कर यह निर्णय लिया है कि सूची संख्या 1 से 5 तक में वर्णित व्यक्तियों को न्यास से हुए आपसी समझौते के अनुसार भूखण्ड आवंटन किया जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :–सूची संख्या 1 से 5 तक

भवदीय
ह०/–
(जे. के. जैन)
उपशासन सचिव

(222)

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 का विवरण

सम्पूर्ण मानसरोवर क्षेत्र में सफाई एवं विद्युत व्यवस्था हेतु
कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

सफाई व्यवस्था

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री सीताराम	जमादार (अस्थाई रूप से नियुक्त है।

सैक्टर 5 के ब्लॉक 91 व सैक्टर 11 के ब्लॉक 119 में गैंग लगाकर हफ्तेवार सफाई कराई जाती है। सफाई कर्मियों के नाम ठेकेदार द्वारा क्रमशः बदलते रहते हैं। नाम व पद अस्थाई हैं।

विद्युत व्यवस्था :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री रामस्वरूप सुखीजा	विद्युत निरीक्षक
2.	श्री मोतीलाल मीणा	सहायक विद्युत निरीक्षक
3.	श्री लल्लू लाल	लाइनमैन
4.	श्री राम गोपाल	"
5.	श्री टोडरमल	हैल्पर
6.	श्री कानाराम	"
	3 हैल्पर ठेकेदार के व्यक्ति हैं जो कि परिवर्तित होते रहते हैं।	
7.	श्री लालचन्द	स्वीचमैन
8.	श्री राजेन्द्र माटी	"

(223)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 की प्रति

Jaipur City Municipal, Council.

NOTICE

Jaipur, the 27 March, 1946

No. 1054/C. L–The inhabitants of the Jaipur City Municipality are hereby informed that the Government in their Memo. No. 2366/D.D., dated the 9th March, 1946, have sanctioned the bye-laws framed by the Jaipur City Municipal Council under section 64 (1) (d) (i) of the City of Jaipur Municipal Act, 1943 for inspection, regulation and licensing of premises used as milch cattle sheds.

The approved bye-laws will be given effect to from 1st May, 1946.

Bye-laws for inspection, regulation and licensing of premises used as Milch Catte Sheds, under section 64 (1) (d) (i) of the City of Jaipur Municipal Act, 1943.

1. For purposes of these by-laws a milch cow and a milch Buffalo shall mean a cow or a buffalo and shall not include—

(a) Unweaned calf.

(b) Cow and buffalo under treatement in a hospital.

(c) Infirm cow and Buffalo maintained in any Pinirapole.

2. (a) No person shall use or permit being used any building enclosure or land as a shed for two or more then two milch cows or a milch buffalo for business purp ses unless the said building enclosure or land has been licensed by the Municipal Council for the purpose and.

(b) No person shall keep or permit being kept in any building enclosure or land licenoed in manner aforesaid, a larger

number of milch cows or buffallorus than the number speciied in the licence.

3 No building, enclosure or place shall be licensed to be used as a shed for milch cow or buffalo unless —

(a) it has a covered area of at least 40 sq. feet for each milch cow or buffalo,

(b) the roof of the shed shall be at least 8 feet higher abover the floor of the shed.

(c) the level of the floor shall be at least six inches higher than the level of the surrounding area;

(d) it is sufficiently ventilated to the entire satisfaction of the Health Officer of the Council.

(e) floor of the shed shall be so sloped as to drain, all the liquid into a properly constructed cess-pit or drain,

(f) It is provided with metal receptacles for filth of the capacity of not less than one cubic foot per head of cattle,

(g) the licensed premises shall be cleaned twice daily-No dung shall be stored in any premises which is within 15 feet of any habitation.

4. Applications for licences shall be made only by the owner or occupier of the permises in respect of which the licence is required in writing to the Municipal Commissioner in a form, which may from time to time be adopted by the Municipal Council.

5. Licence may be granted on payment of an annual fee of As.-/8/.

6. A licence granted under these bye-laws shall be valid upto 31 August succeeding the date of issue.

7. Notwithstanding anything said above, the Municipal Commissioner may cancel or revoke any licence granted under these bye-laws at any time on any of the following ground:—

(a) that the premises licensed have become unfit for use as milch cow or buffalo shed.

(b) that the premises licensed or not kept in a sufficiently sanitary condition to maintain the health of the animal kept therein,

(c) that the premises licensed has become a nuisance to the neighbouring residents.

(d) that the refuge of the licensed permises doesor is likely to pollute any water supply,

(e) that the premises licensed are not repaired or cleaned in accordance with the directions of the Health officer.

8. Any person, committing a breach of any of the provisiouns of these bye-laws shall be liable, on conviction, to a fine which may extend to Rs. 50 and, if the breach is a continuing one to a further fine, which may extend to Rs. 5 Per day.

DEVI SHANKER TEWARI
President,
Municipal. council, Jaipur

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 का विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत, कोटा

कोटा वृत में पंजीकृत आवेदकों का विवरण आय वर्ग एवं शहरवार

क्रमांक	शहर का नाम	आय वर्ग					कुल
		ई. डब्लू. एस.	एल.आई.जी.	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	
1.	कोटा	11137	6988	4791	3877	1660	28453
2.	बारां	581	493	72	28	2	1172
3.	झालावाड़	300	844	186	38	39	1467
4.	रामगंजमण्डी	235	96	34	22	18	397
5.	भवानीमण्डी	83	111	58	20	5	277
6.	सुनेल	185	64	43	52	6	350
7.	बून्दी	400	543	226	90	12	1359
		13009	9159	5412	1478	1734	33479

Dy. Housing Commissioner
R. H. B. Kota Circle, KOTA

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत, कोटा

कोटा वृत में आवास आवंटन का विवरण आय वर्ग एवं शहर वार—

क्रमांक	शहर का नाम	आय वर्ग					कुल
		ई. डब्लू. एस.	एल.आई.जी.	एम.आई.जी.(अ)	एम.आई.जी.(ब)	उच्च आय वर्ग	
1.	कोटा	7426	5883	3438	2200	964	19911
2.	बून्दी	357	368	196	78	10	1089
3.	बारां	249	42	42	—	—	333
4.	झालावाड़	37	189	43	14	—	203
5.	भवानी मण्डी	8	—	1	—	—	9
6.	रामगंज मण्डी	219	53	25	15	8	320
7.	सुनेल	2	9	—	—	—	11
		8298	6446	3745	2307	982	21796

Dy. Housing Commissioner
R. H. B. Kota Circle, Kota

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत, कोटा

कोटा वृत में शेष बचे आवेदकों का विवरण आय वर्ग एवं शहर वार

क्रमांक	शहर का नाम	आय वर्ग					कुल
		ई. डब्लू. एस.	एल.आई.जी.	मध्यम आय वर्ग (अ)	एम.आई.जी–2	उच्च आय वर्ग	
1.	कोटा	954	316	470	1636	677	4053
2.	बून्दी	129	168	28	12	1	338
3.	बारां	332	451	30	28	—	841
4.	झालावाड़	40	70	—	—	—	110
5.	रामगंज मण्डी	—	—	—	—	—	—
6.	भवानी मण्डी	—	—	—	—	—	—
7.	सुनेल	—	—	—	—	—	—
		1455	1005	528	1676	678	5342

Dy. Housing Commissioner
R. H. B. Kota Circle, KOTA

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का विवरण

पंचायत समिति 1	डार्क जोन (1988) 2	डार्क जोन (1990) 3	डार्क जोन (1992) 4	डार्क जोन (1993) 5
1–डेगाना	कोई नहीं	कोई नहीं	1–एग्रो 1 ए	(1) एओ 1 ए
			2–एग्रो 1 बी	(2) एओ 1 बी
			3–ए ओ 1 सी	(3) ए ग्रो 2 ए
			4–ए ग्रो 2 ए	(4) ए ग्रो 2 बी
			5–ए ग्रो 2 बी	(5) टी 1
			6–टी 1	(6) टी एच 1
			7–पी एच 1	
2–डीडवाना	कोई नहीं	1–ई 1	1–पी एच 2	1– पीएच 2
		2–एफ 2		
3–जायल	कोई नहीं	1–डीग्राई ए	1–एग्रो 2 ए	1–एग्रो 2 ए
			2–एग्रो 2 बी	2–एग्रो 2 बी
			3–एग्रो 2 सी	3–एग्रो 2 सी
			4–एसएस 1 ए	4–एसएस 1 ए
			5–एसएस 2	5–एसएस 1 बी
			6–एलएस 1 बी	6–एलएस 1 ए
			7–एलएस 2 ए	7–एलएस 1 बी
			8–एलएस 2 बी	8–एलएस 2 बी
			9–एलएस 2 सी	9–एलएस 2 सी
4–कुचामन	1-ए 1	1–ए 11 ए	1–एओ 1	1–एओ 1
		2–ए 11 सी	2–एओ 2 ए	2–एओ 2 ए
		3–एफ 1	3-एओ 2 सी	3-एओ 2 सी

1	2	3	4	5
5-लाडनूं	कोई नहीं	कोई नहीं	1–एओ 1 2–एलएस 2 3–पीएच 1 4–जीएन 1	1–एओ 1 2–एसएस 1 3–जीएन 1
6–मकराना	कोई नहीं	1–ई 11 बी	1–एओ 2 बी 2–जीएन 2	1–एओ 1
7–मेड़ता	1–बी 2 /	1–ए 11 2–बी 1 3–बी 11	1–एओ 1 2–एलएस 1 3–एसएस 1 4-टी 1	1–एओ 1 2–एलएस 1 3–एसएस 1 4–टी 1
8–मूंडवा	कोई नहीं	1–सी 1 सी	1–एसएस 1 ए 2–एसएस 1 सी 3–एसएस 2 4–एलएस 1 बी	1–एसएस 1 ए 2–एसएस 1 बी 3–एसएस 2 4–एलएस 1 ए
9–नागौर	कोई नहीं	1–डी 11 बी	1–एसएस 1 बी 2–एसएस 2 3–एलएस 1 4–एलएस 2 ए 5–एलएस 2 बी	1–एलएस 1 2–एलएस 2 बी
10–परबतसर	कोई नहीं	कोई नहीं	1–एबी 1 2–पीएच 1 3–जीएन 1	1–एओ 1 2–पीएच 1 3–जीएन 1
11–रीयां	1–ई 1	1–ए 1 बी	1–एग्रो 1 ए 2–एग्रो 1 बी 3–पीएच 1	1–एग्रो 1 ए 2–एग्रो 1 बी 3–पीएच 1

231

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 का विवरण

नरवाली वितरिका पर आमन्त्रित निविदा में ठेकेदारों द्वारा ली गयी कापियों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	टेन्डर कापी लेने वाले ठेकेदारों की संख्या
1	2	3
1.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 28400 मी. से 29000 मी. नहर का निर्माण कार्य	53
2.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 29000 मी. से 29760 मी. नहर का निर्माण कार्य	51
3.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 29760 मी. से 30000 मी. नहर का निर्माण कार्य	43
4.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 30000 मी. से 30500 मी. नहर का निर्माण कार्य	48
5.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 30500 मी. से 31000 मी. नहर का निर्माण कार्य	47
6.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 31000 मी. से 31500 मी. नहर का निर्माण कार्य	43
7.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 31500 मी. से 32000 मी. नहर का निर्माण कार्य	45
8.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 32000 मी. से 32500 मी. नहर का निर्माण कार्य	41
9.	नरवाली वितरिका की आर.डी. 32500 मी. से 33090 मी. नहर का निर्माण कार्य।	40

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या–68 की सूचियां

इस वर्ष जयपुर जिले में बनाये जाने वाले बांध, एनीकट एवं नहरों से सम्बन्धित सूची

1. पिपला लघु सिंचाई परियोजना।
2. कानोता लघु सिंचाई परियोजना।
3. बनेड़ी लघु सिंचाई परियोजना एवं नहर प्रणाली।
4. मामरू लघु सिंचाई परियोजना।
5. जमदेई लघु सिंचाई परियोजना।
6. मानपुर लघु सिंचाई परियोजना।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में कृषि सिंचाई हेतु बांध, एनीकट एवं नहरों से सम्बन्धित सूची

	बांध	नहर
1.	बूचारा बांध	मुख्य नहर एवं चार माइनर
2.	बेरी बांध	हाई लेवल नहर एवं लो लेवल नहर
3.	पांचडोला	मुख्य नहर
4.	दांतिल का नाका	मुख्य नहर
5.	बनेड़ी	मुख्य नहर एवं आठ माइनर (तीन माइनरों का कार्य प्रगति पर है)

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची

क्रम सं.	नाम पंचायत	सम्मिलित ग्राम
1	2	3
1.	फलासिया	1. फलासिया 2. बस्सती 3. बोरिया
2.	सडा	1. सडा 2. पाटीया 3. धरतीदेवी 4. नयाखोला
3.	नि. सिगरी	1. नि. सीगरी 2. उपलीसिगरी 3. नागमाला
4.	सोम	1. सोम 2. करेल
5.	गरणावास	1. गरणावास 2. मापटी
6.	बिछावाड़ा	1. बिछावाड़ा 2. श्यामपुराकलां 3. श्यामपुराखुर्द
7.	आमोड़	1. आमोड़ 2. तुमदर 3. ठाडीवेरी 4. सेमला 3. गोदावाल
8.	पिपलवारा	1. पीपलवारा 2. कुबादर 3. दमाणा 4. फूटामर 5. माकड़ी
9.	मादला	1. मादला 2. जामून 3. सीडली 4. उमरिया 5. बिजली
10.	मादड़ी	1. मादड़ी 2. बालबीवडोलिया 3. रणजीतपुरा
11.	खाटीकमडी	1. खाटीकमडी 2. सरादीत 3. देवतपाड़ा 4. बदलीपाड़ा 5. वेडमपाड़ा
12.	बागपुरा	1. बागपुरा 2. मासिंगपुरा
13	गोरन	1. गोरन 2. मानस

1	2	3
		3. चौकड़ी
		4. धामणी
14.	जेकड़ा	1. जेकड़ा
		2. ग्रोबरा
		3. सेरा
		4. रीगवर
		5. राप
		6. नेनवारा
15.	माकडादेव	1. माकडादेव
		2. सेलाना
		3. चौकी
		4. बुझा
		5. पालियाखेड़ा
		6. पालावाड़ा
		7. सलदरी
		8. ईडमाल
		9. बारी
		10. टिडोरी
16.	देवास	1. देवास
		2. नादवेल
		3. ग्राकोदड़ा
		4. मुण्डावली
		5. ढबावली
17.	चन्दवास	1. चन्दवास
		2. गाडरियावास
		3. मालपुरा
		4. तलाई
		5. देवला
		6. चेचलाया
18.	खाखड़	1. खाखड़
		2. नयागांव
		3. वनपुरा
19.	बदराना	1. बदराना
		2. मौ.फलासिया
20.	गोगला	1. गोगला
		2. लाखागुड़ा
		3. ग्रमरपुरा
21.	मगवास	1. मगवास
		2. ढिकलिया
		3. दमाणा
22.	भाडोल	1. भाडोल
		2. बीडा
		3. जोटाना
		4. शिवपुरा
		5. बेलनिया
23.	गोदाना	1. गोदाना
		2. ग्रावरड़ा
		3. गणेशपुरा
		4. लीलावास
		5. खाखराखेड़ा
24.	बा.का खेरवाड़ा	1. बा.का खेरवाड़ा
		2. ठूठकिया

1	2	3
		3. छीतरड़ी
		4. नामली
		5. भडोल
		6. नंदेला
		7. सालूखेड़ा
		8. सूरनी
25.	गोराना	1. गोराना
		2. चागला
26.	सुल्तानजी का खरवाड़ा	1. सुल्तानजी का खरवाड़ा
		2. कोचला
		3. कंपाचौकी
		4. बीसवारी
27.	सुणावतों का खेड़ा	1. सुणावतों का खेड़ा
		2. चतरपुरा
		3. वाड़म
		4. ढीमड़ी
28.	कंथारिया	1. कंथारिया
		2. अदकालिया
		3. खरडिया
		4. नलाउपला
		5. नलाछोटा
29.	कौल्यारी	1. कौल्यारी
		2. बड़ीमहूली
		3. झाकड़ी
		4. देवड़ावास
		5. जालमपुरा
		6. सीसवी
30.	जेतावाड़ा	1. जेतावाड़ा
		2. लूनियारा
		3. आदिवास
		4. सांटका
		5. उपावास
		6. सुकड़ा
		7. बरबली
		8. कीरट
31.	आमीवाड़ा	1. आमीवाड़ा
		2. मुण्डकोसिया
		3. झाड़ीमारी
		4. खेरकड़
		5. देलवा
		6. आमलेटा
		7. डाला
		8. तुरगढ़
		9. आडालाकड़
		10. दोलारा
32.	आमलिया	1. आमलिया
33.	डैया	1. डैया
		2. बाहीघाटिया
		3. आम्बा
		4. बूझा

1	2	3
		5. कवेल
		6. सहीवाड़ा
		7. माल
		8. टीडोरी
		9. हुण्डला
		10. सरवण
34.	अम्बासा	1. अम्बासा
		2. छालीबोखड़ा
35.	घरावन	1. घरावन
		2. लघोनी
		3. आडाहल्दू
		4. अम्बावी
		5. आमड़ा
36.	पनरवा	1. पनरवा
		2. मानपुर
		3. खजूरणा
		4. बावरावाड़ा
		5. मांडवा
		6. खोराड़
		7. परमेर
37.	ओजरोलीखास	1. ओजरोलीखास
		2. कोट
		3. गुराड़
		4. बाड़ीखाड़ा
		5. बुरावाड़ा
		6. सुरीमाला
		7. अजरोलीधूलजी
		8. अजरोलीदोलजी
		9. मावाई उर्फ बगोरावास
		10. कोचरिया
		11. मेषाणा
38.	ओडा	1. ओडा
		2. परदा
		3. कालियामाटी
		4. रोहीमाला
		5. साहीवाड़ा
		6. खेड़ा
		7. नलानियाकलां
		8. मलानियाखुर्द
		9. सर्ववली
		10. पालखुण्डा
		11, कुरावलीबड़ी
39.	थोवावाड़ा	1. थोवावाड़ा
		2. झाझरकीपाल
		3. छपरेटा
		4. अम्बावी
		5. काकरमाला
		6. गोदावता का पाड़ा
		7. कुरावलीखुर्द
40.	बिरोटी	1. बिरोटी
		2. नयागांव

1	2	3
		3. अटवास
		4. मकुम्बा
		5. वेणागिया
		6. जुडली
		7. डाबीचा
		8. वासीवाड़ा
41.	नेवज	1. नेवज
		2. दोव
		3. मदकालिया
		4. बिटरा
		5. कामड़ी
		6. कुण्डा
		7. नालननामा
42.	गेजवी	1. गेजवी
		2. हीरूमाला
		3. हितावतों का वास
		4. बांडमारी
		5. ढीमडी
		6. काकण मुदरा
		7. सिलक
		8. जेतादाड़ा
		9. जवारिया
		10. पलधर
43.	काडा	1. काडा
		2. क्यारिया
		3. अजयपुरा
		4. रणपुर
		5. धूलभाखड़ी
		6. खुडा
		7. मवरिया
		8. नगली
44.	ओगणा	1. ओगणा
		2. कुम्हारवास
		3. पिपलवाड़ा
		4. मोहनी
		5. नापादेवी
		6. मेहताजी का वास
		7. उदरा
		8. डार्डलिया
		9. कुण्डाल
		10. पमादेवी का खेड़ा
		11. पन्डरिवास
		12. सलार
		13. पिलक
		14. कपायावास
		15. किताबतों का खेड़ा
45.	अटारिया	1. अटारिया
		2. बासडिया
		3. चौहानवास
		4. सांखला
		5. उखलतीवेर

1	2	3
		6. बालती का खेड़ा
		7. वजावतों का खेड़ा
		8. नादिया
		9. देवड़ावास
		10. सरकाखेड़ा
		11. कोलर
		12. डंगारियावास
		13. भूरा
		14. चौंखलाबारा
46.	बड़ली	1. बडली
		2. गउपीपला
		3. चौकीमंगरी
		4. अर्जुनपुरा
		5. चक्कडुवा महुआ
		6. डूंगरिया
		7. चौकी
47.	खाखरिया नई	1. खाखरिया नई
		2. बोदलावाड़ा
		3. खाचरण
		4. बाली
		5. कुठाला
		6. तालाब
		7. कजनवा
		8. पोपटाली
		9. बोरिकला
		10. शिशविया
		11. लोहरी
		12. उपरिया
		13. बोटीखुर्द
48.	माहडी	1. माहडी
		2. नला
49.	सड़ा	1. सड़ा
		2. लूक
		3. आम्बादेह
50.	गूंरा	1. गूंरा
		2. चोखला
		3. बालीचारणी
		4. राजपुर
		5. सांवन का क्यारा
51.	मेडी	1. मेडी
		2. देहरी
		3. नाकोला
		4. घोड़ामारी
		5. वादवीरान
		6. मीमतलाई
		7. हसरेटा
		8. कोलदरा
52.	मामेर	1. मामेर
		2. बासेला
		3. भूरीढेबर
		4. लूणा

1	2	3	1	2	3
53.	बुढिया	1. बुढिया	56.	नयावास	1. नयावास
		2. चौखली			2. सोनद्रफ
		3. मण्डाबाल			3. बेराकातर
		4. परिया			4. वागोता
54.	महाद	1. महाद	57.	खजूरिया	1. खजूरिया
		2. खीखेरा			2. कालीखेतर
		3. मीरेंछा			3. कागवास
		4. भामरी			4. नयावास
		5. भासावाड			5. छापर
		6. जेर			6. रूजियाखुण
		7. ढीया	58.	घंघमता	1. घंघमता
		8. बेडाघर			2. कोलिया
		9. मिंतर			3. ढेण
		10. मनासी			4. सांडमारिया
		11. सूरा			5. मालसांडमारिया
		12. भम्बा			6. चकसांडमारिया
		13. खीरावाणी			7. सुमीरी की नाल
55.	कोटडा	1. कोटडा			8. बडली
		2. गांधीसरणा			9. चरसा
		3. चितली सुवरी			
		4. उपली सुवरी			

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या–78 की सूची एवं विवरण

वर्ष 1993–94

क्र.सं. 1	सामान की सूची नाम सामान 2	संख्या 3	कीमत 4
1.	लेदर कम वाशर	150	1800.00
		100	1200.00
2.	रबर सीलिंग रिंग बड़ी	200	400.00
3.	चेक वाल गाईड़	15	460.00
4.	चेक वाल शीट	15	703.00
5.	रबर शीट रिटनर	15	304.00
6.	हैम्स कवर	50	280.00
7.	हेम्स वाल्ट एक 12 × 1, 75 × 20	100	230.00
8.	हेक्स वाल्ट एम 12 × 1, 75 × 40	50	90.00
9.	हाइटेन्शन वाल्ट	50	210.00
10.	हेम्स नायलाक नट एम 10 × 1, 5	50	110.00
11.	स्पेन्शर रिंग	15	615.00
12.	फोलोवर	15	1020.00
13.	प्लेन्जर याक्वाड़ी	15	877.50
14.	जी आई पाइप 32 एम एम	20	278.00
		25	347.00
			8,924.00
	परिवहन सेलटैक्स व सरचार्ज व्यय		2,421.00
			₹ 11,345,50

वर्ष 1994–95

क्र.सं. 1	सामान की सूची नाम सामान 2	संख्या 3	कीमत 4
1.	लेदर कम वाशर	100	1200.00
2.	रबर सीलिंग रिंग बड़ी	200	2400.00
		250	500.00
3.	रबर सीलिंग रिंग छोटी	250	275.00
4.	अपरवाल गाइड	50	1130.00
5.	चेन विद कपलिंग	25	1777.50
6.	वियरिंग 6204	10	950.00
7.	चेक वाल गाइड	25	767.50
8.	चेक वाल शीट	25	1172.50
9.	रबर शीट रिटनर	25	507.50
10.	हेक्स कवर	200	1120.00
11.	हेक्स वांल्ट एम 12×1, 75×20	250	450.00
12.	हेक्स वांल्ट एम 12×1, 75×40	250	575.00
13.	हाइटेन्शन वाल्ट	150	630.00
14.	हेक्स नाइलाक नट एम 10×1, 5	250	550.00
15.	स्पेन्शर रिंग	7	40.95
16.	फोलोवर	25	1700.00
17.	लेदर सीलिंग रिंग	150	952.50
		40	242.00
18.	प्लेन्जर यार्क वाडी	25	1462.50
19.	जी आई पाइप 32 एम एम	54	750.60
20.	रिडूशर केस	50	1130.00
21.	हेक्स नट एम 12×1, 75	250	300.00
22.	एम एस गाल्वाइज्ड वाशर	500	375.00
23.	एक्शल एच पी	2	170.40

1	2	3	4
24.	हेन्डल एच पी	3	1126.50
25.	जी आई पाइप 32 एम एम	100	6460.00
26.	सिलेण्डर एच पी	2	1408.00
			29,448.45
	परिवर्तन सेलटैक्स व सरचार्ज व्यय		4,196.55
	योग		33,645.00

वर्ष 1995–96

क.सं.	सामान की सूची नाम सामान	संख्या	कीमत
1.	लेदर कम वाशर	500	6000.00
2.	अपरवाल गाइड एनडी	50	1312.50
3.	चेन विद कपलिंग	25	2062.50
4.	वियरिंग 6204	4	380.00
5.	हेक्स कवर	100	560.00
6.	लेदर सीलिंग रिंग	300	1815.00
7.	जी आई पाइप 32 एम एम	200	2800.00
8.	हेण्डल वेल्डेड	2	901.40
9.	हेक्स नायलांक नट 10×1, 5	25	55.00
10.	हाइटेन्शन वाल्ट एम 10×1, 5×40	25	110.00
11.	जी आई पाइप 32 एम एम	235	19908.00
			35,904.40
	परिवहन सेलटैक्स व सरचार्ज व्यय		3,096.00
	कुल योग		39,000.40

परिशिष्ट "ब"

वर्ष	प्राप्त राशि का विवरण (रु.)	राशि का उपयोग	
		स्पेयर पार्ट्स	हैण्ड पम्प मिस्त्रियों का पारिश्रमिक
1993-94	55,275.00	11,345.00	50,104.00
1994-95	1,48,364.00	33,645.00	65,480.00
1995-96	1,56,487.00	39,000.00	1,07,528.00

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या–79 का विवरण

वर्ष 1993 से 1995 तक की अवधि में हुई दुर्घटनाओं का विवरण

क्रम संख्या 1	विवरण 2	1993 3	1994 4	1995 5
(1)	प्राण घातक दुर्घटनाएं	145	141	188
(2)	बड़ी दुर्घटनाएं	134	44	164
(3)	साधारण दुर्घटनाएं	164	213	261
	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	443	398	613
(4)	मृतकों की संख्या	231	200	302
(5)	घायलों की संख्या	1100	1096	1768

दुर्घटना में निगम वाहनों को हुई क्षति का विवरण

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1992–93	1,05,48,557.00
1993–94	1,53,45,795.00
1994–95	1,57,87,656.00

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की समय-सारिणी

उदयपुर से कोटड़ा वाया झाडोल–फलासिया–सोम मार्ग पर संचालित बस सेवायें

उदयपुर	कोटडा	कोटडा	उदयपुर
0545	1130	1415	2000
1030	1615	0700	1230
1130	1615	1030	1500
उदयपुर	विजयनगर	विजयनगर	उदयपुर
0700	1200	1330	1830
उदयपुर	सोम	सोम	उदयपुर
0745	1145	1200	1600
0900	1300	1315	1715
1630	2045	0600	1015
उदयपुर	अदकालिया	अदकालिया	उदयपुर
1000	1300	1500	1800
1300	1600	0645	0945
उदयपुर	पानरवा	पानरवा	उदयपुर
1415	1845	0700	1145
उदयपुर	देवास	देवास	उदयपुर
1500	1800	0700	1000
उदयपुर	धोबावाडा	धोबावाडा	उदयपुर
1730	2030	0600	0900
उदयपुर	फलासिया	फलासिया	उदयपुर
1800	2130	0600	0930

उदयपुर–गोगुन्दा मार्ग पर संचालित बस सेवाऐं

उदयपुर	गोगुन्दा	गोगुन्दा	उदयपुर
0730	0900	0600	0730

उदयपुर	गोगुन्दा	गोगुन्दा	उदयपुर
1130	1300	0930	1100
1500	1630	1315	1445
1900	2030	1700	1830
0845	1015	1100	1230
1300	1415	1500	1630

उदयपुर–गोगुन्दा–कोटडा मार्ग पर संचालित बस सेवाएं

उदयपुर	सायरा	सायरा	उदयपुर
0430	0630	0800	1030
1100	1330	1630	1830
उदयपुर	**कोटडा**	**कोटडा**	**उदयपुर**
0530	0945	0830	1230
0900	1315	1315	1715
1600	2000	1530	1930
उदयपुर	**मानपुरा**	**मानपुरा**	**उदयपुर**
0830	1200	1415	1730
उदयपुर	**पानरवा**	**पानरवा**	**उदयपुर**
1230	1745	0600	1115
उदयपुर	**पीपाणा**	**पीपाणा**	**उदयपुर**
1430	1745	0700	1000
उदयपुर	**ढोल**	**ढोल**	**उदयपुर**
1800	2030	0630	0830

उदयपुर से गोगुन्दा होकर जालौर, रणकपुर, माउण्टआबू, सिरोही, अम्बाजी, फालना, जोधपुर आदि स्थानों के लिये संचालित बस सेवाएं

उदयपुर से जालौर	0515
	0630
कोटडा से रणकपुर	0530
उदयपुर से माउण्ट आबू	0600
	0715
	1445

उदयपुर से सिरोही	0630
	1400
	1500
उदयपुर से नाकोडाजी	0700
उदयपुर से अम्बाजी	0800
उदयपुर से फालना	0930
	1145
	1530
डूंगरपुर से जोधपुर	1030
	2030
बांसवाड़ा से माउण्टआबू	1230
अहमदाबाद से फालना	1230
रतलाम से फालना	1400
उदयपुर से सायरा	1700
बांसवाड़ा से जोधपुर	1930
चित्तौड़ से माउण्टआबू	1030

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या–87 की समय-सारिणी

समय–सारिणी जयपुर से गंगापुर वाया लालसोट मार्ग

क्रम संख्या	मार्ग का नाम		जाने में प्रस्थान	जाने में पहुंच		आने में प्रस्थान	आने में आगमन	
1.	करौली तक	(सी.बी.एस. से)	0500	1030 (करौली)	(करौली से)	1100	1630	घाटगेट
2.	सपोटरा	(घाटगेट से)	0700	1230 (सपोटरा)	(सपोटरा से)	1245	1815	,,
3.	सपोटरा	,,	0830	1400 ,,	,,	1415	1945	,,
4.	गंगापुर	,,	0900	1330 (गंगापुर)	(गंगापुर)	1500	1930	,,
5.	गंगापुर	,,	0945	1415 ,,	,,	1600	2030	,,
6.	गंगापुर	,,	1030	1445 ,,	,,	1715	2130	,,
7.	सपोटरा	,,	1430	2000 (सपोटरा)	(सपोटरा)	0530	1100	,,
8.	गंगापुर	,,	1515	1915 (गंगापुर)	(गंगापुर)	0615	1015	,,
9.	गंगापुर	,,	1630	2030 ,,	,,	0500	1330	,,
10.	करौली	,,	1730	2300 (करौली)	(करौली)	0815	1330	पुष्कर तक
11.	पुष्कर से गंगापुर	1430 घाटगेट	1800	2130 (गंगापुर)	(गंगापुर)	0700	1115	घाटगेट
12.	गंगापुर	,,	1930	2330 ,,	(करौली)	0930	1500	,,
13.	गंगापुर	घाटगेट	2030	0030 ,,	,,	1000	1545	,,

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 की प्रति

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ 74 (7) खा वि./सा. वि. प्र./87, जयपुर, दिनांक 23.10.92

ओरसे, वास्ते,

खाद्य आयुक्त एवं सचिव, समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान, जयपुर । राजस्थान ।

विषय:–उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के बारे में ।

महोदय,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने तथा उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन करने हेतु आवंटन समितियों के गठन के बारे में विभाग द्वारा समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं । विभागीय पत्र संख्या एफ 74 (7) खा. वि./सा. वि. प्र./87, दिनांक 28-4-87 के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे । राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण–प्रणाली को सुदृढ करने की दृष्टि से उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर पुनः विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु जिला स्तर के साथ उपखण्ड स्तर पर भी आवंटन समितियों का गठन किया जावें ।

उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के संबंध में पूर्व दिये गये निर्देशों के स्थान पर निम्नांकित दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

आवंटन में प्राथमिकतायें :–

(अ) सहकारी समितियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तथा जिनके विरूद्ध कोई गम्भीर शिकायत नहीं है ।

(ब) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ।

(स) पिछडे वर्ग (बैकवर्ड) क्लास के व्यक्ति ।

(द) भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवायें ।

(न) निजी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार नहीं करते है तथा जीवनयापन के लिये उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर रहेगें, ऐसी महिलायें, जो उत्साही हो और उचित मूल्य की दुकान चलाने में समर्थ हो, को वरियता दी जावें ।

उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में उक्त प्राथमिकता क्रम को अपनाते समय निम्न बातें स्पष्ट रूप से ध्यान में रखी जावें :-

(1) संख्या (ब) से (न) तक के प्राथमिकता क्रमों में शिक्षित बेरोजगार नवयुवक अथवा ऐसे विकलांग जो शारीरिक एवं अन्य सभी दृष्टियों से दुकान चलाने हेतु सक्षम हो, को प्राथमिकता दी जावेगी । विकलांगों के लिये प्राथमिकता क्रमों को मिलाकर कुल आवंटन की जाने वाली दुकानों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(2) उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 7 प्रतिशत आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिये होगा इनके उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिकता क्रम पूर्वानुनुसार होगा । यह शर्त केवल नई आवंटित की जानेवाली दुकानों के लिये लागू होगी ।

(3) उचित मूल्य की दुकानों को संचालित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात् उनके आश्रितों को यदि वे उचित मूल्य की दुकान संचालन करने के लिये आवेदन करे और उसके लिये पात्रता एवं योग्यता रखते हो तो उन्हें उचित मूल्य की दुकान का आवंटन करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता क्रम अपनाते हुये दुकान आबंटित की जावें :-

(क) डीलर की विधवा पत्नि

(ख) बालिग पुत्र

(ग) विधवा पुत्री

(घ) अविवाहित पुत्री ।

मृतक डीलर की उचित मूल्य की दुकान जिस आश्रित को आबंटित की जावेगी, वे स्वयं दुकान चलायेगें ।

(4) – जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों एवं जिलों में उचित मूल्य की दुकान संचालन में सर्वप्रथम प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति की सहकारी समिति को दी जावेगी बशर्ते उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो । अनुसूचित जन-, जातियों की सहकारी समिति से तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से होगा जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के हों । इसके

बाद इसकी प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति के मूल सैनिकों को दी जावेगी और तीसरी प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को दी जावेगी।

(5) – सहकारी समितियों के संबंध में सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों की राय भी ली जा सकेगी।

(6) – सभी वर्गों के आवेदकों के लिये यह आवश्यक है कि वे स्वयं दुकान चलाने के लिये सक्षम हो एवं दुकान बेनामी प्राप्त न की जावें। यह भी आवश्यक होगा कि दुकानदार उसी क्षेत्र (यथा पंचायत, ग्राम, वार्ड) का निवासी हो, जहां वह दुकान चालाना चाहता है और दुकान भी यथास्थिति उस वार्ड, ग्राम अथवा पंचायत में स्थित हो अर्थात् किसी भी व्यक्ति को उस वार्ड, ग्राम अथवा पंचायत में दुकान आबंटित नहीं की जावेगी, जहां उसका स्थाई निवास स्थान नहीं है। स्थायी निवास की पुष्टि के लिये मतदाता सूची की सहायता ली जा सकती है।

(7) – यदि एक प्राथमिकता में एक से अधिक व्यक्ति आते हैं, तो आंबटन समिति ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देगी जो उसी क्षेत्र का निवासी हो एवं जिसकी वित्तीय स्थिति ठीक हो और पूर्व में अन्य निजी दुकान (छोटी) चलाने का अनुभव रखता हो।

आवंटन प्रक्रिया

(अ) आवंटन के पूर्व प्रार्थना पत्र, अखबारों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से आमंत्रित किये जाने चाहिये। दुकानों के आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र दुकानवार अलग–अलग प्राप्त किये जायें।

(ब) एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को दुकान आबंटित नहीं की जावेगी।

(स) आवंटी का चालचलन अच्छा हो एवं आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत कभी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो तथा उसको पूर्व में आवंटित उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र दोषी पाये जाने के कारण निरस्त नहीं किया गया हो।

(द) आवंटित की जानेवाली दुकानों की संख्या की यथा संभव 10 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्राथमिकता क्रम से प्रतीक्षा सूची में से तात्कालिक आवश्यकता (किसी कार्यरत दुकान का निलम्बन, निरस्तीकरण अथवा अन्य अस्थाई व्यवस्था हो जाना) होने पर लिया जावेगा।

(च) किसी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के निलम्बन, निरस्तीकरण की दशा में उस क्षेत्र की वितरण व्यवस्था के लिये तुरन्त प्रतीक्षा सूची में से नई दुकान आवंटित की जावेगी। किसी भी स्थिति में वितरण व्यवस्था निकटतम क्षेत्र की कार्यरत दुकान से चालू नहीं की जायेगी, बल्कि पृथक दुकान की ही व्यवस्था की जावेगी।

(छ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु एक आबंटन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :–

(क) जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी–	अध्यक्ष
(ख) संबंधित क्षेत्रीय विधायक–	सदस्य
(ग) नगरपालिका/परिषद के अध्यक्ष अथवा उनका प्रतिनिधि–	सदस्य
(घ) जिला रसद अधिकारी–	सदस्य सचिव।

(ज) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु निम्नानुसार आबंटन समिति का गठन किया जाता है :–

(क) उपखण्ड अधिकारी–	संयोजक
(ख) संबंधित क्षेत्रीय विधायक–	सदस्य
(ग) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/प्रशासक अथवा संबंधित नगरपालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनका प्रतिनिधि।	सदस्य

अन्य:–(वर्तमान कार्यरत एवं भविष्य में आवंटित की जाने वाली सभी दुकानों के लिये)।

(अ) आबंटन के पूर्व दुकान के स्थान और पास पड़ौस की स्वच्छता को महत्व दिया जावें। दुकान किसी अन्य दुकान का भाग न हो, ऐसी जगह अवस्थित हो, जिसका सहज रूप से पता चल सके और आसानी से पहुंचा जा सकें। उपभोक्ताओं को खड़े रहने के लिये पर्याप्त स्वच्छ स्थान हो। दुकान के उपर स्पष्ट एवं सुपाठ्य रूप से इस बात का लेख हो कि यह उचित मूल्य की दुकान है।

(ब) जिस क्षेत्र के लिये दुकान स्थापित की जावें यह यथासंभव केन्द्रीय स्थल पर हो।

(स) आटे की चक्की, परचून (ग्रोसर) दुकान अथवा होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबे इसी

प्रकार के अन्य संस्थानों आदि से दुकान स्थान सुरक्षित दूरी पर हो। चयन एवं अर्हता आदि के क्षेत्रीय सत्यापन (फील्ड वैरीफिकेशन) के लिये जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुविधाजनक प्रक्रिया निर्धारित करेंगें।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में उचित मूल्य की दुकान का आबंटन उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जावे।

भवदीय,

ह.

आयुक्त एवं शासन सचिव,
खाद्य विभाग, राज. जयपुर।

प्रतिलिपि :–

(1) – जिला रसद अधिकारी (समस्त) राजस्थान।

(2) – समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

(3) – निजी सचिव, मा. खाद्यमंत्रीजी, राजस्थान जयपुर।

हस्ताक्षर

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन
शासन उप सचिव, राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की प्रतियां

राजस्थान सरकार
(मंत्रिमण्डल सचिवालय)

क्रमांक : प–4 (1) मं.मं. 190 जयपुर, दिनांक 19 जनवरी, 1990

आज्ञा

अकाल के दौरान जिन संस्थाओं द्वारा चारे का वितरण किया गया था और जिनका भुगतान रूका हुआ है, ऐसे समस्त मामलों पर विचार करने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नांकित मंत्रियों की एक उप समिति गठन करने की आज्ञा प्रदान करते हैं:—

1— श्रीमती कमला, कृषि मंत्री।

2— श्री रामसिंह विश्नोई, सहकारिता मंत्री।

3— श्री बुलाकी दास कल्ला, समाज कल्याण मंत्री।

यह समिति इस विषय में समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपनी सिफारिशें मंत्रिमण्डल के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(राम लुभाया)
विशिष्ट शासन सचिव

मंत्रीमण्डल के निर्णय क्रमांक: 30/90 दिनांक 13.1.90 के तहत राज्यादेश संख्या प. 4 ( ) मं. मं./90 दिनांक 19.1.1990 द्वारा जिन संस्थाओं द्वारा चारे का वितरण किया गया तथा जिनका भुगतान रूका हुआ है ऐसे समस्त मामलों पर विचार कर मंत्रीमण्डल की सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु एक उप समिति का गठन किया गया था। इस उप समिति में निम्न मंत्री सदस्य बनाये गये :—

1. श्रीमती कमला कृषि मंत्री।

2. श्री रामसिंह विश्नोई सहकारिता मंत्री।

3. श्री बुलाकीदास कल्ला, समाज कल्याण मंत्री।

इस उप समिति की प्रथम बैठक दिनांक 22.1.90 को श्रीमती कमला, कृषि मंत्री के कक्ष में सायं 4.00 बजे हुई जिसमें उप समिति के सदस्यों के अतिरिक्त श्री हरीश नैय्यर, शासन सचिव, सहायता, श्री ए. के. गुप्ता, शासन उप सचिव, सहायता विभाग तथा श्री सीताराम गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायता विभाग भी उपस्थित थे। सहायता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार चारा परिवहन के 325, 06 लाख रुपये के क्लेम अजमेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनूं, नागौर,

सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर एवं जोधपुर जिलों में अभी भी अनिर्णित (बकाया है।) समिति को बकाया के कारणों से अवगत कराया गया। विभाग द्वारा इन जिलों के जिला कलेक्टर्स को जो दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं उससे समिति की सामान्य सहमति है। इसके उपरान्त जोधपुर जिले के मामलों को उनकी परिस्थितियों के कारण अलग से लिया गया।

उप समिति को यह बताया गया कि जोधपुर जिले की पंचायतों एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चारा परिवहन अनुदान के बकाया मामलों की नमूना जांच वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायता विभाग द्वारा की गई थी। जिसमें निम्न बातें पाई गई:—

1. चारे की खरीद बाहर से न की जाकर, स्थानीय मण्डियों में की जाना।
2. चैक पोस्ट की चारा पर्चियां सही होना संदिग्ध।
3. बिल्टियां सही तरीके से तैयार न होकर औपचारिकता के बतौर संलग्न करना।
4. चारे की छीजत न बताने से वितरण सन्देहास्पद होना।
5. चारा परिवहन की दरें बिना दूरी को ध्यान में रखे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान का लाभ उठाने की दृष्टि से सभी स्थानों के लिए दरें बराबर दिखाकर क्लेम प्रस्तुत करना।

इन्हीं क्लेम के भुगतान की देयता की जांच हेतु वित्त विभाग द्वारा एक लेखाधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच दल द्वारा जांच की जा रही है। उक्त जांच दल की प्राप्त अन्तरिम रिपोर्ट में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं की बाबत समिति को अवगत कराया गया और प्रत्येक बिन्दु पर विस्तार में चर्चा भी हुई।

उप समिति के सदस्यों ने इस स्थिति पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि संवत 2043 एवं 2044 में भयंकर अकाल था। दो वर्ष लगातार भीषण अकाल होने के कारण चारे की भारी कमी थी। इसलिए न केवल स्वयं सेवी संस्थाओं को अपितु पंचायतों तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को भी चारा राज्य के बाहर से लाकर उनके क्षेत्र में वितरित करने का भार सौंपा गया था। राज्य में चारे की भारी कमी को देखते हुए यह सम्भव नहीं था कि राज्य में से सूखा चारा लाया गया हो। अतः यह स्पष्ट है कि सूखा चारा तो राज्य के बाहर से ही आया है। हरा चारा गंगानगर या कोटा आदि जिलों से लाकर वितरित किया गया है। पंचायतों व दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के कार्यकर्ता ग्रामीण तथा कम शिक्षित हैं। अतः उनसे सही रीति से कागजात संधारित करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन संस्थाओं ने चारा वितरित किया है जिनको राज्य सरकार के निर्णयानुसार, राजस्व कर्मचारियों या अन्य अधिकृत अधिकारियों ने प्रमाणित किया है। इन संस्थाओं को केवल वांछित कागजात की कमी के आधार पर भुगतान न करना व्यावहारिक नहीं होगा। भुगतान न करने से न केवल इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी वरन् ये संस्थायें भविष्य

में इस प्रकार की गम्भीर समस्याओं के निराकरण में सहयोग भी नहीं दे पायेगी। किन्तु जिन मामलों में जाली कागजात के आधार पर भुगतान मांगा गया हो उनके भुगतान को रोका जावे व उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

अतः यह उप समिति सिफारिश करती है कि जोधपुर जिले की ग्राम पंचायतों व दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के बकाया क्लेम्स (लगभग 120 संस्थायें) में से जाली पाये गये भुगतानों को छोड़कर शेष बकाया बिलों का निपटारा निम्न दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर किया जावें :—

1. दूरी का निर्धारण

क. सूखा चारा राजस्थान के बाहर से आया है ऐसा माना जावे ।

ख. इस हेतु जोधपुर से सम्बन्धित राज्य के समीपस्थ बोर्डर की दूरी मानकर दूरी माना जावे और जहां स्पष्ट नहीं हो कि किस राज्य से चारा आया है, उस मामले में निकटतम अन्तरराज्यीय सीमा से दूरी माना जावें ।

ग. चारा परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से मानकर दूरी के आधार पर आंकलन किया जावें ।

II. चारे की मात्रा का निर्धारण

धर्म कांटे की रसीद, बिल्टी, चारा पर्ची, वितरण रजिस्टर में राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित मात्रा में से जो भी सबसे कम मात्रा हो वह चारे की मात्रा चारा परिवहन अनुदान के भुगतान हेतु माना जावें ।

III. जिन मामलों में कतिपय कारणों से प्रस्तुत दावा जाली व फर्जी होने के पर्याप्त कारण है उनमें जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावें । जहां कही राज्य कर्मचारियों को ऐसे मामलों में मिली भगत पाई जावें, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जावें ।

ह०—	ह०—	ह०—
(कमला)	(रामसिंह विश्नोई)	(बुलाकी दास कल्ला)
कृषि मंत्री	सहकारिता मंत्री	समाज कल्याण मंत्री

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची

सूची फसल खरीब सम्वत 2052 में फसल खराबा 75% से 100% तक से प्रभावित ग्राम तहसील लालसोट जिला दौसा।

1. निर्झरना	2. चांदसेन	3. चक चांदसेन	4. थलोज
5. पिताम्बर मारती	6. सुनक्या	7. लाडपुरा	8. चकरोडा
9. बाढ तातार्डसिह	10. सालगरामपुरा	11. भगवतपुरा	12. राजोली
13. ,, ,, च. न. 3	14. ,, च. नं. 2	15. चक इन्दावा	16. इन्दावा
17. टोडाठेकला	18. ,, च. नं. 3	19. भैरूंवास च. नं. 1	20. बिहारीपुरा
21. टोडाधामा च. नं. 2	22. ,, च. नं. 4	23. ,, च. नं. 5	24. मिर्झापुरा
25. नांगल/अमयपुरा	26. ,, च. नं. 5	27. किराडी	28. खेडली
29. प्रहलादपुरा	30. ,, च. नं. 6	31. बगडी	32. सुरपुरा
33. बिनोरी	34. ,, च. नं. 7	35. जोनपा	36. छावा
37. रामसर	38. थानपुरा	39. अलीपुरा	40. झापदा
41. बाढ प्रेमपुरा	42. प्रेमपुरा	43. उदयपुरा	44. बाढ उदयपुरा
45. चैनपुरा खुर्द	46. रायमलपुरा	47. रतनपुरा	48. श्यामपुराकलां
49. सीतारामपुरा	50. अजबपुरा	51. बाढनोंदपुरा	52. थूड़ी धीराजपुरा
53. संवासा	54. दौलतपुरा	55. कोकरिया	56. जयसिंहपुरा

57. भेड़ियावास	58. होदायली	59. समेल	60. गूज रहेडी
61. भोजयाड़ा	62. गुमानपुरा	63. बाढ गुमानपुरा	64. शिवसिंहपुरा
65. मटलाना	66. राजपुरा	67. महाराजपुरा	68. पृथ्वीसिंहपुरा
69. चकपृथ्वीसिंहपुरा	70. देवली	71. श्रीरामपुरा	72. नारायणपुरा
73. मोहब्बतपुरा	74. रघुनाथपुरा	75. भोपालपुरा	76. निचुनिया
77. सहसपुरा	78. सीगपुरा	79. कूतलवास	80. नयावास
81. टोडामीना	82. कल्लावास	83. बाढजगनेर	84. ढोलावास
85. रामपुराकलां	86. चोडियावास	87. खेमपुरा	88. डोब
89. ढोब खालसा	90. चकरामसर	91. अलीपुरा	92. रामसिंहपुरा
93. चक खारजी	94. सहाजहानपुरा	95. हरीपुरा	96. लाहडी का बास
97. श्यामपुरा/हबीबपुरा	98. मनवा का बास	99. रामगढ़ पचवारा	100. हमीरपुरा
101. ग्रांगल्यावास	102. डोबलाखुर्द	103. भोवतपुरा	104. नोरंगपुर
105. सूरतपुरा	106. बासडा	107. सवाईमाधोपुरा	108. चक सवाईमाधोपुर
109. कालीयावास	110. बाढकालियावास	111. चारणवास	112. लालसोट (शहरी)

ह०/–

जिला कलेक्टर, दौसा

सूची फसल खरीफ सम्वत 2052 में खराबा 50% से 74% तक से प्रभावित ग्राम तहसील लालसोट जिला दौसा ।

1.	खटूम्बर	2.	कोल	3.	कुटक्या	4.	घाटा
5.	रणबो	6.	खारीवाड़ा	7.	घोण	8.	बाढ ताताड़सिंह नं. 1
9.	चक राजोली	10.	डिगो	11.	सोनन्दा	12.	टोडागांगा
13.	भैरूबास	14.	किशनपुरा	15.	पट्टी सुलतानपुरा	16.	,, च.नं. 1
17.	,, च.नं. 2	18.	लालपुरा	19.	श्रीसुखचैनपुरा	20.	,, च.नं. 2, 3
21.	,, च.नं. 3	22.	रामपुराखुर्द	23.	धामावास	24.	बलरामपुरा
25.	,, च.नं. 4	26.	खेमावास	27.	शाहपुरा	28.	मुकनपुरा
29.	चक मुकन्दपुरा	30.	नगरीयावास	31.	मलवास	32.	सलेमाबाद
33.	चक सलेमाबाद	34.	बिनोलाकला	35.	बडेरान	36.	खटवा
37.	कल्याणपुरा	38.	कानलोदा	39.	बाढकानलोदा	40.	देवल्दा
41.	सुन्दरपुर	42.	बाढ कल्याणपुरा	43.	श्यामपुरा	44.	पट्टी किशोरपुरा
45.	काकरिया	46.	खेडलाखुर्द	47.	बासलक्ष्मीपुरा	48.	थानपुरा
49.	दिवाचलीकलां	50.	हमीरपुरा	51.	दिवाचलीखुर्द	52.	महाराजपुरा
53.	मण्डावरी	54.	किशोरपुरा	55.	खुरा	56.	महारिया

57. दौसाडा	58. बिनोलाखुर्द	59. बाढवाडा	60. अचलपुरा
61. रायपुरा	62. बाढ अचलपुरा	63, अनूपपुरा	64. नालावास
65. गोकलपुरा	66. रामसिंहपुरा	67. भारमल का बास	68. चोडियावास
69. उगरियावास	70. बडकापाडा	71. लाखनपुर	72. माधोपुरिया
73. रूपपुरा	74. बाढरूपपुरा	75. बाढशिवसिंहपुरा	76. तलाबगांव
77. गूदडीया	78. लोरवाडा	79. श्रीगोविन्दपुरा	80. चिमनपुरा
81. पट्टी चिमनपुरा	82. करणपुरा च.नं. 1	83. चक विजयपुरा	84. खारजी विजयपुरा
85. श्रीमा	86. ,, च.न. 2	87. विजयपुरा	88. बाढ श्रीमा
89. बरेडी	90. ,, च.नं. 3	91. मूंडिया	92. बाढ मूंड़िया
93. रूगनाथपुरा च.नं. 1	94. ,, च.नं. 4	95. कालूवास	96. गुढा सम्पतपुरा
97. ,, च.नं. 2	98. चैनपुराकलां	99. मोहम्मदपुरा	100. बाडा
101. राहूनास	102. बाड़ोली	103. मोलाई	104. कल्लावास जा.
105. कल्याणपुरा	106. मोहनपुरा	107. जीतपुर	108. टूंटियावास
109. जगनेर	110. दांगडीजगनेर	111. पातलवास	112. श्रीरामचन्द्रपुरा
113. डिडवाना	114. पालून्दा	115. मांवता	116. रामपुराकलां
117. चांदपुर	118. चक चांदपुर	119. ढोली	120. हामावास

261

121.	श्रोपडियाराजावतान	122.	चक अलीपुरा	123.	खेमपुरी	124.	रामसर
125.	सलेमपुर	126.	टोरडा	127.	मानपुरा	128.	बुर्जा
129.	गोदावास	130.	व्यासों का नोहरा	131.	दुर्जनवास	132.	चक दुर्जनवास
133.	अरनियाकलां	134:	अरनियाखुर्द	135.	नहडीजसवंतपुरा	136.	कंवरपुरा
137,	पाडली	138.	डाबरखुर्द	139.	डाबरकलां	140.	आमानेरी
141.	सुलतानपुरा	142.	बाढडाबरकलां	143.	निजामपुरा	144.	बामनहेडी
145.	रालावास	146.	सिदोली	147.	सोनड़	148.	सिसोदिया
149.	डूंगरपुर	150.	बीडोली	151.	बाढवड़वा	152.	चक जगनेर
153.	टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा	154.	टोडाधामा मुश्तरका	155.	टोडाधामा च.नं. 1	155.	टोडाधामा खातीवाला
157.	टोडाधामा गंगारामवाला	158.	सीतारामपुरा च.नं. 2	159.	सीतारामपुरा च.नं. 3	160.	हेमल्यावाला
161.	हृदयगढ़ च.नं. 1	162.	बाढ दूबल्या	163.	हृदयगढ़ च.नं. 2	164.	मनवा का बास च.नं 1
165.	कूपावास	166.	मनवा का बास च.नं. 3	167.	चक कूपावास	168.	चांदावास
169.	स्वरूपपुरा	170.	अभयपुरा	171.	बिदरखां	172.	गंडलाई
173.	मांडाहेड़ा	174.	कंवरपुरा	175.	रामनगर रेवडी	176.	जगनेर तुरकान
177.	चक माल्यावास	178.	माल्यावास	179.	चक अभयपुरा	180.	कैला का बास
181.	सीतापुर	182.	रामपुरा कलां	183.	अमराबाद	184.	श्रीया

185. नापाका बास	186. दयालपुरा	187. बाढ रतनपुरा	188. बाढ जीता
189. उगरपुरा	190. बाढ उगरपुरा	191. देहलाल	192. श्रीगणेशपुरा
193. बाढ देहलाल	194. नापाका बास च.नं. 1	195. बीछा	196. नापाका बास च.नं. 2
197. बीलका	198. ,, च.नं. 3	199. राणोली	200. बाढ फतेहपुरा
201. कुशलपुरा	202. बीजलबास	203. बाढ मोगतपुरा	

ह०/–
जिला कलक्टर, दौसा